



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

सौ वर्षों के अटूट विश्वास के साथ हम हैं गतिमान...
सघन संगठित सत्प्रयासों के सुनिश्चित हैं सुपरिणाम !

Central Bank of India

Moving ahead on a century of trust...

Consolidation leads to performance !



सेन्ट सहयोग
Cent Sahayog



कृषि ऋण
Agricultural Loans



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सफलता के सोपान

‘लोगो’ किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरूप भी वर्ष-दर-वर्ष रूपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.

The logo captures the personality of an organization and projects it to the outside world. In keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian Economy, Central Bank of India's personality has also morphed through the years to represent the Bank's ability to keep up with the times.

THE MARK OF SUCCESS

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरूप दर्शाने वाला यह ‘लोगो’ विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है.

Logo in the form of magnificent Central Bank of India building structure depicted dependability and solidity.

1911



बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए ‘लोगो’ को संशोधित किया गया.

Logo was revised to depict its initials identifiable with the Bank

1956



‘लोगो’ को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामायिक छवि प्रस्तुत की जा सके.

Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporary look.

1973



‘लोगो’ में पट्टियों सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर्सम्बंधों को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिम्बित करता है.

The four Squares in the logo with bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.

1982



विषय-सूची/Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश.....	2
निदेशक मंडल / Board of Directors	4
नोटिस.....	5
निदेशक रिपोर्ट 2011-12.....	7
प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श तथा विश्लेषण	11
कॉर्पोरेट गवर्नेंस	35
भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	51
दिनांक 31 मार्च, 2012 का तुलन पत्र	52
दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	53
तुलन पत्र की अनुसूचियां	54
लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां.....	59
मुख्य लेखांकन नीतियां	60
लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां	63
दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	82
दिनांक 31 मार्च, 2012 का समेकित तुलन पत्र.....	98
प्रॉक्सी फॉर्म	121
उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पत्र	122
Chairman & Managing Director's Message	124
Notice	126
Directors' Report 2011-2012	129
Management Discussion and Analysis	133
Corporate Governance.....	157
Auditors' Report to the President of India	173
Balance Sheet as on 31st March, 2012	174
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2012	175
Schedules to Balance Sheet	176
Schedules to Profit & Loss Account.....	181
Principal Accounting Policies.....	182
Notes Forming Part of the Accounts.....	185
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2012	204
Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2012.....	220
Proxy Form.....	243
Attendance form, Entry Form	244



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश



प्रिय शेयरहोल्डर,

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

सबसे पहले, मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ कि आपके इस महान बैंक ने हमारे महान देश के हर तबके के लोगों की बड़ी तन्मयतापूर्वक सेवा करते हुए अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किये हैं। बैंक ने पूरे देश में स्थित अपने सभी कार्यालयों एवं शाखाओं के माध्यम से शताब्दी महोत्सव मनाया है। शताब्दी वर्ष के दौरान, देश की राजधानी, नई दिल्ली और आर्थिक राजधानी, मुंबई में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दिल्ली में दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को आयोजित कार्यक्रम में श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, श्री नमो नारायण मीणा, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री डी.के.मित्तल (आईएएस), सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर निम्न अभिनव पहल की गई :

- ❖ 100 शाखाओं का शुभारंभ.
- ❖ बैंक की “इतिहास पुस्तिका” का विमोचन.
- ❖ वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र, कोटा का उदघाटन.
- ❖ “गेटवे टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड” वेबसाइट का शुभारंभ.
- ❖ अपने जीवन के 8 से अधिक दशकों का पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर चुके हमारे सदाबहार ग्राहकों का सत्कार.

मुंबई में भी दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 को एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, श्री पृथ्वीराज चव्हाण थे। इस समारोह के दौरान उनके करकमलों से 100वें एटीएम का उदघाटन, बैंक की गुमनाम प्रतिभाओं एवं सांगवी मोहाडी गांव के ग्राम प्रधान का सत्कार किया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित वीआईपी ग्राहकों एवं पूर्व शीर्ष कार्यपालकों को भी सम्मानित किया गया। इन समारोहों के आयोजन का सुपरिणाम यह रहा कि हम अपनी इस महान संस्था की ब्रांड निर्मिति के प्रयोजन में सफल रहे। अब आपका बैंक, देश में एक सर्वोत्कृष्ट बैंकिंग ब्रैंड होने का दावा कर सकता है।


बीते हुए वर्ष के दौरान वैश्विक एवं हमारे देश के आर्थिक एवं राजनैतिक पटल पर कई प्रतिकूल घटनाएं घटित हुईं जैसे, भुगतान संतुलन एवं कच्चे तेल के मूल्य में प्रतिकूलता, यूएस डॉलर के समक्ष रूप का अवमूल्यन, जीडीपी वृद्धि दर में लगातार गिरावट, मुद्रास्फीति - किसी भी पहलू से इन पर गौर करें तो स्थिति चुनौतीपूर्ण ही थी। इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, आपके बैंक ने परिचालन लाभ के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि दर्शाई है, हालांकि जमा एवं अग्रिमों के अंतर्गत वृद्धि दर सामान्य रही। संसाधनों पर ब्याज दर में हुई वृद्धि भी आय पर मार्जिन में हुई कमी का एक कारण बनी। पण्य वस्तुओं के मूल्य लगातार उच्चस्तरीय बने रहे और इसकी वजह से भारतीय रिज़र्व बैंक को मजबूरन नीतिगत दरों में क्रमिक रूप से वृद्धि करनी पड़ी। यूरो ज़ोन लगातार कमजोर होता रहा और संभवतः वह अपने सर्वाधिक कमजोर स्तर तक पहुंच गया।

मुद्रास्फीति में जबरदस्त वृद्धि और मूल मुद्रास्फीति (कोर इन्फ्लेशन) ने अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया को और अधिक क्षति पहुंचाई। भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रास्फीति प्रतिरोधी उपायों ने वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकांश समय नीतिगत दरों को कम करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी। पिछले वर्ष के दौरान 5.4% की वृद्धि के साथ कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों के अंतर्गत रेकॉर्ड खाद्यान्न की पैदावार के बावजूद, आपूर्ति एवं भंडारण संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से महंगाई को रोका नहीं जा सका। पूरे वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि बहुत कम रही। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रोजेक्शन को क्रमिक रूप से घटाते हुए 6.9% के स्तर पर लाया गया, जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धि दर 8.6% थी।

आपके बैंक ने ₹ 3,46,898 करोड़ का कुल व्यवसाय अर्जित किया। बैंक ने अपनी कार्यनीतियों में बदलाव लाते हुए स्पष्ट रूप से रिटेल व्यवसाय को प्राथमिकता दी। उच्च लागत की जमाओं (अर्थात कार्ड रेट से ऊपर) एवं जमा प्रमाणपत्र को जून, 2011 के स्तर तक ही प्रतिबंधित रखा गया। लागत प्रबंधन के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। रिटेल ऋण वृद्धि को अधिक महत्व दिया गया। जिस बैंक की 4000 शाखाओं से अधिक शाखाएं हैं, उसे रिटेल बैंक होना ही चाहिए। हमारी कार्यनीतियों के परिणाम आने लगे हैं और हम आगामी वित्तीय वर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाएंगे।

वर्ष 2010-11 में बैंक की निधि लागत 5.82% थी, जो वर्ष 2011-12 में बढ़ कर 7.28% तक पहुंच गई। यह बढ़ती कमीबेश बैंकिंग उद्योग में परिलक्षित बढ़ती के आसपास थी। तथापि, निधि लागत में तीव्र वृद्धि के बावजूद शुद्ध ब्याज आय में मात्र मामूली कमी दर्ज हुई और यह ₹ 5326 करोड़ से घट कर ₹ 5169 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई। एनपीए में अतिरिक्त स्लिपेज के मद्देनजर किये गए ₹ 403 करोड़ के ब्याज रिवर्सल के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई।

आपके बैंक का परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.65% की वृद्धि दर्ज करते हुए, ₹ 2591 करोड़ से बढ़ कर ₹ 2815 करोड़ हो गया। तथापि, एनपीए एवं पुनर्गठित खातों में किये गए उच्च प्रावधान की वजह से, शुद्ध लाभ ₹ 1252 करोड़ से घट कर ₹ 533 करोड़ तक पहुंच गया। इसका मुख्य कारण 100% सिस्टम जनित एनपीए और डिस्कॉम्स एवं वैमानिकी (एविएशन) क्षेत्र में हमारा उच्चस्तरीय एक्सपोजर था। क्षेत्र में औद्योगिक एवं वित्तीय बाजार क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियों की भयावहता ने न केवल आपके बैंक को, बल्कि देश के सभी बैंकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। वर्ष के दौरान कुल ₹ 2685 करोड़ का प्रावधान एवं ब्याज-प्रतिलेखन किया गया।



देश के सर्वाधिक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेतृत्व करते हुए, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जब इस महान संस्था से जुड़ा, तब वह अपना शताब्दी महोत्सव मना रही थी। इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय परिणाम बहुत ही मामूली रहे हैं, इस संस्था में कई गुणात्मक बेहतरी परिलक्षित हुई है। देश के पूरे भूभाग में 4011 शाखाओं का फैला हुआ नेटवर्क और 35000 से अधिक लोगों का कार्यबल आपके बैंक को आगामी वर्ष में एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। बैंक के सभी स्टैकहोल्डरों के लिए मूल्यवर्धन के मूल लक्ष्य के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय पैरामीटरों का आकलन किया गया है। आपके द्वारा दिये गए निर्बाध समर्थन के लिए मैं आपके प्रति तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

मोहन वी. टांकसाले

स्थान : मुंबई

दिनांक : 24 मई, 2012



निदेशक मंडल

श्री मोहन वी. टांकसाले
श्रीमती वी. आर. अय्यर
श्री आर. के. दुबे
श्री आलोक टण्डन
श्री सलीम गंगाधरन
श्री रोमेश सभरवाल
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
श्री गुमान सिंह
प्रो. एन. बालकृष्णन
श्री बृजलाल क्षत्रिय
श्री बी. एस. रामबाबू

BOARD OF DIRECTORS

SHRI M. V. TANKSALE
SMT. V. R. IYER
SHRI R.K. DUBEY
SHRI ALOK TANDON
SHRI SALIM GANGADHARAN
SHRI ROMESH SABHARWAL
MAJOR (RETD.) VED PRAKASH
SHRI GUMAN SINGH
PROF. N. BALAKRISHNAN
SHRI BRIJLAL KSHATRIYA
SHRI B. S. RAMBABU

लेखा परीक्षक

मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
मे. जी. एस. ए. एण्ड असोशिएट्स
मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कंपनी
मे. के. एस. अय्यर एण्ड कंपनी
मे. घिया एण्ड कंपनी
मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स

AUDITORS

M/s Sagar & Associates
M/s G. S. A. & Associates
M/s D. Rangaswamy & Co.
M/s K. S. Aiyar & Co.
M/s Ghiya & Co.
M/s Samsand & Associates

रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट्स

लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि.
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउन्ड
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, भांडुप (पश्चिम),
मुंबई - 400 078
टेलीफोन नंबर : 022-25946970
फैक्स नंबर : 022-25946969
ई-मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-13, Pannalal Silk Mills Compound
LBS Marg, Bhandup (West)
Mumbai - 400 078
Tel : 022-25946970
Fax : 022-25946969
Email id : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक के साथ पत्राचार करने के लिए पता

कंपनी सचिव / एजीएम एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
16 वीं मंजिल, चन्दरमुखी,
नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
सम्पर्क नं. 022-66387818
फैक्स नं.: 022-22835198
ई-मेल आईडी:1) compsec@centralbank.co.in
2) investors@centralbank.co.in

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE WITH THE BANK

Company Secretary / AGM and Compliance Officer
Central Bank of India
16th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai- 400 021
Contact No. 022-66387818
Fax No. : 022-22835198
Email Id: 1) compsec@centralbank.co.in
2) investors@centralbank.co.in

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की पॉचवीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार, दिनांक 27 जून, 2012 को सायं: 4.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल / रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी।

1. दिनांक 31 मार्च, 2012 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08.05.2012

(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

नोट :

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का, बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 22 जून, 2012 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा की जानी चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैंक के शेयरधारक किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 22 जून, 2012 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए।

5. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

शेयरधारकों के लाभांश की पात्रता तय करने के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 23 जून, 2012 (शनिवार) से 27 जून, 2012 (बुधवार) (दोनों दिन शामिल हैं) तक बंद रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखे गए शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान शुक्रवार, दिनांक 22 जून, 2012 को डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार एवं उन शेयरधारकों, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर है, को लाभांश का भुगतान, बैंक की वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार किया जाएगा। लाभांश बैठक की तारीख से एक माह के अंदर प्रेषित किए जाएंगे।

6. लाभांश अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के लिए बैंक-अधिदेश:

लाभांश के कपटपूर्वक भुगतान से शेयरधारकों को बचाने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उस बैंक का नाम, शाखा तथा अपनी खाता संख्या सूचित करें, जिसमें वे लाभांश वारंट को भुनाने हेतु जमा कराना चाहते हैं।



शेयरधारक के नाम सहित इन विवरणों को लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से पर मुद्रित किया जाएगा, ताकि लाभांश किसी अन्य के द्वारा न भुनाया जा सके।

उपर्युक्त विवरण प्रथम / एकल शेयरधारक द्वारा पृष्ठ संख्या अथवा डीपीआईडी नम्बर एवं ग्राहक नं तथा धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए सीधे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट / डीपी को दिनांक 22 जून, 2012 को या उसके पूर्व सूचित किया जाए।

यदि शेयरधारक कोई भी संशोधन सूचित नहीं करते हैं तो डीमेट शेयरधारक के मामले में पूर्व में रजिस्ट्रार से प्राप्त बैंक अधिदेश अथवा एनएसडीएल/सीडीएसएल से किए गए डाउनलोड की दिनांक 22 जून, 2012 की स्थिति के आधार पर लाभांश मुद्रित किया जाएगा। यह उन सभी शेयरधारकों पर लागू होगा, जिन्होंने ईसीएस अधिदेश नहीं दिए हैं।

विनिर्दिष्ट शहरों में रहने वाले ऐसे शेयरधारक, जिनका सेन्ट्रल बैंक की शाखाओं में खाता है, उन्हें बैंक, ईसीएस की सीधी जमा सुविधा प्रदान करता है। ऐसे शेयरधारक लाभांश की जमा प्राप्ति के लिए बैंक अधिदेश प्रणाली के स्थान पर इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। शेयरधारकों को चाहिए कि वे अपना खाता नंबर और अपने बैंक की शाखा का आईएफएस कोड ईसीएस अधिदेश में दें, ताकि लाभांश उनके विनिर्दिष्ट खाते में अंतरित किया जा सके। जिन चुनिंदा केन्द्रों पर एनईएफटी / एनईसीएस सुविधा उपलब्ध है, वहां उनके माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

7. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने पिछले वर्ष अर्थात् 2010-2011 से आगे के अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से डुप्लीकेट लाभांश जारी करने के लिए संपर्क करें।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी में हुआ संशोधन यह प्रावधान करता है कि अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात् इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा।

8. पते एवं लाभांश अधिदेश में परिवर्तन :

जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में रखे हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि वे लाभांश वारंट में अपने पते, लाभांश अधिदेश तथा बैंक के विवरण, शाखा और बैंक खाता नंबर में कोई परिवर्तन समाविष्ट करना चाहते हैं, तो वे बही बंद होने से पूर्व निम्न पते पर सूचित करें:

लिंग इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट: सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

सी-13, पत्रालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड

एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम),

मुंबई - 400 078

फोन: (022) 25946970

फैक्स: (022) 25946969

ई-मेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखे हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते, लाभांश अधिदेश एवं बैंक का विवरण, शाखा और बैंक खाता नंबर में से यदि कोई भी परिवर्तन, लाभांश, वारंट में समाविष्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने सहभागी डिपॉजिटरी को ही सूचित करें क्योंकि केवल दिनांक 22 जून, 2012 तक डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर ही लाभांश के भुगतान एवं संवितरण पर विचार किया जाएगा।

9. शेयरधारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की संलग्न प्रति अपने साथ लाएं।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08.05.2012

(ए. के. दास)

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

निदेशक रिपोर्ट 2011-12

सम्माननीय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखों का लेखा परीक्षित विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. कार्य-निष्पादन वैशिष्ट्य

- बैंक का कुल व्यवसाय 11.63 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 36135 करोड़ की वृद्धि के साथ गत वर्ष के ₹ 310763 करोड़ से बढ़कर ₹ 346898 करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियां 9.38 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 16817 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 196173 करोड़ हो गईं।
- बैंक का सकल अग्रिम 14.70 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 19318 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 150725 करोड़ हो गया।
- परिचालन लाभ 8.65 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2010-11 के ₹ 2591 से बढ़कर ₹ 2815 करोड़ हो गया।
- शुद्ध लाभ वर्ष 2010-11 के ₹ 1252 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में ₹ 533 करोड़ हुआ।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II के अनुसार) पिछले वर्ष के 11.68 प्रतिशत से बढ़कर 12.40 प्रतिशत हो गया।
- नेट वर्थ ₹ 6909.54 करोड़ से बढ़कर ₹ 10550.44 करोड़ हो गईं।
- बैंक का सकल एनपीए ₹ 4879 करोड़ की वृद्धि के साथ गत वर्ष के ₹ 2394 करोड़ से बढ़कर ₹ 7273 करोड़ हो गया। प्रतिशत के लिहाज से सकल एनपीए गत वर्ष के 1.82 प्रतिशत से बढ़कर 4.83 प्रतिशत हो गया।
- शुद्ध एनपीए जो पिछले वर्ष ₹ 847 करोड़ था, बढ़कर ₹ 4557 करोड़ हो गया। शुद्ध एनपीए जो गत वर्ष 0.65 प्रतिशत था, बढ़कर 3.09 प्रतिशत हो गया।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन वर्ष 2011 के 3.31 प्रतिशत से घटकर 2.78 प्रतिशत हो गया।
- प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय, जो पिछले वर्ष ₹ 835 लाख था, बढ़कर ₹ 862 लाख हो गया।
- प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ मार्च 2011 के ₹ 3.96 लाख से घटकर ₹ 1.51 लाख हो गया।
- प्राथमिकताक्षेत्र के ऋण में 8.76 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए, यह ₹ 37469 करोड़ से बढ़कर ₹ 40749 करोड़ हो गए।
- बैंक के कृषि ऋण वर्ष 2010-11 के ₹ 18545 करोड़ से बढ़कर ₹ 18950 करोड़ हो गए।
- माइक्रो क्रेडिट के अंतर्गत (प्रति उधारकर्ता ₹ 50000 तक ऋण), बैंक द्वारा ₹ 216 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए।
- समीक्षा वर्ष के दौरान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों (एमएसई) को ऋण गत वर्ष के ₹ 10999 करोड़ से बढ़कर ₹ 13518 करोड़ हो गए।
- वर्ष के दौरान, 13256 नये स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गये, जिसमें से 6797 एसएचजी ऋण संबद्ध किए गए।
- वर्ष 2011-12 के दौरान, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, बैंक ने 13525 एसजीएसवाय हितग्राहियों, 4137 एसजेएसआरवाय हितग्राहियों एवं 6244 पीएमईजीपी उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की।
- बैंक ने समाज के कमजोर वर्ग के उधारकर्ताओं को ₹ 13214 करोड़ के ऋण प्रदान किए।
- वर्ष के दौरान शैक्षणिक ऋण 32.95 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 2058 करोड़ हो गया।
- बैंक ने देश भर में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) की स्थापना की है।
- बैंक द्वारा प्रायोजित 7क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें (आरआरबी) हैं, जिनकी 7 राज्यों के 57 जिलों को कवर करती हुई 1806 शाखाएं हैं।
- वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत 3725 गांवों (2000 से अधिक जनसंख्या वाले) का लक्ष्य आबंटित किया गया था। बैंक ने लक्ष्यांकित दिनांक 31 मार्च, 2012 से काफी पहले अर्थात् दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 तक ही इन सभी गांवों को कवर कर लिया।
- बैंक का कॉर्पोरेट ऋण 25.61 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 84,995 करोड़ से बढ़ कर ₹ 1,06,758 करोड़ हो गया।
- रिटेल ऋण 39.72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2010-11 के ₹ 12,522 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2011-12 में ₹ 17,496 करोड़ हो गया।
- बैंक ने सशस्त्र सेना एवं सहायक बलों के लिए विशेष रूप से निःशुल्क धन प्रेषण, रियायती ब्याज दरों पर रिटेल ऋण और कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि जैसी विशेषताओं युक्त 'सेन्ट परम' नामक वेतन खाता योजना प्रारंभ की।
- वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक ने जीवन बीमा से ₹ 13.53 करोड़ एवं गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से ₹ 6.30 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा हमारे 67क्षेत्रों को बीमाक्षेत्र और 800 शाखाओं को बीमा बैंक के रूप में घोषित किया गया।
- बैंक ने जनरल इन्श्योरेन्स पार्टनर चोला एमएस से टाई-अप कर फैमिली फ्लोटर रूरल हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की।
- ट्रैक्टर/कृषि ऋणों के एनपीए खातों में वसूली हेतु "कृषक राहत योजना" नामक नई वसूली योजना प्रारंभ की और वर्ष के दौरान ₹ 15.51 करोड़ की राशि वसूल की गईं।
- वर्ष के दौरान देश भर में विभिन्न स्थानों पर 7303 स्थानों पर वसूली शिविर लगाये गए एवं ₹ 745 करोड़ की राशि वसूल की गईं।
- दिनांक 31 मार्च, 2012 को बैंक का देश भर में 4011 शाखाओं का नेटवर्क था। वर्ष के दौरान, 283 शाखाएं खोली गईं, जिनमें 121 विस्तार पटलों एवं 5 सेटलाइट शाखाओं का पूर्ण शाखाओं में परिवर्तन शामिल है।
- दिनांक 31 मार्च, 2012 तक बैंक द्वारा 1682 एटीएम स्थापित किए गए हैं।
- संगठनात्मक पुनर्संरचना के अंतर्गत, निर्णय लेने की प्रक्रिया को त्वरित बनाना सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधकों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं हैं तथा कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आंचलिक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालयों के बिजनेस फेसिलिटेटर के तौर पर कार्य करेंगे।



2. आय एवं व्यय

वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए आय-व्यय का ब्यौरा निम्नवत है :

		₹ करोड़ में			
		31.03.2012	31.03.2011	कमी/बढ़ोतरी	%
1	ब्याज आय	19150	15221	3929	25.81
	-अग्रिम	14421	11254	3167	28.14
	-निवेश	4347	3767	580	15.40
	-अन्य	382	200	182	91.00
2	अन्य आय	1395	1265	130	10.28
	(निवेशों की बिक्री पर लाभ)				
3	कुल आय (1+2)	20545	16486	4059	24.62
4	प्रदत्त ब्याज	13981	9895	4086	41.29
	-जमाएं	12996	9063	3933	43.40
	-अन्य	985	832	153	18.39
5	परिचालन व्यय	3749	4000	-251	-6.28
	-स्थापना	2506	2964	-458	-15.45
	-अन्य	1243	1036	207	19.98
6	कुल व्यय (4+5)	17730	13895	3835	27.60
7	स्प्रेड (1-4)	5169	5326	-157	-2.95
8	परिचालन लाभ (3-6)	2815	2591	224	8.65
9	प्रावधान-एनपीए/निवेश/अन्य	2169	932	1237	132.73
10	कर के लिए प्रावधान	113	407	-294	-72.24
11	शुद्ध लाभ	533	1252	-719	-57.43

- वर्ष के दौरान, ब्याज आय में 25.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
- जमाओं पर ब्याज व्यय में 43.40% की वृद्धि के साथ, मार्च 2012 में यह ₹ 12,996 करोड़ हो गया, जो कि गत वर्ष में ₹ 9063 करोड़ था.
- वर्ष के दौरान, कर्मचारियों पर व्यय में ₹ 458 करोड़ की कमी आई और यह गत वर्ष के ₹ 2964 करोड़ से घट कर ₹ 2506 करोड़ हो गया. ऐसा पेंशन प्रावधान की आवश्यकताओं में कमी के कारण हुआ.

3. प्रावधान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 2282 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :

		(₹ करोड़ में)		
		31.03.2012	31.03.2011	कमी/बढ़ोतरी
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	54	106	-52
	एनपीए के लिए प्रावधान	1962	632	1330
	निवेशों पर अवमूल्यन/प्रावधान	151	154	-3
	करों के लिए प्रावधान	113	407	-294
	अन्य	2	40	-38
	कुल	2282	1339	943

4. स्रैड विश्लेषण

	(प्रतिशत में)	
	31.03.2012	31.03.2011
जमाओं की लागत	7.20	5.71
निधियों की लागत	7.28	5.82
अग्रिमों पर प्रतिफल	11.36	10.29
निवेशों पर प्रतिफल	7.53	7.45
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.78	3.31
लागत-आय अनुपात	57.11	60.68

- जमाओं की लागत वर्ष 2011 के 5.71 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2012 में 7.20 प्रतिशत हो गई.
- वर्ष 2011-12 में अग्रिमों पर प्रतिफल 11.36 प्रतिशत रहा और निवेशों पर प्रतिफल वर्ष 2010-11 के 7.45 प्रतिशत की तुलना में 7.53 प्रतिशत रहा.
- शुद्ध ब्याज मार्जिन गत वर्ष के 3.31 प्रतिशत से घट कर 2.78 प्रतिशत रहा.
- समीक्षा वर्ष के दौरान लागत-आय अनुपात वर्ष 2011 के 60.68 प्रतिशत से घट कर 57.11 प्रतिशत हो गया.

5. बैंकिंग अनुपात

	(प्रतिशत में)	
	2011-12	2010-11
ब्याज आय-औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ) अनुपात	9.22	8.49
गैर-ब्याज आय एडब्ल्यूएफ अनुपात	0.67	0.71
परिचालन लाभ एडब्ल्यूएफ अनुपात	1.36	1.45
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.26	0.70
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में)	862	835
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	1.51	3.96

6. पूंजी-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के घटक निम्नवत थे :

	31.03.2012		31.03.2011	
	बासल-I	बासल -II	बासल -I	बासल -II
जोखिम भारित आस्तियां (₹ करोड़ में)	147958	140823	128587	116619
पूंजीगत निधियां (प्रतिशत में)				
टियर -I	7.50	7.79	5.81	6.31
टियर-II	4.46	4.61	4.93	5.33
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.96	12.40	10.74	11.64

7. शुद्ध लाभ एवं लाभांश

वित्तीय वर्ष 2011-12 में बैंक ने ₹ 533 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया. लाभ कम होने के बावजूद, बैंक की अंतर्भूत शक्ति पर विश्वास करते हुए, निदेशक मंडल को इक्विटी शेयर पूंजी पर 20 प्रतिशत की दर से अर्थात् प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर पर ₹ 2/- का लाभांश संस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.



8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- श्री मोहन वी. टांकसाले बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए. इन्हें श्री एस. श्रीधर के स्थान पर नियुक्त किया गया, जो दिनांक 31.05.2011 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. श्री मोहन वी. टांकसाले ने दिनांक 29.06.2011 को बैंक का कार्यभार ग्रहण किया.
- श्री आलोक टंडन दिनांक 15.11.2011 से भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए. इन्हें डॉ. शशांक सक्सेना के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल दिनांक 14.11.2011 को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में समाप्त हो गया है.
- शेयरधारक निदेशक के रूप में श्री बृजलाल क्षत्रिय एवं प्रोफेसर एन. बालकृष्णन का कार्यकाल शेयरधारकों के निदेशक के रूप में दिनांक 19.11.2011 को समाप्त हुआ. वे दोनों निदेशक दिनांक 10.01.2012 से पुनः शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए हैं.
- श्री गुमान सिंह, दिनांक 08.08.2011 से अंश-कालीन गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किये गए हैं.

9. निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण :

निदेशक-गण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय;

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तैयार की गई लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया गया है;
- समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय तथा प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबार का एवं दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं ; और
- लेखे लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं.

10. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली और प्रथाओं को अपनाया है.

11. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा दिए गए निर्बाध समर्थन और विश्वास के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्य निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 24 मई, 2012

निदेशक मंडल की ओर से

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधन विचार-विमर्श तथा विश्लेषण

भाग ए – आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक गतिविधियां

वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के पश्च्य प्रभाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना जारी है। तब से आरंभ हुई उबरने की प्रक्रिया ठंडी पड़नी शुरू हो गई है तथा यूरो ज़ोन में व्याप्त शासकीय ऋण संकट से यूरो ज़ोन के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था वर्ष 2010 में 5.3% की दर के मुकाबले वर्ष 2011 में सिर्फ 3.9% की दर से बढ़ी है तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डबल्यू ई ओ) के अप्रैल 2012 की अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई एम एफ) की जानकारी के अनुसार वर्ष 2012 में इसके और कम होकर 3.5% रहने की आशंका है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं का सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी), वर्ष 2010 के 3.2% की तुलना में वर्ष 2011 में घटकर 1.6% रह गया तथा वर्ष 2012 में इसमें और गिरावट होकर 1.4% रहने की आशंका है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की भी है, जिनमें सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2010 के 7.5% की तुलना में वर्ष 2011 में कम होकर 6.2% हुआ और वर्ष 2012 में इसके और गिरकर 5.7% होने की आशंका है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वर्ष 2011-12 में भारत की अर्थव्यवस्था, उच्च मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटे तथा चालू खातों में तीव्र घाटे से घिरी रही। वर्ष 2010-11 के लिए सीएसओ के संशोधित पूर्वानुमानों के आधार पर आर्थिक विकास दर 8.4% के मुकाबले सिर्फ 6.5% तक सीमित रही। यह वृद्धि विद्यमान अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के कारण निराशाजनक है तथा घरेलू औद्योगिकक्षेत्र में यह अत्यंत खराब कार्य निष्पादनों में से है।

वर्ष 2011-12 में, तीनों ही क्षेत्र अर्थात् कृषि, उद्योग तथा सेवाओं में बहुत ही धीमी प्रगति रही। वर्ष 2011-12 में 250 मिलियन टन खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद कृषि एवं कृषि संबद्धक्षेत्र की वृद्धि दर, जो 2010-11 में 7% के उच्च स्तर पर थी, वह गिरकर 2.8% रह गई। हालांकि कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का जीडीपी में योगदान मात्र 14% है, परंतु कृषि के विकास में गिरावट का प्रभाव इस क्षेत्र के रोजगार पर पड़ता है, जिसकी कुल रोजगार में 55% की बढ़ी हिस्सेदारी है। विनिर्माणक्षेत्र सहित सेवाक्षेत्र में विकास दर 2010-11 के 9.2% की तुलना में वर्ष 2011-12 में 8.5% रहना अनुमानित है, जो विनिर्माण प्रगति में गिरावट दर्शाता है।

खदान एवं विनिर्माणक्षेत्र के निराशाजनक कार्य-निष्पादन के कारण औद्योगिक विकास में गिरावट आई। वर्ष 2011-12 में औद्योगिक उत्पादन इंडेक्स 2.8% रहा, जो वर्ष 2010-11 में 8.2% था। यह यूएस तथा यूरोप में हुई धीमी वसूली एवं कड़ी मौद्रिक नीति के कारण समग्र निवेशकों का आत्मविश्वास प्रभावित होने के कारण है। पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि में आए उतार-चढ़ावों के कारण आईआईपी की माह वार वृद्धि में भारी अस्थिरता परिलक्षित हुई। पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि जून 2011 के 37% से घटकर अक्टूबर 2011 में 25% नकारात्मक रही। कोयला, कच्चा तेल प्राकृतिक गैस, इत्यादि जैसे आठ प्रमुख उद्योग जिनका आईआईपी में योगदान 38% है। उनकी इंडेक्स वृद्धि पिछले वर्ष की संगत अवधि में 6.6% के मुकाबले अप्रैल-मार्च 2011-12 के दौरान घटकर 4.3% रही। अप्रैल-नवम्बर 2011-12 के दौरान, सीमेंट तथा थर्मल पावर जैसे विभिन्न बुनियादी क्षेत्रों कीक्षमता के उपयोग में भी गिरावट आई।

विदेशी व्यापार के अंतर्गत, वर्ष 2011-12 के दौरान पण्य निर्यात वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 300 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पार करते हुए \$304 बिलियन तक पहुंच गया, जो 21% की वृद्धि दर्शाता है। लेकिन आयात भी 32% बढ़ कर \$488 बिलियन होने से \$184 बिलियन का व्यापारिक घाटा हुआ। इससे अप्रैल-दिसंबर 2010 में चालू खाता घाटा यूएस \$39.6 बिलियन (जीडीपी का 3.3%) से बढ़कर यूएस \$53.7 बिलियन (जीडीपी का 4.0%) हो गया।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान, प्रमुख चिंता का विषय मुद्रास्फीति रहा। वर्ष भर डबल्यूपीआई सुर्खियों में रही, जो लगभग 9% के उच्च स्तर पर बनी रही, हालांकि वर्ष के अंत में इसमें कुछ कमी आई थी। अप्रैल 2011 में यह 9.7% से शुरू होकर सितंबर 2011 में सर्वोच्च 10% तक पहुंची और उसके बाद मार्च 2012 में गिरकर 6.9% हुई। मुद्रास्फीति की इस उच्च वृद्धि के लिए जिम्मेवार कारकों में कच्चा तेल, प्राथमिक वस्तुएं, धातु तथा केमिकल के मूल्य प्रमुख रहे।

वर्ष के दौरान, डॉलर की तुलना में रुपये में भारी गिरावट आई। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विनिमय दर ₹ 44.37/\$ था, जो दिसंबर 2011 में गिरकर \$52.68/\$ हुई और मार्च 2012 में कुछ सुधरकर ₹ 51.76/\$ तक पहुंची। ऐसा मुख्यतः चालू खाता एवं भुगतान शेष में भारी घाटे के कारण हुआ।

मौद्रिक परिस्थितियां

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान मौद्रिक नीति का मुख्य ध्यान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा मुद्रास्फीतिकारक आशंकाओं को निर्देशित करना था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 2010 से रेपो दर में 13 बार वृद्धि करना मुद्रास्फीति विरोधी सशक्त कार्रवाई को प्रदर्शित करता है। वर्ष के दौरान, तरलता की स्थिति समग्र तौर पर तंग बनी रही, दैनिक तरलता सुविधा के अंतर्गत, औसत तरलता अंतःक्षेपण वर्ष के आरंभ में बहुत कम ₹ 4000 करोड़ से शुरू हुआ, जो सितंबर 2011 में ₹ 50000 करोड़ तक बढ़ा और फरवरी 2012 में बढ़कर ₹ 1.4 लाख करोड़ तथा मार्च 2012 में ₹ 1.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तरलता अभाव को कम करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुले बाजार का परिचालन (ओएमओ) करते हुए तीसरी तिमाही की मौद्रिक नीति समीक्षा में सीआरआर 6% से कम कर 5.5% किया तथा दिनांक 10 मार्च, 2012 को और कम कर 4.75% अर्थात् 75 बेसिस पॉइंट कम कर दिया।



मार्च 2012 के अंत तक मुद्रा आपूर्ति (एम3) की प्रगति साधारण 13% पर रही, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रक्षेपण दर्शित 15.5% की तुलना में कम रही, जिससे जमाराशियों में वृद्धि भी धीमी रही।

बैंकिंग

वित्तीय वर्ष में सकल जमाराशियों में वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित लक्ष्य 17% से मामूली बढ़कर 17.4% रही है। जमाओं में धीमी जमावृद्धि का मुख्य कारण उच्च मुद्रास्फीति तथा जमाकर्ताओं द्वारा अपनी राशियां स्वर्ण एवं रियल इस्टेट जैसे बेहतर निवेशों की ओर मोड़ना रहा है। ऋण वृद्धि 19.4% रही, जो निर्देशित लक्ष्य 16% को पार कर गई (वर्ष में 18% से घटाकर संशोधित की गई थी)। लेकिन यह आर्थिक वृद्धि में मंदी तथा टेक्सटाइल, स्टील, माइनिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि जैसे जीर्ण-शीर्ण उद्योगों के कारण पिछले वर्ष के तुलना में कम रही।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल III पर दिशानिर्देशों की घोषणा कर दी है, जो दिनांक 01 जनवरी, 2013 से चरणबद्ध रूप में दिनांक 31 मार्च, 2018 से पूर्णतः प्रभावी होंगे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, मार्च 2018 तक बैंकों को न्यूनतम समग्र पूंजी पर्याप्तता 11.5% (वर्तमान में 9% के मुकाबले) बनाये रखनी होगी।

भाग बी – बैंक का कार्य-निष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2012 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 346896 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के ₹ 310763 करोड़ की तुलना में 11.63% की वृद्धि दर्शाता है। परिचालन लाभ पिछले वर्ष के ₹ 2591 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 8.65% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 2815 करोड़ हो गया। बैंक ने वर्ष 2011-12 में ₹ 533 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष में ₹ 1252 करोड़ था।

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2012 को कुल जमाराशियां पिछले वर्ष की राशियों में 9.38% की वृद्धि के साथ ₹ 196173 करोड़ थीं। बचत जमा राशियां पिछले वर्ष के ₹ 47645 करोड़ से बढ़कर ₹ 52595 करोड़ हो गईं। चालू जमाराशियां, जो वर्ष 2010-11 में ₹ 15431 करोड़ थीं वे वर्ष 2011-12 में घटकर ₹ 12680 करोड़ हो गईं। कुल जमाराशियों में कासा की हिस्सेदारी 33.27% थीं। मीयादी जमाराशियां 12.57% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ वर्ष 2010-11 के ₹ 116280 करोड़ से बढ़कर ₹ 130898 करोड़ हो गईं।

ऋण

दिनांक 31.03.2012 को बैंक के सकल ऋण पिछले वर्ष के ₹ 131407 करोड़ से बढ़कर ₹ 150725 करोड़ हो गये, जो 14.70% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है। ऋणों में यह वृद्धि सभी खंडों से एवं रिटेल तथा आयरन एण्ड स्टील, सभी रिटेल व उद्योगों, यथा इंजीनियरिंग, अन्य टेक्सटाइल इत्यादि में उच्च वृद्धि के कारण हुई। रिटेल ऋणों तथा कॉर्पोरेट ऋणों में निम्नानुसार उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011 को	31.03.2012 को	वृद्धि (%)
कॉर्पोरेट ऋण	84995	106758	25.61
रिटेल ऋण	12522	17496	39.72
प्राथमिकताक्षेत्र ऋण	37467	40749	8.76

ऋण निगरानी विभाग

- ❖ बैंक ने एक स्पष्ट परिभाषित निगरानी नीति लागू की है, जिसमें एसएमए प्रबंधन के सभीक्षेत्रों, प्रारंभिक चेतावनी संकेतक, निगरानी तथा अनुवर्तन उपायों एवं सूचना प्रणाली सहित, एसएमए (विशेष उल्लेखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश समाविष्ट हैं।
- ❖ यह नीति मई, 2011 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी तथा दिनांक 01 जुलाई, 2011 को पूरे बैंक में लागू की गई। इस नीति की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।
- ❖ दिनांक 01 अगस्त, 2011 से मुख्य महापबंधक के स्वतंत्र प्रभार में स्वतंत्र ऋण निगरानी विभाग बनाया गया है।
- ❖ निगरानी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार एसएमए खातों की आवधिक रूप से समीक्षा तथा निगरानी करने हेतु केन्द्रीय कार्यालय के साथ-साथ फील्ड स्तर पर भी निगरानी समिति का गठन किया गया है।
- ❖ एसएमए खातों में वसूली तथा उन्नयन के लिए एसएमए उधारकर्ताओं के साथ आमने-सामने बातचीत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों तथा आंचलिक कार्यालयों के विभिन्न स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया गया।

- ❖ कॉर्पोरेट एसएमई, रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्तक्षेत्रों के ऋणों की रियल टाइम निगरानी के लिए बैंक द्वारा केन्द्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली तथा पर्यवेक्षण (क्लास) सॉफ्टवेयर को भी क्रियान्वित किया जा रहा है.
- ❖ बैंक ने पिछली सभी एफआई रिपोर्टों पर बिन्दुवार अनुपालन प्रस्तुत कर दिया है तथा वर्ष 2010 तक की एफआई रिपोर्टें बंद की जा चुकी हैं एवं एफआई 2011 के सभी अवलोकनों का जवाब दे दिया गया है.

प्राथमिकता प्राप्तक्षेत्र

प्राथमिकताक्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रत्यायोजन वर्ष 2011-12 में ₹ 37467 करोड़ से बढ़कर ₹ 40749 करोड़ हो गया तथा इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.76% की वृद्धि दर्ज की गई. इनमें से प्रत्यक्ष कृषि ऋणों में वित्तीय वर्ष 2010-11 के आधार पर 20.60%की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई. दिनांक 31.03.2012 को प्राथमिकता प्राप्तक्षेत्र के विविध अनुभागों के अंतर्गत बैंक का कार्य निष्पादन निम्नानुसार रहा :-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	मार्च 2011 एफआई संशोधित आंकड़े	मार्च 2012	वृद्धि (%)
	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी)	106146	131277	
1	प्राथमिकता प्राप्तक्षेत्र अग्रिम एएनबीसी का प्रतिशत	37467 35.30	40749 31.04	8.76
2	कुल कृषि ऋण एएनबीसी का प्रतिशत	18545 17.47	18950 14.43	2.18
3	प्रत्यक्ष कृषि ऋण एएनबीसी का प्रतिशत	12561 11.83	15148 11.54	20.60
4	अप्रत्यक्ष कृषि ऋण एएनबीसी का प्रतिशत	5984 5.64	3802 2.90	-36.46*
5	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी	10999	13518	22.90
6	शैक्षणिक ऋण	1548	2058	32.95
7	आवास ऋण (₹ 25.00 लाख तक)	6106	6006	-1.64
8	सूक्ष्म ऋण एवं अन्य	269	216	-19.70

*वर्गीकरण मानदंडों में परिवर्तनों के कारण ऋणात्मक

कृषि

कुल कृषि ऋण दिनांक 31.03.2011 के ₹ 18545 करोड़ के स्तर से बढ़कर दिनांक 31.03.2012 को ₹ 18950 करोड़ हुए और इनमें 2.18% की वृद्धि दर्ज हुई.

कृषि बैंकिंग पोर्टल

हमारी सभी कृषि ऋण योजनाओं तथा सरलीकृत उभय आवेदन फॉर्म का समावेश करते हुए इसे हमारी वेबसाइट में शुरू किया गया है.

सूक्ष्म ऋण

प्रति उधारकर्ता ₹ 50000 तक की ऋण राशि वाले लाभार्थियों को ₹ 216 करोड़ के ऋण प्रदान किये गये हैं.

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी (एमएसई) – केवल प्राथमिक क्षेत्र पोर्टफोलियो

चालू वित्तीय वर्ष के अंत में एमएसई के ऋण बढ़कर ₹ 13518 करोड़ हुए, जो दिनांक 31.03.2011 को ₹ 10999 करोड़ थे. एमएसई ऋणों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु 202 शाखाएं चिन्हित की गई हैं. इन शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को मुंबई स्थित हमारी शीर्ष प्रशिक्षण संस्था में गहन प्रशिक्षण दिया गया. ये शाखाएं अब एमएसई के अंतर्गत त्वरित वृद्धि हेतु समूह-आधारित दृष्टिकोण अपना रही हैं. इसके अलावा बैंक द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमीक्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के लिए ₹ 100 लाख तक संपार्श्विकता मुक्त ऋण प्रदान किए जा रहे हैं, जो सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत कवर पाने के लिए भी पात्र हैं. बैंक ने नए, युवा साथी एमएसई उद्यमियों के लिए देश भर में 9 उद्यमशील विकास कार्यक्रमों एवं 12 संगोष्ठियों का आयोजन किया.

एमएसई पोर्टल

सभी ऋण योजनाओं एवं सरलीकृत आवेदन फॉर्म समाविष्ट कर बैंक की वेबसाइट पर पोर्टल शुरू किया गया है.



स्वयं सहायता समूह

योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा वर्ष के दौरान 13256 समूह स्थापित किए गए, जिनमें से 6797 समूह ऋण से संबद्ध किये गये हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक बैंक ने 152190 समूहों की स्थापना की है, जिसमें से 95128 समूह ऋण संबद्ध हैं, वर्ष के अंत में इनमें ₹ 766.57 करोड़ का बकाया ऋण शेष था। ऋण-संबद्ध समूहों में से 76953 महिला समूह हैं, जिनकी कुल स्वीकृत सीमा ₹ 603.26 करोड़ हैं, जो कुल ऋण संबद्ध समूहों का 80.90% है।

अग्रणी बैंक के अंतर्गत कार्य-निष्पादन

हमारा बैंक देश के 48 जिलों में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व संभाल रहा है। सम्बंधित जिलों में हमारे अग्रणी बैंक कार्यालय अन्य बैंकों के साथ, विशेष रूप से, शाखा विस्तार तथा ऋण आयोजना में समन्वय करने का कार्य कर रहे हैं। वे विभिन्न सरकारी कार्यालयों के साथ भी समन्वय का कार्य कर रहे हैं।

कृषि ऋण अधित्याग एवं ऋण राहत योजना-2008

बैंक ने कृषि ऋण – अधित्याग एवं ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत उनकी प्रतिपूर्ति के लिए पृथक-पृथक दावे भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

(₹ करोड़ में)

ऋण अधित्याग योजना		ऋण राहत योजना		कुल	
खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि
447000	978.54	67072	147.77	514072	1126.31

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को संपूर्ण राशि ₹ 1126.31 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर दी है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)

हमारा बैंक मध्य प्रदेश राज्य में एसएलबीसी का समन्वयक है। वर्ष 2011-12 के दौरान, अलग-अलग विकास एजेंसियों द्वारा सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत राज्य में की गई प्रगति की समीक्षा तथा उस पर निगरानी रखने हेतु 4 एसएलबीसी बैठकें आयोजित की गईं।

सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम (2011-12)

वर्ष के दौरान, बैंक ने अलग-अलग सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नानुसार ऋण स्वीकृत किए हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	2011-12 के दौरान संवितरण	
		खाता	राशि
1	एसजीएसवाई	13525	134.18
2	एसजेएसआरवाई	4137	26.01
3	पीएमईजीपी	6244	185.97

कमजोर वर्गों को अग्रिम

वर्ष के दौरान, कमजोर वर्गों के विभिन्न श्रेणियों के लोगों को ₹ 13214.22 करोड़ के ऋण संवितरित किए, जो एएनबीसी का 10.07% है एवं सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य (10%) से अधिक है।

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए अपने नए 15 सूत्री प्रधानमंत्री कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों का 15% ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैंक ने विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के 541224 लाभार्थियों को ₹ 6179.54 करोड़ की विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की है, जो दिनांक 31.03.2012 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों का 15.16% है।

महिला लाभार्थियों को अग्रिम

महिला लाभार्थियों के ऋण संवितरण में पिछले वर्षों में काफी सुधार हुआ है, परिणामस्वरूप, दिनांक 31.03.2012 को महिलाओं के बकाया ऋण ₹ 6585.14 करोड़ थे. यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य एएनबीसी के 5% के मुकाबले 5.02% है.

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)

डीआरआई योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2012 को संवितरित ऋण ₹ 35.18 करोड़ थे.

सेन्ट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)

बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2012 तक 1369858 लाभार्थियों को ₹ 8428.05 करोड़ की राशि के किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं.

सामाजिक सुरक्षा योजना

1. जनश्री बीमा योजना

यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से परिचालित की जाती है, जिसके द्वारा उन गरीब ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे या थोड़ी ऊपर हैं और जो हमारे बैंक के ऋण संबद्ध महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 21.26 लाख के प्रीमियम से 21267 लाभार्थियों को कवर किया है.

2. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

इस योजना के अंतर्गत, अपरिहार्य जोखिमों जैसे प्राकृतिक आपदा इत्यादि के कारणों से होनेवाली हानि के लिए किसानों को सुरक्षा प्रदान की जाती है. उपर्युक्त योजना संपूर्ण देश में अधिसूचित राज्यों/क्षेत्रों में अनाज एवं तिलहन के लिए उपलब्ध है.

3. सेन्ट जनता क्रेडिट कार्ड (सीजेसीसी)

ग्रामीण तथा अर्ध शहरीक्षेत्रों में रहनेवाले लाभार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने ₹ 34.75 करोड़ के 34261 (ओवरड्राफ्ट खातों सहित) कार्ड जारी किए हैं.

4. ग्रामीण गोदाम तथा माल गोदाम/शीतगृह

ग्रामीण गोदामों तथा माल गोदामों/शीतगृहों के निर्माण के लिए बैंक ने 362 खातों में ₹ 685.75 करोड़ के ऋण दिए हैं, जिससे किसानों को मौसम के चरमकाल में अपने उत्पाद हड़बड़ाहट में बेचने के लिए बाध्य न होना पड़े. बैंक ने विभिन्न खातों में गोदाम तथा शीतगृहों के लिए अग्रिम प्रदान किए हैं, जिनका किसान लाभ ले रहे हैं. इनमें गोदाम रसीदों के विरुद्ध ऋण शामिल नहीं हैं.

5. "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान" (सीबीआई-एसयूएपीएस)

बैंक ने 49 एफएलसीसी खोले हैं. एफएलसीसी, ग्रामवासियों को विभिन्न बैंकिंग उत्पादों पर निःशुल्क वित्तीय साक्षरता सेवाएं प्रदान करती है तथा संकटग्रस्त कृषकों/उधारकर्ताओं, वे चाहे हमारे ग्राहक हों अथवा न हों, उन्हें परामर्शी सेवाएं देती हैं.

6. ग्रामीण स्व-रोजगार तथा प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

बैंक ने 46 (44 अग्रणी जिलों में तथा 2 एसएलबीसी के अंतर्गत आंबटित गैर अग्रणी जिले में) ग्रामीण स्व-रोजगार तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं. इसके अंतर्गत 715 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 23289 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया.

7. इंदिरा आवास योजना

इस योजना के अंतर्गत बैंक ने आवास इकाइयों के निर्माण हेतु 509 लाभार्थियों को ₹ 101.15 लाख के ऋण प्रदान किए हैं.

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम (एफआईपी) के अंतर्गत मार्च 2012 तक समाविष्ट करने हेतु बैंक को 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 3725 गांव आंबटित हुए हैं. बैंक ने दिनांक 21 दिसंबर, 2011 तक सभी आंबटित गांवों को कवर कर लिया है. कुल 3629 गांवों को बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल के माध्यम से तथा 96 गांवों को शाखाओं के माध्यम से कवर किया गया है.

बैंक द्वारा 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों सहित कुल 8012 गांवों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कवर किया गया है तथा 4701 बिजनेस कॉरस्पोंडेंट नियुक्त किए गए हैं. इन गांवों में हमने 30.93 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं तथा इन सभी खातों को हमारी सीबीएस प्रणाली में स्थापित कर दिया गया है.

हमने बीसी मॉडल के माध्यम से चलाए जाने के लिए विशेष तौर पर निम्नलिखित 5 उत्पाद विकसित किए हैं:-

- **सेन्ट बचत खाता** - धन-प्रेषण करने तथा प्राप्त करने हेतु नो-फ्रिल खाता.
- **सेन्ट विकास खाता** - ₹ 2500/- तक की सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधा सहित बचत खाता.
- **सेन्ट स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्ड** - कृषकों की उद्यमी/ उपभोक्ता आवश्यकताओं के लिए ₹ 25000/- तक ऋण.
- **सेन्ट स्मार्ट जनरल क्रेडिट कार्ड** - गैर-कृषकों को उद्यमी/उपभोक्ता आवश्यकताओं के लिए ₹ 10000/- तक ऋण.
- **सेन्ट परिवर्तनीय आवर्ती जमा योजना** - 3 वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तनीय किस्तों वाली शुद्ध जमा योजना.


बैंक ने दिल्ली तथा एनसीआर में शहरी समावेशन परियोजना भी शुरू की है.

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत हमारी 7 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आंबटित 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी 3662 गांवों को कवर कर लिया गया है.


रिटेल ऋण

रिटेल ऋण योजना के अंतर्गत कुल ऋण दिनांक 31.03.2011 के ₹ 12522 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2012 को ₹ 17496 करोड़ हो गए, इस प्रकार इनमें ₹ 4974 करोड़ की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2011 की तुलना में 39.72% वृद्धि दर्शाती है. बैंक का रिटेल पोर्टफोलियो कुल ऋणों का 11.61% था.

रिटेल अग्रिम संवृद्धि – एक झलक (₹ करोड़ में)						
	31/03/2010		31/03/2011		31/03/2012	
	वास्तविक	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	वास्तविक	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	वास्तविक	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि
रिटेल ऋण	9902	9%	12522	26%	17496	40%
कुल ऋण	107319	24%	131407	22%	150725	15%
कुल ऋणों का%	9%		10%		12%	



कुल ऋण पोर्टफोलियो में रिटेल ऋण का हिस्सा (₹ करोड़ में)		
	मार्च 2011	मार्च 2012
रिटेल ऋण	12522	17496
कुल ऋण	131407	150725
रिटेल का हिस्सा	9.53%	11.61%



नई रिटेल योजनाओं का प्रारंभ

- लघु उद्यमियों के वित्तपोषण के लिये “सेन्ट सहयोग” योजना का शुभारंभ** - बैंक ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल एंटरप्राइजेज के रक्षण के साथ विशेष तौर पर माइक्रो एवं लघु उद्यमियों (एमएसई) के लिये नये रिटेल ऋण उत्पाद “सेन्ट सहयोग” का आरंभ किया है. इस योजना का उद्देश्य एमएसई क्षेत्र, जो कि बहुत विशाल एवं अधिकांशतः बैंक रहित क्षेत्र है, को एक करोड़ रुपये तक की आवश्यकताओं के लिए असुविधामुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है. छोटे उद्योगों को ₹ 10 लाख तक की वित्तीय सहायता के लिये विशेष ध्यान दिया गया है. योजना दिनांक 2 अक्टूबर, 2011 से लागू की गई है.

इस योजना को एमएसई खंड द्वारा समुचित रूप से स्वीकार किया गया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 6 माह के छोटे से समयान्तराल में ही इस योजनांतर्गत 2834 खातों में ₹ 200 करोड़ का संवितरण किया जा चुका है.

2. आवास ऋणों के प्रकार -

❖ सेन्ट होम स्वाभिमान प्लस

यह उत्पाद वरिष्ठों/वरिष्ठ नागरिकों को रिवर्स मॉर्गेज सुविधा के साथ आवास ऋण सुविधा देने के लिये बनाया गया है. हमने वरिष्ठ नागरिकों/55 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु आवासीय परियोजना के लिए टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ टाई-अप किया है.

❖ केन्द्र/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये विशेष आवास ऋण योजना.

इस योजना के अंतर्गत, केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को भी बेस रेट पर आवास ऋण सुविधा का विस्तार किया गया है.

❖ स्टाफ सदस्यों के आवास ऋण में सेवानिवृत्त की तारीख को बकाया शेष को प्रत्यक्ष आवास ऋण में परिवर्तन की स्टाफ सदस्यों के लिये योजना.

योजना का लक्ष्य है कि सेवानिवृत्त के पश्चात भी स्टाफ आवास ऋण बैंक के पास ही रहे.

3. सेन्ट परम

सशस्त्र सेना एवं पैरा-मिलिट्री बलों के लिए बहुत सी आकर्षक सुविधाओं; जैसे निःशुल्क धन-प्रेषण, रियायती दरों पर रिटेल ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि से परिपूर्ण विशेष रूप से बनाई गई यह एक वेतन खाता योजना है।

4. चैनल वित्त पोषण की व्यापक योजना

बड़ी कंपनियों के साथ व्यावसायिक सम्बंध रखने वाले डीलरों को कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण हेतु चैनल वित्तपोषण एक नवोन्मेष विकल्प है। यह एक ऐसा तंत्र भी है, जिसके माध्यम से बैंक/वित्तीय संस्थाएं आपूर्ति श्रृंखला के आपूर्तिकर्ताओं की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह वितरकों की कार्यशील पूंजी सम्बंधी कठिनाई दूर कर, उनके व्यवसाय को अबाधित रखने में सहायता प्रदान करती है।

- ♦ वर्तमान रिटेल ऋण योजनाओं में संशोधन:

योजना	संशोधन
सेन्ट होम लोन प्लस	<ul style="list-style-type: none"> • समग्र सीमा में वृद्धि की गई। • पात्रता मानदण्ड परिवर्तित किये गये।
सेन्ट मॉर्गेज	<ul style="list-style-type: none"> • ग्रामीणक्षेत्र में स्थित परिसंपत्ति को वित्तपोषण हेतु पात्र किया गया। • शाखा प्रबंधकों की प्रत्यायोजित ऋण शक्तियों में समुचित वृद्धि। • अन्य प्रतिबंध हटाए गए।
सेन्ट रेंटल	<ul style="list-style-type: none"> • शाखा प्रबंधकों की प्रत्यायोजित ऋण शक्तियों में समुचित वृद्धि। • अन्य प्रतिबंध हटाए गए।
सेन्ट विद्यार्थी	<ul style="list-style-type: none"> • आईबीए मॉडल शैक्षणिक ऋण योजना का प्रारंभ।
एकजीक्यूटिव एमबीए योजना	<ul style="list-style-type: none"> • योजना में संशोधन तथा कवरेज बढ़ाया गया।
आईआईएमएस के विद्यार्थियों को शैक्षणिक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> • ऋण की पात्र राशि ₹ 12.5 लाख से बढ़ाकर ₹ 20 लाख की गई। • कोई संपार्श्विक/गारंटी आवश्यक नहीं है।
पेंशनरों को ऋण	<ul style="list-style-type: none"> • ऋण की पात्र राशि उचित रूप से बढ़ाई गई। • आयु आधारित पात्रता में सुधार हुआ।
व्यक्तिगत गोल्ड ऋण	<ul style="list-style-type: none"> • प्रति ग्राम ऋण सीमा बढ़ाई गई।

- ♦ **योजना की तर्कसंगतता :** बैंक द्वारा समय-समय पर बाजार की मांग के अनुरूप पिछले वर्षों में कई प्रकार की गाहकोन्मुखी अथवा उद्देश्य परक रिटेल ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं। रिटेल ऋण योजनाओं के समूह को तर्क संगत बनाया गया है।

ब्याज दरों में वृद्धि के कारण ईएमआई की राशि में अस्थिर बढ़ोत्तरी से ऋणियों को राहत देने के लिए अब ऋणों तथा अन्य रिटेल ऋणों की मासिक किस्तों में परिवर्तन न करते हुए पुनर्भुगतान अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

- ♦ **आउटसोर्सिंग नीति:** सीसीपीसी द्वारा स्वीकृत किए गए रिटेल ऋण प्रस्तावों के लिए व्यक्तिशः सम्पर्क (सीपीवी) एवं दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट (डीवीआर) की आउटसोर्सिंग अब की जा सकती है। सीसीपीसी के लिए अंचल के अन्तर्गत अंचल स्तर पर प्रस्ताव के लिए अनुरोध का आमंत्रण कर सुविख्यात क्षेत्र जांच संस्था को यह कार्य आउटसोर्स किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग की प्रणाली पूर्णतः बैंक की “आउटसोर्सिंग नीति” की शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए।

- ♦ **सेन्ट्रल रजिस्ट्री:** सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत हकविलेख के जमा से किए जाने वाले सभी बंधकों का, बंधक किए जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर सेन्ट्रल रजिस्ट्री में पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। चूंकि भारत सरकार द्वारा यह दिनांक 31.02.2011 को अधिसूचित किया गया था। अतः दिनांक 31.03.2011 को या इसके पश्चात हकविलेख की जमा से किए गए/किए जाने वाले सभी बंधकों का सेन्ट्रल रजिस्ट्री में पंजीकरण कराना आवश्यक है। विभाग ने प्रक्रिया के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं, ताकि डाटा प्रविष्टि केंद्रीकृत रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में हो सके। चेकरों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र की आवश्यकता के साथ चेकर/मेकर अवधारणा पर आधारित सेन्ट्रल रजिस्ट्री का एक नया संस्करण दिनांक 01.04.2012 से शुरू किया गया है। विभाग ने डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य टेक्नॉलाजी लि. को सौंपा है। वर्तमान में बैंक में नया संस्करण कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

- ♦ **रिटेल ऋण नीति** - देश में तीव्र स्फंदित अर्थव्यवस्था ने विशाल क्रय शक्ति युक्त एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग निर्मित किया है. रिटेल बाजार के इस बढ़ते हुए क्षेत्र को भांप कर भारत में बैंकों ने अपने दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन किया है, जो अब एनआईएम के घटने से अपनी चमक खोने वाले कॉर्पोरेट क्षेत्र के स्थान पर इन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को वित्तपोषण हेतु लक्ष्य में रख रहे हैं. हमारे कॉर्पोरेट लक्ष्यों में निहित रिटेल ऋणों के महत्त्व को देखते हुए रिटेल ऋण नीति की आवश्यकता महसूस हुई है. विभाग ने रिटेल ऋण नीति (2011-12) बनाई है. इस नीति का उद्देश्य फील्ड स्तरीय अधिकारियों को रिटेल ऋणों के सम्बंध में एक समान एवं झंझटमुक्त मूल्यांकन विधि उपलब्ध कराने के साथ-साथ रिटेल ऋण की प्रमुख विशेषताओं एवं जोखिम कम करने वाले उपायों को रेखांकित करना है.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मोहन वी. टांकसाले, कार्यपालक निदेशकगण श्रीमती वी.आर.अय्यर एवं श्री आर.के.दुबे की भव्य उपस्थिति में डॉ. राम एस. संगापुरे, महाप्रबंधक रिटेल बैंकिंग, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्री के.श्रीनिवासन, वाइस प्रेसीडेंट टीवीएस मोटर्स से एमओयू का आदान प्रदान करते हुए, श्री बीवीवीबीएस राव, उपमहाप्रबंधक, रिटेल बैंकिंग सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी फोटो में दिखायी दे रहे हैं

अन्य पहलें

- ❖ देश भर में प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालयों में दिनांक 31 मार्च, 2012 को 23 केन्द्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केन्द्र (सीसीपीसी) कार्यरत थे.
- ❖ बैंक ने शेष क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालयों पर 54 सीसीपीसी खोलने हेतु आवेदन किया है.
- ❖ वित्तीय वर्ष की दूसरी छःमाही में रिटेल ऋण प्रसंस्करण, खातों की निगरानी एवं एनपीए के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक द्वारा नया सॉफ्टवेयर “क्लास” हासिल किया गया है.
- ❖ हमारे रिटेल ऋण उत्पादों को नए सॉफ्टवेयर में सफलतापूर्वक प्रचलित कर 16 सीसीपीसी में इसकी शुरुआत की गई. सभी सीसीपीसी/शाखाओं में सभी उत्पादों के लिए इस सॉफ्टवेयर को अप्रैल-मई, 2012 के दौरान शुरु किया जाएगा.
- ❖ वित्त वर्ष 2012-13 में सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों में रिटेल एसेट शाखाएं खोलने की योजना है.
- ❖ टाटा हाउसिंग, मारुति सुजुकी इंडिया लि. एवं टीवीएस मोटर्स के साथ गठबंधन किया गया.

बैंक को अपने नवोन्मेष रिटेल उत्पाद “सेन्ट सहयोग”, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी. के लिए ‘गोल्डन पीकॉक’ पुरस्कार प्राप्त हुआ, त्वरित एवं झंझटमुक्त ऋण वितरण प्रक्रिया के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी एवं सेवा प्रदाता को मजबूत करने हेतु यह उत्पाद तैयार किया गया है. बैंकिंग रहित इस बहुत बड़े वर्ग को बैंकिंग में शामिल करना इस उत्पाद का उद्देश्य है. इस उत्पाद को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई और छः माह में इसके माध्यम से ₹ 200 करोड़ का परिमाणतात्मक व्यवसाय प्राप्त हुआ.

नई पहल:

उत्पाद/सेवायें

- ❖ उद्योग एवं समकक्ष बैंकों के स्तर तथा ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय मांगों के अनुरूप बैंक अपनी वर्तमान रिटेल ऋण योजनाओं यथा सेन्ट ट्रेड, सेन्ट मॉर्गेज, प्रत्यक्ष आवास ऋण, एकजीक्यूटिव एमबीए के लिये शैक्षणिक ऋण, संशोधित आईबीए मॉडल के अंतर्गत सेन्ट विद्यार्थी में निरंतर सुधार कर रहा है.
- ❖ हमारे ग्राहकों की अंतर्निहित मांग की पूर्ति हेतु हमने नई योजनायें जैसे सेन्ट सहयोग, सेन्ट परम एवं सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के लिये विशेष आवास ऋण योजनायें प्रारंभ की हैं.

- ❖ पुरानी आवासीय सोसाइटियों के पुनर्विकास, वरिष्ठ नागरिकों के लिये सेन्ट्रल होम तथा ओडी सुविधा सहित आवास ऋण जैसी नयी योजनायें शुरू करने की प्रक्रिया जारी है।

प्रौद्योगिकी पहलें : सीसीपीसी और क्लास सॉफ्टवेयर का शुभारंभ

- ❖ ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया तथा ऋण खातों की निगरानी के लिये सुव्यवस्थित संरचना बनाने की ओर एक बड़े कदम के तौर पर बैंक ने रिटेल ऋणों के प्रसंस्करण, स्वीकृति एवं निगरानी के लिये क्लास सॉफ्टवेयर हासिल किया है।
- ❖ यह सॉफ्टवेयर ऋण प्रस्ताव के प्रारंभ एवं स्वीकृति से अंतिम निगरानी तथा एनपीए प्रबंधन तक की संपूर्ण प्रक्रिया का ध्यान रखता है। यह ऋण मूल्यांकन समय को कम करने तथा आवेदनों के कागज रहित प्रसंस्करण में मदद करता है।

गठबंधन व्यवस्थायें

- ❖ रिटेल ऋण बढ़ाने के लिये, हमने 160 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं, वाहन निर्माताओं जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स से अनुबंध किये हैं।
- ❖ दंत-चिकित्सकों एवं उनके परिजनों को रिटेल ऋण उपलब्ध कराने के लिये हमने इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) से भी गठबंधन किया है।
- ❖ विदेशी शैक्षणिक ऋण पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिये, हम विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से गठबंधन स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

अन्य पहलें

- ❖ रिटेल उधार नीति के क्रियान्वयन के बाद, फील्ड अधिकारियों को अब हैंड बुक उपलब्ध कराई गई है, जिसमें रिटेल लेंडिंग से संबंधित सभी प्रमुख पैरामीटर समाहित किए गए हैं।
- ❖ मॉर्गेज डाटा के बैच अपलोडिंग के प्रावधान सहित सेन्ट्रल रजिस्ट्री के नये संस्करण का क्रियान्वयन, ताकि प्रत्येक शाखा स्वतंत्र तौर पर डाटा अपलोड करने में सक्षम हो सके।
 - ❖ हमारे आवासीय ऋणों में गति लाने के लिए हमने प्रतिष्ठित बिल्डरों जैसे एनवाईएटीआई, एमसीएचआई, लोढा ग्रुप एवं टाटा हाउसिंग प्रॉजेक्ट से गठबंधन किया है।
 - ❖ हमारे ग्राहकों की बीमा सम्बंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शैक्षणिक ऋणों के लिए बजाज एलायंस, विशेष पैकेज आवास ऋणों के लिए कोटक महिंद्रा से गठबंधन किया है।

कार्यनीतियां

रिटेल ऋणों के अंतर्गत एनपीए प्रबंधन की कार्यनीतियां

निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों से स्लीपेज रोकने एवं पर्याप्त वसूली उपायों सहित दूरगामी एनपीए प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिये निम्नलिखित कार्यनीति बनाई गई है।

- ❖ दिनांक 01.04.2012 से सभी रिटेल उत्पादों के लिये क्लास सॉफ्टवेयर शुरू करने से सभी शाखाओं को रिटेल ऋणों के अतिदेय होने के पहले दिन से ही निगरानी करने में मदद मिलेगी।
- ❖ इस सॉफ्टवेयर से क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय अपने कार्यालयों से ओवरड्राफ्ट की निगरानी कर सकेंगे।
- ❖ बकाया राशियों की वसूली के लिये सरफेसी अधिनियम सहित आवश्यक कार्रवाई के लिये शाखाओं को निर्देश दिये जाएंगे।
- ❖ एनपीए राशियों की वसूली के लिये नियमित अंतराल पर वसूली कैम्प आयोजित करना तथा एक बारगी समझौता योजना के अंतर्गत समाधान के लिये वसूली कैम्प आयोजित करना।
- ❖ रिटेल बैंकिंग विभाग में विस्तृत निगरानी तथा केन्द्रीय कार्यालय द्वारा गहन निगरानी।
- ❖ डाटा परिशोधन एवं सिस्टम जनित एनपीए कम करने के लिए क्षे.का. में टीमों का गठन।
- ❖ जिन एनपीए खातों में प्रतिभूति के रूप में अचल परिसंपत्ति उपलब्ध है। उनमें धारा 13(2) के अंतर्गत तुरंत नोटिस भेजना, परिसंपत्ति को कब्जे में लेकर उसकी नीलामी सुनिश्चित करना।
- ❖ सभी दृष्टिबंधक परिसंपत्तियों का सेन्ट्रल रजिस्ट्री में पंजीकरण करना।

रिटेल क्रेडिट में अभिवृद्धि की कार्ययोजनाएं

- ❖ वेतन खातों/आवास ऋणों व अन्य रिटेल उत्पादों के प्रचार व संग्रहण हेतु, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सार्वजनिकक्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा/पैरा-मिलिट्री बलों के विभागों में जाकर मार्केटिंग दलों द्वारा संपर्क करना.
- ❖ रिटेल ऋणों की स्वीकृति एवं एनपीए खातों में वसूली के लिए बहुउद्देश्यीय कैम्पों का आयोजन.
- ❖ कॉर्पोरेट से संपर्क कर उनके वेतन खाते प्राप्त करना और उनके माध्यम से उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग करना.
- ❖ आवास ऋण:- प्रतिष्ठित बिल्डरों; यथा लोढ़ा बिल्डर्स, शापूरजी पल्लन जी, शाह बिल्डर्स, गॉदरेज प्रॉपर्टी, बॉम्बे रियलिटी इत्यादि से गठबंधन तथा रियल एस्टेट एक्सपो, ट्रेड फेयर्स/प्रॉपर्टी मेलों में भाग लेना.
- ❖ वरिष्ठ नागरिकों को आवास ऋण देने हेतु टाटा हाउसिंग फायनेंस के साथ गठबंधन.
- ❖ विदेशी शैक्षणिक ऋण:- विदेशी शैक्षणिक ऋण जो सामान्यतः समुचित संपार्थिक प्रतिभूति से रक्षित रहते हैं, पर जोर दिया जाएगा. विदेशी विश्वविद्यालयों से अनुबंधित संस्थाओं, शैक्षणिक परामर्शदाताओं से गठबंधन के अवसर तलाशे जा रहे हैं तथा विदेशी शैक्षणिक फेयर में भाग लेना.
- ❖ सेन्ट परम : सेन्ट परम के आकर्षक फायदों के माध्यम से रक्षा व पैरा-मिलिट्री बलों में प्रचुर बैंकिंग व्यवसाय की संभावनाएं तलाशना. सेना कार्मिकों को आवास ऋणों के लिए एनवाईएटीआई बिल्डर से गठबंधन
- ❖ सेन्ट सहयोग : एमएसई व्यावसायियों के लिए ज्ञानार्जन कैम्प तथा ट्रेड फेयर प्रायोजित कर एमएसई क्षेत्र में पैठ बढ़ाने के प्रयास करना.
- ❖ रिटेल उत्पादों का विपणन: मार्केटिंग डिवीजन को और सुदृढ़ बनाया जाएगा तथा मार्केटिंग व रिटेल विभागों के तालमेल से रिटेल उत्पादों का भरपूर प्रचार कर सहज उपलब्ध बनाया जाएगा.

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 97 प्राधिकृत शाखाओं द्वारा संपन्न किया जाता है. परिचालन कुशलता के लिए मुंबई में बैंक का केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि कोष प्रबंधन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके. वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बैंक का निर्यात पोर्टफोलियो दिनांक 31.03.2011 के ₹ 3865 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2012 को ₹ 4626 करोड़ हो गया है. बैंक ने पूर्णतः एनआरआई ग्राहकों की सेवा के लिए आणंद, मडगांव, हैदराबाद तथा भुज में विशेषीकृत एनआरआई शाखाएं प्रारंभ की हैं. बैंक ने देश की सभी शाखाओं के उपयोग हेतु ई-लर्निंग तथा निर्णय करने हेतु सॉफ्टवेयर “इंस्टैंट एनआरआई” तथा “इंस्टैंट एलसी++” अपने इंटरनेट पर इंस्टॉल किए हैं.

चालू वित्त वर्ष में बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक से देशीय विनियामक नेरोबी रिपब्लिक ऑफ केन्या में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति मांगी है तथा ये प्रतिनिधि कार्यालय वित्तीय वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही से कार्यरत हो जाएंगे. बैंक द्वारा डीआईएफसी दुबई में शाखा तथा एयरपोर्ट पर विस्तार पटल खोलना प्रस्तावित है.

ट्रेजरी, कोष एवं निवेश

बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च, 2012 को बढ़कर ₹ 59577 करोड़ हो गया है, जो मार्च, 2011 में ₹ 58287 करोड़ था. इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 2.21% की वृद्धि दर्ज की गई है. दिनांक 31 मार्च, 2012 को दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 8.57% रहा है.

आरबीआई द्वारा पॉलिसी दरों में लगातार वृद्धि तथा उधारियों में वृद्धि के कारण ऋण बाजार के प्रतिफल कम हुए. बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा रेपो व रिवर्स रेपो दर 6.75% से बढ़ाकर 8.50% कर दी गई. इस अवधि के दौरान बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31 मार्च, 2011 के 7.98% से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2012 में 8.57% हो गया.

सरकार द्वारा उधारियों में वृद्धि करने से तरलता पर दबाव बढ़ा, जो वर्ष के अधिकांश भाग में कमी वाले मोड पर रही. सिस्टम में इस तरलता दबाव को कम करने के लिए नवंबर, 2011 से मार्च, 2012 के दौरान आरबीआई ने ओएमओ खरीददारी प्रारंभ की. आरबीआई ने ₹ 135000 करोड़ की प्रतिभूतियां खरीदीं और उतनी तरलता सिस्टम में प्रवाहित की. इसके अलावा सीआरआर में 125 बिंदुओं की कमी कर अतिरिक्त ₹ 80000 करोड़ सिस्टम में उपलब्ध कराए.

तरलता दबावग्रस्त परिस्थितियों तथा प्रतिफलों में कमी के परिप्रेक्ष्य में पिछले वर्ष के ट्रेडिंग मुनाफा ₹ 311.93 करोड़ की तुलना में मामूली बढ़त के साथ ₹ 320.06 करोड़ रहा. यह संसाधनों की रणनीतिक आयोजना तथा दक्षता के साथ बाजार के अवसरों का उपयोग करने से हासिल हो सका. निवेशों में सिर्फ 2.21% की वृद्धि हुई तथा निवेशों के प्रतिफल 7.45% से बढ़कर 7.53% हुए.



भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने सरकार तथा राज्य सरकारों की ₹ 4064.25 करोड़ की प्रतिभूतियां एफएएस से एचटीएम में अंतरित की तथा इनमें ₹ 159.75 करोड़ का मूल्यह्रास दर्ज किया. दिनांक 31 मार्च, 2012 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संघटन इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संघटन	दिनांक 31.03.2011	दिनांक 31.03.2012
1.	एसएलआर	48054.94	50977.43
2.	गैर एसएलआर	10232.14	8599.33
	कुल	58287.08	59576.76

वर्ष के दौरान, बैंक ने बट्टेखातों में ₹ 24.29 करोड़ की वसूली की.

डेरीवेटिव्स

बैंक ने ब्याज दर एवं मुद्रा डेरीवेटिव्स दोनों में सक्रिय ट्रेडिंग की है. ब्याज दर डेरीवेटिव्स में बैंक ने ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप में ट्रेडिंग की है. बैंक ने मौद्रिक डेरीवेटिव्स अंतर्गत करेंसी फ्यूचर्स एवं फॉरवर्ड्स में भी सक्रिय ट्रेडिंग की. बैंक ने हेजिंग के लिए भी डेरिवेटिव्स का उपयोग किया. बैंक ने डेरीवेटिव्स लेनदेनों से ₹ 3.31 करोड़ अर्जित किए.

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम प्रबंधन प्रणाली मौजूद है. ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों/प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है. उत्पादों के कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से सम्बंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण सम्बंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नई जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है. कॉर्पोरेट स्तर पर सम्बंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है.

जोखिम प्रबंधन संरचना

परिचालन स्तर पर विभिन्न समितियां; यथा बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति (आल्को) ऋण जोखिम के लिए क्रेडिट जोखिम नीति समिति (सीआरपीसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरसीओ) गठित की गई है. जिसमें शीर्ष प्रबंध टीम के सदस्य शामिल हैं. ये समितियां विभिन्न बैंक परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर की निगरानी के लिए वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंक ने वरिष्ठ प्रबंधक/प्रबंधक श्रेणी के अधिकारियों को 'जोखिम प्रबंधक' के तौर पर अभिचिन्हित किया गया है. ये जोखिम प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन की विस्तारित भुजाओं के तौर पर कार्य करेंगे. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिन्हित किए हैं, जो जोखिम प्रबंधन से सम्बंधित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण एवं जोखिम प्रबंधन की सहायता के लिए "नोडल अधिकारी" के रूप में कार्य करेंगे.

बाजार जोखिम प्रबंधन

मिड-ऑफिस, बाजार की स्थिति, वित्तपोषण पद्धति की समीक्षा कर एक्सपोजर, अवधि प्रति-पक्ष सीमा एवं विभिन्न संवेदनशील पैरामीटरों के सम्बंध में अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करता है. वीएआर जैसे टूल्स तथा ड्यूरेशन विश्लेषण का उपयोग, अल्पकाल में बैंक की एनआईआई की जोखिम वहन करने के उपाय हेतु तथा दीर्घकाल में इक्विटी मूल्य के लिए निरंतर किया जाता है. सतत रूप से ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजीगत प्रभार का अनुमान लगाने के लिए टीसीएस द्वारा बनाए गए मॉडल का क्रियान्वयन बाजार जोखिम के सम्बंध में बासल II के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है. बैंक द्वारा वर्तमान निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई है. विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए प्रति-पक्ष सीमाओं को उनकी नवीनतम प्रतिष्ठा एवं बाजार में रेटिंग के अनुरूप तय/संशोधित की गई है.

ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक में सुस्पष्ट लिखित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. जिसकी अंतिम समीक्षा दिनांक 30.05.2011 को निदेशक मंडल द्वारा की गई. बैंक ने क्रिसिल लि. से पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआर ओसी), एलजीडी एवं ईएडी निर्धारक टूल्स सहित फ़ैसिलिटी रेटिंग मॉड्यूल प्राप्त करना अनुमोदित कर दिया है. इस टूल को स्थापित कर वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही में इसे शुरू कर दिया गया है. रिटेल ऋण पोर्टफोलियो, जिसमें वैयक्तिक ऋण इकाइयों की सतत आधार पर रेटिंग व्यवहार्य नहीं है, उनके श्रेणीकरण के लिए पोर्टफोलियो रेटिंग मॉडल विकसित किया जा रहा है. ऋण जोखिम प्रबंधन की प्रगति की रिपोर्ट कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति को निगरानी हेतु प्रस्तुत की जाती है.

परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक में व्यवसाय की परिचालन जोखिम नियंत्रण के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा मार्गदर्शित सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना मौजूद है। परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरसीओ) तिमाही अंतराल में बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है एवं निदेशक मंडल द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम से सम्बंधित गुणात्मक पहलुओं को और मजबूत करता है। परिचालन जोखिम के तहत “उन्नत माप दृष्टिकोण” की ओर बढ़ने के लिए बैंक मॉडल विकसित कर रहा है तथा उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन किया जाएगा। नई उत्पाद अनुमोदन नीति का कार्यान्वयन नए उत्पादों अथवा गतिविधियों से जुड़ी जोखिम को न्यून करने हेतु बैंक को मार्गदर्शित करती है।

पूँजी आयोजना

बैंक के पास सुदृढ़ आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) उपलब्ध है बैंक के लिए पूँजी आवश्यकता का निर्धारण 4 वर्षों के समय अंतराल के लिए किया जाता है। पूँजी आवश्यकता का निर्धारण, न्यूनतम विनियामक पूँजी आवश्यकता को बनाए रखने के दृष्टिकोण से किया जाता है। पूँजी एवं प्राक्कलनों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है।

आस्ति एवं देयता प्रबंधन पद्धतियाँ

एलएम प्रमुखतया बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से उसकी तरलता एवं ब्याज दर जोखिम को मापने तथा उनको व्यवस्थित रखने से सम्बंधित है। आलको (आस्ति एवं देयता समिति) ने वर्ष के दौरान बैंक की तरलता एवं अन्य सम्बंधित मामलों से सम्बंधित स्थिति की समीक्षा करने के लिए 24 बार बैठकों की। विनियामक रिपोर्ट के अलावा, जमाओं पर ब्याज निर्धारण करने के साथ-साथ बेस रेट और बीपीएलआर का निर्धारण भी एलएम द्वारा किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान जमा ब्याज दरों को 7 बार और बेस रेट को दो बार संशोधित किया गया।

एलएम विभाग, निष्क्रिय परिसंपत्तियों (हस्ते नकदी, अन्य बैंकों के पास शेष राशि इत्यादि), ऋणों का ब्याज दर /बेस रेट/बीपीएलआर/स्थिर दर वार वर्गीकरण, हमारे बैंक व हमारे समकक्ष बैंकों के कार्यकारी परिणामों से सम्बंधित विभिन्न विश्लेषण रिपोर्टें, तर्कसंगत एवं अर्थपूर्ण निर्णयों के लिए शीर्ष प्रबंधन के समक्ष रखता है।

बासल II दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2011 में पूँजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2009 से बासल II मानदंडों को अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु “मानकीकृत दृष्टिकोण”, परिचालन जोखिम के लिए “मूल संकेतक दृष्टिकोण” और बाजार जोखिम हेतु “मानकीकृत अवधि” पद्धति के आधार पर पूँजी का प्रावधान किया है।

बैंक ने संपूर्ण बैंक में बासल II मानदंडों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एसएसएस जोखिम प्रबंधन सॉल्यूशंस के क्रियान्वयन हेतु एक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर की नियुक्ति की है। उन्नत दृष्टिकोण तक उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए समय सीमा निर्धारित की है। बैंकों को परामर्श दिया गया था कि वे उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक मूल्यांकन करें। परिचालन जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) अपनाने के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों में से हमारे बैंक ने सर्वप्रथम भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया है। बैंक ने सभी जोखिमों के सम्बंध में बैंक की तैयारी का मूल्यांकन/निर्धारण करने तथा विद्यमान जोखिम प्रबंधन प्रणाली, पद्धतियों, प्रक्रियाओं, एमआईएस, विश्लेषणों को बेहतर/सशक्त बनाने तथा बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार नियुक्त किया है। सभी आवश्यक नीतियाँ, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रगटीकरण नीति, आईसीएपी इत्यादि सुव्यवस्थित और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

बासल III के लिए हमारे बैंक की तैयारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 2 मई, 2012 को बासल III के कार्यान्वयन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ये दिशानिर्देश दिनांक 01 जनवरी, 2013 से चरणबद्ध रूप से प्रभावित होंगे। बासल III अनुपात दिनांक 31.03.2018 से पूर्णतः कार्यान्वित होंगे। दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष से बैंकों को विद्यमान दिशानिर्देश (बासल II) के साथ-साथ बासल III पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अंतर्गत पूँजीगत अनुपात प्रदर्शित करने होंगे।

बासल III दिशानिर्देशों का उद्देश्य पूँजी की गुणवत्ता में सुधार तथा तरलता स्थिति पर ध्यान देना एवं उसकी अभिवृद्धि में सहायता प्रदान करना है। बैंक द्वारा बासल III के अनुरूप पूँजी, तरलता अनुपात एवं लीवरेज अनुपातों के निर्धारण की आंतरिक प्रक्रिया जारी है एवं अपेक्षित पद्धति को स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।

वसूली

अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ बैंक की सुपरिभाषित वसूली नीति है, इसमें एनपीए प्रबंधन के सभीक्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम इरादतन चूककर्ता तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल है। इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिससे इसमें नवीनतम परिवर्तन/सुधार तथा एनपीए समाधान की प्रवृत्तियाँ समाविष्ट की जा सकें।



हमने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 30.09.2011 तक एनपीए की सिस्टम आधारित पहचान एवं मिलान पद्धति अपना ली है। हमारा बैंक दिसम्बर 2010 में ही 100% सीबीएस प्लेटफॉर्म पर कार्यरत हो सका, जबकि हमारे समकक्ष बैंकों ने हमसे काफी पहले ही यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी। इस प्रकार हमने डाटा क्लिनिंग का कार्य, हमारे समकक्ष बैंकों को उपलब्ध 2-3 वर्ष की तुलना में मात्र 9 माह में ही कर लिया। इसलिए इस वर्ष सकल एनपीए में वृद्धि हुई है। हमने इस प्रकार की त्रुटियां सुधारने के लिए समुचित सतत कार्यनीति लागू की है एवं विश्वास है कि अगले वित्त वर्ष में अच्छा उन्नयन दिखाई देगा।

- वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक ने वसूली के कार्यनिष्पादन में सुधार किया है, किन्तु सिस्टम जनित एनपीए अपनाने एवं विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के कारण अत्यधिक स्लिपेज होने की वजह से, एनपीए स्तर बढ़ गया है।
 - सकल एनपीए का स्तर ₹ 2394 करोड़ से बढ़कर ₹ 7273 करोड़ हो गया।
 - शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के ₹ 847 करोड़ से बढ़कर ₹ 4557 करोड़ हो गया।
 - सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए अनुपात में क्रमशः 1.82% से 4.83% एवं 0.65% से 3.09% वृद्धि हुई।
 - नकद वसूली ₹ 736 करोड़ (₹ 177.74 करोड़ की आस्ति सहित बिक्री) से बढ़कर ₹ 754 करोड़ (₹ 75 करोड़ की आस्ति सहित बिक्री) हो गई।
- ₹ 1.00 लाख तक की सीमा के अग्रिमों के लिए, विशेष एक बारगी निपटान योजना दिनांक 31/03/2012 तक विस्तारित की गई तथा ₹ 37.73 करोड़ की राशि वसूल की गई।
- ₹ 1.00 लाख से अधिक; परंतु ₹ 10.00 लाख तक की बकाया राशि के लिए एनपीए खातों के लिए सरलीकृत ओटीएस योजना के तहत, बैंक ने वर्ष के दौरान ₹ 18.17 करोड़ वसूल किए।
- वर्ष 2012 के दौरान, ₹ 10.00 लाख तक की स्वीकृत ऋण सीमा वाले ट्रेक्टर/कृषि ऋणों में वसूली के लिए एक नई योजना- “कृषक राहत योजना” की शुरुआत की है और ₹ 15.51 करोड़ की राशि वसूल की है।
- वर्ष के दौरान, शाखाओं के समूह बनाकर क्षेत्रीय कार्यालयों/अंचलिक कार्यालयों के विभिन्न स्थानों पर डीआरटी लोक अदालत तथा जिला स्तरीय लोक अदालत तथा अन्य वसूली शिबिरों का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी बातचीत के माध्यम से समझौते पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया।
- लघु ऋणों में उच्च संघनित एनपीए वाली शाखाओं/क्षेत्रों को अभिचिन्हित कर इन शाखाओं/क्षेत्रों पर प्रमुख ध्यान दिया जा रहा है। इन शाखाओं/क्षेत्रों में एनपीए के तत्काल समाधान हेतु शाखा/क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार की गई है।
- वर्ष के दौरान, शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर 7303 साप्ताहिक/मासिक वसूली कैम्प आयोजित किए गए, इनमें ₹ 745 करोड़ की राशि के 64275 मामले निपटाए गए।

वर्ष 2012-13 के दौरान, सघन वसूली प्रयासों तथा आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाते हुए एनपीए स्तर को कम करने के लिए बैंक प्रतिबद्ध है।

अभिनव पहल

बैंकाश्युरेंस

जीवन बीमा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम तथा गैर-जीवन बीमा उत्पादों के लिए चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कॉर्पोरेट एजेंसी के अन्तर्गत हमारे बैंक द्वारा बीमा सोवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्ष 2011-12 के लिए कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार रहीं.:

- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सभी 16 अंचलों को बीमा अंचल के रूप में घोषित किया गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 67क्षेत्रों को बीमाक्षेत्र तथा 800 शाखाओं की बीमा शाखाओं के रूप में घोषित किया गया।
- वर्ष के दौरान, बैंक ने 127540 जीवन बीमा पॉलिसियां बेच कर ₹ 184.70 करोड़ की प्रीमियम राशि संग्रहित की, जो पिछले वर्ष के मुकाबले रिकॉर्ड 72% अधिक थी।
- बैंक ने जीवन बीमा व्यवसाय से ₹ 13.53 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।
- बैंक ने जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय के तहत 164181 पॉलिसी बेची तथा ₹ 6.30 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।
- बैंक ने जनरल इंश्योरेंस पार्टनर चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई-अप व्यवस्था के जरिए फेमिली फ्लोटर रूरल हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की।

म्यूचुअल फंड का संवितरण

- बैंक ने 11 अग्रणी म्यूचुअल फंड के साथ टाई-अप व्यवस्था की है और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 0.63 करोड़ का कमीशन अर्जित किया।

डिपॉजिटरी सेवाएं

बैंक 145 अभिनिर्धारित शाखाओं के माध्यम से 23709 डी-मैट खाताधारकों को डिपॉजिटरी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। सीएमसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त वेब-आधारित सॉल्यूशन के माध्यम से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लि. (सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में डिपॉजिटरी सेवा मुहैया कराई जाती हैं।

ऑन लाइन ट्रेडिंग

बैंक, अपने ट्रेड नाम "सेन्ट-ई-ट्रेड" के साथ "थ्री-इन-वन" "ऑन लाइन ट्रेडिंग" सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिन ग्राहकों का बैंक के पास खाता है तथा जो डीमैट खाता रखते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित ब्रॉकिंग फर्म मेसर्स एन्जिल ब्रॉकिंग लि. के साथ टाई-अप व्यवस्था के जरिए इक्विटी शेयर्स एवं डेरीवेटिव्स में ट्रेडिंग करने हेतु ऑन लाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

केपिटल मार्केट सुविधाएं जैसे असबा, डी-मैट, क्लियरिंग बैंक इत्यादि प्रदान करने हेतु मुंबई में केपिटल मार्केट सर्विसेस शाखा खोली गई है तथा यह ऑन लाइन ट्रेडिंग हेतु नियंत्रक शाखा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

1. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन:

सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाया गया है। बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। खोली गई सभी नई शाखाओं को उनके पहले दिन से ही सीबीएस के तहत लाया गया है।

दिनांक 31.03.2012 को सीबीएस का स्थान वार कवरेज निम्नानुसार है:-

शाखाएं	4006
विस्तार पटल	18
विस्तारित सेवाएं/सेटलाइट	19
आस्ति वसूली शाखा (एआरबी)	9
गैर व्यवसाय कार्यालय (एनबीओ)	21
एससीएपी (खाता प्रसंस्करण के लिए विशेषीकृत शाखाएं):	4
केन्द्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केन्द्र (सीसीपीसी)	15
आंचलिक कार्यालय:	16
क्षेत्रीय कार्यालय:	75
प्रशिक्षण महाविद्यालय:	3
नकदी प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)	9

2. नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी.

नेटवर्क कनेक्टिविटी कुल 4201 लोकेशनों को प्रदान की गई है। शाखाओं के नेटवर्क के लिए बीएसएनएल प्रमुख सेवा प्रदाता है। विभिन्न सेवा प्रदाता जैसे मेसर्स ह्यूजेस द्वारा 800 शाखाओं को वी-सेट बैंक अप उपलब्ध कराया गया है तथा नई खोली गई शाखाओं के लिए 300 लिंक प्राप्त किए गए हैं। जिन शाखाओं में सेकण्डरी लिंक सीडीएमए सिग्नल कमजोर है, उनमें प्राइमरी लिंक के रूप में 275 वी-सेट स्थापित किए गए हैं।

नई सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं एसडीआर, एलएपीएस, एफआई इत्यादि के सुलभ कार्य के लिए तथा लीगेसी आवेदनों हेतु उच्चक्षमता वाले नए चेक पाइंट फायरवॉल डीसी एवं डीआरसी में लगाए गए हैं। नेटवर्क अप-टाइम, गत वर्ष के 96% से सुधरकर 98% हो गया है।

24 घंटे से अधिक के लिए असंपर्कित शाखाओं की संख्या घटकर, औसतन 3 से 4 रह गई है, जो पिछले वर्ष में लगभग 20 थी। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के बैण्डविड को अपग्रेड करते हुए 1 एमबीपीएस कर दिया गया है।

डीसी एवं डीआरसी के बीच लिंक, विद्यमान 44 एमबीपीएस से बढ़ाकर 60 एमबीपीएस किया गया है।

हम सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों/कॉर्पोरेट वित्त शाखाओं में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और इंटरनेट बैण्डविड एप्लीकेशन्स के लिए 2 एमबीपीएस से बढ़ाकर 8 एमबीपीएस इंटरनेट बैण्डविड कर रहे हैं।



3. इंटरनेट बैंकिंग

इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का कार्यान्वयन वैयक्तिक एवं कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए किया गया है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे निधि अंतरण, ऑन लाइन कर जमा स्थिति, यूटिलिटी बिल पेमेंट, केन्द्र सरकार के विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के लिए ऑन लाइन टैक्स भुगतान, एयरलाइन्स बुकिंग, मूवी टिकिटिंग, शॉपिंग, मंदिर में दान देने, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान, रिजोनेंस एवं एलेन करियर इंस्टीट्यूट शुल्क संग्रहण, चेकों के भुगतान पर रोक, खाते का नियमित विवरण के अलावा कस्टमाइज्ड खाता विवरण इत्यादि। इसके अलावा रिटेल ग्राहकों के लिए ऑन लाइन पासवर्ड सृजन सुविधा भी है। कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा भी उपलब्ध है।

बैंक के भीतर 100 करोड़ की दैनिक सीमा तक निधि अंतरण सुविधा तथा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के तहत एनईएफटी की थोक राशि अपलोड हेतु उपलब्ध है। ग्राहकों की आवश्यकतानुसार, मिक्स एवं मोड एप्रोच में कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग उपलब्ध है। शाखाओं को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर भुगतान को प्रचलित करने हेतु सूचित किया गया है। इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ता आधार में सतत वृद्धि हो रही है और दिनांक 31.03.2012 को यह लगभग 181540 तक पहुंच चुकी है। मई 2011 माह में कस्टमर रिसर्च फ्रंटियर मैग्जीन द्वारा एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया गया और उन्होंने उल्लेख किया है कि सभी समकक्ष बैंकों में हमारा इंटरनेट बैंकिंग प्रतिसाद समय सबसे तेज है।

4. ऑन लाइन कर भुगतान.

प्रत्यक्ष कर उत्पाद, सेवा, डीजीएफटी लाइसेंस शुल्क, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार कर, महाराष्ट्र राज्य बिक्री कर, वैट एवं व्यावसायिक कर भुगतान, उत्तर प्रदेश राज्य के करों, आइसगेट सीमा शुल्क भुगतान, झारखंड कर, दिल्ली बिक्री कर के ई-भुगतान हेतु इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑन लाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। ओड़ीशा एवं बिहार सरकार के कर संग्रहण के लिए नया मॉड्यूल उपलब्ध है, जहां 40 से अधिक बैंकों के ग्राहकगण गेटवे सेवाओं के साथ करों का भुगतान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से कर सकते हैं। सिविल सेवा मंत्रालय, खाद्य एवं अन्य ई-पीएओ की भुगतान प्रणाली शुरू कर दी गई है।

5. एसएमएस बैंकिंग :

एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन पर उन्हें तत्काल सतर्कता संदेश सहित खाते की सूचना उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में ग्राहकों के विकल्प के अनुसार 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में निम्न के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं। i) बचत खाते में ₹ 1,000/- से अधिक तथा चालू/ओडी खाते में ₹ 50,000/- से अधिक नाम/जमा के लिए, ii) समाशोधन चेक नकारे जाने पर, iii) खाते की शेष राशि निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे चले जाने पर, iv) सावधि जमा की परिपक्वता से 7 दिन पहले।

शाखा प्रबंधकों को नियंत्रण तथा मॉनिटरिंग प्रयोजनार्थ तथा ईओडी के समय भौतिक नकदी का मिलान नहीं होने पर और शाखाओं में निर्धारित दिनों तक टेक्नीकल कॉन्ट्रा में बकाया शेष पर, ध्यान नहीं दिए जाने पर, उच्च प्राधिकारियों को भी एसएमएस अलर्ट भेजे जाते हैं। एसएमएस-अलर्ट औसत साप्ताहिक नकदी शेष, औसत जमाओं का 0.35% होने पर क्षेत्रीय प्रबंधक को भी एसएमएस अलर्ट भेजना प्रस्तावित है।

6. मोबाइल बैंकिंग :

पूछताछ एवं निधियों के अन्तरण के परिचालनों हेतु मोबाइल बैंकिंग शुरू की गई है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेनदेन, एण्ड-टू-एण्ड इन्सक्रिप्शन और टू फेक्टर ऑथेंटिकेशन विशेषताओं के साथ सुरक्षित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, ₹ 5,000/- तक के लेनदेनों के लिए हमने मोबाइल बैंकिंग के लो-सिक्युरिटी वर्जन का कार्यान्वयन किया है। मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग में एनईएफटी निधि अंतरण सुविधा भी उपलब्ध है।

7. टेली बैंकिंग:

फोन बैंकिंग सॉल्यूशन का कार्यान्वयन अंग्रेजी एवं हिन्दी में आवाज की रिकॉर्डिंग के साथ किया जाता है और सीबीएस शाखाओं के सभी ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध है।

8. मिस्ड कॉल अलर्ट :

यह सुविधा हमारे कासा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसके द्वारा ग्राहक शेष राशि की जानकारी और विशिष्ट नंबर पर मिस्ड कॉल देते हुए अंतिम तीन लेनदेनों की निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नई अभिनव ग्राहकोन्मुखी पहल के लिए हमें भारतीय बैंक संघ से प्रशंसा भी प्राप्त हुई है।

9. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक राशि (असबा):

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की विद्यमान प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन किया है और एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक राशि (असबा) नामक पूरक प्रक्रिया शुरू की है। हमने अपने सभी ग्राहकों के लिए असबा सुविधाओं की शुरुआत की है, जिसके द्वारा बैंक को उनके बैंक खाते से एप्लीकेशन को ब्लॉक करने हेतु प्राधिकृत करते हुए, बैंक के माध्यम से निवेशक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ/एफपीओ/राइट इश्यू) को सब्सक्राइब कर सकता/सकती है और तत्पश्चात आबंटन राशि को भेज दिया जाता है। ग्राहकगण सार्वजनिक निर्गम के लिए ही इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से असबा हेतु भी आवेदन कर सकते हैं।

10. कीऑस्क बैंकिंग :

ई-लॉबी/कीऑस्क में नकद-जमा, चेक जमा, पासबुक प्रिंटिंग, लेनदेन की पूछताछ, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध है। यह ईलॉबी/कीऑस्क चार स्थानों अर्थात मुंबई मुख्य कार्यालय, सीबीडी बेलापुर, पुणे कैम्प एवं प्रेस एरिया शाखा, दिल्ली में लगाई गई है।

कीऑस्क/ई-लॉबी 25 स्थानों पर लगाने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है। तदनुसार, प्रत्येक बड़े अंचल अर्थात मुंबई, दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद में 2-2 तथा नागपुर, रायपुर, पटना, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़ तथा आगरा में एक-एक कीऑस्क स्थापित करने की योजना है। इन कीऑस्क का कार्यान्वयन दिनांक 30 जून, 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

11. ई-वाउचर :

सिस्टम ट्रान्जेक्शन के अंतर्गत दिनांक 21.12.2011 को ई-वाउचर कार्य की शुरुआत की गई है और यह पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है, जिससे ग्राहकगण बैंक में ही एकल खिड़की परिचालक (एसडब्ल्यूओ) की सीमा तक नकद जमा/आहरण, निधि अंतरण कर सकते हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में की जाने वाली नई पहलों में महाराष्ट्र सरकार के जीआरएस सर्वर से जुड़ना, 100 कीऑस्क/ई-लॉबी की स्थापना, रेलवे के लिए ई-फ्रेट से जुड़ना, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए भुगतान प्रणाली स्थापित करना है। अन्तर बैंक मोबाइल भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई के साथ एकीकरण। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी के साथ जुड़ाव शामिल है।

12. वेबसाइट :

वेबसाइट की दिखावट एवं अनुभूति में नए परिवर्तन पूरे कर लिए गए हैं और यह उत्पादों के प्रचार हेतु तैयार है। वेबसाइट में ऑन-लाइन शिकायत मॉड्यूल में संशोधन को पूर्ण कर लिया गया है और व्यवसाय विभाग को सूचित कर दिया गया है। इंटरनेट बैंकिंग तथा बैंक की अधिकारिक वेबसाइट के लिए, मेसर्स एए टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड ने चौथी तिमाही के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षा पूरी कर ली है।

13. भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजनाएं :

स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) का उपयोग करते हुए सभी सीबीएस शाखाओं को आरटीजीएस तथा एनईएफटी समर्थित किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2012 को 4151 शाखाओं/विस्तार पटलों/एनबीओ/कार्यालयों को आरटीजीएस के लिए तथा 4150 शाखाओं/विस्तार पटलों/एनबीओ/कार्यालयों को एनईएफटी समर्थित किया गया है। यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली में भी उपलब्ध है।

सभी 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस के क्रियान्वयन से 1811 शाखाओं और विस्तार पटलों को एनईएफटी के अंतर्गत लाया गया है।

14. चेक ट्रंक्शन प्रणाली (सीटीएस)

चेन्नै में बाह्य स्रोत पर सीटीएस क्रियान्वित किया गया है। दिनांक 24.03.2012 को बेंगलुरु में प्रायोगिक आधार पर सीटीएस का कार्यान्वयन किया गया है तथा कोयम्बतूर में सीटीएस के कार्यान्वयन के लिए बाह्य स्रोत मॉडल हेतु अनुमोदन प्राप्त किया है।

15. कॉल सेन्टर

दिनांक 6 जुलाई, 2011 से आईडीबीआई इन्टेक द्वारा आउटसोर्स मॉडल पर कॉल सेन्टर परिचालित किया जा रहा है। प्रतिबंधित व्यू-ऑप्शन के साथ कॉल सेन्टर में सीबीएस इन्टरफेस प्रदान किया गया है, इससे कॉल सेन्टर एजेंट ग्राहकों को विभिन्न खातों सम्बंधी जानकारी देने में सक्षम हो सके हैं। कॉल सेन्टर के माध्यम से ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

- ❖ बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी
- ❖ शाखा/एटीएम स्थानों की जानकारी
- ❖ ब्याज दर एवं सेवा प्रभारों की जानकारी
- ❖ शेष राशि की पूछताछ
- ❖ लेनदेन की पूछताछ
- ❖ चेक संख्या सम्बंधी पूछताछ
- ❖ डेबिट कार्ड हॉट-लिस्टिंग
- ❖ अर्जित ब्याज/प्रदत्त ब्याज की पूछताछ
- ❖ टीडीएस पूछताछ
- ❖ लेनदेन विवरण
- ❖ जारी अथवा जमा किए गए चेक की स्थिति
- ❖ सीडी/सीसी/ओडी सीमा एवं ब्याज की पूछताछ



- ❖ ग्राहकों से प्राप्त किसी अन्य पूछताछ का जवाब देना
- ❖ शिकायतों की रिकॉर्डिंग करना तथा बैंक की ग्राहक शिकायत प्रणाली में इसे फीड करना, ताकि उपयुक्त स्तर पर इसका निराकरण हो सके।

ग्राहक सेवाओं को और अधिक स्वचालित करने तथा जवाबी समय कम करने के लिए ऑन लाइन परिवेश में इंटरएक्टिव वॉइस रिसपाॉन्स (आइवीआर) के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

- ❖ शेष राशि की पूछताछ
- ❖ अंतिम 4 लेनदेन
- ❖ चेक की स्थिति
- ❖ चेक का भुगतान रोकना
- ❖ ट्रांजेक्शन-पिन सृजन

16. सिंगल डाटा रिपॉजिटरी (एसडीआर)

सिंगल डाटा रिपॉजिटरी (एसडीआर) रिपोर्ट की अपेक्षाओं को अंतिम रूप दिया गया है तथा इसके प्रारूप तैयार करने के लिए 564 रिपोर्ट आइबीएम को दी गई हैं। मई 2012 से रिपोर्टों के प्रकाशन की योजना बनाई गई है तथा एनपीए डैश बोर्ड की प्रोटोटाइप तैयार की गई है। प्लानिंग एवं बजटिंग कार्य हेतु दिनांक 5 मार्च, 2012 को कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन प्रबंधन (सीपीएम) तैयार किया है। एएलएम – स्टेटिक एसआरएस को अंतिम रूप दिया गया है। एएलएम से सम्बंधित डाटा निष्कर्षण कार्य प्रक्रियागत है, जिसके मई, 2012 तक प्रचालन में आने की अपेक्षा है।

17. एचआरएमएस :

पीपुल सॉफ्ट एचआरएमएस सॉल्यूशन के माध्यम से फरवरी, 2012 में केन्द्रीय कार्यालय तथा 16 अंचलों के लिए समानांतर पे-रोल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और ऐसी योजना है कि अप्रैल 2012 से सभी कर्मचारियों के वेतन का प्रसंस्करण पीपुल सॉफ्ट एचआरएमएस के अंतर्गत केन्द्रीकृत किया जाए। अवकाश गृह/ट्रांजिट होम की ऑन लाइन बुकिंग की सुविधाएं एचआरएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं।

18. आईटी गवर्नेंस

बैंक में आईटी कार्यनीति, आईटी संचालन एवं आईटी जोखिम प्रबंधन समितियों के गठन से बैंक में आईटी गवर्नेंस हेतु आवश्यक संरचना निर्मित कर ली गई है। संचालन समिति, व्यावसायिक कार्यनीति के साथ आईटी कार्यनीति के समनुरूपन पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श करेगी। समग्र रूप से परियोजनाओं एवं आईटी के लिए संतुलित स्कोरकार्ड तैयार किए गए एवं निदेशक मंडल ने इन्हें अनुमोदित कर दिया है और मासिक अद्यतन का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा जनवरी, 2012 तक के नवीनतम अंक प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

आईटी संचालन समिति की आयोजित पहली बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

- आईटी नीति अनुमोदित की गई है।
- व्यवसाय सातत्य योजना पर चर्चा की गई और यह तय किया गया कि शाखाओं के लिए व्यवसाय सातत्य योजना (बी.सी.पी.) बनाई जाए, जिसमें उन गतिविधियों का उल्लेख किया जाय, जो नेटवर्क विफल रहने के दौरान की जानी है तथा इसे सभी व्यावसायिक कार्यालयों को परिचालित करने के साथ-साथ ग्राहकों हेतु नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित कराया जाए।
- पीसी, प्रिंटर, एटीएम आदि के निपटान हेतु हार्डवेयर निपटान नीति, जिसमें स्पष्ट अनुदेश एवं शा.प्र./क्ष.प्र./आं.प्र./आदि की शक्तियां समाहित हों।
- नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है।

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक में वर्ष के दौरान अनुपालन संस्कृति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सुदृढ़ लेखापरीक्षा प्रणाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल में सूचना प्रणाली, लेखापरीक्षा नीति, आंतरिक लेखापरीक्षा नीति में संशोधन एवं संगामी लेखापरीक्षा नीति को श्री बसंत सेठ कमेटी की अनुशंसा प्रारूप के अनुरूप बनाना सम्मिलित है। शाखाओं की संगामी लेखापरीक्षा करने के इच्छुक सनदी लेखाकार फर्मों के लिए वेब-आधारित आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत, ऑफ-साइट मॉनिटरिंग, धन-शोधन रोकने के लिए दायरे को बढ़ाना, सीबीएस में 100% केवाईसी अद्यतन करना, समापन के लिए नियत सभी लेखापरीक्षा रिपोर्टों को बन्द करना, वित्तीय जांच के दौरान पाए गए राजस्व रिसाव की वसूली, इत्यादि कार्य किए गए। शाखाओं में ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए कार्य प्रणाली से सम्बंधित मामलों के निपटान में भी लेखापरीक्षा कार्य सहायक होता है।

शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च, 2012 को, बैंक के नेटवर्क में 4011 शाखाएं एवं 29 सेटलाइट कार्यालय थे। वर्ष के दौरान, 283 शाखाएं खोली गईं, जिसमें 121 विस्तार पटलों का उन्नयन एवं 5 सेटलाइट शाखाओं को संपूर्ण शाखा में परिवर्तित करना, 4 विशेषीकृत एनआरआई शाखाएं, 1 केपीटल मार्केट सर्विसेस शाखा, 1 आस्ति वसूली शाखा एवं 7 मिड कॉर्पोरेट शाखाएं शामिल हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार, ग्रामीणक्षेत्रों में 1497 शाखाएं, अर्द्ध - शहरों में 1037, शहरों में 781 शाखाएं एवं महानगरों केन्द्रों में 696 शाखाएं हैं। शताब्दी दिवस को यादगार बनाने के लिए बैंक द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को 100 शाखाएं खोली गईं।

विस्तार पटल

वर्ष की शुरुआत में 139 विस्तार पटल थे, जिनमें से 121 विस्तार पटलों के संपूर्ण शाखा में परिवर्तन के उपरांत वित्त वर्ष 2011-12 के अंत में 18 विस्तार पटल शेष हैं।

परिचालन

ग्राहक शिकायतें

बैंक ने इस वित्त वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा सुधारने हेतु कई संकल्पनाओं की शुरुआत की है।

- कोई ग्राहक हमारी शाखा में विद्यमान ग्राहक के परिचय के बिना खाता खोल सकता है।
- बैंक ने नाबालिगों को भी एटीएम कार्ड जारी करने की शुरुआत की है।
- हमारी बैंक ने एक नई योजना “वरिष्ठ नागरिकों/अपंग/अक्षम खाताधारक -2012” की शुरुआत की है।
- हमारी बैंक ने ग्राहक सेवा पर दामोदरन कमेटी की अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया है।

ग्राहक शिकायतें

हमारी बैंक ने ग्राहकों को उनकी शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 24X7 घंटे कॉल सेंटर प्रारंभ किया है। जिसका टोल फ्री नम्बर 1800 200 1911 है। शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को पूर्णतः ऑन लाइन किया गया है। आउटलुक फाइनैशियल द्वारा ग्राहक संतुष्टि पर कराए गए एक सर्वेक्षण में हमारी शिकायत निवारण प्रणाली को सबसे बेहतर माना गया है।

आईबीआर

सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाने के उपरांत, दिनांक 01.01.2012 से एक नई आईबीआर प्रणाली ‘सी2सी’ (कोर टू कोर) क्रियान्वित की गई है। इस नई प्रणाली में प्रविष्टि-दर-प्रविष्टि मिलान (ऑटो समामेलन) की सुविधा है, जो कि पिछली पुरानी प्रणाली में उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, मांग ड्राफ्ट के जारी व भुगतान, अंतर शाखा लेनदेन एवं अंतर-बैंक नकद अंतरण से सम्बंधित अन्य कई विशेषताएं हैं।

राजभाषा :

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में “इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड” से पुरस्कृत किया गया। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मोहन वी. टांकसाले ने भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल के शुभहस्ते विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में यह शील्ड प्राप्त की।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के क्षेत्र में ‘भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर शील्ड प्रतियोगिता’ के अंतर्गत भाषिकक्षेत्र “क” एवं “ख” में हमारे बैंक को पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष महाराष्ट्र में बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा एवं गुजरात में गुजरात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा हमारे बैंक को पुरस्कार प्रदान किया गया है।

वित्त वर्ष के दौरान, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) द्वारा हमारी विभिन्न शाखाओं/क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों को कुल 30 पुरस्कार/शील्ड प्राप्त हुई हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर, जिनका संयोजक हमारा बैंक है, को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है।

इस वर्ष, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा हमारे कोलकाता अंचल की कॉलिम्पॉंग शाखा एवं कुर्सियांग शाखा, तथा आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ के अधीन, मनाली शाखा का निरीक्षण किया गया। हमारे बैंक द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में किए जा रहे प्रयासों को बहुत सराहा गया।

हमारे बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। ग्राहकों के अनुरोध पर हमारा बैंक पासबुक, ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीदें एवं खाता-विवरण हिंदी में उपलब्ध कराता है। हमारे बैंक द्वारा सम्माननीय ग्राहकों को हिंदी एवं 7 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस भेजे जाते हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक ने अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर 2011 माह में क्रमशः भोपाल, दिल्ली एवं मुंबई में सेमिनार आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, सभी राजभाषा अधिकारियों हेतु दो दिवसीय तीन विशेष सेमिनार भोपाल एवं मुंबई में आयोजित किए गए। इनके अलावा, दिनांक 27 जनवरी, 2012 को राजभाषा अधिकारियों के लिए मुंबई में “विशेष राजभाषा सेमिनार” आयोजित किया गया।



राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय ने हमारे बैंक की “इतिहास पुस्तिका” के हिंदी प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की. इस पुस्तिका का लोकार्पण, दिनांक 29 मार्च, 2012 को चन्द्रमुखी के ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया.

इस वित्त वर्ष के दौरान, क्रियान्वित किए जाने वाले प्रमुख कार्यबिंदु निम्नानुसार हैं :

1. वेब बेस्ड रिपोर्टिंग के अंतर्गत, तिमाही प्रगति रिपोर्ट का ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण.
2. पासबुक, मांग ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद एवं खाता-विवरण की विद्यमान प्रिंटिंग सुविधा को अधिकांश शाखाओं में विस्तारित करना. ताकि हमारे अधिकतम ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठा सकें.
3. भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त करना.
4. कार्यदक्षता एवं कार्य-निष्पादन बढ़ाने हेतु सभी राजभाषा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना.

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन

वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से हमारी कॉर्पोरेट ब्रैंडिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत हम ₹ 819.56 लाख के खर्च से 2013.60 लाख की प्रसार संख्या तक पहुंचे हैं; अर्थात् रि कॉल लागत सिर्फ ₹ 0.40 रही है. कार्यपालकों एवं व्यावसायियों के बीच ब्रैंड इवेंटि स्थिति स्थापित एवं प्रवर्तित करने हेतु, मार्च 2012 को समाप्त समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समय-समय पर उच्चस्तरीय संचार मीडिया का उपयोग किया गया.

हमारे शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए, हमारे ब्रैंड, सेवाओं एवं उत्पादों के बारे में निरंतर सजगता बनाए रखने के लिए प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बाह्य मीडिया द्वारा कॉर्पोरेट प्रचार का कार्य कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा किया गया. इस प्रक्रिया के दौरान, बैंक के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु बजट एवं गैर बजट दोनों प्रकार से अभियान/प्रचार-प्रसार किया गया था. शताब्दी वर्ष के दौरान, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने हेतु हमारी सभी शाखाओं/कार्यालय परिसरों को रोशन किया गया एवं हमारी शताब्दी यात्रा को प्रदर्शित करने हेतु प्रमुख होर्डिंग्स स्थापित किए गए.

शताब्दी वर्ष के दौरान, सभी केन्द्रों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. समापन समारोह कार्यक्रम नई दिल्ली एवं मुंबई में आयोजित किए गए. दिल्ली में दिनांक 21.12.2011 को आयोजित कार्यक्रम में माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार श्री प्रणब मुखर्जी, श्री नमोनारायण मीणा, राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री डी.के.मिस्तल (आईएस), सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी. इस शुभ अवसर पर हमारी इतिहास पुस्तिका का विमोचन किया गया. दिनांक 26.12.2011 को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और कार्यक्रम के दौरान, भूले बिसरे नायकों, महत्त्वपूर्ण ग्राहकों एवं पूर्व उच्च कार्यपालकों को सम्मानित किया गया.

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा राष्ट्र की प्रगति के साथ बैंक की 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा का प्रदर्शनकारी टीवीसी कार्यक्रम टेलीविज़न पर टेलीकास्ट किया गया. इस टीवीसी कार्यक्रम ने बाजार में धूम मचाई. प्रत्येक दर्शक ने इसकी सराहना की. हमने वर्ष के दौरान निम्नलिखित टीवीसी प्रसारित किए -

- तीन उत्पाद अर्थात्, सेन्ट होम, सेन्ट व्हीकल, सेन्ट ज्वेल
- शताब्दी वर्ष पर टीवीसी - 45 सेकंड की बैंक की कॉर्पोरेट फिल्म
- दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को रेडियो पर सीएमडी का उद्बोधन
- दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 को टेलीविज़न पर हमारे बैंक का लघु चित्र प्रसारित किया गया.

निम्नलिखित वेबसाइट पर हमारी उपस्थिति है -

- www.legalera.in- विधिक मामलों पर सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए.
- www.eaclubdelhi.in- दिल्ली एवं आसपास के इलाकों में विभिन्न उत्पादों के बारे में सूचनाओं के लिए.

वर्ष के दौरान, हमारे ब्रैंडिंग प्रयासों ने महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हुए ब्रैंड फाइनेंस की टॉप 500 ग्लोबल फाइनेंशियल ब्रैंड्स में अच्छा प्रदर्शन किया है, बैंक ने वर्ष 2012 में रैंकिंग क्रम में 61 स्थानों की ऊँची छलांग लगा कर वर्ष 2011 के 390 वें स्थान से 329 वां स्थान हासिल किया है.

सतर्कता

वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता के साथ चहुंमुखी प्रगति की; जैसे कि सतर्कता के मामलों तथा शिकायतों का निपटान तीव्रता से किया गया. अधिकारी सेवा विनियमन के विनियम 20.3(iii) को अब तक की तुलना में न्यूनतम मामलों में लागू किया गया. इसके अतिरिक्त, सतर्कता अधिकारियों एवं डीलिंग अधिकारियों को सीबीएस वातावरण में मामलों को प्रभावी रूप में तेजी से निपटाने हेतु प्रशिक्षित किया गया.

नई पहल के तौर पर धोखाधड़ी के विशिष्ट मामलों एवं कार्यप्रणाली की खामियों से निपटने के प्रभावी उपायों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आंचलिक स्तर पर धोखाधड़ी रोकथाम समितियों का गठन किया गया। इस समिति का गठन आंचलिक प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक और ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी एवं शहरी शाखा के एक-एक शाखा प्रबंधक को शामिल कर किया गया है। इसके अलावा शाखाओं में स्टाफ सदस्यों सहित उच्च राशियों के लेनदेन को देखने की सुविधा नियंत्रक कार्यालयों को प्रदान की गई है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, कदाचारों के नियंत्रण के उद्देश्य से विभाग ने स्टाफ सदस्यों की पहचान गुप्त रखते हुए उनके कदाचारों की रिपोर्टिंग के लिए वेब पर एक नए पोर्टल की शुरुआत की है, जिसकी जानकारी केवल मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही होगी। इस पोर्टल को “सेन्ट विजिल” नाम दिया गया है, जिसका उद्घाटन दिनांक 24 नवंबर, 2011 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त श्री जे.एम. गर्ग द्वारा किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्टिंग निर्धारित अवधि में करना सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2011 से रिपोर्ट (एफएमआर-1) का प्रस्तुतीकरण ऑन लाइन किया गया है। परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के दौरान इस सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक को की जाने वाली रिपोर्टिंग में लगभग कोई विलम्ब नहीं हुआ।

फील्ड कर्मचारियों के उत्साहवर्द्धन के लिए नवम्बर-2011 में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता आयुक्त, सीवीसी एवं सीएमडी द्वारा उन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने धोखाधड़ियां रोकने/धोखाधड़ी की राशियां वसूल करने में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया है।

मानव संसाधन विकास

1. मानवशक्ति

मार्च 2012 की समाप्ति पर, बैंक के स्टाफ की संख्या पिछले वर्ष की 34,015 की तुलना में 35,901 (पीटीएसके सहित) है। स्टाफ का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :

श्रेणी	मार्च 2012	मार्च 2011
अधिकारी	12375	12883
लिपिक	15167	12770
अधीनस्थ कर्मचारी	8359	8362
कुल योग	35901	34015

2. मानव संसाधन विकास

I. बैंक में श्रेष्ठ मानव संसाधन प्रथाओं की संस्थापना के लिए पुरस्कृत:

- हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को मानव संसाधन विकास, नेतृत्वशीलता एवं क्षमता निर्माण में उत्कृष्ट योगदान को रेखांकित करने हेतु विश्व एचआरडी कांग्रेस के सम्मेलन में प्रतिष्ठित लीडरशिप अवार्ड “सीईओ विथ एच आर ओरिएंटेशन” प्रदान किया गया।
- बैंक के सम्पूर्ण संगठन में उत्कृष्ट एवं अभिनव एचआर नीतियां सुस्थापित करने की पहल करने के सम्मान स्वरूप, “स्टार न्यूज एचआर एण्ड लीडरशिप अवार्ड फॉर एचआर एक्सीलेंस फॉर इनोवेटिव एचआर प्रेक्टिसेज एण्ड शाइन.कॉम, हिन्दुस्तान टाइम्स एचआर लीडरशिप अवार्ड फॉर लीडिंग एचआर प्रेक्टिसेज इन क्वालिटी वर्क-लाइफ, फिजिकल एण्ड मेंटल वेल-बीइंग” दो संघटनात्मक पुरस्कार प्राप्त हुए।

II. कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के नए प्रारूप की शुरुआत:

सार्वजनिकक्षेत्र के बैंकों में सभी स्तर के अधिकारियों के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में समरूपता लाने हेतु, भारत सरकार द्वारा सुझाए गए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के नए प्रारूप शुरू किए गए हैं। तदनुसार, वित्त वर्ष 2011-12 से अधिकारियों के लिए संशोधित कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रारूप लागू किए गए हैं।

III. मुख्यधारा एवं विशेषज्ञ श्रेणी अधिकारियों के लिए कैरियर-पाथ-कम-पदोन्नति नीति:

भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 05.12.2011 को समाहित करते हुए बोर्ड के अनुमोदन से मुख्यधारा एवं विशेषज्ञ श्रेणी अधिकारियों के लिए नई पदोन्नति नीति बनाई गई है। यह संशोधित पदोन्नति नीति दिनांक 31.01.2012 से प्रभावी है तथा भारत सरकार से पुनः दिनांक 14.03.2012 के संप्रेषण के दिशानिर्देशानुसार इसे पुनः संशोधित किया गया है।



IV. वेतनमान I, II एवं III के अधिकारियों के स्थानांतरण मानदंडों में संशोधन :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अधिकारियों में बढ़ती आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के हित में अधिकारियों के स्थानांतरण मानदंडों के विद्यमान प्रावधानों में कुछ संशोधन किए गए हैं. इन परिवर्तनों से अधिकारियों में नव-चेतना जागृत हुई है एवं इन्हें अधिकारियों द्वारा सराहा गया है.

V. “सेन्ट समाधान” नामक वेब-पोर्टल का शुभारंभ

बैंक ने स्टाफ सदस्यों की व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान हेतु “सेन्ट समाधान” नामक वेब-पोर्टल की शुरुआत की है. इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतें सीधे सीएमडी/ईडी के ध्यान में लाई जाती हैं. उपर्युक्त पहल कर्मचारियों की व्यक्तिगत शिकायतों के तुरंत निवारण एवं स्टाफ सदस्यों में विश्वास एवं पारदर्शिता का वातावरण स्थापित कर, स्टाफ एवं संस्था की उत्पादकता और कार्यनिष्पादन में वृद्धि करने की सदेच्छा से की गई है.

VI. बैंक में कार्यग्रहण के उपरांत अपनी शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि करने हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना:

बैंक में कार्यग्रहण करने के पश्चात अपनी शैक्षणिक योग्यताओं में सुधार लाने हेतु अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए, प्रबंधन द्वारा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य/केन्द्रीय बोर्ड से एसएससी (10वीं/मैट्रिकुलेशन) और/या एचएससी (10 + 2) अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन उपलब्ध है. प्रोत्साहनों में संपूर्ण परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, मानदेय का भुगतान एवं प्रशस्ति पत्र शामिल है.

VII. एचआर नीतियों के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधकों को “एचआर एक्सीलेंस अवार्ड” से सम्मानित करना:

कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा आरंभ की गई एचआर नीतियों एवं प्रथाओं के कार्यान्वयन की आश्यकताओं संबंधी जागरूकता बढ़ाने और क्षेत्र/अंचल द्वारा उनके कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से एचआर प्रक्रिया के श्रेष्ठ कार्यान्वयन में उत्कृष्टता दर्शाने वाले क्षेत्रीय प्रबंधकों को सम्मानित करने के लिए “एचआर एक्सीलेंस अवार्ड” नामक प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है.

IX. महिला कर्मचारियों को अपने करियर के दौरान विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विश्राम अवकाश की शुरुआत:

भारत सरकार के संप्रेषण दिनांक 28.02.2012 के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशानुसार महिला कर्मचारियों को उनके करियर के दौरान विशेष समस्याओं से निपटने हेतु हमारी बैंक ने दिनांक 01.04.2012 से विश्राम अवकाश योजना की शुरुआत की है.

X. कर्मचारियों के लिए भत्तों/सुविधाओं का विस्तार:

संस्था के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आवास निर्माण ऋण, अतिरिक्त आवास ऋण, किराया प्रतिपूर्ति आदि की राशि में बढ़ोतरी की गई.

3. प्रशिक्षण:

सुदृढ़ प्रबंधन टीम के परिपोषण एवं उच्चस्तरीय उत्तरवर्तियों के परिनिर्माण में गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण आधारशिला का कार्य करता है, तदनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान, ‘प्रशिक्षण एवं विकास’ कार्यक्रम पर पुरजोर ध्यान देना जारी रखा गया है. इस परिप्रेक्ष्य में बैंक को लर्निंग ऑर्गनाइजेशन में रूपांतरण के सतत प्रयासों को बढ़ाते हुए संपूर्ण प्रशिक्षण गतिविधियां, जिनमें प्रशिक्षण मॉड्यूल धारिता व शैली सम्मिलित है, में परिवर्तन लाए गए हैं.

वर्ष 2011-12 के दौरान, हमारे कार्यपालकों/वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के ज्ञान फलक को विस्तारित करने व बैंक की बौद्धिक पूंजी में वृद्धि करने के लिए, डॉ. प्रीतम सिंह एवं श्रीमती आशा भंडारकर, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित प्रबन्धन व्यावसायिकों द्वारा पारस्परिक विमर्श सत्र एवं माइंड मैपिंग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें समसामयिक व्यावसायिक क्षेत्रों के समृद्ध अनुभवों का आदान-प्रदान व विचार विमर्श किया गया. इसके अतिरिक्त, बाहरी विशेषज्ञों/एजेंसियों द्वारा म्यूचुअल फंड के वितरण, प्रबन्धन विकास कार्यक्रम, ग्राहक सेवा पर कनिष्ठ अधिकारियों के लिए उच्च गुणवत्ता के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. इसके अलावा, आरसेटी, वित्तीय समावेशन, सिंडीकेट असबा, नए पदोन्नत मुख्य प्रबन्धकों के प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए गए. वर्ष 2011-12 बैंकों की विभिन्न कार्यप्रणाली से परिचित कराने के दौरान भर्ती हुए लिपिक वर्ग के स्टाफ को विस्तृत प्रशिक्षण दिए गए. वर्ष 2011-12 के दौरान, 3 प्रशिक्षण कॉलेजों और 9 आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 14766 से अधिक प्रतिभागियों एवं 92206 मानव दिवसों को सम्मिलित करते हुए लगभग 884 क्लास रूम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. वर्ष 2011-12 के दौरान, 54 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण/अनुभवों/दौरे के लिए भेजा गया. इसके अतिरिक्त, बाहरी प्रशिक्षण एजेंसियों यथा एनआईबीएम, सीएबी, बर्ड, फेडाई, आईडीबीआरटी, आईआईबीएम इत्यादि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न वेतनमान के अधिकारियों को भेजा गया. वर्ष 2011-12 के दौरान, 9 परीक्षा पूर्व कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 104 अनुसूचित जाति एवं 48 अनुसूचित जन-जाति अधिकारियों ने प्रतिभागिता की.

4. भर्ती एवं पदोन्नति:

मुख्य धारा एवं विशिष्ट श्रेणी पदों पर नियमित भर्ती के अतिरिक्त संस्था में आवश्यक व्यावसायिकता लाने के लिए, विभिन्न विषयों में एमबीए धारकों को भर्ती करने की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान भी जारी रही। तदनुसार, वेतनमान-I में 6 नये एमबीए, वेतनमान-II में 98 एवं वेतनमान-III में 7 नये एमबीए अभ्यर्थी विभिन्न व्यावसायिक/प्रबन्धन संस्थानों; जैसे एनआईआईएम, आईआईएफटी, वेलिंगकर संस्थान, वीआईटी आदि से कैम्पस चयन के माध्यम से भर्ती किए गए। श्रेष्ठ अनुभव एवं समसामयिक ज्ञान/कौशल के बेहतर संयोजन के लिए कैम्पस चयन के माध्यम से एमबीए की भर्ती भविष्य में भी जारी रहेगी।

वर्ष 2011-12 में, 4219 पदों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की गई, जिसमें वेतनमान-I, II एवं III के अंतर्गत एमबीए, इंजीनियर्स, लाइब्रेरियन, सुरक्षा अधिकारी (सभी वेतनमान-II) मुख्य डीलर (वेतनमान-V) सहायक महाप्रबंधक (आईटी), लिपिक स्टाफ, ड्राइवर और सशस्त्र रक्षक (अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग) की भर्ती शामिल है।

कॉर्पोरेट लक्ष्य के अनुरूप, स्टाफ को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने हेतु यह निश्चय किया गया कि सभी संवर्ग/श्रेणी में पदोन्नति प्रक्रिया यथासंभव बारम्बार आयोजित की जाए। तदनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान, अंतर-वेतनमान एवं अंतर-संवर्ग पदोन्नति प्रक्रियाएं संचालित की गईं तथा 3028 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी उच्च संवर्ग/श्रेणी में पदोन्नत किए गए, जिनमें से 743 अधीनस्थ कर्मचारी लिपिक संवर्ग में पदोन्नत किए गए। सभी अंशकालीन सफाई कर्मचारियों (लगभग 2500) को पूर्णकालिक “सफाई-कर्मचारी-सह-अधीनस्थ” कर्मचारी के रूप में पदोन्नत किया गया।

5. आरक्षण नीति का क्रियान्वयन:

बैंक द्वारा आरक्षण नीति के सम्बंध में भारत सरकार/आईबीए से प्राप्त दिशानिर्देशों एवं अनुदेशों का कार्यान्वयन किया जाता है तथा आरक्षण नीति में अनुमत छूट एवं रियायतें एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान की गई हैं। हमारे बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व जांचने के लिए श्री गोविन्द चन्द्र नस्कर की अध्यक्षता में संसदीय समिति ने दिनांक 15.11.2011 से दिनांक 17.11.2011 तक दीव का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, हमारे बैंक में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री राजू परमार ने विभिन्न स्थानों पर 5 बैठकें आयोजित कीं।

6. यूनियनों/असोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ व्यावसायिक बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यावसायिक विकास की रणनीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट स्तर पर प्रमुख यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ दिनांक 12 सितम्बर, 2011 एवं दिनांक 23 फरवरी, 2012 को बैठकें आयोजित की गईं। प्रबंधनतंत्र अपेक्षा व्यक्त की कि सभी कर्मचारियों का यह प्रयास होना चाहिए कि बैंक की व्यावसायिक प्रगति में समुचित सुधार हो और सभी यूनियनों को चाहिए कि वे अपने सदस्यों को संस्था के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान देने हेतु प्रेरित करें।

7. कर्मचारी कल्याण योजना :

“स्टाफ एवं उनके परिवारों का कल्याण” प्रबंधन का प्रतिबद्ध प्रयास रहा है तथा ये प्रयास हमेशा बैंक मानव संसाधन सूची में शीर्ष पर रहेंगे। तदनुसार, वर्ष के दौरान, स्टाफ कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए ₹ 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा इन योजनाओं में प्रमात्रा तथा कवरेज दोनों के दृष्टिगत पर्याप्त सुधार किए गए हैं।

8. औद्योगिक सम्बंध :

वर्ष के दौरान, औद्योगिक सम्बंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहे।

अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम

सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

मार्च 2012 को कंपनी का शुद्ध लाभ ₹ 5.72 करोड़ रहा। जो मार्च 2011 में ₹ 9.36 करोड़ था। लाभ में कमी का मुख्य कारण उधार निधि की लागत में वृद्धि होना अर्थात्, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा दी गई उधार निधि की आधार दर में वृद्धि और स्थापना एवं अन्य खर्चों में समग्र वृद्धि होना है। मार्च 2011 में ऋण राशियां बढ़कर ₹ 290.30 करोड़ हो गई है, जो मार्च 2011 में ₹ 282.13 करोड़ थीं।

कंपनी ने आरक्षित निधियों में लाभ को जोड़ते हुए अपनी शुद्ध स्व-निधि में लगातार सुधार किया है। तथा नेटवर्थ मार्च 2011 के ₹ 55.21 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 में ₹ 57.44 करोड़ हो गई है। जनता एवं संस्थानों से प्राप्त जमा राशियां मार्च 2011 के ₹ 48.03 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 में ₹ 48.34 करोड़ हो गई है।

सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज

सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड प्रमुखतया अनुषंगी कॉर्पोरेट वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है। वर्ष 2011-12 के दौरान, सीएफएसएल ने अपने व्यवसाय कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव कर इसे एक पूर्ण-सेवा निवेश बैंक बना दिया है। सीएफएसएल सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं-



- प्रॉजेक्ट मूल्यांकन एवं ऋण समूहन
- केपिटल मार्केट लेनदेन (इक्विटी एवं उधार एवं दोनों)
- एम एण्ड ए, ऋण पुनर्गठन, प्रॉजेक्ट परामर्श, प्रतिभूतिकरण, जोखिम प्रबन्धन, व्यवसाय मूल्यांकन, प्राइवेट इक्विटी और टीईवी रिपोर्ट सहित कॉर्पोरेट एडवाइजरी सेवाएं.
- न्यासधारित सेवाओं सहित डिबेंचर/प्रतिभूति न्यासी, निष्पादक न्यासी, धर्मार्थ न्यास का प्रबंधन
- कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 7.24 करोड़ शुद्ध लाभ के मुकाबले, मार्च 2012 में ₹ 9.30 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया.

इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लि.

ज़ाम्बिया सरकार एवं तीन भारतीय बैंकों यथा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक ऑफ बडौदा और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से ज़ाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम प्रवर्तित किया है. इसमें 3 भारतीय बैंकों की इक्विटी 20% तथा ज़ाम्बिया प्रजातांत्रिक सरकार की इक्विटी 40% है. यह बैंक सभी पैरामीटरों में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है. मार्च 2012 में बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 1552.70 करोड़ हो गया है और बैंक ने ₹ 36.14 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

मार्च 2012 में 180 शाखाओं के नेटवर्क के साथ देश के 57 जिलों को कवर करते हुए, बैंक के 7 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं. दिनांक 31 मार्च, 2012 को सभी 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख पैरामीटरों का सामूहिक कार्य-निष्पादन इस प्रकार रहा :-

ए. शाखा विस्तार: वर्ष 2011-12 के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 46 नई शाखाएं खोली गईं, जिससे मार्च 2012 को कुल शाखाएं बढ़कर 1806 हो गईं, जो दिनांक 31.03.2011 को 1760 थीं. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं और ग्राहकों को एनईएफटी सेवाएं भी उपलब्ध करा रही हैं.

बी. जमाराशियां: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियां मार्च 2011 के ₹15844 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 में 12.30% की वृद्धि दर्शाते हुए ₹17793 करोड़ हो गई हैं.

सी. अग्रिम : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अग्रिम दिनांक 31 मार्च, 2011 के ₹ 7709 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2012 में 15.03% की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 8867 करोड़ हो गए हैं.

डी. लाभप्रदता : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2011-12 में पिछले वर्ष के लाभ ₹ 146.58 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 के दौरान 20.85% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 177.15 करोड़ का लाभ अर्जित किया है.

पुरस्कार एवं सम्मान

- ❖ इकॉनॉमिक टाइम्स द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार “ब्रैंड इक्विटी-टॉप 100 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैंड्स 2011” के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 4था सर्वश्रेष्ठ बैंक रहा और वर्ष 2011 में “इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड सर्विस ब्रैंड्स” श्रेणी के अंतर्गत 16वां स्थान प्राप्त किया.
- ❖ बैंक को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल के शुभहस्ते भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट सफलतम कार्यान्वयन के लिए ‘इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड’ प्राप्त हुआ.
- ❖ बैंक को एमएसएमई के लिए पुरस्कार अपने रिटेल उत्पाद “सेन्ट सहयोग” के लिये अभिनव उत्पाद/सेवा श्रेणी के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी) से प्रतिष्ठित पुरस्कार “गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2011” प्राप्त हुआ.
- ❖ बैंक को बिजनेस एण्ड इकॉनॉमी मैगजीन द्वारा “बेस्ट बीएफएसआई कंपनी” अवार्ड से नवाज़ा गया.
- ❖ बैंक को देश में अपनी उत्कृष्ट ब्रैंड इमेज बनाने के लिए इंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, पुणे द्वारा “एग्जैम्पलरी ब्रैंड लीडर अवार्ड” से सम्मानित किया गया.
- ❖ बैंक को ग्रीनटेक फाउन्डेशन, नई दिल्ली द्वारा ‘बेस्ट एचआर स्ट्रेटजीस’ एवं ‘इनोवेशन इन एम्पलाई रिटेंशन स्ट्रेटजीस’ के लिए 2 पुरस्कारों से नवाजा गया.

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 24 मई, 2012

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है। बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेरधारकों की आय में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएँ हैं।

बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है। फिर भी, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अतः बैंक स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 49 के प्रावधानों के उस सीमा तक, जहां तक कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा।

निदेशक मंडल

बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है। सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, अधिनियम के प्रावधानों 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है।

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

श्री एस.श्रीधर (दिनांक 31.05.2011 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री मोहन वी.टांकसाले (दिनांक 29.06.2011 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती वी.आर.अय्यर (दिनांक 01.09.2010 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर.के. दुबे (दिनांक 01.09.2010 से)	कार्यपालक निदेशक
डॉ. शशांक सक्सेना (दिनांक 14.11.2011 तक)	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री आलोक टंडन (दिनांक 15.11.2011 से)	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सलीम गंगाधरन (दिनांक 30.07.2010 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री बृजलाल क्षत्रिय (दिनांक 20.11.2008 से 19.11.2011 तक) और (दिनांक 10.01.2012 से)	शेरधारक निदेशक
प्रो. एन.बालकृष्णन (दिनांक 20.11.2008 से 19.11.2011 तक) और (दिनांक 10.01.2012 से)	शेरधारक निदेशक
श्री रोमेश सभरवाल (दिनांक 06.10.2009 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश (दिनांक 20.10.2009 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
श्री बी.एस.रामबाबू (दिनांक 16.03.2010 से)	कर्मकार कर्मचारी निदेशक
श्री गुमान सिंह (दिनांक 08.08.2011 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक गण बैंक के पूर्णकालीन निदेशक हैं।

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री मोहन वी. टांकसाले, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जन्म तिथि 31.07.1953)

श्री मोहन वी. टांकसाले ने दिनांक 29 जून, 2011 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आपको इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्ट्स ऑफ़ इंडिया (एआईसीडब्लूए), कम्पनी सेक्रेटरी (इंटर) ऑफ़ इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया, सीएआईआईबी, विज्ञान में स्नातक तथा अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर जैसी व्यावसायिक पदवियां प्राप्त हैं।

श्री टांकसाले का जन्म दिनांक 31 जुलाई, 1953 को, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में हुआ था। आपने दिनांक 26 अगस्त, 1974 को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया में सहायक प्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया। आपको फील्ड स्तर और प्रशासनिक कार्यालय स्तर, दोनों का गहन अनुभव प्राप्त है और आप उसी बैंक में महाप्रबंधक के पद तक पहुंचे थे।

एक दूरदृष्टा बैंकर के रूप में 36 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में, आपने डेप्युटी/प्रमुख – क्रेडिट मॉनिटरिंग, इंटरनैशनल बैंकिंग और प्लानिंग, रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट, इत्यादि जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है।



महाप्रबंधक के रूप में अपने अंतिम कार्यकाल में आपने ई-बैंकिंग उत्पाद तथा बीमा एवं म्यूचुअल फण्ड, इत्यादि जैसे तृतीय पक्ष के उत्पादों के संवर्द्धन में गहन प्रयास किये हैं। आपने बैंक के 'ट्रांजेक्शन बैंकिंग डिविजन' की स्थापना की, जिसके तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म के बल पर, बैंक अपने ग्राहकों के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध करा सका।

श्री टांकसाले, दिनांक 26 मार्च, 2009 को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त हुए थे। पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में, आपने, योजना एवं विकास, मार्केटिंग, मानव संसाधन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन, आईटी, निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन डिविजन, ट्रेजरी डिविजन, इंटरनेशनल बैंकिंग डिविजन, वसूली विभाग, वित्तीय समावेशन, इत्यादि जैसे कार्यमूलक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य किया। जून 2009 में भारतीय रिज़र्व बैंक में उप गवर्नर के पद पर पदस्थ होने के लिए डॉ. के.सी. चक्रवर्ती की बिदाई तथा वर्तमान सीएमडी श्री के.आर. कामथ द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व के 4 माह की संक्षिप्त अवधि के लिए आपने पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया।

2. श्री आलोक टंडन (जन्म तिथि 22.09.1962)

श्री आलोक टंडन भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.) से हैं तथा मिड-कैरियर व्यावसायिक हैं। शैक्षणिक प्रशिक्षण की दृष्टि से आप इलैक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। वर्ष 1984 में आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर से सभी इंजीनियरिंग वर्गों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हुए इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हासिल की। आपको अपनी इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति के करकमलों से स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। तथापि, अपने कैरियर के समृद्ध अनुभव और समाज सेवा की तीव्र इच्छा ने वर्ष 1986 में उन्हें आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया।

आईएएस में अब तक 25 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान आप सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त सचिव एवं जिला मैजिस्ट्रेट, जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं। इलाहाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में पर्यवेक्षण करते हुए, आपने गंगा नदी के सूखे पाट में लगभग एक मिलियन भक्तों को ठहरने की व्यवस्था का आयोजन मात्र 4 माह की रिकॉर्ड अवधि में कराने का अद्भुत कार्य किया। आप 5 जनरेशन स्टेशन वाली 1 बिलियन डॉलर से अधिक के कुल राजस्व वाली थर्मल पावर जनरेशन कंपनी के मुख्य कार्यपालक के पद पर कार्य कर चुके हैं। इन सबके साथ शैक्षणिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपने आपको अद्यतन रखा है। आप वर्ष 2005 से 2007 तक अपने कार्यों से दूर रहे और शीर्ष यूएस विश्वविद्यालयों से (प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी तथा केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सैन डिएगो) से आर्थिक तथा सार्वजनिक नीतियों के उच्चस्तरीय टूल्स में ज्ञानार्जन किया। वर्तमान में, आप विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ हैं।

3. श्री गुमान सिंह, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 24.03.1937)

श्री गुमान सिंह को दिनांक 08.08.2011 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप एक सेवानिवृत्त रेल अधिकारी हैं और वर्तमान में आप नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राजस्थान राज्य के प्रेसिडेंट, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के प्रेसिडेंट, नेशनल कौन्सिल ज्वाइंट कन्सल्टेटिव कमिटी, नई दिल्ली के सदस्य तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (राष्ट्रीय स्तर) के सचिव हैं।

4. श्री बृजलाल क्षत्रिय, शेरधारक निदेशक (जन्म तिथि 23.09.1936)

श्री बृजलाल क्षत्रिय, शेरधारक निदेशक, स्टील प्लान्ट प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं तथा आपको भारत और विदेश में कार्य तथा मानव संसाधन कार्यों में व्यापक प्रशिक्षण का अनुभव है। आप बीएचयू से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों में शीर्ष प्रशासन के पदों पर कार्य करने के पश्चात् बोकारो स्टील प्लान्ट में प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण किया। आपको 1993 में राजीव गांधी एक्सलन्स अवार्ड, दिसम्बर 1993 में एनआरआई वर्ल्ड की ओर से मद्र इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड और दिसम्बर 1993 में ग्लोरी ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आप दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में शेरधारक निदेशक के रूप में दिनांक 19 नवम्बर, 2011 तक के लिए निर्वाचित हुए। तत्पश्चात् दिनांक 10.01.2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए आप पुनः शेरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए।

5. प्रोफेसर एन.बालकृष्णन्, शेरधारक निदेशक (जन्म तिथि 01.06.1950)

शेरधारक निदेशक प्रो. एन.बालकृष्णन् सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक हैं। आप मद्रास विश्वविद्यालय से बी.ई.(इलेक्ट्रॉनिक्स में) हैं और वर्ष 1979 में आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स से पी.एच.डी. की है। इस समय आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स के सहयोगी निदेशक और डिपार्टमेन्ट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर केन्द्र बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों एवं परिषदों में आपके 200 से अधिक प्रकाशन प्रकाशित हुए हैं। वर्ष 2002 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2004 में एप्लाइड साइंस के लिए होमी जे. भाभा अवार्ड व वर्ष 2007 में जे.सी.बोस.नेशनल फेलोशिप, जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। इस समय आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आयोजना तथा सूचना सुरक्षा से संबंधित अनेक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवर्तनों में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में शेरधारक निदेशक के रूप में आप 20 नवम्बर, 2008 को 19 नवम्बर, 2011 तक के लिए निर्वाचित हुए थे तथा दिनांक 10.01.2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए शेरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं।

अन्य निदेशकों के विवरण

1. **श्रीमती वी. आर.अय्यर, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 01.06.1955)**, को कॉमर्स (एम.कॉम.) में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त है और आप सीएआईआईबी हैं. दिसम्बर 1975 में आप ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्य ग्रहण किया और बहुत बड़ी एवं अत्यधिक बड़ी शाखाओं की बैंकिंग, मुंबई और पुणे के प्रतिष्ठित अंचलों के ऋण विभाग में क्रमशः 9 वर्ष एवं 15 वर्ष के व्यापक सेवा अनुभव के साथ पिछले 30 वर्षों में कई चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है. परिचालनात्मक बैंकिंग तथा ऋण बैंकिंग का विस्तृत अनुभव रखने वाली श्रीमती विजयलक्ष्मी अय्यर को वर्ष 2000 में बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया. आपने वर्ष 2006-07 के दौरान उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में पदभार संभाला तथा जनवरी, 2008 में आपकी पदोन्नति महाप्रबंधक के पद पर हुई तथा सूचना तकनीक एवं जोखिम प्रबंधन, दोनों ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियों का दायित्व दिया गया. आपने 2500 शाखाएं कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत स्थापित की. विभिन्न डिलीवरी चैनलों, व्यापक केन्द्रीकृत एमआईएस प्रणाली को सुव्यवस्थित किया तथा संपूर्ण ऋण प्रबंधन को स्वचलित करने में सफलता प्राप्त की. हमारे बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर चयनित होने से पूर्व आप एमएसएमई विभाग की प्रमुख थीं.
आपने दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला तथा ट्रेजरी, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, एमबीडी, आईटी, योजना-विकास, केन्द्रीय लेखा, बैलेन्स शीट, जोखिम प्रबंधन, नवोन्मेषी विभाग, नॉलेज मैनेजमेन्ट, लेखापरीक्षा, इत्यादि विभागों की शीर्ष प्रभारी हैं.
2. **श्री आर.के.दुबे, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 10.09.1954)**, अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री होने के साथ-साथ आप एमबीए ग्रेजुएट भी हैं. आप विधि स्नातक होने के साथ-साथ सीएआईआईबी भी हैं. आप एक टैक्नो-सेवी बैंकर हैं, जिन्हें पंजाब नेशनल बैंक में 30 वर्ष से अधिक के बहुआयामी परिचालनात्मक बैंकिंग का विस्तृत अनुभव है. अपने कार्यकाल में आप 10 वर्षों तक क्षेत्रीय/आंचलिक/सर्कल प्रमुख रहे. विभिन्न शाखा प्रचालनों के बुनियादी स्तर पर 9 वर्ष प्रभारी रहने के अलावा बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रभारी के रूप में 4 वर्ष प्रशिक्षण का दायित्व निभाया तथा बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग में उप प्रभारी के रूप में 1 वर्ष और अंतिम 5 माह पंजाब नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के मार्केटिंग सेवाएं प्रभाग के प्रमुख के रूप में सफलतापूर्वक कार्यभार संभाला.
आपने दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभाला तथा आप संगठनात्मक आयोजना, मानव संसाधन, परिचालन, अनुषंगियों, प्राथमिकता क्षेत्र, वित्तीय समावेशन, रिटेल बैंकिंग, वसूली, सामान्य प्रशासन, इत्यादि के शीर्ष प्रभारी हैं.
3. **श्री सलीम गंगाधरन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (जन्म तिथि 13.10.1953)**, आप एमए, सीएआईआईबी हैं तथा 30 वर्ष से भी अधिक समय से भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यरत हैं तथा इस समय भारतीय रिज़र्व बैंक तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने कैरियर के दौरान आपने विभिन्न परिचालन विभागों, विशेष तौर पर बैंक पर्यवेक्षण तथा वित्तीय बाजार में कार्य किया है. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय में संकाय सदस्य के रूप में पांच वर्ष कार्यरत थे और आपने जोखिम प्रबंधन, भुगतान प्रणाली तथा ट्रेजरी प्रबंधन पर कई सेमिनारों एवं परिषदों का आयोजन किया है. आप सेन्ट्रल बैंक ऑफ ओमान में पांच वर्षों के लिए विदेशी कार्यालय में प्रतिनियुक्त थे. प्रस्तावित, मौद्रिक यूनियन के एक हिस्से के रूप में जीसीसी देशों में पर्यवेक्षण व्यवहारों में अभिमुखता की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए आप आईएमएफ टीम के सहयोगी रहे हैं. आप भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के कई आंतरिक कार्य समूहों का हिस्सा रहे हैं. सेन्टर फॉर सेन्ट्रल बैंकिंग स्टडीज, बैंक ऑफ इंग्लैंड सहित कई सेमिनारों में आपने आलेख प्रस्तुत किए हैं.
आपको दिनांक 30.07.2010 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.
4. **श्री रोमेश सभरवाल, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 19.08.1963)**, आप सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए हैं और पूसा पॉलिटेकनिक, दिल्ली से इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारक हैं. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में आप दिनांक 03 मार्च, 2006 से, दिनांक 02.03.2009 तक की अवधि के लिए नियुक्त किये गये थे. **आपको दिनांक 06.10.2009 से अंशकालीन गैर सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया.** आप दिल्ली पर्यटन परिवहन विकास निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष तथा दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हैं. आप एक समाज सेवक भी हैं.
5. **मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 02.06.1938)** आप उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर तथा बिजनेस एण्ड एडवॉन्स इंटेलेजेंस कोर्स के डिप्लोमा धारक है. आपको हमारे बोर्ड में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 06.10.2005 को, दिनांक 05.10.2008 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था. **आपको दिनांक 20.10.2009 से अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया.** आप भारतीय सेना में मेजर रैंक के अधिकारी रह चुके हैं.
6. **श्री बी.एस.रामबाबू, कर्मकार कर्मचारी निदेशक (जन्म तिथि 03.08.1956)** आप वाणिज्य तथा विधि के स्नातक हैं तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट हैं. आपको कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में दिनांक 16 मार्च, 2010 को नियुक्त किया गया. आप हमारी बैंक में हैदराबाद में कर्मकार कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं. आप (1) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन, आन्ध्र प्रदेश के महासचिव (2) आन्ध्र प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज़ फैडरेशन के महासचिव (3) ऑल इंडिया सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज़ फैडरेशन के महासचिव एवं (4) ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं.



निदेशकों के अन्य विवरण

निदेशकों के नाम	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख	विशेषज्ञता वाले क्षेत्र	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की बोर्ड समिति के सदस्य		अन्य कंपनियों में निदेशक
			सदस्य	अध्यक्ष	
श्री एस.श्रीधर	02.03.2009 से 31.05.2011 तक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस आईटीपीए, वीआईजी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, आईएफआरएस, आईटीपीए, वीआईजी	i) सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. ii) इन्डो-ज़ाम्बिया बैंक लि. iii) एग्रीकल्चर बैंक फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. iv) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ फॉरेन ट्रेड v) लाइफ इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया vi) सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लि. vii) इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस
श्री मोहन वी. टांकसाले	29.06.2011	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस, आईटीपीए, वीआईजी, सीएसी, पीसी, पीएसी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, आईएफआरएस, आईटीपीए, वीआईजी, सीएसी, पीसी, पीएसी	i) सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. ii) इन्डो-ज़ाम्बिया बैंक लि. iii) लाइफ इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया iv) सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लि.
श्रीमती वी.आर. अय्यर	01.09.2010	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस, आईटीपीए, आरआई, सीएसी, पीसी, पीएसी	आरआई	सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
श्री आर. के. दुबे	01.09.2010	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस, आईटीपीए, सीएसी, पीसी, पीएसी	निरंक	i) सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. ii) सेन्ट्रल बैंक होम फाइनेंस लि.
डॉ. शशांक सक्सेना	10.06.2008 से 14.11.2011 तक	अर्थशास्त्री	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, आरसी सतकता	आरसी	i) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया लि. ii) डिपॉजिट इन्श्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लि.
श्री आलोक टंडन	15.11.2011 से	प्रशासन	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी., वीआईजी, एनसी	एनसी	निरंक
श्री सलीम गंगाधरन	30.07.2010	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरसी, विज	निरंक	निरंक
श्री बृजलाल क्षत्रिय	20.11.2008 से 19.11.2011 तक एवं 10.01.2012 से	मानव संसाधन विकास	एसी, आरएमसी, सीएससी, एसआईजीसी	एसआईजीसी	i) ईको-टैक मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड ii) स्ट्रैटेजिक एचआर सर्विसेज प्रा.लि. iii) सेनसन इंटरनेशनल (फर्म)
प्रो.एन बालकृष्णन	20.11.2008 से 19.11.2011 तक एवं 10.01.2012 से	सूचना प्रौद्योगिकी	आरएमसी, आईटीपी,	निरंक	i) सी-डॉट अल्काटेल रिसर्च सेन्टर प्रा. लि. ii) डाटा सिक्यूरिटी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया.

निदेशकों के नाम	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख	विशेषज्ञता वाले क्षेत्र	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बोर्ड समिति के सदस्य		अन्य कंपनियों में निदेशक
			सदस्य	अध्यक्ष	
श्री रोमेश सभरवाल	06.10.2009	सामाजिक कार्यकर्ता	एसआईजीसी, आईएफआरएस, आईटीपीए, एसीबी, एनसी	एसीबी	निरंक
मेजर(सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	20.10.2009	सामाजिक कार्यकर्ता	आरएमसी, आईटीपीए, एनसी	निरंक	निरंक
श्री बी एस रामबाबू	16.03.2010	बैंकिंग	एलवीएफसी, आईटीपीए	निरंक	निरंक
श्री गुमान सिंह	08.08.2011	सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी	एमसी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, आईटीपीए, एनसी	निरंक	निरंक

- एमसी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
- एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
- एलवीएफसी - बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
- सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
- आईटीपी - सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना समिति
- एसआईजीसी - शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
- आरसी - पारिश्रमिक समिति
- आईएफआरएस - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक समिति
- आईटीपीए - आंतरिक प्रशिक्षण नीति परामर्श दात्री समिति
- आरआई - राईट इश्यू समिति
- वीआईजी - सतर्कता समिति
- सीएसी - ऋण अनुमोदन समिति
- एचआर - मानव संसाधन समिति
- पीसी - परिसर समिति
- पीएसी - अधिमान आबंटन समिति
- एनसी - नामांकन समिति

निदेशकों का पारिश्रमिक :

गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों को सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के पुनर्भुगतान के अलावा, बोर्ड की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने के लिये दिनांक 17.10.2011 तक ₹ 5000/- एवं 18.10.2011 से ₹ 10000/- बैठक शुल्क दिया जाता था एवं बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठक में उपस्थित रहने के लिये दिनांक 17.10.2011 तक ₹ 2500/- एवं 18.10.2011 से ₹ 5000/- दिया जाता था.अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,कार्यपालक निदेशक तथा निदेशक, जो भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं,को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते तथा परिलब्धियों के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया.

क्र.	नाम	₹ लाख में
1.	श्री एस.श्रीधर	9.00
2.	श्री एम.वी.टांकसाले	12.10
2.	श्रीमती वी.आर.अय्यर	13.08
3.	श्री आर.के.दुबे	13.05

उक्त वेतन, भत्तों तथा परिलब्धियों के अतिरिक्त, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये श्री एस.श्रीधर, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को ₹ 700,000/-, श्री रामनाथ प्रदीप, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक को ₹ 2,30,000/-, श्री अरुण कौल, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक को ₹ 2,30,000/-,



श्रीमती वी.आर.अय्यर,कार्यपालक निदेशक को ₹ 3,20,000/-, श्री आर.के.दुबे, कार्यपालक निदेशक को ₹ 3,20,000/- कार्य निष्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान का अनुमोदन किया।

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिये ₹ 3,95,000/- (₹ तीन लाख पंचानवे हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिये ₹ 3,65,000/- (₹ तीन लाख पैंसठ हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया।

बोर्ड की बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान,बोर्ड की 13 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

20.04.2011	29.06.2011	29.09.2011	21.12.2011	28.03.2012
06.05.2011	29.07.2011	01.11.2011	31.01.2012	—
30.05.2011	29.08.2011	26.11.2011	29.02.2012	—

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

निदेशक का नाम	दर्ज की गयी उपस्थिति	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)	क्या दिनांक 29 जुलाई 2011 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया
श्री एस. श्रीधर	03	03	01.04.2011 – 30.05.2011	एजीएम की तिथि को निदेशक नहीं थे
श्री एम.वी. टांकसाले	10	10	29.06.2011 – 31.03.2012	हां
श्रीमती वी.आर. अय्यर	12	13	01.04.2011 - 31.03.2012	हां
श्री आर.के. दुबे	12	13	01.04.2011 – 31.03.2012	हां
डॉ. शशांक सक्सेना	01	08	01.04.2011 -14.11.2011	नहीं
श्री आलोक टंडन	05	05	15.11.2011 – 31.03.2012	एजीएम की तिथि को निदेशक नहीं थे
श्री सलीम गंगाधरन	10	13	01.04.2011 – 31.03.2012	हां
श्री बृजलाल क्षत्रिय	07 03	08 03	01.04.2011 से 19.11.2011 10.01.2012 से 31.03.2012	हां
प्रो. एन. बालाकृष्णन	06 03	08 03	01.04.2011 से 19.11.2011 10.01.2012 से 31.03.2012	नहीं
श्री रोमेश सभरवाल	13	13	01.04.2011 से 31.03.2012	हां
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	13	13	01.04.2011 से 31.03.2012	हां
श्री बी.एस. रामबाबू	12	13	01.04.2011 से 31.03.2012	नहीं
श्री गुमान सिंह	08	08	08.08.2011 से 31.03.2012	एजीएम की तिथि को निदेशक नहीं थे

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान)योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण)अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते प्रस्तावों और वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है,दिनांक 31.03.2012 को इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 2 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक एवं 2 गैर सरकारी अंशकालीन निदेशकगण सहित कुल 6 सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की इस प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 23 बैठकें आयोजित की गईं:

21.04.2011	28.06.2011	16.09.2011	30.11.2011	28.02.2012
07.05.2011	18.07.2011	29.09.2011	17.12.2011	19.03.2012
20.05.2011	30.07.2011	13.10.2011	27.12.2011	27.03.2012
30.05.2011	18.08.2011	01.11.2011	16.01.2012	
18.06.2011	29.08.2011	18.11.2011	30.01.2012	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थितिअभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि(से-तक)
श्री एस. श्रीधर	04	04	01.04.2011 – 30.05.2011
श्री एम.वी. टांकसाले	17	17	29.06.2011 – 31.03.2012
श्रीमती वी.आर. अय्यर	23	23	01.04.2011 – 31.03.2012
श्री आर.के. दुबे	22	23	01.04.2011 – 31.03.2012
श्री सलीम गंगाधरन	14	23	01.04.2011 – 31.03.2012
श्री बृजलाल क्षत्रिय	03	04	01.04.2011 – 09.06.2011
श्री रोमेश सभरवाल	06 05	06 05	01.04.2011 – 01.07.2011 02.01.2012 – 31.03.2012
मेजर(सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	12	12	10.06.2011 – 09.12.2011
श्री बी.एस. रामबाबू	08	12	02.07.2011 – 01.01.2012
श्री गुमान सिंह	06	07	10.12.2011 – 31.03.2012

ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान)योजना, 1970 में जोड़े गये नये खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 से बोर्ड की एक ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक ऋण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक एवं जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गईं:

12.03.2012	19.03.2012	26.03.2012	30.03.2012
------------	------------	------------	------------

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है। लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें हैं:

- ए. अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;
- बी. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना.
- सी. बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्ध वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना
- डी. तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लाँग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना
- ई. लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- एफ. प्रबंधन के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित प्रमुख प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना.
- जी. मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियां;
- एच. लेखा परीक्षा के पश्चात किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना.
- आई. आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र आवश्यकता और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना
- जे. जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन
- के. सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की समय-समय पर अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य लेखा परीक्षा समिति देखेगी.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे



लेखा परीक्षा समिति के वर्तमान सदस्य निम्नानुसार हैं:

1. श्री रोमेश सभरवाल	अध्यक्ष
2. श्रीमती वी. आर. अय्यर	सदस्य
3. श्री आर. के. दुबे	सदस्य
4. श्री आलोक टंडन	सदस्य
5. श्री सलीम गंगाधरन	सदस्य
6. श्री बृजलाल क्षत्रिय	सदस्य

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की निम्नानुसार 11 बैठकें आयोजित हुईं:

06.05.2011	29.07.2011	01.11.2011	14.02.2012
30.05.2011	18.08.2011	24.11.2011	10.03.2012
29.06.2011	29.09.2011	31.01.2012	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से – तक)
श्रीमती वी. आर. अय्यर	11	11	01.04.2011 - 31.03.2012
श्री आर. के. दुबे	11	11	01.04.2011 - 31.03.2012
डा.शशांक सक्सेना	01	06	01.04.2011 - 14.11.2011
श्री आलोक टंडन	02	04	15.11.2011 – 31.03.2012
श्री सलीम गंगाधरन	09	11	01.04.2011 - 31.03.2012
श्री बृजलाल क्षत्रिय	03	03	19.01.2012 – 31.03.2012
प्रो.एन बालाकृष्णन	06	07	01.04.2011 - 19.11.2011
श्री गुमान सिंह	08	08	19.01.2012 – 31.03.2012
श्री रोमेश सभरवाल (दिनांक 11.07.2011 से)	08	08	11.07.2011 – 31.03.2012

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयीं.

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशा निर्देशों के तहत सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिये शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया गया है. वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/ शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. इसके अध्यक्ष हमारे बैंक के निदेशक मंडल के शेयरधारक निदेशक श्री बृजलाल क्षत्रिय हैं.

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित 5 बैठकें आयोजित हुईं:

20.05.2011	28.06.2011	18.08.2011	01.11.2011	30.01.2012
------------	------------	------------	------------	------------

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति-अभिलेख	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	समिति की कालावधि (से-तक)
श्री एस. श्रीधर	01	01	01.04.2011 – 30.05.2011
श्री एम.वी. टांकसाले	03	03	29.06.2011 – 31.03.2012
श्रीमती वी.आर. अय्यर	05	05	01.04.2011 - 31.03.2012
श्री आर के दुबे	05	05	01.04.2011 - 31.03.2012
श्री बृजलाल क्षत्रिय	04	04	01.04.2011 – 19.11.2011
	01	01	10.01.2012 – 31.03.2012
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	01	01	19.01.2012 – 31.03.2012
श्री रोमेश सभरवाल	04	04	01.04.2011 - 20.12.2011

वर्ष 2011-12 (01.04.2011 से 31.03.2012) के लिए निवेशकों की शिकायतों के विवरण निम्नानुसार हैं:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	लाभांश वारंट प्राप्त न होने संबंधी	196
3	डीमेट क्रेडिट/रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होने संबंधी	10
4	वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने संबंधी	05
5	शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होने संबंधी	9
6	अस्वीकृत डीमेट अनुरोध फार्म प्राप्त न होने संबंधी	03
7	अन्य	15
	कुल प्राप्त शिकायतें	238
8	कुल ध्यान दी / निपटाई गई शिकायतें	238
9	वर्ष की समाप्ति पर कुल लंबित शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए / लंबित नहीं रही है।

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

पारिश्रमिक समिति

पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ. नं. 20.1.2005-बीओ-1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया। इस समिति में 14.11.2011 तक डॉ. शशांक सक्सेना, भारत सरकार के नामिती निदेशक (अध्यक्ष), श्री आलोक टंडन, भारत सरकार के नामिती निदेशक (दिनांक 15.11.2011 से), श्री सलीम गंगाधरन, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक, श्री बृजलाल क्षत्रिय एवं मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन-संबंधी प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए इस पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 29.06.2011 को किया गया।

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां

वर्ष के दौरान, बैंक ने शेयर धारकों को राइट निर्गम आधार पर ₹ 103/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रति इक्विटी शेयर ₹ 93/- के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर, प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य के 242,464,866 इक्विटी शेयर्स के आबंटन से ₹ 2497.39 करोड़ (प्रीमियम सहित) जुटाए हैं। बैंक ने अधिमान आधार पर, ₹ 10/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर, ₹ 105.61 प्रति इक्विटी निर्गम मूल्य (प्रति इक्विटी शेयर ₹ 95.61 के प्रीमियम सहित) भारत सरकार को 64,009,090 इक्विटी शेयर्स के आबंटन से, एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को 25,500,000 इक्विटी शेयर्स के आबंटन से ₹ 945.31 करोड़ (प्रीमियम सहित) जुटाए हैं। साथ ही, बैंक ने लोअर टियर II बॉण्ड्स के रूप में ₹ 500 करोड़ भी जुटाए हैं। निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य टियर-I एवं टियर-II पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत करना तथा बैंक के दीर्घावधि स्रोतों में अभिवृद्धि करना है। जुटाई गई निधियों का उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु किया जा रहा है।

संप्रेषण के माध्यम

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकाईनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता अपनाई है। उनका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है।

बैंक की प्रतिभूति में इनसाइड ट्रेडिंग को रोकने के लिए, बैंक ने अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई है।



दिनांक 31 मार्च 2012 को निदेशकों द्वारा धारित बैंक के शेयर्स की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	धारित कुल शेयर्स	
		संख्या	सकल योग का %
1	श्री बी.एस. रामबाबू (सीता रामबाबू बुरा के साथ संयुक्त रूप से)	549	0.000075
2	श्री ब्रजलाल क्षत्रिय	320	0.000043
3	प्रो. एन. बालकृष्णन	160	0.000022
4	श्रीमती वी.आर. अय्यर	116	0.000016
	कुल	1145	0.000156

अन्य प्रकटीकरण

बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ किसी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है। जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो। वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है।

बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनमें संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं।

बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है। समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का, जहां तक खंड तक की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन किया है।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं (सूचीकरण करार का अनुलग्नक आई डी)

बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुलग्नक आईडी में निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को वर्तमान में अंगीकार नहीं किया है।

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की पांचवी वार्षिक साधारण बैठक:

दिनांक : 27 जून, 2012 को सायं 4.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400 056.

- साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित है।
- बही-बंदी की तारीख : दिनांक 23 जून, 2012 से 27 जून, 2012 (दोनों दिवस सहित)
- लाभांश भुगतान तारीख : दिनांक 27 जुलाई, 2012 को अथवा उससे पूर्व
- स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण.

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध किए जाते हैं। स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	सीईएनटीआरएएलबीके
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं। तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत हैं:

दिनांक 31.03.2012 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्डस-टियर-II पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II-सीरीज IX	08.10.2004	200.00	आईएनई483A09138
लोअर टियर II-सीरीज X	28.03.2006	578.20	आईएनई483A09146
लोअर टियर II-सीरीज XI	04.10.2006	700.00	आईएनई483A09153

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर II-सीरीज XII	03.03.2008	389.10	आईएनई483A09161
लोअर टियर II-सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई483A09187
लोअर टियर II-सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई483A09245
अपर टियर II-सीरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई483A09179
अपर टियर II-सीरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई483A09195
अपर टियर II-सीरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई483A09203
अपर टियर II-सीरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई483A09211
अपर टियर II-सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई483A09229
अपर टियर II-सीरीज VI	21.01.2011	300.00	आईएनई483A08015
कुल		5522.30	

ये सभी बॉण्ड नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं। बैंक ने वर्ष 2012-13 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

बाजार मूल्य आंकड़े:

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है:

माह	एनएसई			एनएसई निफ्टी	
	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2011	150.70	132.80	18268629	5944.45	5693.25
मई 2011	145.00	111.00	15361926	5775.25	5328.7
जून 2011	125.50	112.00	13633438	5657.9	5195.9
जुलाई 2011	132.90	113.10	14893968	5740.4	5453.95
अगस्त 2011	119.95	95.00	15675838	5551.9	4720
सितम्बर 2011	107.40	96.50	11425195	5169.25	4758.85
अक्तूबर 2011	109.25	91.65	6746454	5399.7	4728.3
नवम्बर 2011	109.85	84.25	10147781	5326.45	4639.1
दिसम्बर 2011	95.15	65.40	7379164	5099.25	4531.15
जनवरी 2012	87.00	63.10	19382037	5217	4588.05
फरवरी 2012	111.00	82.65	27997485	5629.95	5159
मार्च 2012	111.95	92.50	13854492	5499.4	5135.95

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एवं बीएसई पर शेयर्स के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की सेंसेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है:

माह	बीएसई			सेंसेक्स	
	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या	अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल 2011	150.60	132.60	62,36,798	19811.14	18976.19
मई 2011	138.00	111.15	38,08,785	19253.87	17786.13
जून 2011	125.35	111.90	29,83,064	18873.39	17314.38
जुलाई 2011	132.65	113.00	35,43,799	19131.7	18131.86
अगस्त 2011	118.30	95.15	41,60,248	18440.07	15765.53
सितम्बर 2011	107.35	96.50	36,65,312	17211.8	15801.01
अक्तूबर 2011	109.20	95.50	17,62,413	17908.13	15745.43
नवम्बर 2011	109.90	84.20	27,01,501	17702.26	15478.69
दिसम्बर 2011	94.10	65.55	18,48,478	17003.71	15135.86
जनवरी 2012	87.65	63.25	50,80,243	17258.97	15358.02
फरवरी 2012	111.00	82.00	64,20,483	18523.78	17061.55
मार्च 2012	111.80	92.10	28,42,935	18040.69	16920.61



शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)
मुंबई - 400 078
टेली.: 022-25946970
फैक्स: 022-25946969
ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक के साथ पत्राचार करने का पता:

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
16वीं मंजिल, चंदरमुखी
नरीमन पॉइंट
मुंबई - 400 021
संपर्क नं.: 022- 6638 7818
फैक्स नं.: 022- 2283 5198
ई-मेल आईडी: compsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in

8. दिनांक 31.03.2012 को शेयरधारिता का संवितरण

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	176888	93.48	19746552	2.68
501-1000	7097	3.75	5421037	0.74
1001-2000	2819	1.49	4188856	0.57
2001-3000	801	0.42	2016287	0.27
3001-4000	468	0.25	1671128	0.23
4001-5000	236	0.12	1103196	0.15
5001-10000	482	0.25	3474837	0.47
10001 एवं अधिक	436	0.23	698493523	94.89
कुल	189227	100	736115416	100.00

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है।

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	73586024	10

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है।

“सार्वजनिक” की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	73586024	10

दिनांक 31.03.2012 को शेरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2012 को शेरधारिता का स्वरूप						
शेरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धरिता का %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केन्द्र सरकार	518626336	64009090	1	1	582635426	79.1500
क्विलयरिंग सदस्य	998981	0	352	0	998981	0.1357
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	10210488	90	1306	1	10210578	1.3871
कॉर्पोरेट निदेशकगण	1145	0	4	0	1145	0.0002
वित्तीय संस्थाएं	48086024	25500000	16	0	73586024	9.9965
विदेशी निवेशक संस्थाएं	18310435	0	65	1	18310435	2.4874
हिंदू अविभाजित परिवार	94622	0	2	0	94622	0.0129
म्युच्यूल फंड	1356928	0	2	0	1356928	0.1843
राष्ट्रीयकृत बैंक	788570	0	9	0	788570	0.1071
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	177608	0	4	0	177608	0.0241
अनिवासी भारतीय	871443	0	1111	0	871443	0.1184
अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)	218752	0	288	0	218752	0.0297
जनसामान्य	42347848	18331	185895	139	42366179	5.7554
ट्रस्ट	44810	0	25	0	44810	0.0061
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	4453915	0	5	0	4453915	0.6051
कुल	646587905	89527511	189085	142	736115416	100

रुद्ध शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र. सं.	शेरधारकों के नाम	रुद्ध शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में रुद्ध शेयर्स अर्थात (ए) + (बी) + (सी) का योग
1	भारत के राष्ट्रपति	582635426	79.15
2	जीवन बीमा निगम	25500000	3.46
	कुल	608135426	82.61

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण

क्र. सं.	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर आदि) के प्रकार	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन शेयर्स, कुल शेयर्स के 1% से अधिक है.

क्र. सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

शेयर्स का डिमेटेरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डीमेट रियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नैशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है.



दिनांक 31.03.2012 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	140	89527511	12.16
एनएसडीएल	122225	109217812	14.84
सीडीएसएल*	66860	537370093	73.00
कुल	189225	736115416	100

* केन्द्र सरकार द्वारा डीमेट रूप से धारित 518626336 (70.46%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.

अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड संख्या 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2012 को “अदावाकृत उचंत खाता” में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं:

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	296	35284
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	30	-
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	30	-
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या	266	35047

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है.

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

स्थान: मुंबई

दिनांक: 24 मई, 2012

[मोहन वी. टांकसाले]

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,
निदेशक मंडल
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2011-12 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
- इन विवरणियों में तथ्यतः कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.
 - ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.
- बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.
- सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की कमियाँ, यदि कोई हैं, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.
- डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:
- वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;
 - लेखांकन नीतियों में वर्ष के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं
 - धोखाधड़ियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

एच.के.वेसुना
मुख्य महाप्रबंधक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 8 मई, 2012

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कथित कंपनी के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का कंपनी ने अनुपालन किया है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि शेयरधारक समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा बैंक के कारोबार सम्बंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.-003510एस

(सीए बी. श्रीनिवास राव)

भागीदार

सदस्यता सं.202352

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.100186डबल्यू

(सीए शांतनु घोष)

भागीदार

सदस्यता सं.050927

कृते मे. जीएसए एण्ड असोशिएट्स

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.-000257एन

(सीए सुनील अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता सं.083899

कृते मे. धिया एण्ड कंपनी.

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.001088सी

(सीए जी.पी.गुप्ता)

भागीदार

सदस्यता सं.075000

कृते मे. डी.रंगास्वामी एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.-003073एस

(सीए बी. रामानी)

भागीदार

सदस्यता सं.019603

कृते मे.सैमसंद एण्ड असोशिएट्स

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.-003708एन

(सीए मिलन श्रीमाली)

भागीदार

सदस्यता सं.088578

स्थान : मुम्बई

तारीख : 24 मई, 2012

भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- हमने **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के दिनांक 31 मार्च, 2012 के संलग्न तुलन पत्र तथा उसमें संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है. इनमें 20 शाखाओं, कुल 74 क्षेत्रीय कार्यालयों में से हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 37 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां, अन्य शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2540 शाखाओं, 20 एनबीओ तथा 9 सीएमएस शाखाएं भी शामिल हैं, इसके साथ ही, 1454 शाखाओं एवं 37 क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते भी शामिल किए गए हैं, जोकि लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थे. इन अलेखा-परीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 3.29 प्रतिशत, जमाओं का 12.5 प्रतिशत, ब्याज आय का 12.51 प्रतिशत और ब्याज खर्चों का 11.14 प्रतिशत है. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा चुनी गई हैं. इन वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधतंत्र की है. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है.
- हमने सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा की है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से सुनियोजित और सम्पन्न करें कि हमें यह तर्कसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां हर प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं. वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण के नमूने के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल है. लेखा परीक्षा में, प्रबंधतंत्र द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान और लेखा सिद्धांतों के आकलन के साथ समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है.
- बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा पेंशन की अपरिशोधित राशि (₹ 719.95 करोड़) तथा ग्रेच्युइटी देयताएं (₹ 166.20 करोड़), केन्द्र सरकार की अनुमति के अधीन, बट्टे खाते डाले बिना की गई है.
- हमारी राय को उपयुक्त ठहराये बिना, हम वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट सं. 12 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बैंक के पेंशन देयता एवं ग्रेच्युइटी देयता के आस्थगन के संबंध में, 'सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प का पुनः खुलना तथा ग्रेच्युइटी सीमाओं में वृद्धि' - विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार पर कर्मचारी लाभ संबंधी परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के माध्यम से लेखांकन मानक (एएस) 15 के प्रावधानों को लागू करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त छूट के अनुसरण में हैं. तदनुसार, दिनांक 01.04.2011 को अपरिशोधित राशि ₹ 1181.53 करोड़ में से बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए पेंशन हेतु ₹ 239.89 करोड़ तथा ग्रेच्युइटी के लिए ₹ 55.40 करोड़ की आनुपातिक राशि परिशोधित की है.
- तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फॉर्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं.
- उपर्युक्त पैरा 1 में दर्शाए लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन एवं बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा साथ ही उनमें वांछित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम सूचित करते हैं कि :
 - हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे श्रेष्ठतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के हमारे प्रयोजनों की दृष्टि से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है.
 - बैंक के कारोबार से सम्बंधित जो जानकारी हमारे सामने आई है, वे बैंक के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत ही है.
 - बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां, जो जानकारी सहित प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है, हमारे लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाई गई हैं.
- हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार हैं.
- हमारी राय में तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित :
 - तुलनपत्र, सहपठित मूल लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ, आवश्यक विवरणों को शामिल करते हुए पूर्ण एवं स्पष्ट तुलन-पत्र है, जिससे कि दिनांक 31 मार्च, 2012 को, सामान्यतया भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के कार्यकलापों का सत्य एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके.
 - लाभ एवं हानि खाता सह पठित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ, सामान्यतया, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लेखा द्वारा कवर किये गए वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष दर्शाता है, एवं
 - नकद प्रवाह विवरण, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रण करता है.

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.003510एस

(**सीए बी. अरुणा**)

भागीदार

सदस्यता सं. 216454

कृते मे.के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू

(**सीए सतीश के. केलकर**)

भागीदार

सदस्यता सं. 038934

कृते मे.जीएसए एण्ड असोशिएट्स

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.000257एन

(**सीए सुनील अग्रवाल**)

भागीदार

सदस्यता सं. 083899

कृते मे. धिया एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.001088सी

(**सीए जी.पी.गुप्ता**)

भागीदार

सदस्यता सं. 075000

कृते मे. डी.रंगास्वामी एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.003073एस

(**सीए अनुषा श्रीनिवासन**)

भागीदार

सदस्यता सं. 204567

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स

सनदी लेखाकार

एफ.आर.नं.003708एन

(**सीए मिलन श्रीमाली**)

भागीदार

सदस्यता सं. 088578

स्थान : मुंबई

दिनांक : 8 मई, 2012



दिनांक 31 मार्च, 2012 का तुलनपत्र

(000 छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	दिनांक 31 मार्च, 2012 को ₹	दिनांक 31 मार्च, 2011 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी (नोट 1 का संदर्भ लें)	1	2,35,31,154	2,02,11,415
शेयर आवेदन राशि		-	2,02,56,836
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	10,09,84,104	6,82,65,778
जमाराशियां	3	1,96,17,33,268	1,79,35,60,153
उधार राशियां	4	12,91,95,961	12,88,79,794
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	8,25,52,905	6,63,99,293
कुल		2,29,79,97,392	2,09,75,73,269
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि	6	13,11,41,772	14,08,19,916
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशियां	7	1,01,24,236	1,20,08,097
निवेश	8	59,24,32,651	54,50,44,883
अग्रिम	9	1,47,51,28,503	1,29,72,54,066
अचल आस्तियां	10	2,47,39,090	2,42,53,862
अन्य आस्तियां	11	6,44,31,140	7,81,92,445
कुल		2,29,79,97,392	2,09,75,73,269
आकस्मिक देयताएं	12	59,39,13,114	43,35,11,073
वसूली हेतु बिल	-	5,67,71,907	3,57,60,905
मुख्य लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		
उक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनपत्र का महत्त्वपूर्ण भाग हैं			

मोहन वी. टांकसाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	विजयलक्ष्मी आर. अय्यर कार्यपालक निदेशक	राजीव किशोर दुबे कार्यपालक निदेशक
आलोक टंडन निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक
गुमान सिंह निदेशक	एन.बालाकृष्णन निदेशक	बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 003510एस (सीए बी. अरुणा) भागीदार सदस्यता सं 216454	कृते मे.जीएसए एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.-000257एन (सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.083899	कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.-003073एस (सीए अनुषा श्रीनिवासन) भागीदार सदस्यता सं. 204567
कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर. नं.-100186डब्ल्यू (सीए सतीश के. केलकर) भागीदार सदस्यता सं.038934	कृते मे.घिया एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर. नं.-001088सी (सीए जी.पी.गुप्ता) भागीदार सदस्यता सं. 075000	कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं.-003708एन (सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं. 088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08 मई, 2012

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए ₹	दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	19,14,94,994	15,22,05,661
अन्य आय	14	1,39,53,016	1,26,50,414
कुल		20,54,48,010	16,48,56,075
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	13,98,08,592	9,89,52,287
परिचालन व्यय	16	3,74,89,952	3,99,89,883
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		2,28,19,075	1,33,89,804
कुल		20,01,17,619	15,23,31,974
III. लाभ/हानि			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ		53,30,391	1,25,24,101
आगे लाया गया लाभ		14,789	11,287
कुल		53,45,180	1,25,35,388
IV. विनियोजन			
निम्न को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित निधि		13,32,598	31,48,525
निवेश आरक्षित निधि		4,39,466	-
विशेष आरक्षित निधि धारा 36(1)(viii) के अधीन		-	10,00,000
कर्मचारी कल्याण निधि		1,50,000	1,50,000
आय आरक्षित निधि		2,05,630	52,77,293
जेपीवाय स्वेप कूपन पर ब्याज हेतु आरक्षित निधि		-	11,155
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी		12,85,921	11,48,706
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		14,72,231	13,74,051
लाभांश कर		4,44,545	4,10,869
तुलनपत्र में ले जाई गई शेष राशि		14,789	14,789
कुल		53,45,180	1,25,35,388
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (₹)		5.95	22.04
मुख्य लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अनिवार्य घटक हैं.

मोहन वी. टांकसाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	विजयलक्ष्मी आर. अय्यर कार्यपालक निदेशक	राजीव किशोर दुबे कार्यपालक निदेशक
अलोक टंडन निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक
गुमान सिंह निदेशक	एन.बालाकृष्णन निदेशक	बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 003510एस (सीए बी. अरुणा) भागीदार सदस्यता सं. 216454	कृते मे. जीएसए एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.-000257एन (सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.083899	कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.-003073एस (सीए अनुषा श्रीनिवासन) भागीदार सदस्यता सं. 204567
कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर. नं.-100186डब्ल्यू (सीए सतीश के. केलकर) भागीदार सदस्यता सं.038934	कृते मे. घिया एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर. नं.-001088सी (सीए जी.पी.गुप्ता) भागीदार सदस्यता सं. 075000	कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं.-003708एन (सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं. 088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08 मई, 2012



दिनांक 31 मार्च, 2012 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2012 को		दिनांक 31/03/2011 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		3,00,00,000		3,00,00,000
प्रत्येक रु 10/- के 300,00,00,000 शेयर निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :		73,61,154		40,41,415
प्रत्येक ₹ 10/- के 73,61,15,416 इक्विटी शेयर (केन्द्र सरकार द्वारा धारित 58,26,35,426 शेयर्स सहित) (गत वर्ष प्रत्येक ₹ 10/- के 40,41,41,460 इक्विटी शेयर) बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर पूंजी (प्रत्येक रु 10/- के 161,70,00,000 अधिमानी शेयर)		1,61,70,000		1,61,70,000
		2,35,31,154		2,02,11,415
कुल		2,35,31,154		2,02,11,415
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन		1,52,49,882		1,21,01,357
		13,32,598		31,48,525
		1,65,82,480		1,52,49,882
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि वर्ष के दौरान कटौती		1,92,84,291		1,96,20,223
		3,14,722		3,35,932
		1,89,69,569		1,92,84,291
ii) निवेश प्रारक्षित निधि पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन		36,31,035		36,31,035
		4,39,466		-
		40,70,501		36,31,035
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन		73,60,000		73,60,000
		3,11,07,132		-
		3,84,67,132		73,60,000
IV. आय एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) आय प्रारक्षित निधियां पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		2,17,25,781		1,64,87,153
		2,05,630		52,88,448
		51,778		49,820
		2,18,79,633		2,17,25,781
V. आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां		10,00,000		10,00,000
V. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		14,789		14,789
कुल		10,09,84,104		6,82,65,778

दिनांक 31 मार्च, 2012 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक		दिनांक	
	31/03/2012 को	31/03/2011 को	31/03/2012 को	31/03/2011 को
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	21,56,771		35,79,786	
ii) अन्य से	12,46,47,165		15,07,33,764	
		12,68,03,936		15,43,13,550
II. बचत बैंक जमाराशियां		52,59,46,590		47,64,49,389
III. सावधि जमा राशियां				
i) बैंकों से	3,28,34,428		2,68,55,783	
ii) अन्य से	1,27,61,48,314		1,13,59,41,431	
		1,30,89,82,742		1,16,27,97,214
कुल		1,96,17,33,268		1,79,35,60,153
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		1,96,17,33,268		1,79,35,60,153
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधारराशियां				
I. भारत में उधारराशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	25,00,700		-	
ii) अन्य बैंक	25,604		64,770	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	3,74,14,716		5,80,90,269	
iv) अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड (गौण ऋण)	2,63,73,000		2,13,73,000	
v) अपर टियर II बॉण्ड	2,88,50,000		2,88,50,000	
vi) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत	58,30,000		58,30,000	
		10,09,94,020		11,42,08,039
II. भारत के बाहर से उधार राशियां		2,82,01,941		1,46,71,755
कुल		12,91,95,961		12,88,79,794
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधार राशियां		निरंक		निरंक
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		88,78,315		34,40,230
II. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		-		-
III. उपचित ब्याज		1,30,58,828		92,86,641
IV. आस्थगित कर देयता		45,50,200		14,63,000
V. अन्य (प्रावधान सहित)		5,60,65,562		5,22,09,422
कुल		8,25,52,905		6,63,99,293
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		1,66,76,309		92,57,589
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	11,34,65,463		13,05,62,327	
अन्य खातों में	10,00,000		1000000	
		11,44,65,463		13,15,62,327
कुल		13,11,41,772		14,08,19,916



दिनांक 31 मार्च, 2012 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक		दिनांक	
	31/03/2012 को	31/03/2011 को	31/03/2012 को	31/03/2011 को
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 7 : बैंकों में जमा राशियां और मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	64,81,831		78,32,950	
बी) अन्य जमा खातों में	37,229		-	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		65,19,060		78,32,950
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	36,03,834		41,73,805	
बी) अन्य जमा खातों में	1,342		1,342	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		36,05,176		41,75,147
कुल		1,01,24,236		1,20,08,097
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश : *				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	50,72,38,240		47,75,74,297	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6,03,668		8,43,682	
iii) शेयर्स	94,24,314		80,80,675	
iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	4,10,16,662		3,52,68,008	
v) अनुषंगियों एवं प्रायोजित संस्थानों में	25,41,662		24,71,662	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड आदि)	3,16,01,511		2,07,99,965	
		59,24,26,057		54,50,38,289
II. भारत के बाहर निवेश**				
अनुषंगियां एवं/अथवा विदेश में स्थित असोशिएट्स		6,594		6,594
कुल		59,24,32,651		54,50,44,883
* भारत में निवेश				
सकल मूल्य	59,57,65,455		54,84,64,246	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	33,39,398		34,25,957	
शुद्ध मूल्य		59,24,26,057		54,50,38,289
** भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	6,594		6,594	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध मूल्य		6,594		6,594

दिनांक 31 मार्च, 2012 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक		दिनांक	
	31/03/2012 को	31/03/2011 को	31/03/2012 को	31/03/2011 को
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	2,25,38,880		1,93,76,090	
ii) नकद-उधार, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	49,06,09,919		37,94,16,161	
iii) मीयादी ऋण	96,19,79,704		89,84,61,815	
कुल		1,47,51,28,503		1,29,72,54,066
बी. अग्रिमों का विवरण :				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,03,33,47,079		95,40,87,520	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	7,88,38,452		9,49,38,235	
iii) अरक्षित	36,29,42,972		24,82,28,311	
कुल		1,47,51,28,503		1,29,72,54,066
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता क्षेत्र	38,52,21,816		40,50,95,096	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	9,76,03,765		9,86,81,204	
iii) बैंक	7,49,653		1,74,388	
iv) अन्य	99,15,53,269		79,33,03,378	
कुल		1,47,51,28,503		1,29,72,54,066
(II) भारत के बाहर अग्रिम		निरंक		निरंक
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत / पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	2,38,58,143		2,38,30,114	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,15,269		28,029	
कुल	2,39,73,412		2,38,58,143	
इस दिनांक को मूल्यहास	40,43,752		37,01,847	
कुल		1,99,29,660		2,01,56,296
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	1,17,34,975		95,09,577	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	21,55,582		23,27,349	
कुल	1,38,90,557		1,18,36,926	
वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	1,55,962		1,01,951	
कुल	1,37,34,595		1,17,34,975	
इस दिनांक को मूल्यहास	89,25,165		76,37,409	
कुल		48,09,430		40,97,566
कुल (I एवं II)		2,47,39,090		2,42,53,862



दिनांक 31 मार्च, 2012 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31/03/2012 को		दिनांक 31/03/2011 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 11 अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	1,26,76,296		1,07,79,172	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	2,33,10,995		2,28,32,448	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	1,31,680		1,23,474	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. अंतर कार्यालय समायोजन	29,46,039		1,53,11,881	
VI. अन्य	2,53,66,130	6,44,31,140	2,91,45,470	7,81,92,445
कुल		6,44,31,140		7,81,92,445
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. ए) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		15,56,441		18,15,342
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		1,42,45,860		60,16,360
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		41,64,74,984		578,649
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटियां ए) भारत में बी) भारत के बाहर	7,06,31,212 55,18,890		6,36,70,949 30,78,445	
		7,61,50,102		6,67,49,394
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		8,50,62,529		6,17,96,895
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		4,23,198		85,00,000
कुल		59,39,13,114		43,35,11,073

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु ₹	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	14,42,04,764	11,25,38,023
II. निवेशों पर आय	4,34,73,461	3,76,70,956
III. भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य अंतर- बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	33,93,498	3,33,698
IV. अन्य	4,23,271	16,62,984
कुल	19,14,94,994	15,22,05,661
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	66,34,990	62,05,058
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	32,00,628	31,19,229
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	-	-
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	(4,167)	(1,105)
V. विनिमय लेनदेनों पर लाभ (शुद्ध)	18,68,242	5,60,926
VI. विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगियों और असोशिएट्स से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	23,560	15,545
VII. विविध आय	22,29,763	27,50,761
कुल	1,39,53,016	1,26,50,414
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	12,99,61,070	9,06,26,409
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर- बैंक उधारराशियों पर ब्याज	14,90,560	14,44,291
III. अन्य	83,56,962	68,81,587
कुल	13,98,08,592	9,89,52,287
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	2,50,62,428	2,96,42,232
II. किराया, कर एवं बिजली	25,67,790	19,15,037
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2,64,764	2,15,661
IV. विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3,52,177	9,69,396
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	14,35,363	11,86,898
VI. निदेशकों की फीस भत्ते एवं खर्चे	9,359	12,955
VII. लेखा परीक्षकों की फीस, एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	2,05,152	2,25,414
VIII. विधि प्रभार	1,15,701	1,49,382
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि	3,94,471	3,53,313
X. मरम्मत एवं रख-रखाव	8,33,115	6,48,609
XI. बीमा	16,45,970	15,57,480
XII. अन्य खर्चे	46,03,662	31,13,506
कुल	3,74,89,952	3,99,89,883



अनुसूची 17 - मुख्य लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन रीतियां :

परिसर के पुनर्मूल्यन द्वारा संशोधन के अलावा वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत आधार पर लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार की गई हैं तथा सभी तात्विक पहलुओं से, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उद्घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करती हैं.

2. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

- 2.1 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.
- 2.2 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.
- 2.3 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.
- 2.4 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3. निवेश :

- 3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित' तथा 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थान, एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयरों, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स).

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

- i) **परिपक्वता तक धारित**
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है.
- ii) **व्यापार के लिए धारित**
प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिन के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं.
- iii) **विक्रय के लिए उपलब्ध**
वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

3.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई है, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

3.4 मूल्यांकन :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य का आधिक्य शेष परिपक्वता की शेष अवधि के ऊपर परिशोधित किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार में, स्क्रिपवार निम्नवत अंकित किया जाता है :

- i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां
बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंज/ एफआईएमएमडीए / पीडीआई द्वारा निकाले गए कोटेशन के अनुसार
- ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड
परिपक्वता के आधार पर उचित आय के अनुसार
- iii) ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/
वाणिज्यिक पेपर
रखाव लागत पर
- iv) इक्विटी शेयर
ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर

	बी) अनुद्धत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
v) अधिमानी शेयर	ए) उद्धत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धत : परिपक्वता पर उचित आय
vi) डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धत : परिपक्वता पर उचित आय
vii) म्यूच्युअल फंड	ए) उद्धत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii) वेन्चर पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेन्चर पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए ₹ 1/-.

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

3.5 लागत निर्धारण :

भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.

3.6 आय निर्धारण :

- निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि 'पूंजी प्रारक्षित निधि' में विनियोजित की गयी है.
- निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.
- यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती हो, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं.
- प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है.
- प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्च जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है.
- प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि का ब्याज, आय मद माना गया है.

4. डेरिवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्स का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

- दैनिक बाजार-मूल्य - जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित की गई हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.
- जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित नहीं की गई हैं, उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.
- स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

5. अग्रिम :

- अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं.



- 5.2 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में हुई वसूली को पहले ब्याज में विनियोजित किया जाता है। तथापि, वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों में वसूली पहले मूल धन में अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की गई है।
- 5.3 अग्रिमों को, प्रावधानों (एनपीए के मामले में), अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि, जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि का परिशोधन कर दर्शाया गया है।
मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान, अन्य देयताएं एवं प्रावधान - (अन्यों) में शामिल हैं।
- 5.4 **बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:**
यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है।
यदि बिक्री एनबीवी से उच्चतर कीमत पर है तो अधिशेष प्रावधान अन्य गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी/हानि को पूरा करने के लिए रखा गया है।
- 6. अचल आस्तियां/मूल्यहास :**
- 6.1 अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास 'मूल्यहासित मूल्य प्रणाली' के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :
- | | |
|--|--|
| i) परिसर | अनुमानित जीवन पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर |
| ii) फर्नीचर, लिफ्ट, सुरिक्षत कक्ष | 10% |
| iii) वाहन | 20% |
| iv) वातानुकूलन यंत्र,
कूलर, टाइपराइटर आदि | 15% |
| v) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर | 33.33% |
- (अभिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है।)
- 6.2 उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।
- 6.3 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- 6.4 पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है। पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और 'पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि' में समायोजित किया गया है।
- 6.5 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है।
- 7. कर्मचारी - लाभ :**
- 7.1 ग्रॅज्युइटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया है। पेंशन निधि के लिए अंशदान परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत किया गया है।
- 7.2 अर्जित छुट्टी के लिए देयताओं का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 7.3 उन कर्मचारियों के सम्बंध में, जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है।
- 7.4 बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न देयताओं को बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य से तुलन पत्र में योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटाकर दर्शाया है।
- 8. आय एवं व्यय का निर्धारण :**
- 8.1 जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, आय एवं व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है।
- 8.2 वसूली पर अनर्जक आस्तियों पर आय की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार की गई है।
- 8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीजी. बीसी. 89/21.4.018/2002-03/ दिनांक 29.03.2003 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद जो लाभ एवं हानि लेखे में लेखागत किए कुल आय/कुल खर्चे के एक प्रतिशत से अधिक है तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है।
- 8.4 अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रावधान किए जाते हैं।
- 8.5 कमीशन (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया तथा बीमा दावे वसूली/निपटान होने पर लेखागत किया जाता है।
- 8.6 शेयर निर्गम के व्ययों को 5 वर्षों के लिए तिमाही आधार पर परिशोधित किया जाता है।
- 9. आय कर :**
इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि 'वास्तविक निश्चितता' न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी।

अनुसूची 18 : लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. पूंजी:

बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है।

बैंक की प्रदत्त पूंजी ₹ 2021.14 करोड़ से बढ़कर अब ₹ 2353.11 करोड़ है, जो ₹ 242.46 करोड़ के राइट इश्यू के माध्यम से वर्तमान शेयरधारकों को प्रति शेयर ₹ 93/- के प्रीमियम पर इक्विटी शेयर जारी करने से हुई है, जिनका आबंटन अप्रैल 2011 में शेयरधारकों को हुआ था। इसके साथ ही बैंक ने भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रति शेयर ₹ 95.61 के प्रीमियम से ₹ 89.51 करोड़ के इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के माध्यम से भी अपनी इक्विटी बढ़ाई है।

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) लेन-देन खाते
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष

प्रबंधतंत्र का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

3. आय कर / आस्थगित कर :

- 3.1 इस वर्ष के लिए आय कर का प्रावधान, संगत सांविधिक प्रावधानों एवं विवादित मामलों पर न्यायिक निर्णयों, विगत वर्षों की अधिक प्रावधानित की गई राशि ₹ 112.38 करोड़ (संदर्भ नोट 8(बी)) के रिवर्सल से शुद्ध राशि के परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार-विमर्श के बाद किया गया है।
- 3.2 अन्य आस्तियां (अनुसूची 11 (ii)) में ₹ 1424.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 601.64 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं। ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों/काउंसल के मतों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है।
- 3.3 विवाद के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹ 1424.58 करोड़ के कर में से, विभिन्न निर्धारण वर्षों से सम्बंधित विवादों में शामिल ₹ 4.82 करोड़ की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गई है। इसके लिए अपील का प्रभाव लम्बित है।

4. शेयर निर्गम के खर्च :

शेयर निर्गम खर्चों की ₹ 1.31 करोड़ (गत वर्ष ₹ 6.72 करोड़) की अपरिशोधित राशि अन्य आस्तियों में शामिल की गई है।

5. परिसर :

- 5.1 दिनांक 31.03.2008 को बाजार मूल्य दर्शाने के लिए बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान किया गया। अतिरिक्त मूल्य वृद्धि राशि ₹ 1565.97 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि खाते में जमा किया गया है।
- 5.2 बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 9.95 करोड़ (गत वर्ष ₹ 12.21 करोड़) की लागत की संपत्ति शामिल है, जिसे ₹ 122.31 करोड़ (गत वर्ष ₹ 198.46 करोड़) पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। इसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी भी प्रगति पर हैं।

6. अग्रिम / प्रावधान :

- 6.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पत्तियों / आस्तियों के मूल्यांकनों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा।
- 6.2 बैंक ने चालू वर्ष में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ₹ 312.42 करोड़ (गत वर्ष ₹ 312.42 करोड़) के अस्थायी प्रावधान को शुद्ध एनपीए की गणना करने के लिए सकल एनपीए से नेट किया है।
- 6.3 अच्छे एवं रक्षित माने गए अग्रिमों में आईबीए द्वारा जारी (गैर प्राथमिकताक्षेत्र) यूनिफॉर्म कोड गवर्निंग इंटर बैंक पार्टिसिपेशन द्वारा अधिशासी आईबीपीसी में ₹ 3000 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2000 करोड़) एवं आरआरबी द्वारा जारी आईबीपीसी में कुल ₹ 2080 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1440 करोड़) प्राथमिकताक्षेत्र/प्रत्यक्ष कृषि का निवेश शामिल है।



7 गौण ऋण:

वर्ष के दौरान, बैंक ने टियर II पूंजी (गौण ऋण) के अंतर्गत अरक्षित मोचनीय बॉण्ड्स जारी कर ₹ 500 करोड़ की राशि जुटाकर, इसे ₹ 2637.30 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2137.30 करोड़) पर पहुंचाया है एवं अपर टियर II बॉण्ड्स ₹ 2885.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2885.00 करोड़) है।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं :

ए. पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

क्र.सं.	मदें	31.03.2012	31.03.2011
1.	सीआरएआर (%) बासल-I बासल-II	11.96 12.40	10.74 11.64
2.	सीआरएआर-टियर-I पूंजी (%) बासल-I बासल-II	7.50 7.79	5.81 6.31
3.	सीआरएआर-टियर-II पूंजी (%) बासल-I बासल-II	4.46 4.61	4.93 5.33
4.	भारत सरकार की इक्विटी शेयर धारिता का प्रतिशत	79.15%	80.20%
5.	वर्ष के दौरान प्राप्त की गई अपर टियर-II लिखतों की राशि (₹ करोड़ में)	500	1300
6.	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त की गई नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतों (आईपीडीआई) की राशि (₹ करोड़ में)	निरंक	निरंक
7.	क्यूआईपी रूट के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम शेयर पूंजी शेयर प्रीमियम (₹ करोड़ में)	निरंक	निरंक

उपर्युक्त आंकड़ों का संकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और तुलनपत्र में शामिल होने वाली कुछ मदों में प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर किया गया है और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है। बासल II के संदर्भ में प्रणालीगत कमियां/ध्यान में आई/रिपोर्ट की गई आंकड़ों की त्रुटियां केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर ठीक की गई हैं। अपनाई गई व्यापक कार्य प्रणाली के आधार पर बैंक का मत है कि असंशोधित कमियां, यदि कोई हैं, तो उनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव रिपोर्ट की गई समग्र पूंजी पर्याप्तता पर नहीं होगा।

बी. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए गए "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

		2011-12	2010-11
ए.	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	53.59	106.14
बी.	एनपीए के लिए प्रावधान	1374.99	631.79
सी.	निवेशों पर प्रावधान / मूल्यहास (परिपक्व निवेश सहित)	149.33	154.35
डी.	कर/आस्थगित कर के लिए प्रावधान (विगत वर्षों के अधिक प्रावधान ₹ 112.38 करोड़ के रिवर्सल का नेट)	113.30	406.76
ई.	अन्य	590.70	39.94
	कुल	2281.91	1338.98

सी. (i) निवेश

(₹ करोड़ में)

मर्दे		31.3.2012	31.3.2011
1)	निवेशों का मूल्य		
i)	निवेशों का सकल मूल्य	59577.21	58287.08
	ए) भारत में	59576.55	58286.42
	बी) भारत के बाहर	0.66	0.66
ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान	333.94	342.60
	ए) भारत में	333.94	342.60
	बी) भारत के बाहर	0.00	0.00
iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य	59243.27	57944.48
	ए) भारत में	59242.61	57943.82
	बी) भारत के बाहर	0.66	0.66
2)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों में संचलन		
i)	प्रारंभिक शेष	342.60	1445.43
ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	-1102.83
iii)	घटाएं : बढ़े खाते डाले गए प्रावधान/प्रतिलेखन प्रावधान	8.66	0.00
iv)	अंतिम शेष	333.94	342.60

(ii) रेपो लेन-देन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2012 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	0.00	5500.00	616.12	5500.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	0.00	8000.00	269.67	1700.00

(iii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संकलन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	“निवेश श्रेणी से कम” सीमा तक प्रतिभूतियां	“गैर-श्रेणीकृत” प्रतिभूतियां	“गैर-सूचीबद्ध” प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिकक्षेत्र के उपक्रम	363.91	220.88	0.00	0.00	2.88
ii)	वित्तीय संस्थाएं	546.39	342.06	0.00	0.00	78.96
iii)	बैंक	452.93	235.43	0.00	0.00	0.00
iv)	निजी कॉर्पोरेट	2805.09	2544.30	25.00	4.80	75.99
v)	अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम	254.17	254.17	0.00	254.17	254.17
vi)	अन्य	4176.84	3120.50	0.00	3184.30	3449.25
	आरआईडीएफ/ आरएचडीएफ/ सिडबी	1855.22	1855.22	0.00	1855.22	1855.22
	सीपी/सीडी/आईबीपीसी/एसआर	1180.97	888.10	0.00	286.69	1180.97
	म्यूच्युअल फंड	27.75	0.00	0.00	27.75	27.75
	वेन्चर पूंजी	93.21	93.21	0.00	93.21	93.21
	शेयर (ट्रस्टी शेयरों सहित)	1019.69	283.97	0.00	921.43	292.10
	योग	8599.33	6717.34	25.00	3443.27	3861.25
	घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	117.86				
	निवल योग	8481.47	6717.34	25.00	3443.27	3861.25

कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक रूप से अलग नहीं हैं.



(iv) गैर निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(परिपक्व निवेशों सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2012	31.3.2011
प्रारंभिक शेष	29.31	28.06
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	0.37	3.18
वर्ष के दौरान कमी	13.91	1.93
अंतिम शेष	15.77	29.31
धारित कुल प्रावधान	15.77	24.45

डी. डेरिवेटिव्स

(i) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2012	31.3.2011
i) स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	1046.10	850.00
ii) करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टिया अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	निरंक	निरंक
iii) स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	-
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केंद्रीकरण		
- विदेशी बैंक	933.60	737.50
- घरेलू बैंक	112.50	112.50
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	(-) 47.45	(-) 53.60

(ii) शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	राशि
i)	वर्ष के दौरान, शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स के लिए लिया गया आनुमानिक मूलधन (लिखत-वार)	निरंक
ii)	31 मार्च, 2012 को शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	निरंक
iii)	शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं थी (लिखत-वार)	लागू नहीं
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की बकाया शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटिव्स तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं रहीं (लिखत-वार)	लागू नहीं

डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

iii) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव व्यवस्था / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ट्रेजरी जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है.
- बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में स्थायी ब्याज दर, शून्य कूपन तथा अस्थायी ब्याज दरों के वैशिष्ट्य वाली आस्तियां शामिल हैं और वह ब्याज दर जोखिम के अधीन हैं. बैंक के पास ब्याज दर स्वैप हेतु टियर II बॉण्ड भी हैं, जिनमें निकास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. यह नीति इस देयता पर ब्याज दर जोखिम के लिए बचाव व्यवस्था भी अनुमत करती है.

- वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों का निवेश पोर्टफोलियो में प्रयोग ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए और बाजार बढ़ाने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है.
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं. इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है. प्रबंध सूचना प्रणाली, रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है.
- **वित्तीय हानि से बचाव की स्थिति**
 - ब्याज दर स्वैप आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिन्हित किया जाता है.
 - यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उपचय के ऐसे आंकड़ों का ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.
- **व्यापारिक स्थिति**
 - एमसीएक्स-एक्स तथा एनएसई एवं यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनिक आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते हैं.
 - मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए, एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है.
 - व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है. कोई भी एमटीएम हानियां लेखागत तथा लाभ, यदि कोई है, का हिसाब नहीं रखा जाता है.
 - स्वैप के खत्म होने पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

iv) गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	करेंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
i)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल धन राशि)		
	ए) बचाव व्यवस्था के लिए	निरंक	821.10
	बी) व्यापार के लिए	निरंक	225.00
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति (1)		
	ए) आस्ति (+)	-	-
	बी) देयता (-)	-	47.45
iii)	ऋण जोखिम (2)	-	57.67
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)		
	ए) बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्स	-	0.23
	बी) व्यापार पर डेरिवेटिव्स	-	0.08
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01		
	ए) बचाव व्यवस्था पर	-	0.28/ 0.20
	बी) व्यापार पर	-	0.09/ 0.03



ई. आस्ति गुणवत्ता

(i) गैर निष्पादक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

मर्दे		31.3.2012	31.3.2011
i)	शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए (%)	3.09%	0.65%
ii)	एनपीए में संचलन (सकल)		
	ए) प्रारंभिक शेष	2394	2458
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	6849	1409
	सी) वर्ष के दौरान कमी	1970	1473
	डी) अंतिम शेष	7273	2394
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
	ए) प्रारंभिक शेष	847	727
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4879	183
	सी) वर्ष के दौरान कमी	1169	63
	डी) अंतिम शेष	4557	847
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	ए) प्रारंभिक शेष	1085	1211
	बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1379	1142
	सी) बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	244	1268
	डी) अंतिम शेष	2220	1085

* ₹ 312.43 करोड़ के अस्थायी प्रावधान को छोड़कर (विगत वर्ष ₹ 312.43 करोड़)

(ii) पुनर्गठित खातों के विवरण :

(₹ करोड़ में)

		सीडीआर व्यवस्था	एसएमई ऋण पुनर्गठन	अन्य
पुनर्गठित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	9	315	3210
	बकाया राशि	1499.26	62.92	10062.24
	अधित्याग राशि	300.63	2.97	63.00
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	0	13	592.00
	बकाया राशि	--	1.98	1030.10
	अधित्याग राशि	--	0.10	0.27
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	2	38
	बकाया राशि	151.27	0.02	0.34
	अधित्याग राशि	--	--	0.02
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	10	330	3840
	बकाया राशि	1650.53	64.92	11092.68
	अधित्याग राशि	300.63	3.07	63.29

₹ 1.00 करोड़ से कम की शेष राशि के खातों के लिए 'अधित्याग' राशि कुल बकाया राशि के 5% तक ली गई है.

(बी) वर्ष के दौरान, एसएमई के तहत 330 खातों को पुनर्गठन के अधीन रखा गया था एवं दिनांक 31 मार्च, 2012 को बकाया शेष राशि ₹ 64.92 करोड़ थी (पिछले वर्ष 219 खाते - राशि ₹ 27.45 करोड़ थी).

(iii) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठित कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मर्दे		31.3.2012	31.3.2011
i)	खातों की संख्या	3	54215
ii)	एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	62.03	131.49
iii)	कुल प्रतिफल	74.80	295.40
iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	12.77	163.90

(iv) क्रय/विक्रय की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. क्रय की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण			31.3.2012	31.3.2011
1	ए	वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी	कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2	ए	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी	कुल बकाया	निरंक	निरंक

बी. बिक्री की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मर्दे		31.3.2012	31.3.2011
1	खातों की संख्या	3	54215
2	कुल बकाया	70.90	525.59
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	74.80	295.40

(v) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31.3.2012	31.3.2011
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	574.59	521.00

एफ. व्यावसायिक अनुपात

मर्दे	2011-12	2010-11
(i) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	9.22	8.49
(ii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	0.67	0.71
(iii) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	1.36	1.45
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल **	0.26	0.70
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम) (₹ लाख में)	861.56	835.17
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	1.51	3.96

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित को छोड़कर) शामिल है.

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित को छोड़कर) शामिल है.

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर



जी. आस्ति देयता प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2012 को कुल घरेलू जमाओं, घरेलू उधार, घरेलू अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2 दिन से 7 दिन	8 दिन से 14 दिन	15 दिन से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 12 माह तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
कुल घरेलू जमाएं	401.39	3600.46	2871.74	3667.46	31648.18	24133.02	46021.45	37196.80	23121.20	22699.48	195361.18
कुल घरेलू अग्रिम	1835.17	849.16	1697.20	2089.01	10953.67	6026.25	11340.69	73463.61	18399.57	21953.32	148607.66
कुल निवेश	12.48	2528.82	189.19	251.65	1216.77	1506.54	1092.12	10208.04	8995.10	33242.55	59243.26
कुल घरेलू उधारी*	2.64	0.00	0.00	0.00	315.16	249.24	1093.27	1990.85	342.80	0.15	3994.11
विदेशी मुद्रा में आस्तियां	497.96	0.00	0.00	62.83	551.72	1539.38	8.50	17.75	2.90	0.00	2681.04
विदेशी मुद्रा में देयताएं	179.83	10.89	9.61	15.01	109.26	97.78	235.07	136.83	17.87	0.00	812.15

नोट : - * टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा

उपर्युक्त आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

एच. संवेदनशील क्षेत्र को उधारी

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.3.2012	31.3.2011
ए)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	(i) आवासीय मॉर्गेंज - आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात् या तो उधारकर्ता के कब्जे में है अथवा किराये पर है : (उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र है)	6281.61 (5237.36)	8128.23 (7361.57)
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा -	7940.94	8384.81
	(iii) मॉर्गेंज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश आवासीय वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	2.29 0.00	3.43 0.00
बी)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	4381.02	667.32
	(ii) अन्य	174.46	167.20
	योग	18780.32	17350.99

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

मदें		31.3.2012	31.3.2011
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	882.00	773.65
ii)	वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	6.18	6.87
iii)	किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	-	-
(iv)	अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	1016.44	1286.98
(v)	स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	133.38	119.00
vi)	कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण	0.00	0.00
vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
viii)	शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
ix)	स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	0.00	0.00
x)	वेन्चर पूंजी फंड (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी निवेश, इक्विटी के साथ सममूल्य पर माने जाएंगे, अतः इसका पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा (अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ अनुपालन हेतु गणना में लिया जाएगा.	128.52	121.41
पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर		2166.52	2307.91

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय निवेश:

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31मार्च, 2012 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31मार्च, 2012 को धारित प्रावधान	दिनांक 31 मार्च, 2011 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2011 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	962.01	निरंक	1541.24	निरंक
निम्न	518.59	निरंक	479.61	निरंक
मध्यम	130.84	निरंक	250.12	निरंक
उच्च	6.96	निरंक	6.93	निरंक
अत्यधिक	55.57	निरंक	38.36	निरंक
सीमित	0.19	निरंक	0.31	निरंक
ऋणेतर	0.00	निरंक	0.00	निरंक
योग	1674.16		2316.57	

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अतः प्रावधान आवश्यक नहीं है.



- (iv) ऋण जोखिम का विवरण, जहां वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण मानदंडों से अधिक निवेश किया है तथा जिसके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया.

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उधारकर्ता का नाम	दिनांक 31.3.2012 को ऋण एक्सपोजर		दिनांक 31.03.2012 को बकाया		दिनांक 31.03.12 को निवेश	दिनांक 31.03.12 को कुल एक्सपोजर	बैंक की पूंजी निधि का @ 15% पर अनुमत
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	निधि आधारित	गैर निधि आधारित			
1.	आईएफसीआई लि.	1950.00	-	1925.12	-	216.79	2141.91	2036.62
2.	एचडीएफसी लि.	2012.22	-	2012.22	-	32.04	2044.26	2036.62

- (v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण, जोकि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है, जो अनुसूची - 9 में अरक्षित के रूप में दर्शाए गए हैं

₹ 291.52 करोड़ के ऋण (गत वर्ष ₹ 231.22 करोड़), जिनका प्रभार अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि पर है, उन्हें अरक्षित माना गया है.

- (vi) वर्ष के अंत पर टेलीकॉम कंपनियों के ऋण एक्सपोजर में बकाया शेष ₹ 2038.15 करोड़ है एवं प्रबंधतंत्र के मतानुसार, इन्हें वसूली योग्य अच्छी श्रेणी में माना गया है. 2जी लायसेंस के अधिग्रहण पर कोई ऋण एक्सपोजर नहीं है. इसके अतिरिक्त वर्ष के अंत में टेलीकॉम कंपनियों में शेयर, बॉण्ड्स, डिबेन्चर इत्यादि स्वरूप में बैंक का कुल निवेश ₹ 1355.51 करोड़ है.

- (vii) वर्ष के दौरान आय कर हेतु प्रावधान की गई राशि :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
आय कर/आस्थगित कर हेतु प्रावधान (₹ 112.38 करोड़ के अधिक प्रावधान के रिवर्सल का नेट)	113.30	406.75

बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 40.62% है.

9. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्डों का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की 46(4) धारा के अंतर्गत कोई भी दण्ड नहीं लगाया है.

10. जमाएं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से संबंधित प्रकटीकरण :

10.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	21569.23
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	10.96

10.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	31551.92
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	20.85

10.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	33804.89
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	16.11

10.4 एनपीए का संकेन्द्रीकरण

(ए) शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	1457.78
---	---------

II. क्षेत्रवार एनपीए

क्र.सं	क्षेत्र	इसक्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	5.59
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	8.86
3	सेवाएं	13.97
4	व्यक्तिगत ऋण	8.30

III. एनपीए में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012		31.03.2011	
सकल एनपीए का प्रारंभिक शेष		2394		2458
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी		6849		1409
उप-योग (ए)		9243		3867
घटाएं:-				
(i) अपग्रेडेशन	587		163	
(ii) वसूली	754		736	
(iii) बटटे खाते डाली गई राशि	226		554	
(iv) यूआरआई में अंतर	403	1970	20	1473
सकल एनपीए		7273		2394

IV. ओवरसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
कुल आस्तियां	निरंक
कुल एनपीए	निरंक
कुल आय	निरंक

V. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरूप समेकित करना जरूरी है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
निरंक	निरंक

11 अन्य प्रकटीकरण

11. ए वर्तमान वर्ष के दौरान बैंकाश्युरैन्स व्यवसाय के संबंध में शुल्क/परिलब्धियां निम्नानुसार रहीं:

(₹ करोड़ में)

	2011-12		2010-11	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि	पॉलिसियों की संख्या	राशि
जीवन	127540	13.53	74422	10.59
गैर जीवन	164181	6.30	128527	5.14
योग		19.83		15.73



12. दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

ए) लेखांकन मानक - 9

मूल लेखाकरण नीति क्र 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की जाएगी. तथापि कथित आय को उल्लेखनीय नहीं माना गया है.

बी) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित)

गत वर्ष में, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी:बीसी:80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार बैंक ने उन वर्तमान कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन का विकल्प नहीं लिया था, उन्हें पुनः पेंशन का विकल्प देने एवं ग्रेच्युटी में अभिवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त देयता को 31.03.2011 को समाप्त वर्ष से 5 साल की अवधि में परिशोधन करने का बैंक ने विकल्प चुना है. तदनुसार, 01.04.2011 को अपरिशोधित राशि ₹ 1181.53 करोड़ पेंशन की अनुपातिक राशि ₹ 239.98 करोड़ एवं ग्रेच्युटी के लिए अनुपातिक राशि ₹ 55.40 करोड़ दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान परिशोधित की है. शेष पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए भविष्य में परिशोधित की जाने वाली क्रमशः ₹ 719.95 करोड़ एवं ₹ 166.20 करोड़ है. यदि उक्त लेखाकरण को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित न किया जाता तो एएस-15 की अपेक्षाओं को लागू करने के कारण बैंक का लाभ ₹ 886.15 करोड़ और कम हो जाता.

कर्मचारी लाभ :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2012 को सुस्पष्ट लाभार्थ अनिवार्यता देयता				
प्रारंभिक दायित्व	5997.12	1047.34	2856.49	751.89
सेवा लागत	125.72	39.70	70.54	40.78
ब्याज लागत	498.13	83.24	222.98	58.39
बीमांकिक [लाभ]/हानि	441.59	(63.58)	335.48	44.95
प्रदत्त लाभ	(525.00)	(215.48)	(279.44)	(125.67)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	-	-	1199.91	277.00
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	569.62	--
देयता अंतरण	-	-	1021.54	--
दिनांक 31 मार्च, 2012 को दायित्व	6537.56	891.22	5997.12	1047.34

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च, 2012 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	4228.00	832.89	2269.03	808.40
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	413.53	72.41	257.54	65.25
बीमांकिक [लाभ]/हानि	29.25	(14.29)	(130.67)	14.91
अंशदान	1203.61	180.00	1090.00	70.00
प्रदत्त लाभ	(525.00)	(215.48)	(279.44)	(125.67)
अन्य न्यास से अंतरण	-	-	1021.54	--
दिनांक 31 मार्च, 2012 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	5349.39	855.53	4228.00	832.89

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युइटी	पेंशन	ग्रेच्युइटी
दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	125.72	39.70	70.54	40.78
ब्याज लागत	498.13	83.24	222.98	58.39
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(413.53)	(72.41)	(257.54)	(65.25)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	240.00	55.40	239.98	55.40
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	569.62	--
बीमांकिक [लाभ]/हानि	412.34	(49.29)	466.15	30.04
शुद्ध लागत	862.66	56.64	1311.73	119.36

पूर्वधारणाएं:

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युइटी	पेंशन	ग्रेच्युइटी
ब्याज दर	8%	8%	8%	8%
वेतन वृद्धि दर	4%	4%	4%	4%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8%	8%	8%	8%

बी) लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग

- i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.



दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए खंडवार रिपोर्ट

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	दिनांक 31.03.12 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	दिनांक 31.03.11 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
ए.	खंडवार आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	496407	264456
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	465064	538922
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	1088778	828553
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर आबंटित	4233	16630
	कुल	2054482	1648561
बी.	खंडवार परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	265687	160895
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	3463	32164
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	8108	49450
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	कुल	277258	242509
सी.	गैर -आबंटित आय / (व्यय)	4233	16630
डी.	परिचालन लाभ	281491	259139
ई.	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	216857	93222
एफ.	आय कर	11330	40676
जी.	शुद्ध लाभ	53304	125241
एच.	अन्य जानकारी		
आय	खंडवार आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	2674274	2534145
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	5764848	5239956
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	14307743	12973308
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर-आबंटित आस्तियां	233110	228323
	कुल	22979975	20975732
जे	खंडवार देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	7373961	3305900
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	4101742	4766574
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	10180090	11801287
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर-आबंटित देयताएं	1324182	1101971
	कुल	22979975	20975732

- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं।
- iii) रिटेल बैंकिंगक्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है।

- iv) कॉर्पोरेट/ट्रस्टों के सभी ऋणों का समग्र खण्ड/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.
- iv) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.
- v) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत निधियों को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है.
- vii) लागत का आबंटन :
- ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्च सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.
- बी एक विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न रखने वाले खर्चों को नियोजित निधियों में समानुपात रूप में आबंटित किया जाता है.

सी) लेखा मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - संबद्ध पार्टी

1 संबद्ध पार्टियों की सूची:

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पदनाम
i)	श्री एस.श्रीधर (31.05.2011 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्री मोहन.वी.टांकसाले (29.06.2011 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
iii)	श्रीमती वी.आर.अय्यर	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री आर.के.दुबे	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां

- i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.
- ii) सेन्ट बैंक फाइनेन्शियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) असोशिएट्स -

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -

- i) सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
- ii) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर
- iii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
- iv) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला
- v) बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया
- vi) हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा
- vii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

(II) इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

2. संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

(₹ लाख में)

(ए)	मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
		2011 -12	2010-11
	प्रदत्त पारिश्रमिक	66.50	58.14



(बी) संबद्ध पार्टियों के लेन-देन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संबद्ध पार्टियां	निम्न दिनांक को	निवेश		ऋण आस्तियों की खरीद		ऋण आस्तियों की बिक्री		क्षे.ग्रा.बैं.को ऋण व्यवस्था		आईबीपीसी के अंतर्गत सहभागिता			
			संचयी	वर्ष के दौरान अधिकतम	बकाया राशि	प्राप्त ब्याज	बिक्री राशि	प्रदत्त ब्याज	राशि	प्रदत्त ब्याज	प्रवर्तक बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		प्रवर्तक बैंक से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र क्रय	
											बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक को प्रदत्त ब्याज	बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक से प्राप्त ब्याज
1	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	7.40	380.00	8.51
		31.03.11	27.64	27.64	0.00	6.63	0.00	6.63	200.23	5.67	150.00	0.00	150.00	0.00
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2.22	80.00	2.55
		31.03.11	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,	31.03.12	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	2.62	1160.00	41.92	1160.00	48.21
		31.03.11	159.09	159.09	0.00	13.44	0.00	0.00	326.11	2.74	850.00	0.00	850.00	0.00
4	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	6.22	6.22					50.29	2.07	130.00	4.93	130.00	5.67
		31.03.11	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.10	100.00	0.00	100.00	0.00
5	बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक	31.03.12	11.72	11.72						0	110	5.42	110	6.24
		31.03.11	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
6	हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	2.45	2.45							185.00	7.89	185.00	9.07
		31.03.11	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
7	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	20.58	20.57	0	0	0	0			35	1.23	35	1.42
		31.03.11	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
	कुल	31.03.12	237.27	237.27	0	0	0	0	50.29	4.69	2080	71.01	2080	81.67
		31.03.11	230.27	230.27	0.00	20.07	0.00	0.00	576.34	8.51	1440.00	0.00	1440.00	0.00

(सी) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार, प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है:

	31.3.2012	31.3.2011
इक्विटी शेयर धारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	383.59	1118.90
भारित औसत इक्विटी शेयर (संख्या)	644194814	404141460
प्रति शेयर मूल आय (₹)	5.95	22.04*
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	5.95	22.04*
प्रति शेयर नाममात्र आय (₹)	10.00	10.00

* अप्रैल 2011 में राइट इश्यू के इक्विटी शेयरों के कारण लेखांकन मानक 20 को पुनर्स्थापित किया गया है।

(डी) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं.

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31.3.2012	31.3.2011
आस्थगित कर आस्तियां :		
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	84.36	71.76
पेंशन एवं ग्रेज्युइटी के लिए प्रावधान	145.28	301.53
अन्य	23.71	--
अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	6.24	--
योग (ए):	259.59	373.29
आस्थगित कर देयताएं :		
अचल आस्तियों पर मूल्य ह्रास	--	19.80
उपचित ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	411.28	353.41
निवेशों पर मूल्य ह्रास	303.33	146.38
योग (बी):	714.61	519.59
शुद्ध आस्थगित कर देयता	455.02	146.30

(ई) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां हैं, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधतंत्र के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2012 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

(एफ) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

i) प्रावधान में संचलन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2011 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2012 को अंतिम शेष
उधार के रूप में पहचान न किए गए दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	3.83	0.07	--	3.90

ii) अतिरिक्त प्रकटीकरण

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

	31.3.2012	31.3.2011
निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास	149	154
एनपीए हेतु प्रावधान	1375	632
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	54	106
कर हेतु किए गए प्रावधान (गत वर्ष के अधिक प्रावधान ₹ 112.38 करोड़ के रिवर्सल का नेट)	113	407
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	591	40
योग	2282	1339



iii) अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.3.2012	31.3.2011
ए	अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	312.43	312.43
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की राशि	--	--
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	--	--
डी	अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	312.43	312.43

(₹ करोड़ में)

iv) देयताओं हेतु प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :

	अन्य विधिक मामले	
	31.3.2012	31.3.2011
प्रारंभिक शेष	3.83	3.83
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.07	-
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
अंतिम शेष	3.90	3.83
परिणामी आउटफ्लो का समय	लागू नहीं	लागू नहीं

13 शिकायतों का विवरण

	ग्राहकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2012	31.03.2011
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	514	596
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	5793	12745
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	6073	12827
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	234	514

	बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय	संख्या	
		31.03.2012	31.03.2011
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	2	2
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	7	6
सी)	वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	9	6
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0	2

प्रबंधतंत्र द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार

	निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2012	31.03.2011
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	326	425
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	326	425
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	0	0

14 दिनांक 31.03.2012 को जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया का विवरण

कुल संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
409	1669.24

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र, स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं

15. प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे व्यक्ति, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.
16. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

मोहन वी. टांकसाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	विजयलक्ष्मी आर. अय्यर कार्यपालक निदेशक	राजीव किशोर दुबे कार्यपालक निदेशक
आलोक टंडन निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक
गुमान सिंह निदेशक	एन.बालाकृष्णन निदेशक	बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
मेजर(सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश निदेशक		बी.एस.रामबाबू निदेशक
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं. 003510एस (सीए बी. अरुणा) भागीदार सदस्यता सं 216454	कृते मे. जीएसए एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.-000257एन (सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.083899	कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.-003073एस (सीए अनुषा श्रीनिवासन) भागीदार सदस्यता सं. 204567
कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर. नं.-100186डब्ल्यू (सीए सतीश के. केलकर) भागीदार सदस्यता सं.038934	कृते मे. धिया एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफ.आर. नं.-001088सी (सीए जी.पी.गुप्ता) भागीदार सदस्यता सं. 075000	कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर. नं.-003708एन (सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं. 088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08 मई, 2012



दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31- 03- 2012	31-03-2011
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर से पूर्व शुद्ध लाभ	646.37	1,627.18
I	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	143.54	118.69
	निवेश पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचर्स सहित)	153.72	150.98
	बट्टे खाते गए अशोध्य ऋण/अनर्जक आस्तियों के सम्बंध में प्रावधान	1,374.98	631.79
	पुनर्गठित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	640.91	106.14
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	(1.05)	43.31
	अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि (शुद्ध)	(0.41)	(0.11)
	गौण ऋणों के ब्याज का भुगतान/प्रावधान (अलग से माना जाए)	522.54	470.99
	आयकर धन वापसी पर ब्याज	43.00	-
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से माना जाए)	(2.35)	(1.55)
	उप-योग	3,521.25	3,147.41
II	निम्न के लिए समायोजन :		
	जमा राशियों में वृद्धि/(कमी)	16,817.31	17,248.54
	उधारियों में वृद्धि/(कमी)	(468.38)	4,531.35
	अन्य देयताओं एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	1,527.49	181.83
	अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(19,803.33)	(24,341.56)
	निवेश में (वृद्धि)/कमी	(4,892.50)	(3,941.62)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	1,329.33	(2,558.06)
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (शुद्ध धन वापसी आदि)	(108.65)	(633.14)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ए)	(5,598.74)	(9,512.66)
	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	(2,077.49)	(6,365.25)
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों का निपटान/विक्रय	3.19	1.27
	अचल आस्तियों का क्रय	(227.32)	(235.54)
	अनुषंगियों एवं असोशिएट्स से लाभांश आदि के रूप में प्राप्त आय	2.35	1.55
	निवेश से संबंधित व्यवसाय में परिवर्तन (अनुषंगियां एवं अन्य)	-	-
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(221.78)	(232.71)
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी /आवेदन राशि	1,417.01	2,275.68
	गौण ऋण टियर II पूंजी से प्रतिदान / प्राप्ति	500.00	1,030.00
	प्रदत्त लाभांश (पूर्व वर्ष के अंतिम लाभांश सहित)	(211.86)	(142.00)

(₹ करोड में)

क्र.	विवरण	31- 03- 2012	31-03-2011
	प्रदत्त लाभांश कर	(34.37)	(23.96)
	जेएनवाय स्वैप कूपन पर ब्याज	(5.18)	(4.98)
	गौण ऋणों पर ब्याज	(522.54)	(470.99)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	1,143.07	2,663.75
डी	नकदी एवं नकदी तुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए + बी + सी) अथवा (एफ-ई)	(1,156.20)	(3,934.21)
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	14,081.99	17,011.93
	बैंकों के पास शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	1,200.81	2,205.09
	वर्ष की प्रारंभ में शुद्ध नकदी एवं नकद तुल्य	15,282.80	19,217.01
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	13,114.18	14,081.99
	बैंकों के पास शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	1,012.42	1,200.81
	वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी एवं नकद तुल्य	14,126.60	15,282.80

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विजयलक्ष्मी आर. अय्यर
कार्यपालक निदेशक

राजीव किशोर बुबे
कार्यपालक निदेशक

आलोक टंडन
निदेशक
गुमान सिंह
निदेशक

सलीम गंगाधरन
निदेशक
एन.बालाकृष्णन
निदेशक

रोमेश सभरवाल
निदेशक
बृजलाल क्षत्रिय
निदेशक

मेजर(सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश
निदेशक
बी.एस.रामबाबू
निदेशक

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 003510एस
(सीए बी. अरुणा)
भागीदार
सदस्यता सं 216454
कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं.-100186डब्ल्यू
(सीए सतीश के. केलकर)
भागीदार
सदस्यता सं.038934

कृते मे.जीएसए एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-000257एन
(सीए सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.083899
कृते मे.धिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं.-001088सी
(सीए जी.पी.गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 075000

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-003073एस
(सीए अनुषा श्रीनिवासन)
भागीदार
सदस्यता सं. 204567
कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं.-003708एन
(सीए मिलन श्रीमाली)
भागीदार
सदस्यता सं. 088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08 मई, 2012

टेबल डीएफ - 1

1. संभावित प्रयोज्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- ए मूल बैंक: सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण में है.
- बी समेकित खातों में, बैंक की अनुषंगी/सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है.
(बी i) बैंक की अनुषंगी : बैंक की अनुषंगियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	स्वामित्व
1	सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड	59.50%
2	सेन्ट बैंक फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड	100%

मूल बैंक की अनुषंगियों का समेकन, मूल बैंक की संबंधित मदों के समान अनुषंगियों की आस्तियों, देयताएं, आय एवं खर्चों के मदवार समामेलन में से लेखांकन नीतियों की पुष्टि करने के लिए अंतः समूह शाखाओं/ लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानि आवश्यक समायोजनों, अनुषंगियों से संबंधित लेखांशकों द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर किया गया है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तारीख मूल बैंक के अनुसार ही अर्थात् 31.03.2012 रखी गई है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणियों के समेकन में एएस - 21 लेखांकन मानक अपनाए गए हैं.

- (बी ii) सहयोगी संस्थाएं: बैंक की सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्वामित्व
I	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
1	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा	35%
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर	35%
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर, बिहार	35%
4	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला	35%
5	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया	35%
6	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा	35%
7	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार	35%
II	इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जाम्बिया	20%

समेकित वित्तीय विवरणियों में असोशिएट्स में निवेशों के लेखाकरण के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक एएस23 अपनाए गए हैं. इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड एक असोशिएट्स के वित्तीय विवरण अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक असोशिएट्स वित्तीय संस्थाओं की प्रकृति की है.

बैंक के सीआरएआर की गणना के लिए, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, बैंक के निवेश को टियर I एवं टियर II पूंजी में से समान रूप से घटाया गया है.

सीआरएआर की गणना बैंक के एकल आधार पर की गई है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

- सी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम: निरंक
- डी. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है तथा उनके नाम, निगमन अथवा निवास के उनके देश, स्वामित्व हित का समानुपात और, यदि अलग है, इस संस्थानों में मताधिकार का समानुपात है: निरंक

टेबल डीएफ -2

2. पूंजी विन्यास

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) इक्विटी पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2012 में बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3000.00 करोड़ है। बैंक द्वारा जारी 10 ₹ मूल्य के 736115416 शेयरों के साथ, अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी ₹ 736.12 करोड़ है।

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति को उक्त में से 79.15% शेयरधारिता भारत सरकार के अधीन है। जिसमें कुल 582635426 शेयर्स हैं।

2.1 ऋण पूंजी लिखत

2.2.1 टियर I पूंजी का विवरण

टियर I पूंजी	जारी तिथि	अवधि माह में	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
आईपीडीआई	30.03.2009	अविरत	अविरत	583.00	सरकारी प्रतिभूति + 250 बीपीएस प्रति वर्ष, मार्च में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	26.11.2006	अविरत	अविरत	800.00	रेपो + 100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	30.03.2009	अविरत	अविरत	117.00	रेपो + 100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	31.03.2010	अविरत	अविरत	450.00	रेपो + 100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	04.06.2010	अविरत	अविरत	250.00	रेपो + 100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
			कुल	2200.00	

2.2.2 अपर टियर II बॉण्ड का विवरण

सीरीज	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
अपर टियर II (सी I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 11.95%)
अपर टियर II (सी II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.90%)
अपर टियर II (सी III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.30%)
अपर टियर II (सी IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.13%)
अपर टियर II (सी V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.07%)
अपर टियर II (सी VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20% वार्षिक प्रतिदेय तक
		कुल	2885.00	



2.2.3 गौण बॉण्ड का विवरण

सीरीज	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर
IX	08.10.2004	08.06.2014	200.00	7.05% वार्षिक
X	28.03.2006	28.06.2015	578.20	8.15% वार्षिक
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95% वार्षिक
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20% वार्षिक
लोअर टियर II (सी-XIII)	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35% वार्षिक
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33% वार्षिक
		कुल	2637.00	

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

	₹ करोड़ में
बी) टियर I पूंजी	10978.41
निम्न के अलग प्रकटीकरण के साथ:	
• प्रदत्त शेयर पूंजी	736.12
• आरक्षित निधियां	8173.50
• नवोन्मेष लिखत: आईपीडीआई -	583.00
पीएनसीपीएस -	1617.00
• टियर I पूंजी से घटाई गई राशि	
निवेश -	127.09
अमूर्त आस्तियां -	4.13
सी) टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी से कटौती का शुद्ध)	6485.64
डी) अपर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत	
• कुल बकाया राशि -	2885.00
• इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -	निरंक
• पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि -	2885.00
ई) लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए गौण ऋण	
• कुल बकाया राशि -	2637.00
• इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -	500.00
• पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि -	2146.02
एफ) पूंजी से अन्य कटौतियां -	127.09
जी) कुल पात्र पूंजी	17464.04

टेबल डीएफ -3 पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

- (ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूँजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:
- पूँजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय समय पर पूँजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूँजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है. बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.
- बैंक के पास आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूँजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूँजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएँ, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गईं तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूँजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूँजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रेस परीक्षण नीति लागू की है.
- बैंक आई सी ए ए पी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

(₹ करोड़ में)

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(बी) 9% ऋण जोखिम के लिए पूँजी-आवश्यकताएं :	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो –	
• निधि आधारित	10705.32
• गैर-निधि आधारित	578.89
• प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूँजी-आवश्यकताएं:	
• मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
- ब्याज दर जोखिम –	439.73
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) –	25.46
- इक्विटी जोखिम –	239.32
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी-आवश्यकताएं:	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण –	685.35
(ई) कुल पूँजी अनुपात –	
टियर 1 पूँजी अनुपात	12.40%
	7.79%



सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधन की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक समिती निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋणनीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं.

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते हैं. महाप्रबंधक को सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक तथा वरिष्ठ प्रबंधकों की टीम के साथ उप महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

आंचलिक कार्यालय स्तर पर ये अभिनिर्धारित जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे.

बैंक में विविध नीतियां है जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, स्ट्रैस टैस्ट नीति, प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा बाजार जोखिम नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित है.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक हैं, जो ऋण प्रस्तावों की गुणवत्ता, विशेष उल्लिखित खतों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय, विभिन्न क्षेत्रों के लिए मॉनिटर एक्सपोजर मानदण्ड तथा विवेकसम्मत मानदण्ड, ऋण सीमाओं की समीक्षा तथा नवीकरण की मॉनिटरिंग इत्यादि करते हैं.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली के साथ उधारग्रहिताओं के विविध खंडों के लिए रेटिंग मॉडल की शुरुआत की है, जो कि काउंटर ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा ऋण एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल काउन्टर ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा प्रत्येक ऐसे जोखिम का पृथक रूप से मूल्यांकन करती है तथा फिर समग्र रेटिंग, काउन्टर पार्टी को प्रदान की जाती है.

टेबल डीएफ -4

ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

गत देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह हैं जहाँ ऋण या अग्रिम -

- (i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;
- (ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,
- (iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,
- (iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में
 - ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,
 - बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,
- (v) 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए खाता अतिदेय रहता हो,
- (vi) स्टॉक विवरणी की प्रस्तुति 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो.

अनियमित:

कोई खाता तब “अनियमित” दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है.

- ऋण जोखिम – निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन
- न्यूनीकरण तकनीक
- समस्यामूलक खातों का प्रबंधन,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ़ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले



(₹ करोड़ में)

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:		
निधि आधारित:		216213.78
गैर-निधि आधारित:		60195.65
(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:		
• विदेशी		361.41
• घरेलू		276148.02
(सी) एक्सपोजर का उद्योगवार संवितरण		
	निधि	गैर-निधि
कोयला	29.65	0.0
खदान	14.70	0.0
लोहा एवं इस्पात	5044.09	457.22
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	1032.95	11.88
सभी प्रकार इंजीनियरिंग	2997.63	2555.24
विद्युत	384.75	7.39
सूती वस्त्रोद्योग	1199.39	160.43
जूट टेक्सटाइल	171.87	0.30
अन्य टेक्सटाइल	2853.77	41.99
चीनी	1213.16	138.03
चाय	189.09	0.22
खाद्य प्रसंस्करण	1010.90	114.45
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	703.05	91.03
तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	63.59	0.03
कागज एवं कागज उत्पाद	410.26	25.79
रबड़ एवं रबड़ उत्पाद	190.69	14.93
केमिकल, डाय एवं पेन्ट	2058.07	282.38
सीमेन्ट	1308.65	154.09
चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	103.84	2.59
रत्न एवं स्वर्ण आभूषण	1026.76	524.61
निर्माण	2115.80	911.52
पेट्रोलियम	1945.08	791.36
ट्रक सहित ऑटोमोबाइल	476.73	54.77
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	540.95	0.00
संरचनात्मक क्षेत्र	31185.80	533.94
अन्य उद्योग	6686.87	1790.66
अवशिष्ट अग्रिम शेष निधि	85766.75	3868.38

(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण:		
1 दिन:		2345.61
02 दिनों से 07 दिनों तक:		3377.98
08 दिनों से 14 दिनों तक:		1886.39
15 दिनों से 28 दिनों तक :		2403.5
29 दिनों से 3 माहों तक :		12722.16
3 माहों से अधिक, परंतु 6 माहों तक :		9072.17
6 माहों से अधिक, परंतु 12 माहों तक:		12441.31
12 माहों से अधिक, परंतु 36 माहों तक:		83689.84
36 माहों से अधिक, परंतु 60 माहों तक:		27397.54
60 माहों से अधिक :		55195.87
(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) -		7273.46
• अवमानक		4736.75
• संदिग्ध		2498.03
• हानि		38.68
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां		4556.77
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात		
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां		4.83
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां		3.09
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन		
• प्रारम्भिक शेष		2394.53
• परिवर्धन		6849.29
• कमियां		1970.36
• अनर्जक आस्तियां (सकल)		7273.46
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध) में परिवर्तन		
• प्रारम्भिक शेष		1085.00
• अवधि के दौरान किया गया प्रावधान		1379.00
• अधिक प्रावधान को वापस लेना/ बट्टे खाते डालना		244.00
• अंतिम शेष		2220.00
(जे) अनर्जक निवेश की राशि		15.77
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि		15.77
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यहास में परिवर्तन:		
• प्रारम्भिक शेष		344.37
• इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान		409.61
• अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/वापस लेना		260.28
• अंतिम शेष		493.70



टेबल डीएफ -5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- (ए) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है. ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है.
- (बी) बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिचिन्हित चार बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों यथा, क्रिसिल लि.,केयर, इक्रा लि. तथा फिच रेटिंग(आई) लि. के साथ सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, जो बासल II मानदंडों के तहत अपने ग्राहकों के एक्सपोजर का निर्धारण करते हैं
- (सी) ये एजेंसियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं. इन एजेंसियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं.
- (डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की विशिष्ट निर्गम रेटिंग की गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्थिति पैमाने के अनुसार की जायेगी.

₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया(श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है.	
• 100 % जोखिम भारिता से कम:	177076.54
• 100 % जोखिम भारिता:	70311.04
• 100 % जोखिम भारिता से अधिक :	25862.18
• घटाई गई राशि- सीआरएम	11565.84

टेबल डीएफ -6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण 1 के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;
बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है. नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं.
- बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;
बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.
भारतीय रिजर्व बैंक के नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा पर दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिये विभिन्न प्रकार के वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

₹ करोड़ में

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
• हेयरकट्स अनुप्रयोग के बाद; पात्र वित्तीय संपार्श्विक निधि आधारित	9556.42
गैर-निधि आधारित	1907.09

टेबल डीएफ -7

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:	निरंक	रु करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण		
बैंकिंग बही		
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.		निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादि अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिन्हित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां		निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किये जाने की मंशा.		निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि		निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर(एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिन्हित लाभ या हानियां.		निरंक
(आई) निम्न की समेकित राशि :		
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-		निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं		निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.		निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर 1 पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)		निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण		
ट्रेडिंग बही:		
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन है.		निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :		
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं		निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर		निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि:		
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: तथा		निरंक
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर		निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :		
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी.		निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर 1 पूंजी से पूर्णतः घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया(एक्सपोजर प्रकार द्वारा)		निरंक

टेबल डीएफ -8

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है। जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है।

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है।

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां हैं, जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं।

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है, कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है।

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है। बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है। बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगत्वा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं। यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि –जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवृत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है।

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है। बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है।

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरीत परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्रावकलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार
ब्याज दर का जोखिम	₹ 439.72 करोड़
इक्विटी स्थिति जोखिम	₹ 239.31 करोड़
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹ 25.46 करोड़
योग	₹ 704.50 करोड़

टेबल डीएफ -9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से सम्बंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है। परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत व प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होती है। बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आपको सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थितियों का विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से सम्बंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है। बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कन्सोर्टियम / कोरडेक्स/ का सदस्य भी है।

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवान्स मेज़रमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है।

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2012 को परिचालन जोखिम के लिए ₹ 685.35 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है।

टेबल डीएफ -10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं :

1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)

इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तियों एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है।

2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य :

इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है। इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	₹ करोड़ में
1. आस्तियों एवं देयताओं में ब्याज दर में 200 आधार बिंदुओं से आय में परिवर्तन	48.65
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	2306.96

जी.बी.सोनगांवकर
महाप्रबंधक-जोखिम

(मोहन वी. टांकसाले)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(वी.आर.अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

(आर.के.दुबे)
कार्यपालक निदेशक

दिनांक: 17.05.2012



समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल

1. हमने दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (“द बैंक”), इसकी अनुषंगियों और असोशिएट्स (सामूहिक रूप से इसे “समूह” के रूप में संबोधित किया गया है) के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि खाते एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण उनके अनुलग्नकों का परीक्षण किया, जिसमें निम्न लिखित समाहित हैं:

- (i) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (“द बैंक”) के लेखापरीक्षित लेखे,
- (ii) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2 अनुषंगियों, 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 1 अन्य असोशिएट के लेखापरीक्षित लेखे.

इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधतंत्र की है और ये उनके द्वारा उनकी अनुषंगियों एवं असोशिएट्स के पृथक वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं. हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने की है.

2. हम सूचित करते हैं कि ये समेकित वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधतंत्र ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21- ‘समेकित वित्तीय विवरण’ एवं लेखांकन मानक 23- ‘समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन’ तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किये गये हैं.

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा की है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा इस तरह से सुनियोजित और सम्पन्न करें कि हमें यह तर्कसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां सभी प्रमुख पहलुओं पर चिन्हित वित्तीय रिपोर्टिंग रूप रेखा में बनाए गए हैं तथा हर प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं. वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरणों की नमूने के तौर पर जांच करना लेखा परीक्षा में शामिल है. लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के निर्धारण के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा हमारी राय का तर्कसंगत आधार है.

4. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:

- (i) बैंक की अनुषंगियाँ, जिनके वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च, 2012 को ₹ 351.68 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 53.70 करोड़ की कुल आय एवं ₹ 9.84 करोड़ का शुद्ध नकद प्रवाह दर्शाते हैं.
- (ii) असोशिएट्स (7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 1 अन्य असोशिएट), जो इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ ₹ 213.30 करोड़ (बैंक का हिस्सा ₹ 69.28 करोड़) दर्शाते हैं.

5. बैंक की अनुषंगियों एवं असोशिएट्स के संबंध में सम्मिलित राशियाँ, जिनकी लेखा परीक्षा उनके सम्बंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय पूर्णतः उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर है.

6. बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा केन्द्र सरकार की अनुमति के अधीन, पेंशन की अपरिशोधित राशि ₹ 719.95 करोड़ तथा ग्रेच्युइटी देयता ₹ 166.20 करोड़ बट्टे खाते डाले बिना की गई है.

7. हमारी राय को उपयुक्त ठहराये बिना, हम वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 4.2.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो ₹ 886.15 करोड़ की सीमा तक बैंक की पेंशन देयता एवं ग्रेच्युइटी देयता के आस्थगन के संबंध में “सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खुलना तथा ग्रेच्युइटी सीमाओं में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार” पर कर्मचारी लाभ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या डीबीओडी, बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के माध्यम से लेखांकन मानक (एएस) 15 “कर्मचारियों के लाभार्थ” के प्रावधानों को लागू करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त छूट के अनुसरण में है.

8. हमारी लेखा परीक्षा तथा 2 अनुबंधियों, 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व 1 अन्य असोशिएट के पृथक वित्तीय विवरणों पर संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर एवं अनुबंधियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और असोशिएट्स के अन्य वित्तीय विवरणों के आधार पर विचार करते हुए और हमारे सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण सहपठित प्रमुख लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणियों, अपेक्षित तरीके से सूचनाएं प्रदान करता है तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित मामलों में वास्तविक एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है.
- समूह की दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के समेकित तुलन पत्र के मामले में;
 - उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित लाभ के बारे में समेकित लाभ एवं हानि लेखा विवरण के मामले में; तथा
 - उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकद प्रवाह के समेकित नकद प्रवाह विवरण के मामले में.

कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003510एस
(**सीए बी. श्रीनिवास राव**)
भागीदार
सदस्यता सं.202352

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 100186डबल्यू
(**सीए शांतनु घोष**)
भागीदार
सदस्यता सं.050927

कृते मे. जीएसए एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.000257एन
(**सीए सुनील अग्रवाल**)
भागीदार
सदस्यता सं.083899

कृते मे. धिया एण्ड कंपनी.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.001088सी
(**सीए जी.पी.गुप्ता**)
भागीदार
सदस्यता सं.075000

कृते मे. डी.रंगास्वामी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003073एस
(**सीए बी.रामानी**)
भागीदार
सदस्यता सं.019603

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.003708एन
(**सीए मिलन श्रीमाली**)
भागीदार
सदस्यता सं.088578

स्थान : मुंबई

तारीख : 24 मई, 2012



दिनांक 31 मार्च, 2012 का समेकित तुलनपत्र

	अनुसूची सं.	दिनांक 31 मार्च, 2012 को ₹	(000 छोड़कर) दिनांक 31 मार्च, 2011 को ₹
पूँजी एवं देयताएं			
पूँजी	1	2,35,31,154	2,02,11,415
शेयर आवेदन राशि		-	2,02,56,836
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	10,30,92,369	6,95,80,255
माईनोरिटी हित	2ए	2,44,766	2,35,744
जमाराशियां	3	1,96,23,53,203	1,79,37,85,456
उधार राशियां	4	12,91,85,961	12,88,69,794
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	8,33,55,336	6,67,93,645
कुल		2,30,17,62,789	2,09,97,33,145
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि	6	13,11,42,476	14,08,21,053
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशियां	7	1,01,24,236	1,20,08,744
निवेश	8	59,38,76,959	54,58,02,127
ऋण एवं अग्रिम	9	1,47,71,80,831	1,29,84,05,738
अचल आस्तियां	10	2,47,47,203	2,42,62,591
अन्य आस्तियां	11	6,46,33,076	7,83,74,884
समेकन पर साख		58,008	58,008
कुल		2,30,17,62,789	2,09,97,33,145
आकस्मिक देयताएं	12	59,41,26,254	43,37,24,213
वसूली हेतु बिल	-	5,67,71,907	3,57,60,905
प्रमुख लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		
उपर्युक्त अनुसूचियां तुलनपत्र के महत्त्वपूर्ण घटक हैं			

मोहन.वी.टांकसाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वी.आर.अय्यर कार्यपालक निदेशक	आर.के.दुबे कार्यपालक निदेशक
आलोक टंडन निदेशक गुमान सिंह निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक प्रो.एन.बालकृष्णन् निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
मेजर (से.नि.) वेद प्रकाश निदेशक बी.एस.रामबाबू निदेशक		
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस (सीए बी. श्रीनिवास राव) भागीदार सदस्यता सं.202352	कृते मे. जीएसए एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन (सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.083899	कृते मे. डी.रंगास्वामी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003073एस (सीए बी.रामानी) भागीदार सदस्यता सं.019603
कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.100186डब्ल्यू (सीए शांतनु घोष) भागीदार सदस्यता सं.050927	कृते मे. धिया एण्ड कंपनी. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.001088सी (सीए जी.पी.गुप्ता) भागीदार सदस्यता सं.075000	कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003708एन (सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं.088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
स्थान : मुंबई
तारीख : 24 मई, 2012

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)			
	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	19,16,89,278	15,27,41,610
अन्य आय	14	1,40,93,724	1,23,94,906
कुल		20,57,83,002	16,51,36,516
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	13,98,60,499	9,89,75,660
परिचालन व्यय	16	3,75,57,007	4,00,49,219
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		2,29,01,447	1,34,33,180
कुल		20,03,18,953	15,24,58,059
III. लाभ/हानि			
माइनोरिटी हित के पूर्व मूल एवं अनुषंगियों के वर्ष हेतु समेकित शुद्ध लाभ		54,64,049	1,26,78,457
घटाएं : माइनोरिटी हित		23,143	38,051
माइनोरिटी के हित की कटौती के बाद वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ		54,40,906	1,26,40,406
जोड़े : असोशिएट्स के अर्जन में हिस्सेदारी		6,92,774	5,04,166
घटाएं : असोशिएट्स में पूर्व अवधि समायोजन - नोट सं 7 का संदर्भ लें		-	15,30,884
समूह का वर्ष के लिए समेकित लाभ		61,33,680	1,16,13,688
जोड़े : आगे लाया गया समूह का समेकित लाभ		15,34,061	24,65,972
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		76,67,741	1,40,79,660
IV. विनियोजन निम्न को अंतरित :			
सांविधिक आरक्षित निधि		13,32,598	31,68,525
निवेश आरक्षित निधि		4,39,466	-
राजस्व आरक्षित निधि		2,17,530	52,82,293
कर्मचारी कल्याण निधि		1,50,000	1,50,000
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी शेयर पूंजी		12,85,921	11,48,706
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी शेयर पूंजी		14,72,231	13,74,051
लाभांश कर		4,44,545	4,10,869
जेपीवाय स्वैप कूपन पर ब्याज हेतु आरक्षित निधि		-	11,155
विशेष आरक्षित निधि धारा 36(1)(viii) के अधीन		17,060	10,00,000
तुलनपत्र में ले जाई गई शेष राशि		23,08,390	15,34,061
कुल		76,67,741	1,40,79,660
प्रतिशेयर आय (₹ में)		7.20	25.43
प्रमुख लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते की महत्त्वपूर्ण घटक हैं.

मोहन.वी.टांकसाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वी.आर.अय्यर कार्यपालक निदेशक	आर.के.दुबे कार्यपालक निदेशक
आलोक टंडन निदेशक गुमान सिंह निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक प्रो.एन.बालकृष्णन् निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस (सीए बी. श्रीनिवास राव) भागीदार सदस्यता सं.202352	कृते मे. जीएसए एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन (सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.083899	कृते मे. डी.रंगास्वामी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003073एस (सीए बी. रामानी) भागीदार सदस्यता सं.019603
कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.100186डबल्यू (सीए शांतनु घोष) भागीदार सदस्यता सं.050927	कृते मे. धिया एण्ड कंपनी. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.001088सी (सीए जी.पी.गुप्ता) भागीदार सदस्यता सं.075000	कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003708एन (सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं.088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

तारीख : 24 मई, 2012



दिनांक 31 मार्च, 2012 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2012 को		दिनांक 31 मार्च, 2011 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
अधिकृत पूंजी		3,00,00,000		3,00,00,000
निर्गमित, अभिवृत्त एवं प्रदत्त पूंजी :	73,61,154		40,41,415	
(केन्द्र सरकार द्वारा धारित 582635426 गत वर्ष 324141460 शेयर्स) सहित प्रति ₹ 10 के 736115416 इक्विटी शेयर्स (गत वर्ष 404141460)				
असंचयी, अविरत अधिमान शेयर पूंजी	1,61,70,000	2,35,31,154	1,61,70,000	2,02,11,415
कुल		2,35,31,154		2,02,11,415
अनुसूची 2 : आरक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक आरक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,53,63,034		1,21,94,509	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	13,32,598		31,68,525	
		1,66,95,632		1,53,63,034
II. पूंजीगत आरक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	1,92,84,291		1,96,20,223	
वर्ष के दौरान कटौती	3,14,722		3,35,932	
		1,89,69,569		1,92,84,291
ii) निवेश आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	36,31,035		36,31,035	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,39,466		-	
		40,70,501		36,31,035
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	73,60,000		73,60,000	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,11,07,132		-	
		3,84,67,132		73,60,000
IV. आय एवं अन्य आरक्षित निधियां				
आय आरक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,14,07,834		1,61,47,295	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,17,530		52,93,448	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	51,778		49,820	
जोड़ें: अन्य परिवर्धन	-		16,911	
		2,15,73,586		2,14,07,834
V. धारा 36 (1) (viii) अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां		10,17,060		10,00,000
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		22,98,889		15,34,061
कुल		10,30,92,369		6,95,80,255
अनुसूची 2 ए: माइनोरिटी हित				
जब मूल/अनुषंगी सम्बंध विकसित हुए,	24,500		24,500	
उस तारीख को माइनोरिटी हित				
तदनंतर वृद्धि/कमी	2,20,266	-	2,11,244	
तुलनपत्र की तारीख को माइनोरिटी हित		2,44,766		2,35,744

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2012 को		दिनांक 31 मार्च, 2011 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए.1. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	21,56,771		35,79,786	
ii) अन्य से	<u>12,49,25,021</u>		<u>15,06,27,180</u>	
		12,70,81,792		15,42,06,966
II. बचत बैंक जमाराशियां		52,59,46,590		47,64,49,389
III. सावधि जमा राशियां				
i) बैंकों से	3,33,25,436		2,70,66,607	
ii) अन्य से	<u>1,27,59,99,385</u>		<u>1,13,60,62,494</u>	
		<u>1,30,93,24,821</u>		<u>1,16,31,29,101</u>
कुल		<u>1,96,23,53,203</u>		<u>1,79,37,85,456</u>
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		<u>1,96,23,53,203</u>		<u>1,79,37,85,456</u>
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधारराशियां				
I. भारत में उधारराशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	25,00,700		-	
ii) अन्य बैंक	25,604		64,770	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	3,74,04,716		5,80,80,269	
iv) अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड (गौण ऋण)	2,63,73,000		2,13,73,000	
v) अपर टियर (II) बॉण्ड	2,88,50,000		2,88,50,000	
vi) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत	<u>58,30,000</u>		<u>58,30,000</u>	
		10,09,84,020		11,41,98,039
II. भारत के बाहर से उधारराशियां		<u>2,82,01,941</u>		<u>1,46,71,755</u>
कुल		<u>12,91,85,961</u>		<u>12,88,69,794</u>
उपर्युक्त I एवं (ii) में रक्षित उधार राशियां शामिल हैं		Nil		Nil
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	88,78,315		34,40,230	
II. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		-	
III. उपचित ब्याज	1,30,66,480		92,86,641	
IV. आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	4552,028		14,64,918	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	5,68,58,513	<u>8,33,55,336</u>	5,26,01,856	<u>6,67,93,645</u>
कुल		<u>8,33,55,336</u>		<u>6,67,93,645</u>
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		1,66,77,013		92,58,726
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	11,34,65,463		13,05,62,327	
अन्य खातों में	<u>10,00,000</u>		<u>10,00,000</u>	
		<u>11,44,65,463</u>		<u>13,15,62,327</u>
कुल		<u>13,11,42,476</u>		<u>14,08,21,053</u>



दिनांक 31 मार्च, 2012 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2012 को		दिनांक 31 मार्च, 2011 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां और मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	64,81,831		78,33,219	
बी) अन्य जमा खातों में	37,229		378	
		65,19,060		78,33,597
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	-		-	
बी) अन्य संस्थानों के पास	-		-	
कुल.... I		65,19,060		78,33,597
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	36,03,834		41,73,805	
बी) अन्य जमा खातों में	1,342		1,342	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
कुल.... II		36,05,176		41,75,147
कुल.. (I + II)		1,01,24,236		1,20,08,744
अनुसूची 8 : निवेश				
I. * भारत में निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	50,72,83,560		47,76,19,617	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	6,03,668		8,43,682	
iii) शेयर्स	94,24,314		80,80,675	
iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स	4,10,16,662		3,52,68,008	
v) असोशिएट्स में निवेश	35,62,053		28,71,564	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि)	3,16,01,514		2,07,99,968	
		59,34,91,771		54,54,83,514
II. ** भारत के बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-		-	
ii) असोशिएट्स में निवेश	3,85,188		3,18,613	
		3,85,188		3,18,613
कुल		59,38,76,959		54,58,02,127
* भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	59,68,31,169		54,89,09,471	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	33,39,398		34,25,957	
शुद्ध निवेश		59,34,91,771		54,54,83,514
** भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	3,85,188		3,18,613	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध निवेश		3,85,188		3,18,613

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2012 को		दिनांक 31 मार्च, 2011 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम				
ए. i) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	2,25,38,880		1,93,76,090	
ii) नकद-उधार, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	49,05,54,536		37,94,16,576	
iii) मियादी ऋण	96,40,87,415	1,47,71,80,831	89,96,13,072	1,29,84,05,738
कुल		1,47,71,80,831		1,29,84,05,738
बी. अग्रिमों के विवरण :				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिम सहित)	1,03,54,21,382		95,51,96,035	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	7,88,38,452		9,49,37,869	
iii) अरक्षित	3,62,920,997	1,47,71,80,831	24,82,71,834	1,29,84,05,738
कुल		1,47,71,80,831		1,29,84,05,738
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता क्षेत्र	38,69,26,254		40,34,31,346	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	9,76,03,765		9,86,81,204	
iii) बैंक	7,49,653		1,74,388	
iv) अन्य	99,19,01,159	1,47,71,80,831	79,61,18,800	1,29,84,05,738
कुल		1,47,71,80,831		1,29,84,05,738
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत पर/पुनर्मूल्यांकन लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	2,38,58,143		2,38,30,114	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,15,269		28,029	
कुल	2,39,73,412		2,38,58,143	
उक्त दिनांक तक मूल्यहास	40,43,752		37,01,847	
कुल.... I		1,99,29,660		2,01,56,296
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	1,17,55,970		95,25,925	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	21,57,248		23,32,821	
कुल	1,39,13,218		1,18,58,746	
वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	1,56,858		1,02,865	
कुल	1,37,56,360		1,17,55,881	
उक्त दिनांक तक मूल्यहास	89,38,817		76,49,586	
कुल.... II		48,17,543		41,06,295
कुल.... (I + II)		2,47,47,203		2,42,62,591



दिनांक 31 मार्च, 2012 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2012 को		दिनांक 31 मार्च, 2011 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 11 : अन्य अस्तियां				
I. उपचित ब्याज	1,26,78,895		1,07,81,681	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (निवल प्रावधान)	2,34,71,741		2,29,68,263	
III. स्टेशनरी एवं स्टैम्प	1,31,680		1,23,474	
IV. दावों के निपटान अर्जित गैर बैंकिंग अस्तियां	-		-	
V. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	29,46,039		1,53,11,880	
VI. अन्य	2,54,04,721		2,91,89,586	
		6,46,33,076		7,83,74,884
कुल		6,46,33,076		7,83,74,884
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है		15,56,441		18,15,342
(बी) अपील, पुनरीक्षण आदि के तहत आय कर मांग		1,42,45,860		60,16,360
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		-		5,78,649
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		41,64,74,984		28,80,54,433
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां				
ए) भारत में	7,06,31,212		6,36,70,949	
बी) भारत से बाहर	55,18,890		30,78,445	
		7,61,50,102		6,67,49,394
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		8,50,62,529		6,17,96,895
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		6,36,338		87,13,140
कुल		59,41,26,254		43,37,24,213

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की संघटक अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	दि.31मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु ₹	दि.31मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	14,43,94,011	11,26,78,469
II. निवेशों पर आय	4,34,78,276	3,76,73,646
III. भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य अंतर बैंक निधियों की शेषराशि पर ब्याज	33,93,498	3,33,698
IV. अन्य	4,23,493	20,55,797
कुल	19,16,89,278	15,27,41,610
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	66,61,523	62,05,058
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	32,00,628	31,19,229
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	18,68,242	5,60,926
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (शुद्ध)	(4,092)	(1,084)
V. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि)	-	-
VI. विदेश/भारत में स्थापित अनुषंगियों और असोशिएट्स से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय	23,560	15,545
VII. विविध आय	23,43,863	24,95,232
कुल	1,40,93,724	1,23,94,906
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमा राशियों पर ब्याज	12,99,49,040	9,06,49,962
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	15,54,497	14,44,111
III. अन्य	83,56,962	68,81,587
कुल	13,98,60,499	9,89,75,660
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	2,50,90,425	2,96,57,952
II. किराया, कर एवं बिजली	25,69,786	19,11,338
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2,65,484	2,16,097
IV. विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	3,53,376	9,70,075
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	14,36,879	11,87,836
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्च	9,678	12,955
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्च (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस व खर्चों सहित)	2,05,578	2,25,706
VIII. विधि प्रभार	1,19,151	1,50,716
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि	3,95,197	3,54,066
X. मरम्मत एवं रख-रखाव	8,33,692	6,53,662
XI. बीमा	16,46,939	15,58,265
XII. अन्य खर्च	46,30,822	31,50,551
कुल	3,75,57,007	4,00,49,219



अनुसूची 17 – समेकित खातों की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए सामान्यतया परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप हैं, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करते हैं।

2. प्राक्कलनों का उपयोग :

प्रबंधतंत्र को वित्तीय विवरणों की तैयारी करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए सूचित आय एवं व्ययों में प्राक्कलनों और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधतंत्र को यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं।

3. समेकन प्रक्रिया :

3.1 समूह (2 अनुषंगियों एवं 8 असोशिएट्स के साथ [7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित] के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है :

ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 “समेकित वित्तीय विवरणों” के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण अंतःसमूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है।

सी. असोशिएट्स में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है और इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 “समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन” के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए निकाला गया है तथा जहां समायोजन करना आवश्यक हुआ है, समायोजन करने के पश्चात मूल बैंक की एकरूप लेखांकन नीतियों के समरूप. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक असोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं। इन असोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समेकित वित्तीय विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं।

3.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में माइनोरिटी हितों में निम्न शामिल है :

ए. अनुषंगी में किए गए निवेश की तिथि को माइनोरिटी को आरोप्य इक्विटी की राशि, एवं

बी. मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में माइनोरिटी के हिस्से में संचलन.

4. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

ए. विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

बी. आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

सी. विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं।

डी. बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

5. निवेश :

5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को “परिपक्वता तक धारित”, “व्यापार हेतु धारित” तथा “विक्रय के लिए उपलब्ध” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

- i) सरकारी प्रतिभूतियां
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii) शेयर्स
- iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
- v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
- vi) अन्य (यूटीआई शेयरों, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स).

5.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

ए) परिपक्वता तक धारित

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है.

बी) व्यापार के लिए धारित

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनः बिक्री के लिए रखी जाती हैं.

सी) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

5.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

5.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/ पीडीएआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
v)	अधिमानी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्यूच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए ₹ 1/-.

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.



सी. व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है। प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यहास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि है, को गणना में नहीं लिया गया है।

डी. अनुषंगियों के मामले में, निवेशों को उनकी लागत पर लिया जाता है।

5.5 लागत निर्धारण :

भारत औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है।

5.6 आय निर्धारण :

ए. निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। तथापि “परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि “पूजी प्रारक्षित निधि” में विनियोजित की गयी है।

बी. निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है। अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं।

सी. यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहे, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं।

डी. प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है।

ई. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है।

एफ. प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है।

6. डेरीवेटिव्स

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरीवेटिव्स को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है।

ए. जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, उन्हें बाजार चिन्हित माना गया है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है।

बी. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है।

सी. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

7. अग्रिम :

ए. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं।

बी. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में हुई वसूली को पहले ब्याज में विनियोजित किया जाता है। तथापि, वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों में वसूली पहले मूल धन में अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की गई है।

सी. अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं।

मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - (अन्य) में शामिल हैं।

डी. बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

यदि बिक्री प्राप्तियां निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है, तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है।

यदि बिक्री प्राप्तियां शुद्ध बही मूल्य से उच्चतर कीमत पर है तो अधिशेष प्रावधान अन्य गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी/हानि को पूरा करने के लिए रखा गया है।

- ई. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों के आधार पर आय निर्धारण एवं ऋण तथा अग्रिमों पर प्रावधान किए जाते हैं।
- एफ. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, आवास ऋणों, होम इक्विटी ऋण, टॉप-अप ऋण तथा संपत्ति के विरुद्ध ऋण का भुगतान मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के द्वारा किए जाते हैं। स्थिर दर वाले ऋणों के सम्बंध में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है; अस्थिर दर वाले ऋणों के मामले में, पिछले माह के अंतिम दिन के बकाया शेष राशि पर प्रत्येक माह की पहली तारीख को ब्याज की गणना की जाती है। जैसे ही संपूर्ण ऋण संवितरित हो जाता है, ईएमआई शुरू हो जाती है। ईएमआई शुरू होने के लंबित रहते, पूर्व-ईएमआई ब्याज प्रत्येक माह देय होता है।

8. अचल आस्तियां/मूल्यहास :

- ए. अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यहास “मूल्यहासित मूल्य प्रणाली” के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i)	परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii)	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii)	वाहन	20%
iv)	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v)	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%

(अभिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है।)

- बी. उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यहास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यहास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे “पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि” में समायोजित किया गया है।
- सी. 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्द्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यहास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्द्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- डी. पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है। पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और “पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि” में समायोजित किया गया है।
- ई. जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यहास लगाया गया है।
- एफ. अनुषंगियों के मामले में, अचल आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी लाइन प्रणाली पर लगाया जाता है।

9. कर्मचारी - लाभ :

- ए. ग्रेज्युइटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया है। पेंशन निधि के लिए अंशदान परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत किया गया है।
- बी. अर्जित छुट्टी के लिए देयताओं का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- सी. उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है।
- डी. बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न देयताओं को बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य तुलन पत्र में योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटाकर दर्शाया है।
- ई. सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. के मामले में ग्रेज्युइटी राशि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है।

10. आय एवं व्यय की पहचान :

- ए. जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, आय एवं व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है।
- बी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों पर आय प्राप्त होने पर उसकी गणना आय में की गई है।

- सी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद, जो लाभ एवं हानि लेखे में लेखागत किए कुल आय/कुल खर्च के एक प्रतिशत से अधिक है, तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है.
- डी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किए जाते हैं.
- ई. कमीशन (सरकारी व्यवसाय के छोड़कर), विनिमय, लॉकर किराया तथा बीमा दावे वसूली/ निपटान होने पर लेखागत किया जाता है.
- एफ. शेयर निर्गम के व्ययों को 5 वर्षों के लिए तिमाही आधार पर परिशोधित किया जाता है.

11. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि “वास्तविक निश्चितता” न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी.

12. प्रति शेयर आय :

भारित औसत प्रणाली पर आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखांकन मानक – 20 के अनुसार, मूल बैंक आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर आय की गणना की जाती है.

अनुसूची 18 - समेकित खातों की संघटक टिप्पणियां:

1. समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में शामिल अनुषंगियां एवं असोशिएट्स.

इन समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियां एवं मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के असोशिएट्स तथा इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (सामूहिक रूप से इसे "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है) को शामिल किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/असोशिएट्स का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च 2012 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2011 को स्वामित्व हित
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड(सीबीएचएफ)(अनुषंगी)	भारत	59.50%	59.50%
सेंट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड(अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(असोशिएट्स) छिंदवाड़ा	भारत	35.00%	35.00%
सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (असोशिएट्स) अंबिकापुर	भारत	35.00%	35.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक(असोशिएट्स) मुजफ्फरपुर	भारत	35.00%	35.00%
विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (असोशिएट्स) अकोला,	भारत	35.00%	35.00%
बलिया इटावा ग्रामीण बैंक (असोशिएट्स) बलिया	भारत	35.00%	35.00%
हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (असोशिएट्स) कोटा	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (असोशिएट्स) कूचबिहार	भारत	35.00%	35.00%
इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड(असोशिएट्स)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

अनुषंगियों एवं असोशिएट्स की वित्तीय विवरणियां जिनका समेकन में उपयोग किया गया है उन्हें भी मूल बैंक की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् 31.03.2012 के लिये है.

2. समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में कुछ मामलों में समान लेनदेन मदों के लिये संबंधित अनुषंगी की भिन्न लेखांकन नीतियों को अपनाया गया है, जिनकी समुचित जानकारी के अभाव में समुचित समायोजन नहीं किया गया है, प्रबंधन की दृष्टि में यह महत्वपूर्ण नहीं है. मूल बैंक की तुलना में अनुषंगियों द्वारा जिन मदों के संबंध में भिन्न लेखांकन नीतियां अपनाई गयी हैं उनके विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	मूल बैंक	सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. (अनु.)	सेन्ट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लि.(अनु)
मूल्यह्रास	कम्प्यूटरों के अलावा लिये जिनमें मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति को अपनाया है. बैंक ने मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली को अपनाया है,	मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गयी है –प्रभारित मूल्यह्रास ₹ 8.86 लाख	मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गयी है –प्रभारित मूल्यह्रास ₹ 6.30 लाख
अवकाश नकदीकरण के लिये प्रावधान	बीमाकिक आधार पर	कंपनी द्वारा मूल्यांकित – ₹ 3.03 लाख	अगले वर्ष से लागू

3. मूल बैंक

3.1 पूंजी :

3.1.1 बैंक की अधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़.



बैंक की प्रदत्त पूंजी ₹ 2021.14 करोड़ से बढ़कर अब ₹ 2353.11 करोड़ है जो ₹ 242.46 करोड़ के राइट इश्यू के माध्यम से वर्तमान शेयरधारकों को प्रति शेयर ₹ 93/- प्रीमियम पर इक्विटी शेयर जारी करने से हुई है। अप्रैल 2011 में शेयरधारकों को इनका आर्बटन हुआ था। इसके साथ ही बैंक ने भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रति शेयर ₹ 95.61 के प्रीमियम से ₹ 89.51 करोड़ के इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के माध्यम से अपनी इक्विटी बढ़ाई है।

3.1.2 गौण ऋण :

वर्ष के दौरान, बैंक ने अरक्षित प्रतिदेय बॉण्ड जारी कर गत वर्ष टियर II पूंजी(गौण ऋण) के अंतर्गत ₹ 500 करोड़ प्राप्त किये जिससे यह बढ़कर 2637.30 करोड़ हुई (गत वर्ष 2137.30 करोड़) एवं अपर टियर II बॉण्डस ₹ 2885.00 करोड़ के है(गत वर्ष 2885.00 करोड़)

3.2 बहियों का संतुलन /मिलान:

निम्नलिखित मदों का मिलान प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) लेन देन के खाते
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- सांकेतिक खातों में विशिष्ट शेष

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा।

3.3 आयकर / आस्थगित कर :

3.3.1 इस वर्ष के लिये आयकर का प्रावधान संगत सांविधिक प्रावधानों और विवादित मामलों पर न्यायसंगत निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श के बाद किया गया है, गत वर्ष के शुद्ध आधिक्य प्रावधान ₹ 112.38 करोड़ को वापस लिया गया है।

3.3.2 अन्य आस्तियों [अनुसूची 11(ii)] में ₹ 1424.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 601.64 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा विवादित आयकर हेतु भुगतान किया गया अथवा आयकर विभाग द्वारा समायोजित किया गया, के संदर्भ में है। करारोपण के ऐसे विवादित मामलों पर प्रावधान का विचार नहीं किया गया है जो उक्त विभिन्न न्यायिक निर्णयों/परामर्शकों आधार पर आवश्यक नहीं समझा गया है।

3.3.3 विवाद के अंतर्गत भुगतान किये गये ₹ 1424.58 करोड़ के कर में से, विभिन्न निर्धारण वर्षों से संबंधित विवादों में शामिल ₹ 4.82 करोड़ की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गयी है। इसके लिये अपील का प्रभाव लंबित है।

3.4 शेयर निर्गम के खर्च:

शेयर निर्गम खर्चों की ₹ 1.31 करोड़(पिछले वर्ष ₹6.72 करोड़) की अपरिशोधित राशि अन्य आस्तियों में शामिल की गयी है।

3.5 परिसर:

3.5.1 दिनांक 31.03.2008 को बाजार मूल्य दर्शाने के लिये बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2007.08 के दौरान किया गया। मूल्य वृद्धि राशि ₹ 1565.97 प्रारक्षित निधि खाते में जमा की गयी है।

3.5.2 बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 9.95 करोड़ (पिछले वर्ष 12.21 करोड़) की लागत की संपत्ति शामिल है, जिसे ₹ 122.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹198.46 करोड़) पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। इसके लिये पंजीकरण औपचारिकतायें अभी प्रगति पर हैं।

3.6 अग्रिम / प्रावधान :

3.6.1 पोषण/पुनर्वसन/पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिये गये अग्रिम और संदिग्ध/हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को उस सीमा तक रक्षित/वसूली योग्य माना जाता है, जितना बैंक के पास बंधक रखी गयी सम्पत्तियों/आस्तियों जिन पर बैंक का प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार है, उन प्रतिभूतियों के मूल्यांककों द्वारा दर्शाये अनुमानित वसूली योग्य मूल्य एवं बैंक में उपलब्ध अन्य आंकड़ों के अनुसार मूल्य अनुमानित है।

3.6.2 चालू वर्ष में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप शुद्ध एनपीए की गणना के लिये सकल एनपीए में से ₹ 312.42 करोड़ (पिछले वर्ष 312.42 करोड़) के अस्थायी प्रावधान का शुद्धिकरण समायोजन किया गया है।

3.6.3 अच्छे एवं रक्षित माने गये अग्रिमों में आईबीए द्वारा जारी (गैर प्राथमिकता क्षेत्र) यूनिफॉर्म कोड गवर्निंग इंटर बैंक पार्टिसिपेशन द्वारा अधिशासी आईबीपीसी में ₹ 3000 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2000 करोड़) एवं आरआरबी द्वारा जारी आईबीपासी में कुल ₹ 2080 करोड़ (पिछले वर्ष 1440 करोड़) (प्राथमिकता क्षेत्र/प्रत्यक्ष कृषि) का निवेश शामिल है.

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के प्रावधानों का निम्नलिखित प्रकटीकरण किया है:

4.1 लेखांकन मानक 9

मूल लेखांकन नीति नं. 10 के अनुसार उगाही के आधार पर कुछ आय की विशिष्ट मदों को चिन्हित किया गया है, यद्यपि इस आय को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

4.2 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) - मूल बैंक

4.2.1 पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र नं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.11 के अनुसार, बैंक ने पेंशन विकल्प को पुनः उन वर्तमान कर्मचारियों के लिये, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना के लिये विकल्प नहीं दिया था, खोलने से उत्पन्न अतिरिक्त देयताओं के साथ साथ ग्रेच्युटी सीमा वृद्धि की देयताओं को 31 मार्च 2011 से आरम्भ वित्तीय वर्ष से पांच वर्षों के लिये के परिशोधन के विकल्प को चुना है, तदानुसर 1 अप्रैल 2011 को अपरिशोधित राशि ₹ 1181.53 करोड़ के विरुद्ध बैंक ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये ₹ 239.98 करोड़ की अनुपातिक राशि पेंशन के लिये एवं ₹ 55.44 करोड़ ग्रेच्युटी के लिये परिशोधित की है. भविष्य में पेंशन के लिये ₹ 719.95 करोड़ एवं ग्रेच्युटी के लिये ₹ 166.20 करोड़ की राशि परिशोधित की जानी है. यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस लेखांकन प्रणाली को लागू नहीं किया होता तो एएस-15 की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक का लाभ ₹ 886.15 करोड़ कम हो जाता.

4.2.2 कर्मचारी लाभ - मूल बैंक

बीमांकित मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष मिलान नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च 2012 को परिभाषित लाभ दायित्व देयतायें				
प्रारंभिक दायित्व	5997.12	1047.34	2856.49	751.89
सेवा लागत	125.72	39.70	70.54	40.78
ब्याज लागत	498.13	83.24	222.98	58.39
बीमांकिक (लाभ/हानि)	441.59	(63.58)	335.48	44.95
प्रदत्त लाभ	(525.00)	(215.48)	(279.44)	(125.67)
गत सेवा लागत(परिशोधित/अनिहित)	-	-	1199.91	277.00
गत सेवा लागत(निहित लाभ)	-	-	569.62	--
को देयता अंतरण	-	-	1021.54	--
दिनांक 31 मार्च 2012 को दायित्व	6537.56	891.22	5997.12	1047.34

(₹ .करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च 2012 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	4228.00	832.89	2269.03	808.40
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	413.53	72.41	257.54	65.25
बीमांकिक (लाभ/हानि)	29.25	(14.29)	(130.67)	14.91
अंशदान	1203.61	180.00	1090.00	70.00
प्रदत्त लाभ	(525.00)	(215.48)	(279.44)	(125.67)
अन्य न्यास से अंतरण	-	-	1021.54	--
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	5349.39	855.53	4228.00	832.89



(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिये लागत				
सेवा लागत	125.72	39.70	70.54	40.78
ब्याज लागत	498.13	83.24	222.98	58.39
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(413.53)	(72.41)	(257.54)	(65.25)
गत सेवा लागत(परिशोधित/अनिहित)	240.00	55.40	239.98	55.40
गत सेवा लागत(निहित लाभ)	-	-	569.62	--
बीमांकिक (लाभ/हानि)	412.34	(49.29)	466.15	30.04
शुद्ध लागत	862.66	56.64	1311.73	119.36

पूर्वानुमान

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी
ब्याज दर	8%	8%	8%	8%
वेतन वृद्धि दर	4%	4%	4%	4%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8%	8%	8%	8%

4.2.3 सीबीएचएफ लि. ने अपने कर्मचारियों की समेकित ग्रेच्युटी देयता को कवर करने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के पास से पॉलिसी ली है तथा इस पॉलिसी पर प्रदत्त प्रीमियम राशि को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है, दिनांक 31 मार्च 2011 को कर्मचारियों के साधिकार अवकाश के शेष पर अवकाश नकदीकरण देयता के प्रावधान की गणना की गयी है.

4.3 लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की खंड रिपोर्ट

(₹ लाख में)

क्र.	विवरण	31.03.12 को समाप्त लेखापरीक्षित	31.03.11 को समाप्त लेखापरीक्षित
ए.	खंड आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	496407	264456
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	469530	538433
	3. समष्टिगत बैंकिंग परिचालन	1092507	829577
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	2078	3383
	5. अनाबंटित	4004	20177
	कुल	2064526	1656026
बी.	खंड परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	265688	160895
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	7574	20487
	3. समष्टिगत बैंकिंग परिचालन	11008	47412
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	2078	1498
	कुल	286348	230292
सी.	अनाबंटित आय/(व्यय)	4004	20177
डी.	परिचालन लाभ	290352	250469
ई.	प्रावधान एवं आकस्मिकतायें	216957	93223
एफ.	आयकर	12058	41109
जी.	निवल लाभ	61337	116137

क्र.	विवरण	31.03.12 को समाप्त लेखापरीक्षित	31.03.11 को समाप्त लेखापरीक्षित
एच.	अन्य जानकारी		
i.	खंड आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	2674274	2534145
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	5766990	5251988
	3. समष्टिगत बैंकिंग परिचालन	14341066	12974138
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	1774
	5. अनाबंटित आस्तियां	235298	235304
	कुल	23017628	20997349
जे.	खंड दायित्व		
	1. ट्रेजरी परिचालन	7373961	3305900
	2. रिटेल बैंकिंग परिचालन	4109690	4647783
	3. समष्टिगत बैंकिंग परिचालन	10219774	11923613
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	1268
	5. अनाबंटित दायित्व	1314203	1118785
	कुल	23017628	20997349

- i) भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार समूह ने ट्रेजरी परिचालनों, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अन्य बैंकिंग व्यवसाय को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंडों में शामिल किया है. कोई भी द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड नहीं है.
- ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स संबंधी परिचालनों के लेनदेन शामिल है.
- iii) खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल है, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, प्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है.
- iv) कॉर्पोरेट/समग्र क्षेत्र में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कंपनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल है, जो कि खुदरा बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गये हैं .
- v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल है, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं है.
- vi) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी क्षेत्र, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गयी निधियों के लिये पूरक का कार्य करता है.
- vii) लागत का आबंटन :
- ए एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित खर्च सीधे उस क्षेत्र को आबंटित किये गये हैं.
- बी एक विशिष्ट क्षेत्र से सीधे संबंध न रखने वाले खर्च को नियोजित फंड के समानुपात में आबंटित किया गया है.

1.4 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

I. संबंधित पार्टियों की सूची - मूल बैंक

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी -

	नाम	पदनाम
i)	श्री एस.श्रीधर (31.05.2011 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	श्री मोहन वी.टांकसाले(29.06.2011 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
iii)	श्रीमती वी.आर.अय्यर	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री आर.के.दुबे	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां -

i)	सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड.
ii)	सेन्ट बैंक फायनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड.



(सी) असोशिएट्स

(I)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक -
i)	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
ii)	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर
iii)	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
iv)	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला
v)	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया
vi)	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा
vii)	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार
(II)	इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

II. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन देन:

(₹ लाख में)

(ए)	मद	प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	
		2011 -2012	2010-2011
	प्रदत्त पारिश्रमिक	66.50	58.14

(बी) सम्बद्ध पार्टियों के लेन-देन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	संबद्ध पार्टियां	निम्न दिनांक को	निवेश		ऋण आस्तियों की खरीद		ऋण आस्तियों की बिक्री		क्ष.ग्रा.बैं.को ऋण व्यवस्था		आईबीपीसी के अंतर्गत सहभागिता			
			संचयी	वर्ष के दौरान अधिकतम	बकाया राशि	प्राप्त ब्याज	बिक्री राशि	प्रदत्त ब्याज	राशि	प्रदत्त ब्याज	प्रवर्तक बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		प्रवर्तक बैंक से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र क्रय	
											बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक को प्रदत्त ब्याज	बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक से प्राप्त ब्याज
1	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	7.40	380.00	8.51
		31.03.11	27.64	27.64	0.00	6.63	0.00	6.63	200.23	5.67	150.00	0.00	150.00	0.00
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2.22	80.00	2.55
		31.03.11	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	31.03.12	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	2.62	1160.00	41.92	1160.00	48.21
		31.03.11	159.09	159.09	0.00	13.44	0.00	0.00	326.11	2.74	850.00	0.00	850.00	0.00
4	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	6.22	6.22					50.29	2.07	130.00	4.93	130.00	5.67
		31.03.11	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.10	100.00	0.00	100.00	0.00
5	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक	31.03.12	11.72	11.72						0	110	5.42	110	6.24
		31.03.11	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
6	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	2.45	2.45							185.00	7.89	185.00	9.07
		31.03.11	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
7	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.12	20.58	20.57	0	0	0	0			35	1.23	35	1.42
		31.03.11	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
	कुल	31.03.12	237.27	237.27	0	0	0	0	50.29	4.69	2080	71.01	2080	81.67
		31.03.11	230.27	230.27	0.00	20.07	0.00	0.00	576.34	8.51	1440.00	0.00	1440.00	0.00

(सी) वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 2010-11 से संबंधित वित्तीय वर्ष में 57.10 लाख का लाभांश मूल बैंक ने इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड से (एसोशिएट) प्राप्त किया।

4.5. लेखांकन मानक 20 समूह की प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है:

	31.3.2012	31.3.2011
इक्विटी शेयर धारक के लिये कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	463.92	1175.64
भारित औसत इक्विटी शेयर (संख्या)	644194814	404141460
प्रति शेयर मूल आय (₹)	7.20	25.43₹
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (₹)	7.20	25.43₹
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	10	10

* लेखांकन मानक 20 के अंतर्गत अप्रैल 2011 में इक्विटी के राइट इश्यू के अनुक्रम में पुननिर्धारित.

4.6 लेखांकन मानक 22 आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयतायें अभिचिन्हित की है.

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ .करोड़ में)

	31.3.2012	31.3.2011
आस्थगित आस्तियां:		
अवकाश नकदीकरण के लिये प्रावधान	84.41	71.80
पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिये प्रावधान	145.29	301.54
अन्य	23.71	--
अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	6.24	--
कुल (ए):	259.65	373.34
आस्थगित कर देयतायें :		
अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	0.24	20.04
उपचित ब्याज परंतु निवेश पर नियत नहीं	411.28	353.41
निवेश पर मूल्य ह्रास	303.33	146.38
कुल (बी):	714.85	519.83
शुद्ध आस्थगित कर देयतायें	455.20	146.49

4.7 लेखांकन मानक - 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिनके लिये आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक – 28 लागू नहीं है, प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च 2011 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है, जिसे मानकों के अनुसार मान्य करने की आवश्यकता है.

4.8 लेखांकन मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर प्रावधान(मूल बैंक)

i) प्रावधान में संचलन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2011को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	प्रत्यावर्तित / समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.3.2012 को अंतिम शेष
ऋण के रूप में न माने गये दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	3.83	0.07	--	3.90



5. प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित की गई जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा विक्रेताओं, जिनकी सेवार्यें ली जाती हैं और खरीदी जाती हैं व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इस पर लेखा परीक्षकों ने विश्वास किया है
6. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण के लिये पुनर्समूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है.

मोहन.वी.टांकसाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वी.आर.अय्यर कार्यपालक निदेशक	आर.के.दुबे कार्यपालक निदेशक
आलोक टंडन निदेशक गुमान सिंह निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक प्रो.एन.बालकृष्णन् निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
मेजर (से.नि.) वेद प्रकाश निदेशक बी.एस.रामबाबू निदेशक		
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस (सीए बी. श्रीनिवास राव) भागीदार सदस्यता सं.202352	कृते मे. जीएसए एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन (सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.083899	कृते मे. डी.रंगास्वामी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003073एस (सीए बी.रामानी) भागीदार सदस्यता सं.019603
कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.100186डबल्यू (सीए शांतनु घोष) भागीदार सदस्यता सं.050927	कृते मे. धिया एण्ड कंपनी. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.001088सी (सीए जी.पी.गुप्ता) भागीदार सदस्यता सं.075000	कृते मे.सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003708एन (सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं.088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुंबई

तारीख : 24 मई, 2012

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद-प्रवाह विवरण

(₹ करोड में)

क्र.सं. विवरण	31- 03- 2012	31-03-2011
ए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	666.99	1,640.63
I निम्न के लिए समायोजन :		
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास	143.69	118.78
निवेश पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचर्स सहित)	153.72	150.98
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण/अनर्जक आस्तियों के सम्बंध में प्रावधान	1,376.26	631.79
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	641.87	106.14
अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	1.05	43.31
आयकर पर ब्याज (शुद्ध)	43.00	-
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि (शुद्ध)	0.41	(0.11)
अनुषंगियों से लाभांश आय (पृथक मानी गई)	(2.36)	(1.55)
गौण ऋणों के ब्याज का भुगतान/प्रावधान (पृथक मानी गई)	522.54	470.99
उप-योग	3,547.18	3,160.95
II निम्न के लिए समायोजन :		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	16,856.77	17,248.70
उधारी में वृद्धि/(कमी)	(468.38)	4,531.34
अन्य देयताओं एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	1,564.86	215.94
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(19,895.64)	(24,378.04)
निवेश में (वृद्धि)/कमी	(4,884.93)	(3,942.88)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	1,322.78	(2,560.50)
प्रत्यक्ष करों का भुगतान (शुद्ध धन वापसी आदि)	(113.32)	(639.64)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध लाभ (ए)	(5,617.85)	(9,525.08)
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	(2,070.68)	(6,364.13)
बी निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों का निपटान/विक्रय	3.28	1.27
अचल आस्तियों का क्रय	(227.33)	(235.54)
क्षेत्राबैं में निवेश	(7.00)	-
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	2.36	1.55
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(228.69)	(232.71)
सी वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी	1,417.01	250.00
शेयर आवेदन राशि	-	2,025.68
गौण ऋण टियर II पूंजी से प्राप्तियां/ प्रतिदान	500.00	1,030.00
लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	(211.86)	(143.10)
लाभांश कर	(34.37)	(24.15)
जेएनवाय स्वैप कूपन पर ब्याज	(5.18)	(4.98)
गौण ऋणों पर ब्याज	(522.54)	(470.99)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	1,143.06	2,662.47



क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2012	31-03-2011
डी	नकदी एवं नकदी तुल्य में शुद्ध वृद्धि (ए बी सी) अथवा (एफ-ई)	(1,156.31)	(3,934.38)
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	14,082.11	17,012.08
	बैंक के पास शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	1,200.87	2,205.28
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकदी एवं नकद तुल्य	15,282.98	19,217.36
एफ	वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकद तुल्य		
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं बैंक शेष	13,114.25	14,082.11
	बैंक के पास शेष एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	1,012.42	1,200.87
	वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी एवं नकद तुल्य	14,126.67	15,282.98

मोहन.वी.टांकसाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वी.आर.अय्यर कार्यपालक निदेशक	आर.के.दुबे कार्यपालक निदेशक
आलोक टंडन निदेशक गुमान सिंह निदेशक	सलीम गंगाधरन निदेशक प्रो.एन.बालकृष्णन् निदेशक	रोमेश सभरवाल निदेशक बृजलाल क्षत्रिय निदेशक
मेजर (से.नि.) वेद प्रकाश निदेशक बी.एस.रामबाबू निदेशक		
कृते मे. सागर एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003510एस (सीए बी. श्रीनिवास राव) भागीदार सदस्यता सं.202352	कृते मे. जीएसए एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.000257एन (सीए सुनील अग्रवाल) भागीदार सदस्यता सं.083899	कृते मे. डी.रंगास्वामी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003073एस (सीए बी.रामानी) भागीदार सदस्यता सं.019603
कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.100186डबल्यू (सीए शांतनु घोष) भागीदार सदस्यता सं.050927	कृते मे. धिया एण्ड कंपनी. सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.001088सी (सीए जी.पी.गुप्ता) भागीदार सदस्यता सं.075000	कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.नं.003708एन (सीए मिलन श्रीमाली) भागीदार सदस्यता सं.088578

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

स्थान : मुम्बई

तारीख : 24 मई, 2012

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

5वीं वार्षिक साधारण बैठक

पत्रा सं. या डीपी आईडी # / ग्राहक आईडी #	
धारित शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/की शेयरधारक की हैसियत से श्री/सुश्री _____ निवासी _____

_____ जिला _____ राज्य _____ को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री _____ निवासी _____

_____ जिला _____ राज्य _____ को बुधवार, 27 जून, 2012 सायं: 04.00 बजे, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल / रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में आयोजित होने वाली सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 5वीं वार्षिक साधारण बैठक में मेरे/हमारे प्रॉक्सी, मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख _____ माह _____ वर्ष 2012 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

कृपया 15 पैसे
का रेवेन्यू
स्टैम्प चिपकाएं

नाम _____

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता _____

प्रथम नाम वाले / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि :
क) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
ख) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
ग) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्राक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट अश्वरेंस के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित गया हो.
- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् 22 जून, 2012 को सायं: 5.00 बजे से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की सत्य प्रति के साथ बैंक में पहले से प्रस्तुत व पंजीकृत न कराई गई हो.
- बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
- प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि वैकल्पिक तौर पर दो लोगों के पक्ष में दिया गया हो, तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
- बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
- प्रॉक्सी फार्म की सभी काट-छांट पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
- प्रॉक्सी का प्रपत्र 'फार्म बी' में न होने पर वैध नहीं माना जाएगा.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

उपस्थिति पर्ची

5वीं वार्षिक साधारण बैठक 27 जून, 2012

दिनांक	27 जून, 2012
स्थान	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज कूपर अस्पताल/ रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
पत्रा संख्या या डीपी आईडी # / ग्राहक आईडी #	
प्रॉक्सीधारक / उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधि (यदि कोई हो) का नाम, स्पष्ट अक्षरों में	
उपस्थित सदस्य / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

पत्रा संख्या या डीपी आईडी # / ग्राहक आईडी #	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि
के नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग स्थान में प्रवेश करने के लिए इस विधिवत हस्ताक्षरित-सह-उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र प्रस्तुत करें। प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जिसे वे मीटिंग के समापन तक अपने पास रखेंगे। तदपि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा। किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हॉल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति-पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा।



CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S MESSAGE



Dear Shareholder,

It is my pleasure to present the Annual Report for the year ended 31st March, 2012.

At the outset, let me congratulate you on your great Bank completing 100 years of yeomen services to the people of this great nation. The Bank celebrated the centenary year across the country through all its offices and branches. During the centenary year, special cultural programme was organized at country's capital, New Delhi and at the financial capital, Mumbai. The programme held on 21.12.2011 at Delhi was graced by Shri Pranab Mukherjee, Honorable Finance Minister, GOI, Shri Namo Narain Meena, MOS, GOI, Shri D.K.Mittal (IAS), Secretary, Dept. of Financial Services, MOF, GOI. On this occasion following new initiatives were taken:

- ❖ Opening of 100 branches
- ❖ Release of ' History Book' on the Bank
- ❖ Inauguration of Financial Literacy and Credit Counseling Centre, Kota
- ❖ Launching of websites "Gateway to Prime Minister Relief Fund
- ❖ Felicitation of octogenarian Customers – living legend of the Bank

The programme held in Mumbai on 26.12.2011 was graced by Chief Minister of Maharashtra, Shri Prithviraj Chavan and during the event – opening of 100 ATMs , felicitations of unsung Heroes, felicitations of Gram Pradhan of Sangvi Mohadi village . VIP customers and Ex-Top Executives were also felicitated. The celebrations reaped a huge benefit by way of building a heightened brand-building of this great institution. Your bank can now boast as of one of the best Banking Brand in the country.


The year gone by has seen many negatives in the Economic and Political scenario both globally and locally. The adverse Balance of Payment, the crude oil price, the falling Rupee against the USD, the sliding GDP growth, the inflation – look from any angle, the situation looked challenging. Against all the adverse conditions, your bank showed a respectable growth in the operating profit, albeit under moderate growth in Deposit and Advances. The interest rate hike on resources also did its bit in reducing the margin on income. The commodity prices remained constantly high thereby forcing RBI to resort to successive hiking of policy rates. The Euro Zone continues to falter and possibly has reached the worst possible level.

The headline inflation and the core inflation still threaten the growth machinery of the economy. RBI's anti-inflationary stance may not allow it to soften the policy rates for greater part of this financial year. Despite a record food grain production in the Agriculture & Allied activities which recorded growth of 5.4 per cent during the last year, the supply and storage constraints worked adversely and could not contain inflation. Industrial production throughout the year showed a very tardy growth. The GDP projection was lowered successively to a level of 6.9%, as against a growth of 8.6 per cent during 2010-11.

Your Bank has achieved a total business level of ₹ 346898 crore. The Bank changed its strategies by clearly diversifying in favour of retail business. The High cost deposits (i.e above card rate) and CDs have been contained at the June'2011 level. This step was taken as a measure of cost management. There is a clear shift towards the retail credit growth. A bank with more than 4000 branches needs to be a Retail Bank. Our strategies have started yielding results and would show significant growth in the coming financial year.

Cost of fund of the Bank has gone up from 5.82 per cent for 2010-11 to 7.28 per cent for 2011-12, which is in line with the industry. However, despite the sharp increase in cost of funds, Net Interest Income was only marginally impacted from ₹ 5326 crore to ₹ 5169 crore. This was in the backdrop of an interest reversal amounting to ₹ 403 crore due to additional slippage in NPA.

Operating profit of your bank increased y-o-y by 8.65% from ₹ 2591 crore to ₹ 2815 crore. However, Net profit showed a fall from ₹ 1252 crore to ₹ 533 crore on account of provisioning in NPA and restructured accounts .The main factor was recognition of 100% system driven NPA and high exposure to Discoms and aviation sector. The severity of the economic conditions affecting the industrial and financial market sectors did not only affect your bank but all the banks in the country. Provisions and write back of interest amounted to ₹ 2685 crore during the year.



I really feel privileged to lead one of the largest Public Sector banks, that too joining this great institution at a time when it celebrated its centenary year. Despite the fact that the financial results have been only moderate, there have been a lot of qualitative improvements. The strong branch network of 4011 branches spread across entire geography of the country with matching workforce of over 35000 will lead your Bank to a greater height in the coming year. The guidance on financial parameters for the coming financial year aimed at achieving enhanced value for all the stakeholders in the Bank. I express my sincere gratitude for your unstinted support.

With best wishes,
Yours sincerely,

Mohan V Tanksale

Place : Mumbai
Date : May 24, 2012



Central Bank of India

Head Office, Chandermukhi Nariman Point, Mumbai - 400021.

NOTICE

Notice is hereby given that the Fifth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Wednesday, 27th June, 2012 at 4.00 P.M. at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/ Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (west), Mumbai - 400056 to transact the following business :

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2012, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2012, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2011-12.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Mumbai
Date: 08.05.2012

A K DAS
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 22nd June, 2012.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 PM on 22nd June, 2012.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/ proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS :

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23rd June, 2012 (Saturday) to 27th June, 2012 (Wednesday) (both days inclusive) for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend. Dividend will be paid to shareholders holding shares in electronic form as per the data provided by the Depositories on Friday, 22nd June, 2012 and to the shareholders holding shares in physical form as per the list provided by the Registrar and Transfer Agent as on the date of the Annual General Meeting of the Bank. Dividend Warrant shall be mailed within one month from the date of the Meeting.

6. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS) :

With a view to protect shareholders from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment.

These particulars along with the name of the shareholder will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, so that these warrants cannot be encashed by anyone else.

The above mentioned details should be furnished by the first / sole shareholder directly to the Registrar and Transfer Agent / DPs quoting the Folio No. or DP ID No. & Client ID No. and the number of shares held on or before 22.06.2012.

If shareholders choose not to submit any modification, the warrants will be printed based on bank mandate earlier received by the Registrar or data downloaded from NSDL / CDSL as on 22nd June, 2012 for Shareholders holding shares in dematerialized form. This is applicable for all shareholders who have not submitted ECS mandate(s).

The Bank is also offering ECS Direct Credit facility for those shareholders who maintain accounts with Central Bank of India branches residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of the Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. Shareholders are required to give details of their Account numbers and IFS Code No. of their bank branch in their ECS Mandate to facilitate the transfer of dividend to their designated account. For selected Centres, payment through NEFT/NECS will be effected wherever such facility is available.

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend from previous years viz. 2010-2011 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of The Companies Act, 1956 and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

8. CHANGE OF ADDRESS AND DIVIDEND MANDATE:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant, before commencement of the Book Closure at the following address:



Link Intime India Private Limited
Unit : Central Bank of India
C-13, Pannalal Silk Mills Compound
LBS Marg, Bhandup (West)
Mumbai, 400078
Phone: (022) 2594 6970
Fax: (022) 2594 6969
E-Mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

In case of shareholders holding shares in Electronic form, they are requested to intimate any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant etc., only to their depository participants as the aforesaid information provided by the Depository as on 22nd June, 2012 would only be considered for the purpose of payment and distribution of dividend.

9. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Mumbai
Date: 08.05.2012

A K DAS
Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary

DIRECTORS' REPORT 2011-12

To the Members,

Your Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report of the Bank along with the Audited statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2012.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank increased by ₹ 36135 crore to ₹ 346898 crore from ₹ 310763 crore in previous year, registering y-o-y growth of 11.63 per cent.
- Total Deposits increased by ₹ 16817 crore to ₹ 196173 crore, registering y-o-y growth of 9.38 per cent.
- Gross Advance of the Bank grew by ₹ 19318 crore to ₹ 150725 crore, registering y-o-y growth of 14.70 per cent.
- Operating Profit increased to ₹ 2815 crore from ₹ 2591 crore in 2010-11, registering y-o-y growth of 8.65 per cent
- Net Profit stood at ₹ 533 crore in 2011-12 as against ₹ 1252 crore in 2010-11.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) improved to 12.40 per cent from 11.68 per cent in previous year.
- Net worth increased to ₹ 10550.44 crore from ₹ 6909.54 crore.
- Gross NPA of the Bank increased by ₹ 4879 crore to ₹ 7273 crore from ₹ 2394 crore in previous year. In percentage term Gross NPA increased to 4.83 per cent in 2011-12 from 1.82 per cent in last year.
- Net NPA increased to ₹ 4557 crore from ₹ 847 crore in previous year. Net NPA percentage increased to 3.09 per cent from 0.65 per cent in previous year.
- Net Interest Margin (NIM) reduced to 2.78 per cent from 3.31 per cent in 2011.
- Average Business per Employee increased to ₹ 862 lakh from ₹ 835 lakh in previous year.
- Net Profit per Employee reduced to ₹ 1.51 lakh from ₹ 3.96 lakh in March 2011.
- Credit to Priority Sector increased to ₹ 40749 crore from ₹ 37469 crore in previous year, recording y-o-y growth of 8.76 per cent.
- Agriculture Advance of the Bank increased to ₹ 18950 crore from ₹ 18545 crore in 2010-11.
- Under the micro credit (credit up to ₹ 50,000 per borrower), Bank has extended credit of ₹ 216 crore.
- Advances to Micro & Small Enterprises (MSE) increased to ₹ 13518 crore during the year under review from ₹ 10999 crore in previous year.
- During the year 13256 new Self Help Groups (SHGs) were formed, out of which 6797 SHGs have been credit-linked.
- Under the Government Sponsored Programmes, Bank has provided assistance to 13525 SGSY beneficiaries, 4137 SJSRY beneficiaries & 6244 PMEGP borrowers during the year 2011-12.
- Bank has extended loan of ₹ 13214 crore to the borrowers belonging to the weaker section of the society.
- Education Loan grew by 32.95 per cent during the year and the total loan reached to ₹ 2058 crore.
- Bank has established 46 Rural Self Employment and Training Institute (RSETI) across India.
- Bank has sponsored 7 Regional Rural Banks (RRBs) covering 57 districts of 7 states with 1806 branches.
- A target of 3725 villages (having population over 2000) have been allotted under Financial Inclusion Plan. Bank has covered all the villages by 21st December 2011, well before the targeted time of 31st March 2012.
- The corporate credit of the Bank increased to ₹ 106758 crore from ₹ 84995 crore in previous year registering y-o-y growth of 25.61%.
- The retail credit grew by 39.72% from ₹ 12522 crore in 2010-11 to ₹ 17496 crore in 2011-12.
- Cent Param – Salary Account Scheme introduced specially for the armed and para military force with attractive features like free remittances, retail loans at concessional rates, customized credit cards etc.
- During the year 2011-12, Bank has earned commission of ₹ 13.53 crore in life insurance & ₹ 6.30 crore in non-life insurance business.
- Our 67 Regions have been declared as BIMA Region and 800 branches as BIMA Banks by LIC.
- Bank has introduced Family Floater Rural Health Insurance Scheme with the tie-up arrangement with general insurance partner Chola MS.
- A new recovery scheme "Krishak Rahat Yojana" introduced for the recovery in NPA accounts of Tractor/ Agriculture Loans and ₹ 15.51 crore has been recovered during the year.
- During the year, 7303 recovery camps were organized at different locations across the country and recovered ₹ 745 crore.
- As on 31st March 2012, Bank has a network of 4011 branches across the country. During the year 283 branches have been opened, which includes 121 extension counters and 5 satellite offices converted to full-fledged branches.
- Bank has installed 1682 ATMs till 31st March 2012.
- Under the organizational re-structuring process, Bank has delegated more powers to the Regional Managers to ensure decision making faster and Zonal Managers will work as Business Facilitator for Regional Offices for achieving Corporate Goals.



2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the period 2011-12 are given hereunder:

		₹ in crore			
		31.03.2012	31.03.2011	Variation	%
1	INTEREST INCOME	19150	15221	3929	25.81
	-Advances	14421	11254	3167	28.14
	-Investments	4347	3767	580	15.40
	-Others	382	200	182	91.00
2	OTHER INCOME	1395	1265	130	10.28
	(Profit on Sale of Investments)				
3	TOTAL INCOME (1+2)	20545	16486	4059	24.62
4	INTEREST EXPENDED	13981	9895	4086	41.29
	-Deposits	12996	9063	3933	43.40
	-Others	985	832	153	18.39
5	OPERATING EXPENSES	3749	4000	-251	-6.28
	-Establishment	2506	2964	-458	-15.45
	-others	1243	1036	207	19.98
6	TOTAL EXPENSES (4+5)	17730	13895	3835	27.60
7	SPREAD (1-4)	5169	5326	-157	-2.95
8	OPERATING PROFIT (3-6)	2815	2591	224	8.65
9	PROVISIONS-NPA/INVST./OTHERS	2169	932	1237	132.73
10	PROVISIONS FOR TAX	113	407	-294	-72.24
11	NET PROFIT	533	1252	-719	-57.43

- Interest Income grew by 25.81 per cent during the year
- Interest expenses on Deposits increased by 43.40 % to ₹ 12996 crore in March 2012 from ₹ 9063 crore in previous year.
- Expenses on employees reduced by ₹ 458 crore during the year to ₹ 2506 crore from ₹ 2964 crore in previous year, due to reduced provisioning requirement for pension.

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹ 2282 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2011-12 vis-a-vis previous year are detailed as under:

	(₹ in crore)		
	31.03.2012	31.03.2011	Variation
Provisions for Standard Assets	54	106	-52
Provisions for NPAs	1962	632	1330
Depreciation/Provision on Investments	151	154	-3
Provisions for Taxes	113	407	-294
Others	2	40	-38
TOTAL	2282	1339	943

4. SPREAD ANALYSIS

	(In percentage)	
	31.03.2012	31.03.2011
Cost of Deposits	7.20	5.71
Cost of Funds	7.28	5.82
Yield on Advances	11.36	10.29
Yield on Investments	7.53	7.45
Net Interest Margin	2.78	3.31
Cost Income Ratio	57.11	60.68

- Cost of Deposits increased from 5.71 per cent in 2011 to 7.20 per cent in 2012.
- The yield on advances was 11.36 per cent in 2011-12 and yield on investments was 7.53 per cent against 7.45 per cent in 2010-11.
- Net Interest Margin reduced to 2.78 per cent from 3.31 per cent in previous year.
- Cost to Income Ratio decreased from 60.68 per cent in 2011 to 57.11 per cent in the year under review.

5. BANKING RATIOS

	(In percentage)	
	2011-12	2010-11
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	9.22	8.49
Non-Interest Income to AWF	0.67	0.71
Operating Profit to AWF	1.36	1.45
Return on Average Assets	0.26	0.70
Business Per Employee (₹ in lakh)	862	835
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	1.51	3.96

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2012		31.03.2011	
	Basel-I	Basel-II	Basel-I	Basel-II
Risk Weighted Assets(₹ in crore)	147958	140823	128587	116619
Capital Funds (in percentage)				
Tier-I	7.50	7.79	5.81	6.31
Tier-II	4.46	4.61	4.93	5.33
Capital Adequacy Ratio	11.96	12.40	10.74	11.64

7. NET PROFIT & DIVIDEND

The Bank earned Net Profit of ₹ 533 crore for the financial year 2011-12. Despite lower profit, believing in the intrinsic strength of the Bank, the Board of Directors are pleased to recommend dividend @ 20 per cent on the Equity share Capital i.e. ₹ 2/- per Equity Share of ₹ 10/- each.



8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- Shri Mohan V. Tanksale was appointed as Chairman & Managing Director of the Bank in place of Shri S. Sridhar who retired as Chairman & Managing Director on 31.05.2011. Shri Mohan V. Tanksale took over the charge of the Bank w.e.f. 29.06.2011.
- Shri Alok Tandon was appointed as Govt. of India Nominee Director w.e.f. 15.11.2011 in place of Dr. Shashank Saksena who ceased to be a Director on the Board of the Bank on 14.11.2011.
- The term of Shri Brijlal Kshatriya and Prof. N. Balakrishnan as Shareholders' Director completed on 19.11.2011. Both the Directors were re-elected as Shareholders' Director w.e.f. 10.01.2012.
- Shri Guman Singh was appointed as Part Time Non Official Independent Director w.e.f. 08.08.2011.

9. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2012;

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31,2012;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

10. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

11. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Security and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Mohan V Tanksale
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : May 24, 2012

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A – ECONOMIC SCENARIO

GLOBAL DEVELOPMENTS

The after effects of the financial crisis of the 2008 have continued to impact global economy. The recovery process which started since then is beginning to freeze and the sovereign debt crisis in the euro zone area has started threatening the very survival of the Euro Zone. The global economy grew by 3.9% in 2011 against 5.3% in 2010 and expected to further fall to 3.5% in 2012 as per the International Monetary Fund's (IMF) April 2012 update of the World Economic Outlook (WEO). Gross domestic product (GDP) growth in advanced economies declined to 1.6 % in 2011 compared to 3.2 % in 2010 and again expected to fall to 1.4% in 2012. Similar trend is seen in emerging economies as they slowed to 6.2 % in 2011 compared to 7.5 % in 2010 and likely to fall to 5.7% in 2012.

DOMESTIC ECONOMY

Indian Economy in 2011-12 was surrounded by concerns of high inflation, burgeoning fiscal deficit and pronouncing current account deficit. The Economic growth moderated to 6.5% as per revised estimates of CSO against 8.4% seen in 2010-11. The growth has been disappointing on account of current uncertain global conditions and one of the worst performances in domestic industrial sector.

All the three sectors viz. agriculture, industry and services slowed down in 2011-12. Agriculture and allied agriculture growth fell to 2.8% against a high achievement of 7% in 2010-11, despite a record food grain production of 250 million tons in 2011-12. The contribution of agriculture and allied activities to GDP is only 14% but slow-down in agriculture growth has severe impact on the employment in this sector, that has a share in employment as high as 55%. The growth in services sector including construction sector is estimated to grow at 8.5 % in 2011-12 as against 9.2% in 2010-11 reflecting the down-turn in construction growth.

The industrial growth slackened due to the disappointing performance of mining and manufacturing. The index of industrial production for the 2011-12 grew at 2.8% as against 8.2% in 2010-11. This is on account of slow recovery in the US and Europe and due to tight monetary policy affecting the overall investors' confidence. The month-wise growth in IIP exhibited high volatility on account of fluctuation in growth of capital goods. The growth in capital goods declined from 37% in June 2011 to negative 25% in October 2011. The growth in Index of eight core industries viz. Coal, Crude oil, Natural gas etc. contributing 38% to the IIP has also fell to 4.3% during April-March 2011-12 compared to 6.6% during the corresponding period of the previous year. There has also been decline in capacity utilization in various infrastructure sectors, to name a few like cement and thermal power during April-November 2011-12.

On external front, the merchandise exports in 2011-12 has increased by 21% amounting to \$304 billion, thereby surpassing the indicative target of \$300 billion set for the year. The imports however too increased by 32% amounting to \$488 billion resulting in trade deficit of \$184 billion. This has widened current account deficit (CAD) to US\$ 53.7 billion (4.0% of GDP) from US\$ 39.6 billion (3.3 % of GDP) in April-December 2010.

The major concern during FY 2012 has been the inflation. For the whole year headline WPI Inflation remained high at around 9%, although it showed some moderation toward the end of the financial year. It started with 9.7% in April 2011 reached its peak at 10% in September 2011 and then declined to 6.9% in March 2012. The major contributors to the high level of inflation are crude oil, primary articles, metal and chemical prices.

The Rupee against dollar has fallen sharply during the year. In beginning of the financial year the exchange rate was at ₹ 44.37 /\$ fell to ₹ 52.68/\$ in December 11 rose moderately to ₹ 51.76 /\$ in March 12. This has been primarily because of the large current account deficit and balance of payments deficit.

MONETARY DEVELOPMENTS

For the FY 2011-12, the main focus of Monetary Policy was to curb inflation and anchoring inflationary expectation. It was reflected in strong anti-inflation stance, RBI raised the repo rate 13 times since March 2010. The overall liquidity position during the year has remained in a squeezed mode. Average net injection of liquidity under the daily liquidity adjustment facility (LAF) surged from a low ₹ 4000 crore at the beginning of financial year to ₹ 50 thousand crore in September 2011 to around ₹ 1.4 Lakh crore during February 2012 and further to ₹ 1.6 Lakh crore during March 2012. To ease liquidity deficit, the RBI conducted Open Market Operations (OMOs) and cut CRR from 6% to 5.5% in Third Quarter Monetary Policy Review to further 4.75% i.e. by 75 bps on March 10, 2012.



Money supply (M3) growth moderated to 13 % at end-March 2012, lower than the Reserve Bank's indicative trajectory of 15.5 % resulting in slower deposit growth.

BANKING

The Aggregate deposit growth for the financial year has been 17.4%, that is marginally above the 17% indicative target set by the RBI. The main reasons behind the slow deposits growth were high inflation and depositors moving their funds to better avenues like gold and real estate. The credit growth was 19.4%, that surpassed the indicative target of 16% (revised downward from 18% set earlier in the year). However, the credit growth has slowed in comparison to last year due to slowdown in economic growth and battered sector of industries like textile, steel, mining, infrastructure etc.

The RBI has unveiled the guidelines on Basel III. These guidelines would become effective from January 1, 2013 in a phased manner and will be fully implemented by March 31, 2018. As per these guidelines, Banks have to maintain a minimum overall capital adequacy of 11.5% (against the current 9%) by March 31, 2018.

Part B – PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2012, the total business of the Bank was ₹ 346898 crore, registering a growth of 11.63% from the previous year figure of ₹ 310763 crore. The operating profit reached to ₹ 2815 crore from previous year figure of ₹ 2591 crore, marking a growth of 8.65%. The Bank has posted net profit of ₹ 533 crore in 2011-12 as against ₹ 1252 crore in previous year.

RESOURCE MOBILISATION

The total deposits as on March 31, 2012 stood at ₹ 196173 crore, registering a growth rate of 9.38 % over previous year. Savings Bank Deposits increased to ₹ 52595 crore in 2011-12 from ₹ 47645 crore in last year. Current Deposits declined from ₹ 15431 crore in 2010-11 to ₹ 12680 crore in 2011-12. The share of CASA deposits to total deposits was 33.27 per cent. Term Deposits increased to ₹ 130898 crore with y-o-y growth of 12.57 per cent from ₹ 116280 crore in 2010-11.

CREDIT

As of 31.03.2012, the gross credit of the Bank stood at ₹ 150725 crore as against ₹ 131407 crore in the previous year, registering y-o-y growth of 14.70%. The growth in credit is diversified in all segments with higher growth in retail lending and industries viz. Iron & Steel, All Engineering, Other Textiles etc. Retail lending and Corporate Credit have registered sizable growth as under:

₹ in crore

	As on 31.03.2011	As on 31.03.2012	Growth (%)
Corporate Credit	84995	106758	25.61
Retail Lending	12522	17496	39.72
Priority Sector Credit	37467	40749	8.76

CREDIT MONITORING DEPARTMENT

- ❖ Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.
- ❖ The policy was approved by the Board in May 2011 and implemented across the Bank with effect from 1st July 2011. The policy will be reviewed annually.
- ❖ An independent vertical under an independent charge of Chief General Manager has been created for Credit Monitoring w.e.f. 1st August 2011.
- ❖ As per Monitoring Policy guidelines, Monitoring Committee is formed at Central Office level as well as at the field level to review and monitor SMA accounts periodically.
- ❖ Meetings were also conducted at different locations at Regional Offices and Zonal Offices to have one-to-one interaction with the SMA borrowers to chalk out strategies for recovery/up-gradation of the accounts.

- ❖ The Bank is also implementing Centralized Loan Appraisal System & Supervision (CLASS) software for monitoring Corporate, SME, Retail and Priority Sector advances on real-time basis.
- ❖ The Bank has also submitted point-wise compliance to all the earlier Annual Financial Inspection (AFI) Reports and the AFI Reports up to 2010 are closed and all the observations of AFI 2011 have been replied to.

PRIORITY SECTOR CREDIT

The credit deployed under priority sector increased from ₹ 37467 crore to ₹ 40749 crore in 2011-12, recording a y-o-y growth of 8.76%. Out of this, the direct Agriculture advance has recorded a growth of 20.60% over 2010-11. The performance recorded by the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2012 is as under:-

₹ in crore

S No.	Particulars	March 2011 AFI corrected figures	March 2012	Growth (%)
	Adjusted Net Bank Credit (ANBC)	106146	131277	
1	Priority Sector Advance Percent to ANBC	37467 35.30	40749 31.04	8.76
2	Total Agriculture Advance Percent to ANBC	18545 17.47	18950 14.43	2.18
3	Direct Agriculture Advances Percent to ANBC	12561 11.83	15148 11.54	20.60
4	Indirect Agricultural Advances Percent to ANBC	5984 5.64	3802 2.90	-36.46*
5	Micro & Small Enterprises	10999	13518	22.90
6	Education Loan	1548	2058	32.95
7	Housing Loan (upto ₹ 25.00 lacs)	6106	6006	-1.64
8	Micro Cr. & other	269	216	-19.70

* Negative due to change in classification norms

AGRICULTURE

Total Agriculture credit increased by 2.18% from a level of ₹ 18545 crore as on 31.3.2011 to ₹ 18950 crore as on 31.03.2012. The share to adjusted net bank credit (ANBC) stood at 14.43%.

AGRI BANKING PORTAL

It is started in the Bank's website incorporating all our agricultural lending schemes and simplified Common Application Forms.

MICRO CREDIT

The Bank has extended credit of ₹ 216 crore to beneficiaries where the loan amount does not exceed ₹ 50000 per borrower.

MICRO & SMALL ENTERPRISES (MSE) - ONLY PRIORITY SECTOR PORTFOLIO

The advances to MSE increased to ₹ 13518 crore at the end of the current year from ₹ 10999 crore as on 31.03.2011. 202 branches have been identified for focused attention on MSE credit. Extensive training has been provided to Branch Managers of these branches at our Apex Training Institute in Mumbai. These branches are now adopting cluster-based approach for accelerated growth under the MSE. Further, the Bank is extending collateral free loans up to ₹ 100 lakhs for setting up units under Micro & Small Enterprises sector, which are also eligible for cover under CGTMSE scheme. Bank has organized 9 Entrepreneurship Development Programmes and 12 symposiums across the country, for new, young and budding MSE entrepreneurs.

MSE PORTAL

Started on the Bank's website incorporating all our lending schemes and simplified Common Application Forms.



SELF HELP GROUPS

During the year 13256 groups were formed under the scheme by the Bank. Out of which 6797 groups have been credit-linked. Since inception of the scheme the Bank has formed 152190 SHGs out of which 95128 groups are credit-linked with outstanding balance of ₹ 766.57 crore at the end of the year. Out of the credit-linked groups, 76953 are women SHGs with total sanctioned limits of ₹ 603.26 crore which comes to 80.90% of total credit linked groups.

PERFORMANCE UNDER LEAD BANK:

Our Bank is shouldering the responsibility of Lead Bank in 48 districts of the country. Our Lead Bank officers are coordinating with other banks in the district. Particularly in matters like branch expansion and credit planning. They are also coordinating with Govt. offices.

AGRICULTURAL DEBT WAIVER AND DEBT RELIEF SCHEME 2008

Bank has lodged the claim under Debt Waiver and Debt Relief scheme 2008 separately with RBI for their reimbursement, the position is as under :-

₹ in crore

Debt Waiver scheme		Debt Relief Scheme		Total	
A/cs	Amount	A/cs	Amount	A/c	Amount
447000	978.54	67072	147.77	514072	1126.31

RBI/Government of India reimbursed the full amount of ₹ 1126.31 crore to Bank.

STATE LEVEL BANKER'S COMMITTEE (SLBC)

Bank is convener of SLBC in the state of Madhya Pradesh. During the year 2011-12, four SLBC meetings were held to review and monitor the progress made in the State under various parameters including Government sponsored programmes by different development agencies.

GOVERNMENT SPONSORED PROGRAMME (2011-12)

During the year, the Bank has sanctioned loan under different Government sponsored programme as under :

₹ in crore

Sr.No.	Scheme	Disbursement during 2011-12	
		A/c.	Amount
1	SGSY	13525	134.18
2	SJSRY	4137	26.01
3	PMEGP	6244	185.97

ADVANCES TO WEAKER SECTIONS

During the year, the Bank has extended loans of ₹ 13214.22 crore to various categories of weaker sections which constitutes 10.07% of ANBC, which is above the target (10%) envisaged by Government.

ADVANCE TO MINORITY COMMUNITIES

Govt. of India in its new Prime Minister's 15 point programme for welfare of Minorities has envisaged a target of 15% of priority sector lending to minority communities. Bank has extended various loan facilities amounting to ₹ 6179.54 crore to 541224 beneficiaries, belonging to different Minority communities which accounts for 15.16% of Priority Sector lending as on 31.03.2012.

ADVANCES TO WOMEN BENEFICIARIES

Credit disbursement to women beneficiaries, has improved over the past year resulting the outstanding credit to women as on 31st March 2012 at ₹ 6585.14 crore. This is 5.02 % of ANBC as against the stipulated RBI norms of 5% of ANBC.

DIFFERENTIAL RATE OF INTEREST (DRI)

Advances under DRI scheme were ₹ 35.18 crore on 31st March 2012.

CENTRAL KISAN CREDIT CARD (CKCC)

Bank has issued Kisan Credit Cards to 1369858 beneficiaries till 31st March 2012, amounting to ₹ 8428.05 crore.

SOCIAL SECURITY SCHEMES

1. JANSHREE BIMA YOJANA

The scheme is operated in association with LIC of India to provide life insurance cover to rural and urban poor women, who are below or marginally above the poverty line and who are members of credit linked women SHGs of our Bank. Bank has already covered 21267 women beneficiaries with premium amounting to ₹ 21.26 lakhs during the year 2011-12.

2. RASHTRIYA KRISHI BIMA YOJANA

Under the scheme, cover is extended to the farmers for the losses due to non-preventable risks like natural calamities etc. The above scheme is available throughout the country for cereals, oilseeds in the notified states / areas.

3. CENT JANATA CREDIT CARDS (CJCC)

Bank has issued 34261 cards (including Overdraft accounts) amounting to ₹ 34.75 crore to beneficiaries residing in the rural and semi urban areas to meet their requirements.

4. RURAL GODOWNS AND WAREHOUSES / COLD STORAGES

Bank has extended advances for construction of rural godowns and warehouses / cold storages to 362 accounts amount is ₹ 685.78 crore so that farmers are not compelled to make distress sale of their produce during peak season. Bank has extended advance for warehouse and cold storage in various accounts and farmers are taking benefits of these schemes. This does not include advance against warehouse receipts.

5. "CENTRAL BANK OF INDIA SAMAJIK UTTAN AVAM PRASHIKSHAN SANSTHAN" (CBI-SUAPS)

Bank has opened 49 FLCCs. FLCCs to provide free Financial Literacy to the villagers on the various banking products and counseling to distressed farmers / borrowers, irrespective of clientele.

6. RURAL SELF EMPLOYMENT AND TRAINING INSTITUTE (RSETI)

Bank has established 46 RSETIs (44 in lead districts and two in non lead district allotted under SLBCs). Under this 715 training programmes conducted and 23289 candidates were trained.

7. INDIRA AWAS YOJANA

Bank has extended loan of ₹ 101.15 lakh to 509 beneficiaries under the scheme for construction of dwelling units.

FINANCIAL INCLUSION

3725 villages having population more than 2000 have been allotted to the Bank to cover under Financial Inclusion Plan by March 2012. Bank has covered all these villages by 21 December 2011, 3629 villages have been covered through Business Correspondent model and 96 villages have been covered through brick and mortar branches.

A total of 8012 villages, including villages with population less than 2000, have been covered under financial inclusion and 4701 Business Correspondents were appointed. We have issued 30.93 lacs Smart Cards in these villages. All the accounts have been migrated to our CBS.

We have developed five tailor made products exclusively to be delivered through BC Model.

- **Cent Bachat khata** - No Frill Account for making and receiving remittances.
- **Cent Vikas khata** - SB a/c with limited OD facility up to ₹ 2500/-
- **Cent Smart Kisan Credit Card** - Entrepreneurial/consumption credit to farmers up to ₹ 25000.
- **Cent Smart General Credit Card** - Entrepreneurial/consumption credit to non-agriculturist up to ₹10000.
- **Cent Variable Recurring Deposit Scheme** - Pure deposit product for term up to 3 years with variable installments.


Bank has also launched an urban inclusion project at Delhi and NCR.

All 3662 villages, with population above 2000, allotted to our 7 sponsored RRBs under Financial Inclusion Plan have also been covered.


RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes increased from ₹ 12522 crore as on 31.03.2011 to ₹ 17496 crore as on 31.03.2012, registering quantum growth of ₹ 4974 crore and percentage growth of 39.72% over March 2011. The retail portfolio of the Bank was 11.61 per cent of total advances.

RETAIL LENDING GROWTH AT A GLANCE (₹ in crore)						
	31/03/2010		31/03/2011		31/03/2012	
	Actuals	Y-O-Y Growth	Actual	Y-O-Y Growth	Actual	Y-O-Y GROWTH
Retail Advances	9902	9%	12522	26%	17496	40%
Total Advances	107319	24%	131407	22%	150725	15%
% of Total Advances	9%		10%		12%	



SHARE OF RETAIL CREDIT IN TOTAL CREDIT PORTFOLIO (₹ in crore)		
	MAR'11	MAR'12
RETAIL CREDIT	12522	17496
TOTAL CREDIT	131407	150725
SHARE OF RETAIL	9.53%	11.61%



Introduction of new Retail Loan schemes

1. Launching of Scheme for financing small entrepreneurs "Cent Sahyog"- Bank has introduced a new Retail Loan Product "CENT SAHYOG", particularly for the (MSE) Micro and Small Enterprises sector (Manufacturing & Services) with Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) cover. The objective of the Scheme is to offer hassle free financial requirement up to ₹ one crore to the MSE segment which is large and mostly unbanked. Special emphasis has been given to tiny entrepreneurs with financial assistance up to ₹ 10 lacs. The scheme has become operative from October 2nd, 2011.

The scheme has been very well received by the MSE segment which is evident from the fact that ₹ 200 crore encompassing 2834 accounts has already been disbursed under the scheme within a short span of 6 months despite its small ticket size.

2. Housing Loan Variants-

❖ **Cent Home Swabhiman Plus**

This product is introduced to facilitate Seniors/Senior Citizens to avail Home Loan with reverse mortgage facility and we also tied-up with Tata Housing Development Ltd for a project of houses for Senior Citizens/ citizen above 55 years of age.

❖ **Special Housing loan scheme for employees of Central / State Govt. and employees of PSUs of Central Govt.**

Under the Scheme, Housing loan was extended to Central/ State Govt. employees and employees of PSUs of Central Government at base rate.

❖ **Scheme for staff members for conversion of outstanding balance in staff housing loan scheme into direct housing loan scheme on the day of retirement.**

The scheme is aimed at retaining the staff housing loans with the Bank after retirement.



3. Cent Param

Salary account scheme with many attractive features like free remittance, Retail Loans at concessional rates, customized credit cards etc. was specially designed for the armed and para military forces.

4. Comprehensive Scheme on Channel Financing

Channel Financing is an innovative option for extending working capital finance to dealers who have business relationships with large companies. It is also a mechanism through which a Bank / Financial Institution meets the various funds related requirements along the Supply Chain at the suppliers end. This thereby helps the supplier in sustaining a seamless business flow and avoiding working capital related difficulties.

- ♦ Modification in the existing Retail Loan Schemes:

Schemes	Modifications
Cent Home Loan Plus	<ul style="list-style-type: none"> • Overall limit was enhanced. • Eligibility criteria changed.
Cent Mortgage	<ul style="list-style-type: none"> • Property situated at rural location was made eligible for finance. • Delegated lending powers of Branch Managers suitably increased. • Other constraints removed.
Cent Rental	<ul style="list-style-type: none"> • Delegated lending powers of Branch Managers suitably increased. • Other constraints removed.
Cent Vidyarthi	<ul style="list-style-type: none"> • IBA Model education loan scheme introduced.
Executive MBA Scheme	<ul style="list-style-type: none"> • Scheme modified and coverage widened.
Educational Loans to students of IIMS	<ul style="list-style-type: none"> • Eligible quantum of loan enhanced from ₹ 12.5 lakh to ₹ 20 lakh. • No collateral / guarantee required .
Loans to pensioners	<ul style="list-style-type: none"> • Eligible quantum of loan suitably enhanced. • Age based eligibility improved.
Personal Gold loan	<ul style="list-style-type: none"> • Loan Limit per gram increased.

- ♦ **Rationalization of Schemes:** Several Retail Lending Schemes have been launched by the Bank over the years which were either client specific or purpose specific, in order to cater to the demand of the market at various points of time. The product basket under Retail Lending have been rationalised.

In order to provide relief to the borrowers from the fluctuating amount of EMI due to upward revision in interest rates, the repayment period can now be readjusted accordingly and EMI will remain unchanged.

- ♦ **Outsourcing Policy:** Out sourcing of Contact Point Verification (CPV) and Document Verification Reports (DVR) for the Retail Loan proposals sanctioned through CCPC can now be done. The work is to be outsourced to the well-known Field Investigating Agency (FIA) by calling for Request for Proposal (RFP) at Zonal level for the CCPCs under the Zone. The methodology of outsourcing should strictly be in terms of the "OUTSOURCING POLICY" of the Bank.
- ♦ **Central Registry:** In terms of rules framed under the Central Registry under the provisions of SERFAESI Act, 2002, all mortgages created by deposit of title deeds are required to be registered with the Central Registry within 30 days from the date of creation of mortgage. As the notification was made by Govt. of India on 31.03.2011, it effectively means that all mortgages created/ to be created by our Branches by deposit of Title Deeds on or after 31.03.2011 need to be registered with the Central Registry. The Department has taken all necessary steps to stream line the process so that data entry can be done centrally at the Regional Offices. A new version of the Central Registry has now been introduced from 01.04.2012 based on the Checker / Maker concept requiring Digital Certificates for the Checkers. Department has assigned the job of issuing Digital Certificates to Sify Technologies Ltd. Currently, the new version is under implementation in the Bank.

- ◆ **Retail Lending Policy** - A vibrant economy has created a large middle class segment with a huge purchasing power in the country. Sensing the scope of this burgeoning retail market, there has been a paradigm shift in the approach of Banks in India, who are now targeting these individual borrowers for affording financial assistance rather than the corporate segment, which of late has lost its sheen due to decreasing NIM. Considering the importance ascribed to Retail Lending in our corporate goal, need for a Retail Lending Policy was felt. The department has come up with a Retail Lending Policy (2011-12). The Policy aims at providing a uniform and hassle free appraisal method for Retail Loans to the field level functionaries, as well as outlining major features of Retail Lending schemes and risk mitigating measures.



Dr. Ram S Sangapure, GM-Retail Banking, Central Bank of India, exchanging MoU with Sri K. Srinivasan, Vice President, TVS Motors in the august presence of Sri Mohan V. Tanksale, Chairman & Managing Director, Smt. V.R. Iyer, Executive Director & Sri R. K. Dubey, Executive Director and Sri BVVSB Rao, Dy. General Manager, Retail Banking, of Central Bank of India are also seen in the photograph.

Other Initiatives

- ❖ As on 31st March 2012, 23 Centralized Credit Processing Centers (CCPCs) are functioning at major Regional headquarters across the country.
- ❖ Bank has applied for opening of 54 CCPCs at remaining Regional headquarters.
- ❖ In the second half of the financial year, Bank acquired new software CLASS for processing retail loans, monitoring accounts and managing NPAs effectively.
- ❖ Successfully customized our Retail Loan products in the new software and launched in 16 CCPCs. It will be launched for all the products at all CCPCs / branches during April – May, 2012.
- ❖ Bank has planned to open Retail Asset Branches (RABs) in Financial Year 2012-13 at all Regional headquarters.
- ❖ Entered into tie-up with TATA Housing, Maruti Suzuki India Ltd. and TVS Motors.

Bank received the Golden Peacock Award for Innovative Product/Service for its retail product Cent Sahayog, which was launched on 2nd October, 2011. The product has been designed to strengthen the micro and small manufacturers and service providers (MSE) through a process of fast and hassle-free credit delivery, this product aims to bring this largely unbanked segment into banking fold. The product has achieved unprecedented success and within six months of launch, has garnered sizeable business of ₹ 200 crore.

FUTURE PLANS

Initiatives

Products/ Services

- ❖ To keep pace with the Industry standards and peer Banks and to meet the diverse financial demands of the customers, Bank is continuously modifying and revamping the existing retail lending schemes like Cent trade, Cent Mortgage, Direct Housing Finance, Education loan for Executive MBA, Cent Vidyarthi Scheme under revised IBA Model Education Loan Scheme.
- ❖ To cater to the latent demand of our customers we have also introduced new schemes like Cent Sahyog, Cent Param, and Special Housing Loan for Govt. / PSU employees.



- ❖ We are also in process of devising new schemes like Redevelopment of old Housing Society, Cent Home for Senior Citizens and Housing Loan with OD facility.

Technological Initiatives: Introduction of CCPCs and CLASS software

- ❖ In a major step towards streamlining loan appraisal process and for creating a robust framework for monitoring the loan accounts our Bank has obtained CLASS (Computerized Loan Appraisal System and Supervision) Software for loan processing, sanctioning and monitoring of retail advances.
- ❖ The software takes care of the entire process starting from origination & sanction of the proposal to final monitoring and NPA management in the product. This also helps to reduce the turnaround time in loan appraisal and facilitates paperless processing of applications.

Tie Up Arrangements

- ❖ To give a boost to our retail credit we have tied up with more than 160 educational institutes, vehicle manufacturers namely Tata Motors, Maruti Suzuki, TVS Motors.
- ❖ We also tied up with Indian Dental Association (IDA) to provide our retail advances to Dentists and their family members.
- ❖ We are also in process of tie up with Foreign Educational Institutes to boost our Foreign Education Loan portfolio.

Other Initiatives

- ❖ With the introduction of the Retail Lending Policy, field functionaries now have been provided with a hand book containing all major parameters related to Retail Lending.
- ❖ Implementation of the new version of Central Registry with provision for batch uploading of mortgage data, so that eventually every Branch will be able to upload data independently.
 - ❖ To boost our Housing Loans we are in process of tie up with reputed builders like NYATI, MCHI, and Lodha Group and Tata Housing Projects etc.
 - ❖ For meeting the different insurance needs of our clients we have tied up with Bajaj Alliance for Education Loans, Kotak Mahindra Life Insurance for Special Package Housing loans.

STRATEGIES

NPA MANAGEMENT STRATEGIES UNDER RETAIL LENDING

In order to implement a sustainable NPA management mechanism which would include monitoring, prevention of slippages through early warnings and adequate recovery measures, the following strategy has been formulated:

- ❖ Introduction of CLASS software for all the retail products w.e.f. 01/04/2012 will help the branches in monitoring the retail advances from the 1st day of overdue.
- ❖ The software allows Regional Offices/ Zonal Offices to monitor the overdue from their offices.
- ❖ Branches will be advised to take necessary steps including action under SARFAESI Act to recover the dues.
- ❖ Conducting recovery camps on regular basis to recover the NPA amount and settle the accounts in the recovery camps under OTS.
- ❖ Close monitoring from Central Office and exclusive monitoring team at Retail Banking Department.
- ❖ Forming Teams at RO for DATA Cleansing and to reduce system driven NPAs.
- ❖ Ensuring Notices under Section 13 (2) are issued immediately, possession of property taken and property auctioned, in NPA accounts, where immovable property is held as security.
- ❖ All the Mortgaged properties are registered with Central Registry.

STRATEGIES FOR INCREASING RETAIL CREDIT

- ❖ Marketing Teams to visit various departments of State Governments/Central Government/PSUs/Defence /Paramilitary forces to canvass salary accounts / Housing Loan & other Retail products.
- ❖ Conducting multipurpose camps for sanction of Retail loans & recovery in NPA accounts.
- ❖ Cross selling of the Product by approaching corporate for opening their salary Account.
- ❖ Housing Loan: - Tie up with reputed builders such as LODHA builders, Shapoorji Pallonji ,Shah Builders, Godrej Property, Bombay Reality etc., participating in real estate expo and trade fairs/ Property Mela.
- ❖ Tie up with TATA Housing Finance for financing housing loans for senior citizens.
- ❖ Overseas Educational Loans: - Thrust will be given for overseas education loans which are generally secured by suitable collateral security. We are also exploring opportunities for tie up with Educational Consultants, Institutes having collaboration with foreign universities and participating in foreign education fairs.
- ❖ Cent Param : Exploring the vast banking potential of defense and para Military personnel through lucrative benefits of Cent Param. Tie up with NYATI builders to provide Housing loans to defense personnel.
- ❖ Cent Sahyog: Explore opportunities to penetrate more into MSE sector by arranging knowledge camps and sponsoring trade fairs for MSE businessmen.
- ❖ Marketing of Retail Products: The marketing division will be strengthened and the Retail Products will be given more visibility through greater synergy between the Marketing and Retail Departments.

INTERNATIONAL DIVISION

Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 97 Authorized Dealer Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience. During the current Financial Year, the Export Credit portfolio of the Bank increased from ₹ 3865 crore as on 31.03.2011 to ₹ 4262 crore as on 31.03.2012. Bank has opened specialized NRI Branches in Anand, Margao, Hyderabad and Bhuj to cater exclusively to the NRI clients. Bank has installed e-learning and decision making software "Instant NRI" and "Instant LC++" on its intranet for use across branches.

In the Financial Year Bank has obtained permission for opening of its Representative Office at Nairobi, Republic of Kenya from the home regulator Reserve Bank of India and Representative Office will become functional during 2nd Quarter of FY 2012-13. Bank has also proposed to open Branch in DIFC Dubai and counters at airports.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

The investment portfolio of the Bank has increased to ₹ 59577 crore as on 31st March 2012 as against ₹ 58287 crore as on 31st March 2011 thereby recording an increase of 2.21% over the previous year. The ten year benchmark yield stood at 8.57% as on 31st March 2012.

In debt market, yields hardened on account of consistent increase of policy rates by RBI and increase in borrowings. RBI raised Repo and Rev Repo rate to 8.50% from 6.75% as a measure to curtail increasing inflation. During the period benchmark yield scaled up from 7.98% as on 31st March 2011 to 8.57% as on 31st March 2012.

Increase in borrowing by Govt. put pressure on liquidity and it was in deficit mode for most part of the year. RBI came out with OMO purchases to ease mounting liquidity pressure in the system during the period from November 2011 to March 2012. RBI purchased securities worth ₹ 135000 crore and infused liquidity to that extent. RBI also cut CRR by 125 bps which infused approx. ₹ 80000 crore in the system.

In the liquidity stressed conditions and hardening yield scenario, treasury recorded trading profit of ₹ 320.06 crore marginally higher as compared to previous year trading profit of ₹ 311.93 crore. This was achieved by strategic planning of resources and grabbing the market opportunities with proper analytical views. Investment increased just by 2.21% and yield on investment increased from 7.45% to 7.53%.



In compliance with the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has transferred Govt. and State Govt. securities amounting to ₹ 4064.25 crore from AFS to HTM and booked depreciation of ₹ 159.75 crore. The composition of investment portfolio of the Bank as on 31st March 2012 is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Composition	31.03.2011	31.03.2012
1.	SLR	48054.94	50977.43
2.	Non-SLR	10232.14	8599.33
	TOTAL	58287.08	59576.76

During the year, Bank has recovered an amount of ₹ 24.29 crore in written off accounts.

DERIVATIVES

Bank has actively traded in both interest rate and currency derivatives. Among the Interest rate derivatives Bank has traded in Overnight Indexed Swaps. Bank also traded actively in currency futures and forwards in the currency derivative segment. Bank has also used derivatives for hedging purpose. Bank has earned ₹ 3.31 crore in derivatives transactions.

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Policy Committee (CRPC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team. These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary. The Bank has identified officers in the rank of Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Regional Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Regional Level. The Bank has also identified officers at the senior level in various functional departments of Central Office to act as 'Nodal Officers' in the matter of submission of data relating to Risk Management and support risk management in the Bank.

Market Risk Management

The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management. The tools such as VaR and Duration analysis are used on an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's NII in the short run and equity value in the long run. A model to estimate Capital charge on trading portfolio on ongoing basis is developed by TCS which is being implemented as per the Basel II guidelines on the Market Risk. The Bank has reviewed the existing Investment and Market Risk Management Policy. Counter party limits for Forex dealings have been fixed / reviewed as per their latest standing and rating in the market.

Credit Risk Management

Bank has a well-documented Credit Risk Management Policy, which was last reviewed by the Board on 30.05.2011. The Bank has approved procurement of Facility Rating Module with Risk Adjusted Return on Capital (RAROC), Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) assessment tools from CRISIL Ltd. The tool is installed and made operational in the first quarter of 2011-12. The Bank is also developing Portfolio Rating Models for grading retail loan portfolios where ratings of individual loan entities are not feasible on an on-going basis. The developments in credit risk management are being reported to and monitored by the Credit Risk Policy Committee headed by the Executive Director. As preparedness for moving to advanced approaches, bank is in the process of developing models for calculating PD, EAD & LGD for both Corporate & Retail portfolio.

Operational Risk Management

Sound Integrated Risk Management Structure encompassing Operational Risk in the business is guided in the Bank by a well laid down Operational Risk Management Policy.

Operational Risk Management Committee (ORCO) reviews the risk profile of the Bank on quarterly intervals and the oversight by the Board of directors strengthens the qualitative aspects related to Operational Risk. Bank is developing models and will apply to RBI for graduating to Advanced Measurement Approach under Operational Risk. Implementation of New Product Approval Policy Framework guides the Bank for mitigating the risk associated with new products or activities.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Capital requirement for bank is drawn for a time horizon of 4 years. Capital requirement is seen in relation of maintaining minimum regulatory capital requirement. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a quarterly basis.

Asset & Liability Management Systems

ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the Bank with an objective of profit maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) met 24 times during the year to review the position of the Bank with regard to liquidity and other related matters.

Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate and BPLR fixation. During the year 2011-12, revision was made seven times in deposit interest rates and the Base Rate was revised twice.

ALM department presents different analysis with regard to position of idle assets (Cash in hand, Balance with other banks etc.), rate of interest wise/ Base Rate/BPLR/ Fixed Rate wise classification of advances, comparative working results of peer banks vis-à-vis our bank etc. before top team for making meaningful decisions.

Implementation of Basel II Guidelines

Reserve Bank of India has issued updated master circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2011. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel II norms with effect from 31st March 2009 and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.

Bank has appointed a solution provider for implementation of the internationally reputed SAS Risk Management solution throughout the bank to meet Basel II norms. Reserve Bank of India has set out timelines to the commercial banks for graduation to advanced approaches. Banks were advised to undertake an internal assessment of their preparedness for migration to advanced approaches. Our Bank is the first among all commercial banks to have submitted its application to RBI for graduating to The Standardized Approach (TSA) under Operational Risk. The Bank has appointed a consultant to evaluate / assess the preparedness of the Bank for moving to advanced approaches in respect of all risks and to enhance / Strengthen existing Risk Management Systems, Policies, Procedures, Process, MIS, Analytics etc and also to implement integrated risk management system in the Bank. All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Market Discipline and Disclosures Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.

Our Bank's preparedness for Basel - III

RBI has issued final guidelines on Implementation of Basel III on 2nd May 2012. These guidelines would become effective from January 1, 2013 in a phased manner. The basel III ratios will be fully implemented as on 31.3.2018.

For the financial year ending 31.3.2013, banks will have to disclose the capital ratios computed under the existing guidelines (Basel II) on capital adequacy as well as those computed under the Basel III capital adequacy framework.

Basel III guidelines aim at improving the quality of the capital, address the liquidity position in addition to the leverage. The bank is in the process of internal assessment of the capital, liquidity ratio and the leverage ratio under Basel III regime and steps are afoot for putting the requisite system, in place.

RECOVERY

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Staff Accountability, SARFAESI Act, Willful Defaulters and MIS. The policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes /developments in Economy and trends in NPA Resolution.



As per directives of Ministry of Finance, Government of India, we have switched over to 100% system based identification and collation of NPAs by 30.09.2011. Our Bank had moved to 100% CBS platform in December 2010 only, whereas peer banks had completed the exercise much earlier. As such, we have completed the data cleansing exercise in 9 months, compared to 2 to 3 years available to peer banks. Hence, there is increase in Gross NPA during the year. We have put in place proper on-going strategies to rectify such errors and hopeful of a handsome up-gradation in the next fiscal.

1. During the year 2011-12, the Bank has improved recovery performance but due to high slippage on account of adoption of system driven NPA and adverse economic conditions, the NPA level has gone up.
 - a. Gross NPA level has gone up from ₹ 2394 crore to ₹ 7273 crore
 - b. Net NPA has increased to ₹ 4557 crore from ₹ 847 crore in previous year.
 - c. Gross NPA and Net NPA Ratios have increased from 1.82% to 4.83% and 0.65% to 3.09% respectively.
 - d. Cash Recovery has increased from ₹ 736 crore (including sale of assets ₹ 177.74 crore) to ₹ 754 crore (including sale of assets ₹ 75 crore).
2. Special OTS Scheme for NPA accounts up to outstanding ₹ 1.00 lac was extended up to 31/03/2012. An amount of ₹ 37.73 crore has been recovered.
3. Under the Simplified OTS Scheme for NPA accounts of outstanding above Rs1.00 lac up to ₹ 10.00 lacs , Bank has recovered ₹ 18.17 crore during the year.
4. A new scheme –“ Krishak Raahat Yojna” was introduced during the year 2012 for recovery in NPA of Tractor/ Agriculture loans of sanctioned limit Up to ₹ 10.00 lacs and an amount of Rs15.51 crore has been recovered.
5. DRT LOK ADALATs and District Level LOK ADALATs and other recovery Camps were conducted at different locations at Regional/Zonal Offices forming cluster of branches during the year ,where major thrust was given to recovery through negotiated settlements.
6. Branches/Regions with high concentration of NPAs in small loans have been identified & focused attention is paid to these Branches /Regions. Branch/Region wise action plan has been drawn for quick resolution of NPAs in these Branches/Regions.
7. A total number of 7303 weekly/monthly recovery camps were held at Branches /Regional Offices in which 64275 cases were settled amounting to ₹ 745 crore.

The Bank is committed to contain NPA level by concerted recovery efforts and also by improving the assets quality during the year 2012-13.

NEW INITIATIVES

BANCASSURANCE

Insurance service is provided by our Bank under Corporate Agency of LIC of India for life insurance and Chola MS General Insurance Company for non-life insurance products.

The performance highlights for the year 2011-12 ;

- All 16 Zones declared as BIMA Zones by LIC of India
- 67 Regions declared as BIMA Regions and 800 Branches declared as BIMA Banks by LIC.
- Bank has sold 127540 Life Insurance policies during the year and collected premium of ₹ 184.70 crore recording a growth of 72% over previous year.
- Bank earned commission of Rs13.53 crore from Life Insurance business.
- Bank has sold 164181 policies under general insurance business and earned commission of ₹ 6.30 crore.
- Bank introduced family floater Rural Health Insurance Scheme with tie up arrangements with general insurance partner Chola MS general insurance company.

DISTRIBUTION OF MUTUAL FUND

- Bank has tie up arrangement with leading 11 mutual fund houses and earned commission of ₹ 0.63 crore during 2011-12.

DEPOSITORY SERVICES

Bank is offering depository services through 145 identified branches to 23709 demat account holders. Depository service is offered as a Depository participant under arrangement with Central Depository Services Ltd. (CDSL) through web-based solutions provided by CMC Ltd.

ON LINE TRADING

Bank is offering “three- in- one” “On-Line Trading” facility with Trade name “Cent –e-trade”. Customers maintaining bank account and Demat account with the bank are offered on-line-trading facility for trading in Equity Shares and Derivatives under arrangement with leading broking firm, M/s. Angel Broking Ltd.

Capital Market Services Branch opened in Mumbai for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank etc. is the controlling branch for on-line trading.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. CORE BANKING SOLUTIONS:

All branches and other offices were brought under Core Banking platform. Bank has achieved 100% coverage of CBS at all RRBs. All branches were opened under CBS from day one.

Location wise coverage of CBS as on 31.03.2012, are given hereunder:

Branches	4006
Extension Counters	18
Extended Service / Satellite	19
Asset Recovery Branch (ARB)	9
Non- Business Office (NBO)	21
Specialized Centre for Account Processing) SCAP	4
Centralised Credit Processing Centers (CCPC)	15
Zonal Office:	16
Regional Offices:	75
Training College:	3
Cash Management System (CMS)	9

2. NETWORK & CONNECTIVITY.

Network connectivity has been provided to a total of 4201 locations. BSNL is the principal service provider for network of the branches. 800 branches are provided with VSAT backup from different service provider, namely, M/S Hughes. 300 Links procured for newly opened branches. 275 VSAT have been installed as the primary links at branches where secondary link CDMA signal is weak.

New Check Point Firewall with higher capacity has been installed at DC & DRC for smooth functioning of new IT Projects ,SDR, LAPS, FI etc. as well as for the legacy applications. Network uptime has increased to 98% from 96% in the previous year.

Number of branches isolated more than 24 hours has reduced to an average of 3 to 4 branches. Bandwidth of all the Regional Offices has been upgraded to 1 Mbps.

The link between DC & DRC has been increased to 60Mbps from the existing 44 Mbps.

We are providing Video conferencing facility at all the Regional offices/ Staff Training Centers/ Corporate Finance Branches and increasing the Internet Bandwidth to 8 Mbps from 2 Mbps for the internet bandwidth applications.



3. INTERNET BANKING

Internet banking facility has been implemented for individual and corporate customers. Through Internet Banking customers can avail various facilities like Funds transfer, On line Tax credit view, Utility bill payment, On line Tax payment for Central Govt. departments and various state Govts., Airlines booking Movie ticketing, shopping, temple donations, Prime Minister's National Relief fund donations, Resonance and Allen's carrier Institute fees collection, stop payment of cheques, view cheque status, customized account statements in addition to regular statement of account, etc. Besides, there is also facility for on-line password generation for Retail customers. RTGS/NEFT facility is also available through Internet Banking for corporate customers.

Funds transfer facility up to a daily limit of 100 crore within Bank as well as facility for bulk upload of NEFT available under Corporate Internet Banking. Corporate Internet Banking is available in mix and mode approach as per the requirement of customer. Branches are advised to promote tax payments through Internet Banking. User base for Internet Banking has been steadily increasing and reached about 181540 as on 31.03.2012. An independent survey conducted by Customer Research Frontier magazine in the Month of May 2011 quoted that our Internet Banking response time is the fastest among all the peer banks.

4. ON-LINE TAX PAYMENTS.

E-payment of Direct taxes, excise, service, DGFT license fee, West Bengal State Government tax, Maharashtra Government Sale tax, VAT and Professional TAX, UP State Tax payment, ICEGATE customs payment, Jharkhand Tax, Delhi Sales Tax, are available through Internet Banking for on-line payment using Internet Banking. A new module for tax collection of Odisha and Bihar Govt. where customers of more than 40 banks can pay taxes with payment gateway services provided with the help of Central Bank Of India, has also been made available. E-Payment system for Ministry of civil services, Food and other e-PAO's has been made operational.

5. SMS BANKING:

SMS banking provides account information to the customers with real-time alerts on business transactions carried out by them. Presently, SMS alerts are sent to customers in 15 different Indian languages as per their choice for i) Debit / Credit in account above ₹ 1000/- in saving account and ₹ 50,000/- in Current / OD accounts ii) clearing cheque is bounced iii) account balance is below the prescribed minimum level iv) fixed deposit maturity before 7 days.

SMS alerts are also sent to branch managers for maintaining control and monitoring purposes and also to higher officials when physical cash is not tallied before EOD and when the outstanding balance in Technical contra at branches are unattended for certain prescribed numbers of days. SMS alerts is also proposed for Average weekly cash holding above 0.35% of average weekly deposit to Regional Manager.

6. MOBILE BANKING:

Mobile Banking is implemented using GPRS with enquiry and funds transfer operations. The transaction done through Mobile Banking is secured with end to end inscription and two factor authentication features. As per RBI guidelines for transaction up to ₹ 5,000 we have implemented low security version of Mobile Banking. NEFT fund transfer facility is also available in Mobile Banking application.

7. TELE BANKING:

Phone banking solution is implemented with voice recording in English and Hindi and the facility is available to all the customers of CBS branches.

8. MISSED CALL ALERTS:

This facility is available to our CASA customers, whereby customers can get balance and last three transactions free of cost by giving missed call to specific number. We have received appreciation from Indian Bank's Association for this innovative initiative.

9. APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA):

Securities and Exchange Board of India has streamlined the existing process of Initial Public offer of shares by companies and introduced a supplementary process called as Application supported by Blocked amount (ASBA). We have launched the ASBA facilities to all our customers by which an investor can subscribe to public issues (IPO/FPO/Rights Issues) through the Bank by authorizing the bank to block the application from his/her bank account and thereafter remit the allotment amount. Customers can also apply ASBA through Internet banking application for public issues only.

10. KIOSK BANKING:

E-Lobby / Kiosk have facilities of cash deposit, cheque deposit, passbook printing, transaction enquiry, internet banking. It has been deployed at four locations i.e. Mumbai Main Branch, CBD Belapur, Pune Camp and Press Area Branch at Delhi.

Approval is obtained for installing Kiosk/ E-Lobby at 25 Centers. Accordingly ,we have planned to install two Kiosks each at bigger Zones viz. Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Bhopal, Lucknow, Pune & Hyderabad and one each at smaller zones viz. Nagpur, Raipur, Patna, Guwahati, Muzaffarpur, Chandigarh and Agra. Implementation of these Kiosks is expected to be completed by 30th June 2012.

11. E-VOUCHER :

E-Voucher Functionality has been implemented on 21.12.2011 under the system transaction are done through POS machine, facilitating customers to deposit / withdraw cash and also to do fund transfer within the bank up to the limit of Single Window Operator (SWO).

Other initiatives are planned for current financial year are: integration of GRAS server of Govt. of Maharashtra, installation of 100 kiosks /e-lobby, integration of E-fright for railways, payment system for LIC of India through Corporate Internet Banking. Integration with NPCI for Inter Bank Mobile Payment system, integration with IRCTC for railway ticket booking through Internet Banking.

12. WEB SITE:

Change in look and feel of the website has been done and ready for the production promotion. Modification in the on-line complaint module in the website is completed and informed to the business department. For Internet Banking and Bank's official website, M/s AAA Technologies Pvt. Ltd. has completed the Security Audit for the 4th quarter.

13. RBI PROJECTS:

All CBS branches are enabled for RTGS and NEFT facility using the Straight through Processing (STP). As on 31st March 2012, 4151 branches/EC/NBOs/offices have been enabled for RTGS and 4150 Branches/ECs/NBOs/offices enabled for NEFT. NEFT facility is also available through Internet Banking System.

Consequent upon implementing CBS in all 7 RRBs, total number of 1811 RRB branches and extension counters have been brought under NEFT.

14. CHEQUE TRUNCATION SYSTEM (CTS)

CTS implemented in Chennai on an outsourced model. CTS implementation in Bangalore on pilot basis was done on 24.03.2012 using outsourced model. Approval obtained for implementation of CTS in Coimbatore, using outsourced model.

15. CALL CENTER

Call Centre is operated on outsourced Model by IDBI Intech since July 6, 2011. CBS interface has been provided at Call Centre with restricted view option enabling the Call Centre agents to provide various accounts level information to customers. Following services are being offered to customers through Call Centre.

- ❖ Information on Bank's products and services.
- ❖ Information on Branch/ ATM Location.
- ❖ Information on Interest Rates and Services Charges.
- ❖ Balance Enquiry.
- ❖ Transaction Enquiry.
- ❖ Enquiry on Cheque Number.
- ❖ Debit Card Hot-listing.
- ❖ Enquiry on Interest Earned / Interest Paid.
- ❖ TDS Enquiry.
- ❖ Transaction Details
- ❖ Status of Cheque issued or deposited
- ❖ CD/CC/OD limit and Interest enquiry



- ❖ Responding to any other calls received from customers.
- ❖ Recording of grievances and feeding it in Bank's Customer Grievances system for its redressal at an appropriate level.

In order to make the customer services more automated and reduce the response time. Following services are offered through Interactive Voice Response (IVR) in online environment.

- ❖ Balance enquiry
- ❖ Last 4 transactions
- ❖ Cheque Status
- ❖ Stop Cheque payment
- ❖ Transaction PIN generation

16. SINGLE DATA REPOSITORY (SDR):

SDR report requirement finalized and 564 reports given to IBM for designing. Planned to publish reports by May, 2012 onwards and a prototype of NPA dash board is built. Corporate Performance Management (CPM) rolled out on 5th March, 2012 for Planning & Budgeting exercise. ALM- Static SRS is finalized, ALM related data extraction is in process and expected to go live by May, 2012.

17. HRMS:

Parallel Payroll processing for Central Office and all 16 Zones completed for the Month of February 2012 through People Soft HRMS solution. It is planned to process the salary of all employees for the month of April-2012 centrally under People Soft HRMS. On-line holiday home/ transit home booking facilities made live through HRMS.

18. IT GOVERNANCE.

The necessary structure for IT Governance in the bank has been set up with the formation of IT Strategy, IT Steering & IT Risk management committees in the Bank. Steering committee as also the alignment of IT strategy with business strategy would be discussed at length. Balanced scorecard for projects and IT as a whole has been prepared & approved in Board and the process of monthly updating has been initiated with latest scoring as of Jan 2012 submitted.

The 1st meeting of the IT Steering committee was held with the following decision taken:

- IT policy approved.
- Business continuity plan discussed and it was decided to have the BCP for branches enumerating the activities that shall be performed at branches during network failure and the same to be circulated to all business offices as well as displayed as notice for the customers.
- Hardware disposal policy to incorporate clear instructions and powers of BM/RM/ZM/etc. for steps for disposal of PC, Printers, ATM, etc.
- The need for improvement in Network connectivity was stressed

AUDIT AND INSPECTION

The compliance culture has improved significantly in the Bank during the year. Initiatives were taken to put in place a robust audit mechanism. The initiatives include - adoption of Information Systems Audit policy, revision of Internal Audit policy and Concurrent Audit policy falling in line with the draft recommendations of Shri Basant Seth Committee. Introduction of web-based application system for firms of Chartered Accountants seeking concurrent audit of branches, off-site monitoring, increasing the ambit to check money laundering, 100% KYC up-dation on CBS, closure of all audit reports due for closure, recovery of revenue leakage detected during the fiscal, etc. The audit function also helps in redressing the systemic issues for rendering better customer service at branches.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March 2012, Bank is having network of 4011 branches and 29 satellite offices. During the year 283 branches were opened including up gradation of 121 Extension Counters and conversion of 5 Satellite branches in to full-fledged branches, 4 specialized NRI Branches, 1 Capital Market Service Branch, 1 Asset Recovery Branch and 7 Mid Corporate Branches. The demographic distribution was 1497 branches in Rural, 1037 branches in Semi- Urban, 781 branches in Urban and 696 branches in Metro centers. To commemorate the Centenary Day, Bank has opened 100 branches on 21st December 2011.

Extension Counters

In the beginning of the year there were 139 Extension Counters. After conversion of 121 Extension Counters into full-fledged branches it remained 18 at the end of financial year 2011-12.

OPERATIONS

Customer Grievance

Bank has introduced many new concepts during this financial year for improving Customer Services.

- A customer can open an account in our bank without introduction from existing customer.
- Bank has started issuing ATM card to minors also.
- Our Bank has introduced new policy for "Senior Citizens/Disabled/ Incapacitated Account Holders-2012" .
- Our bank has implemented recommendations of Damodaran Committee on Customer Service.

Customer Grievances

Our Bank has started 24x7 hours Call Center with Toll Free Number 1800 200 1911 for providing a better avenue for redressal of grievances to Customers. The Customer Grievances Redressal Mechanism has been made fully on-line for quick disposal of grievances. Our Grievances Redressal Mechanism has been adjudged as the best in the Customer Satisfaction survey conducted by Outlook Financial.

IBR

Consequent upon bringing all the branches under Core Banking Platform, a new IBR System 'C2C'(Core-to-Core) implemented w.e.f. 01.02.2012. The new System has One-to-One matching of entries (Auto Reconciliation) which was not available in the old system and many other features regarding issue and payment of Demand Drafts, Inter Branch Transactions and Inter- Bank Cash Transfer.

RAJBHASHA

Bank has been awarded with '**Indira Gandhi Rajbhasha Shield**' for the best implementation of Official Language Policy of Government by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India during the financial year. The Shield was received by Shri Mohan V.Tanksale, Chairman and Managing Director from the Hon'ble President Smt. Pratibha Devisingh Patil in a grand function organized at Vigyan Bhawan, New Delhi.

Our Bank has also received an award shields/prizes meant for Banks and Financial Institutions by Reserve Bank of India under the '**Reserve Bank of India Governor Shield Competition**' for the best Implementation of Official Language in Linguistic Region 'A' and 'B'.

Further, in this year our Bank has been awarded for the best performance in implementation of Official Language Policy in Maharashtra by Maharashtra State Level Bankers Committee and in Gujrat by Gujrat State Level Bankers Committee.

During financial year, various Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) working under the Government of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Department have given in all 30 awards/prizes to our various Regional Offices, Zonal Offices and Branches. Town Official Language Implementation Committee, Bhopal and Town Official Language Implementation Committee Raipur, for which our Bank is convener, have been awarded by Government of India, Ministry of Home Affairs, Official Language Department.

Committee of Parliamentary on Official Language inspected our Kalimpong Branch and Kursiang Branch under Zonal Office, Kolkata and Manali Branch under Zonal Office, Chandigarh in respects Implementation of Official Language, this year. The efforts and steps for implementing Official Language Policy by our Bank were very well appreciated.

Our Bank has also provided facilities to work in Hindi under Core Banking Solutions. Our Bank is providing passbook, draft, fixed deposit receipts and statements in Hindi to our customers on their demand. Our Bank sending the SMS in Hindi as well as in 7 different regional languages to our esteemed customers.

During this year, Bank has organized Rajbhasha Seminar in Bhopal, Delhi and Mumbai in the month of August, September and October, 2011 respectively. Besides this, three 2 days Special Seminar were arranged in Bhopal and Mumbai for all our Rajbhasha Officers. Further, Special Rajbhasha Seminar was organized for Rajbhasha Officers in Mumbai on 27th January, 2012.



Rajbhasha Department, Central Office has played an important role in publishing our Bank's 'History Book' in Hindi. This book was released by Dy. Governor, Shri Anand Sinha, Reserve Bank of India on 29th March, 2012 at the function organized at the Chandermukhi auditorium.

Some of the important points to be implemented during this financial year are as under:

1. On-line submission of Quarterly Progress Report under web base reporting.
2. Extant facilities of printing the Passbook, Demand Draft, Fixed Deposit Receipt and Statements in Hindi to be extended in most of the branches so that maximum number of our customers can utilize this facility.
3. To win maximum prizes awarded by Rajbhasha Department, Ministry of Home Affairs, Government of India and Reserve Bank of India.
4. To increase potentiality and enhancement in performance, training will be imparted to all the Rajbhasha Officers.

CORPORATE COMMUNICATIONS

During the year, under our corporate branding exercise through national and regional newspapers in absolute terms, we have reached to a circulation of 2013.60 lacs with an expenditure of ₹ 819.56 lacs providing us a minimum recall value of ₹ 0.40. For creating and enforcing brand equity among executives and businessman, niche publications were used as a media of communications time to time during the review yearly period ended March 2012.

Looking to our Centenary Year Corporate Publicity for creating continuous awareness about our brand, services and products through Print, Electronic and Outdoor Media has been carried out by the corporate office. During the process, both budgeted and non-budgeted campaigns/ publicity were carried out for achieving the marketing objective of the Bank. To increase the visibility during Centenary year all our office premises have been illuminated and we have taken prime hoarding sites for display of our Centenary journey.

During the Centenary year different programmes were organized at all the centres. Concluding programme was organized at New Delhi and Mumbai. The programme held on 21.12.2011 at Delhi was graced by Shri Pranab Mukherjee, Honourable Finance Minister, GOI, Shri Namo Narain Meena, MOS, GOI, Shri D.K.Mittal (IAS), Secretary, Dept. of Financial Services, MOF, GOI. Our History Book was released during this auspicious event. The programme held in Mumbai on 26.12.2011 was graced by Chief Minister of Maharashtra, Shri Prithviraj Chavan and during the event Unsung Heroes, Valued VIP customers and Ex-Top Executives were felicitated.

During the year Bank has telecasted TVC showcasing a 100 years journey of our Bank coinciding with the progress of the nation. This TVC has created buzz in the market. It was liked by every viewer. We have telecasted following TVCs during the year:

- Three products viz. Cent Home, Cent Vehicle, Cent Jewel
- TVC on Centenary Year – Bank's Corporate film 45 seconds
- CMD's Speech on Radio on 21st Dec. 2011
- Vignette of our Bank on TV on 26th Dec. 2011

We have our presence on following websites:

- www.legalera.in – for providing information on legal matters
- www.eaclubdelhi.in - information of various things in and around Delhi

Our branding efforts during the year has shown a marked progress in its brand performance in Brand Finance's Top 500 Global Financial Brands, Bank has moved up from its ranking of 390 in 2011 to 329 in 2012, a jump of 61 places in overall ranking

VIGILANCE

During the period 2011-12, Bank worked to bring further improvement in all spheres of activities with remarkable degree of success, like Vigilance cases as also complaints have been disposed off much faster, invocation of regulation 20.3 [iii] of Officers' Service Regulations has been lowest ever, etc. Further, Vigilance Officers and Dealing Officers have been trained in CBS environment for effective and expeditious handling of matters.

As a new initiative, Fraud Prevention Committees have been formed at Zonal level to discuss the specific issues of frauds with effective measures to tackle the lacunae in the system. The Committee comprises of Zonal Manager, Regional Managers and one Branch Manager each of rural, semi urban and urban/metro branches. Also facility for viewing the large value transactions including those of staff members at the Branches is now provided to controlling offices.

During the Vigilance Awareness Week, with an aim to curb the malpractices, the department has initiated a new portal on our web to facilitate reporting malpractices by our employees without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. This portal in the name of "Cent Vigil" was inaugurated by Shri J M Garg, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission on 24th November 2011.

To ensure reporting of the fraud cases to Reserve Bank of India within stipulated period, now submission of report [FMR-I] has been made online from July 2011 resulting in almost no delay in our reporting to RBI on this count, during the year 2011-12.

In an effort to boost the morale of field functionaries, the employees who have exhibited exemplary courage in prevention of frauds/recovery of fraud amount, have been felicitated at the hands of the Vigilance Commissioner, CVC and the CMD during Vigilance Awareness Week in November 2011.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

1. MANPOWER

At the end of March 2012, the staff strength of the Bank stood at 35901 (including PTSK) as against 34,015 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2012	March 2011
Officers	12375	12883
Clerks	15167	12770
Sub-staff	8359	8362
Grand Total	35901	34015

2. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

I. Awards Conferred in Appreciation of 'Best HR Practices Institutionalized by the Bank:

- Our CMD has been conferred with an Award – 'CEO WITH HR ORIENTATION', a prestigious leadership Award in recognition of his outstanding contribution to Human Resources Development, Leadership and Capability building, in the conference of World HRD Congress.
- In recognition of the Bank's initiative in evolving and rolling out excellent and innovative, HR practices across the Organization, Bank has been conferred 2 Organizational Awards viz. STAR NEWS HR & Leadership Award for HR Excellence for INNOVATIVE HR PRACTICES & SHINE.COM, HINDUSTAN TIMES HR Leadership Award for Leading HR Practices in Quality Work-Life, Physical & Mental Well-Being.

II. Introduction of New Performance Appraisal Formats:

New formats of Performance Appraisal have been introduced as suggested by Government of India, to bring uniformity in the Annual Performance Appraisal Reports for officers at all levels in Public Sector Banks. Accordingly, the revised formats are applicable for appraising the Performance of officers for the Financial Year 2011-12 and onwards.

III. Career Path-cum- Promotion Policy for Mainstream & Specialist Category Officers:

The new Promotion Policy for Mainstream & Specialist Category Officers has been formulated with the approval of the Board after incorporating the Government of India guidelines dated 5.12.2011. The revised Promotion Policy shall be applicable w.e.f 31.01.2012. These provisions have been further amended as per the further guidelines received from Government of India vide its communication dated 14.03.2012.



IV. Amendments in Norms for Transfer of Officers in Scale I, II & III:

During the period under review having regard to growing aspiration of officers, certain officer-friendly changes have been made in existing provisions of the Transfer Norms for officers. These changes have injected new rejuvenation among officers and the same were greatly lauded by all officers.

V. Launching of a web-portal christened – ‘Cent-Samadhan’ :

Bank has launched a web-portal christened – ‘CENT-SAMADHAN’ for seeking redressal of individual grievances by staff members. The grievances received through this portal will receive the attention of CMD/ED. The above initiative has been taken with a genuine intention of quick resolution of employee’s individual grievances and to create an environment of confidence, transparency amongst the staff so as to benefit them as well the Institution in terms of productivity & performance.

VI. Incentive scheme for Sub-ordinate staff who improve their Educational qualifications after joining the Bank:

In order to encourage and motivate the sub-ordinate staff members to improve their educational qualifications after joining the Bank, an Incentive Scheme has been evolved by the management. Incentives are available under the scheme for passing SSC (Xth Standard/Matriculation) and/or HSC (10+2) from any State/Central Board and/or Graduation in any discipline from any approved University recognized by UGC. Incentives comprise of – reimbursement of examination fee in full, payment of honorarium and Letter of Appreciation.

VII. ‘HR Excellence Award’ to felicitate Regional Managers who excel in implementing HR practices:

In order to raise awareness of the necessity for implanting the HR Policies & Practices which are being rolled out by Corporate Office and also to assess the state of implementation of the same by Regions/Zones, a Scheme with the name and style – ‘HR Excellence Award’ to felicitate Regional Managers who excel in implementing HR Practices, has since been launched.

VIII. Introduction of Sabbatical leave to women employees to meet their special problems during their career.

Sabbatical leave to women employees has been introduced in our bank w.e.f. 1.4.2012 to meet their special problems during their career on the lines of broad guidelines received from Government of India vide its communication dated 28.02.2012.

IX. Benefits/facilities extended to employees:

Enhancement in quantum of House Building Advance, Additional Housing loan, Rent reimbursement etc., were brought about to motivate the employees to do the best for the institution.

3. TRAINING:

Quality training is the cornerstone for building healthy succession and to nurture a sound managerial team. Accordingly, during the year 2011-12 ‘Training & Development’ function continued to be given major thrust. With this backdrop and in furtherance to the constant endeavour to transform the Bank as a ‘Learning Organisation’, vibrant changes are brought about in the entire gamut of the training activity encompassing training modules, contents and delivery systems etc.

During the year 2011-12, in order to increase the horizons of knowledge of our executives/senior level officers so as to enhance the intellectual capital of the bank, the interactive sessions and Mind mapping sessions with Dr. Pritam Singh & Mrs. Asha Bhandarkar, eminent management professionals of International repute, were conducted wherein the rich experiences were shared and contemporary business areas discussed and deliberated. Special training programmes were conducted exclusively by outside experts/agencies of high repute on Distribution of Mutual Fund, Management Development Programme, Sensitization of Junior Level Officers on Customer Service etc., Further, internal training programmes were conducted on RSETI, Financial Inclusion, Hand on experience on Syndicate ASBA, Programme for Newly Promoted Chief Managers etc. In order to familiarize with various bank functioning, Clerical Staff appointed during 2011-12 were imparted extensive training programme. During the year 2011-12 around 884 classroom training programmes were conducted covering more than 14766 participants and 92206 man-days by three Training Colleges and nine Zonal Training Centers. In the year 2011-12, 54 officers have been sent for overseas training/exposure/ visit. This apart, officers in various scales were sent for specialized programmes conducted by external training agencies like NIBM, CAB, BIRD, FEDAI, IDBRT, IIBM etc. During the year 2011-12, 9 pre-promotion programmes for officers were conducted covering 104 SC and 48 ST candidates.

4. RECRUITMENT & PROMOTIONS:

In order to inject required professionalism in the Institution, process of inducting MBAs in various fields continued during the Financial Year 2011-12 as well and accordingly, 6 fresh MBAs in Scale-I, 98 in Scale II & 7 in Scale-III have been recruited through campus mode from the Professional/Management institutions like NIIM, IIFT, Welingkar Institute, VIT, etc besides the regular recruitment processes in respect of Specialists and Mainstream posts. In order to ensure a good blend of experience and contemporary knowledge/skills, the system of campus recruitment of MBAs will be continued in future as well.

In the year 2011-12, recruitment process was held for 4219 posts encompassing MBAs in Scale-I, II & III, Engineers, Librarian, Security Officers (all in Scale-II), Chief Dealer (Scale V), Asst. General Manager (IT), Clerical Staff, Drivers and Armed Guards (Sub-staff cadre).

The promotional exercise has been made more motivating and as such as a corporate goal, it has been resolved to hold the promotion processes as frequently as possible for all scales/categories. Accordingly, during the year 2011-12 inter-scale and inter-cadre promotion processes were conducted and as many as 3028 employees/officers were elevated to higher cadre/scale, out of which 743 sub-staff were promoted to clerical cadre. All PTSKs (around 2500) have been elevated as 'Safai-Karmachari-cum-substaff' in full time.

5. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

The Bank has been implementing the guidelines/instructions received from Government of India/Indian Banks' Association on Reservation Policy and concessions and relaxations are extended to SCs/STs/OBCs/PWDs/Ex-servicemen as admissible in the Reservation Policy. The Parliamentary Committee under the Chairmanship of Shri. Gobinda Chandra Naskar visited at Diu from 15.11.2011 to 17.11.2011 to examine the representation of Schedule Castes and Scheduled Tribes in our Bank. Further, Shri Raju Parmar, Honorable Member of National Commission for Schedule Castes had 5 meetings with our Bank at different places to undertake study of implementation of Reservation Policy in our Bank.

6. BUSINESS MEETINGS WITH REPRESENTATIVES OF UNIONS / ASSOCIATIONS:

During the year under review, exclusive meeting was held on 12th September 2011 & 23rd February 2012 at Corporate Office level with major Unions/Associations to discuss solely on the strategies of business development. The Management expressed that it should be endeavour of all employees to improve the business status of the bank and exhorted the unions to prevail upon their members to give their best to the institution.

7. STAFF WELFARE SCHEMES:

'Welfare of Staff and their families' continues to be the committed endeavour of the management and this endeavour is always kept on the top of the HR agenda of the Bank. Accordingly, during the year, an amount of ₹ 15 crore has been apportioned for expending towards various Staff Welfare Schemes and the schemes have been thoroughly improved upon both in terms of ceilings and coverage.

8. INDUSTRIAL RELATIONS:

The Industrial Relations during the year remained very cordial.

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

The Net Profit of the Company stood at ₹ 5.72 crore as at March 2012, as against the level of ₹ 9.36 crore as of March 2011. The main reason for decrease in profit is on account of increase in cost of funds borrowed i.e. hike in Base Rate of funds lent by Central Bank of India and overall increase in establishment and other expenses. The loan outstanding increased from ₹ 282.13 crore as on March 2011 to ₹ 290.30 crore as on March 2012.

The Company has consistently improved its Net Own Fund by adding Profit to the Reserves. Net worth has gone up from ₹ 55.21 crore in March 2011 to ₹ 57.44 crore in March 2012. Deposits from public and institutions have increased from ₹ 48.03 crore as on March 2011 to ₹ 48.34 crore as on March 2012.

CENTBANK FINANCIAL SERVICES

Centbank Financial Services Limited is essentially providing ancillary corporate financial services. During the year 2011-12, CFSL has significantly diversified its business profile to make CFSL a full-service investment bank. CFSL services include:



- Project Appraisal and Loan Syndication
- Capital market Transactions(both equity and debt)
- Corporate Advisory Services including M&As and Debt Restructuring, Project Advisory, Securitization, Risk Management, Business Valuations, Private Equity and TEV Report
- Trusteeship Services including debenture/security Trustee, Executor Trustee, Managing Charitable Trusts
- The company earned a Net Profit of ₹ 9.30 crore as of March 2012 against Net Profit of ₹ 7.24 crore in the previous year.

INDO-ZAMBIA BANK LTD.

The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity. The Bank has been performing well in all parameters. While the total business of the bank stood at ₹ 1552.70 crore. As on 31st March 2012, the Bank earned a Net Profit of ₹ 36.14 crore .

REGIONAL RURAL BANKs (RRBs)

Bank has 7 sponsored RRBs as on 31.03.2012 covering 57 districts with a network of 1806 branches. The cumulative performance of all the 7 RRBs under major parameters as on 31.03.2012 is as under:

A. Branch Expansion: During the year 2011-12, the RRBs have opened 46 new branches raising the total number of branches from 1760 as on 31.03.2011 to 1806 branches. All RRBs are on CBS platform and are also providing NEFT facility to customers.

B. Deposits: The deposits of RRBs increased from ₹ 15844 crore as on 31.03.2011 to ₹ 17793 crore as on 31.03.2012, registering a growth of 12.30%.

C. Advances: The advances of RRBs have increased from ₹ 7709 crore as on 31.03.2011 to ₹ 8867 crore as on 31.03.2012 showing a y-o-y growth of 15.03%.

D. Profitability: The RRBs have earned profit of ₹ 177.15 crore during the year 2011-12 against the previous year's profit of ₹ 146.58 crore recording a y-o-y growth of 20.85%.

AWARDS & ACCOLADES

- ❖ Bank has been ranked 4th best Public Sector Bank in India under "Brand Equity-Top 100 most trusted Brands 2011" and ranked at 16th position in 2011 under "India's Most Trusted Service Brands" category as per survey conducted by Economic Times.
- ❖ Bank won Indira Gandhi Rajbhasha Award for successful implementation of Official Language Policy at the hands of President Smt. Pratibha Devi Singh Patil.
- ❖ Bank has received the prestigious "Golden Peacock Award 2011" instituted by Institute of Directors (IODs) under innovative product/service category for retail product "Cent Sahyog" for MSME segment.
- ❖ Bank has been awarded as "Best BFSI Company" by Business & Economy magazine.
- ❖ Bank was awarded with Exemplary Brand Leader Award for projecting excellent Brand image in the country by Indra Group of Institute, Pune .
- ❖ Bank was conferred 2 Awards for 'Best HR Strategies' & 'Innovation in Employee Retention Strategies' by Greentech Foundation, New Delhi.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : May 24, 2012

Mohan V Tanksale
Chairman & Managing Director

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy of Corporate Governance

The thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholder's value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholder's value.

The equity shares of the Bank are listed at Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

Board of Directors

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.

The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

During the year under review i.e. 2011-12, the composition of the Board was as under:

Shri S. Sridhar (UPTO 31.05.2011)	Chairman and Managing Director
Shri M.V.Tanksale (From 29.06.2011)	Chairman and Managing Director
Smt.V.R.Iyer (From 01.09.2010)	Executive Director
Shri R.K.Dubey (From 01.09.2010)	Executive Director
Dr. Shashank Saksena (Upto 14.11.2011)	Government of India Nominee Director
Shri Alok Tandon (w.e.f. 15.11.2011)	Government of India Nominee Director
Shri Salim Gangadharan (From 30.07.2010)	RBI Nominee Director
Shri Brijlal Kshatriya (From 20.11.2008 to 19.11.2011) and (w.e.f. 10.01.2012)	Shareholder Director
Prof. N. Balakrishnan (From 20.11.2008 to 19.11.2011) and(w.e.f. 10.01.2012)	Shareholder Director
Shri Romesh Sabharwal (From 06.10. 2009)	Part Time Non-official Director
Major (Retd) Ved Prakash (From 20.10.2009)	Part Time Non-official Director
Shri B. S. Rambabu (From 16.03.2010)	Workmen Employee Director
Shri Guman Singh (From 08.08.2011)	Part Time Non-official Director

The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

Brief Profile of the New Directors

1. Shri M.V.Tanksale, Chairman & Managing Director (D.O.B. 31.07.1953)

Shri M. V. Tanksale assumed charge as Chairman & Managing Director of Central Bank of India on June 29, 2011.

Shri Tanksale is backed by professional credentials like Associate member of the Institute of Cost & Works Accountants of India (AICWA); Company Secretary (Inter) of the Institute of Company Secretaries of India; CAIIB; Bachelor's degree of Science and Master's degree in English Literature.

Shri Tanksale was born on 31st July, 1953 at Nagpur in the State of Maharashtra. He joined Union Bank of India as an Assistant Manager on August 26, 1974 at Gwalior, Madhya Pradesh, India. He is a person having extensive experience both at the field level and Administrative office and rose upto the level of General Manager of the same Bank.

As a Visionary Banker for a span of more than 36 years, he has held several important fields and administrative positions, such as Deputy/Head- Credit Monitoring, International Banking and Planning, Research & Development, etc.



He also made extensive efforts in promoting e-banking products and third party products, viz, insurance and mutual funds, etc. In his last assignment as General Manager – he had set up ‘Transaction Banking Division’ of the bank, wherein on the strength of technology based platform, the bank could put forth a wide array of products and services for the customers.

Shri Tanksale was appointed as Executive Director of Punjab National Bank (PNB) on March 26, 2009. As Executive Director in Punjab National Bank, Shri Tanksale had effectively driven functional areas like Planning & Development, Marketing, Human Resources, Priority Sector & Financial Inclusion, IT, Inspection & Audit, Risk Management Division, Treasury Division, International Banking Division, Recovery Division, Financial Inclusion etc.. After the exit of Dr. K. C. Chakrabarty as Deputy Governor of RBI in June’09 and prior to joining of Shri K. R. Kamath the present CMD, Shri Tanksale headed PNB successfully for a brief period of 4 months.

2. Shri Alok Tandon (D.O.B. 22.09.1962)

Shri Alok Tandon is a mid-career professional belonging to the Indian Administrative Service (IAS) of the Government of India. He’s an electrical engineer by academic training. In 1984, he graduated at the top of his batch, which is across all engineering disciplines, from Indian Institute of Technology at Kanpur with a bachelor’s degree in Electrical Engineering. He received the President’s Gold Medal, awarded personally by the President of India for this achievement. However, the richness of experience in a career coupled with the strong desire to contribute to public service motivated him to join the IAS in 1986.

During his more than 25 years of service in IAS till date, Shri Tandon has held various assignments as Sub Divisional Magistrate, Chief Development Officer, Joint Secretary and District Magistrate. As District Magistrate of Allahabad, he supervised the setting up of a temporary township on the dry bed of river Ganges in a record time of 4 months to accommodate over one million devotees. Shri Tandon worked as Chief Executive of a thermal power generation company having 5 generating stations and a combined revenue exceeding \$ 1 billion. He has kept himself updated in the academic front too. He took 2 years off from his work in the years 2005-07 and spent this time gainfully in academic pursuits in top US universities (Princeton University and University of California, San Diego) learning advanced tools of economic and public policy. He is presently holding the post of Joint Secretary, Dept. of Disinvestment, Ministry of Finance, Government of India.

3. Shri Guman Singh, Non-Official Part-Time Director (D.O.B. 24.03.1937)

Shri Guman Singh is appointed as Part-Time Non-Official Director on the Board of Central Bank of India on 08.08.2011. He is a retired Railway Official and is presently holding the post of President, National Federation of Indian Railway men, President Indian National Trade Union Congress, Rajasthan State, President Uttar Paschim Railway Mazdoor Sangh, Member - National Council Joint Consultative Committee, New Delhi, Secretary (National Level), Indian National Trade Union Congress.

4. Shri Brijlal Kshatriya, Shareholder Director (D.O.B. 23.09.1936)

Shri Brijlal Kshatriya, Shareholder Director is a specialist in Management of Steel Plant and has an extensive training experience in works and HR functions in India and abroad. He has a bachelor’s degree in Metallurgical Engineering from BHU. He has served in the top administration of different plants of SAIL, ultimately taking charge as MD of Bokaro Steel Plant. He was accorded with Rajiv Gandhi Excellence Award in 1993, Mother India International Award from NRI World in December 1993 and Glory of India International Award of India in December 1993. He was elected on November 20, 2008 as a Shareholder Director on the Board of Central Bank of India upto November 19, 2011. He was re-elected as a Shareholder Director w.e.f. 10.01.2012 for a period of three years.

5. Prof N. Balakrishnan, Shareholder Director (D.O.B. 01.06.1950)

Prof N. Balakrishnan, Shareholder Director is a scientist of highest international repute. He holds a degree in BE (in Electronic curriculum) from University of Madras with Ph.D from Indian Institute of Science in 1979. He is at present an Associate Director of Indian Institute of Science and a Professor at Rep of Aerospace Engineering. He played a crucial role in building India’s first Super Computer Centre. He has over 200 publications in the International journals and Conferences. He was honoured with Padmashree from the President of India in 2002, Homi J. Bhabha Award for Applied Science in 2004, J. C. Bose National Fellowship in 2007. He is currently a member of National Security Advisory Board. Prof. N. Balakrishnan has provided his critical inputs in many major National initiatives in IT planning and Information Security. He was elected on November 20, 2008 as a Shareholder Director on the Board of Central Bank of India upto November 19, 2011. He was re-elected as a Shareholder Director w.e.f. 10.01.2012 for a period of three years.

DETAILS OF OTHER DIRECTORS

- 1. Smt V.R.Iyer, Executive Director (D.O.B. 01.06.1955)**, is having Masters Degree in Commerce (M.Com) and CAIIB. She has joined the services of Union Bank of India in December 1975 and was engaged in various challenging assignments in the past thirty years with good stint of experience in branch banking of very large and extra large branches 9 years and 15 years in Credit Department of prestigious zones of Mumbai and Pune. Ms. Vijayalakshmi Iyer, with a rich experience and combination of operational banking and credit experience was assigned setting up of Risk Management Department for the Bank in 2000. She had also served as Deputy General Manager (Information Technology) during 2006-07 and in January 2008, she was promoted as General Manager for holding and managing both the portfolios of Information Technology and Risk Management. She managed to establish 2500 branches under Core Banking Solution, putting in place different delivery channels, a comprehensive centralised MIS Solution and also automated the entire Credit Management. Prior to being elected as Executive Director with our Bank she was heading MSME Department.

She joined Central Bank of India on September 01, 2010 as Executive Director and has been placed as incharge of verticals of Treasury, Financial Services, International Division, MBD, IT, Planning & Development, Central Accounts, Balance Sheet, Risk Management, New Initiative Department, Knowledge Management, Audit etc.
- 2. Shri R.K.Dubey, Executive Director (D.O.B. 10.09.1954)** is having Masters Degree in English Literature and is also an MBA Graduate. He is qualified Law Graduate and CAIIB. He is a techno-savvy banker having an extensive multi dimensional banking operational experience of more than 30 years in Punjab National Bank, encompassing 10 years as Regional/Zonal/Circle Head, 9 years in branch operations at grass root level as incumbent of branches, besides 4 years of training assignment as incharge of Bank's Training College and 1 year as 2nd in command of Information Technology Division at Bank's Corporate Office and the last five months as Head of Marketing Services Division at PNB's Corporate Office.

He joined Central Bank of India on September 01, 2010 as Executive Director and has been placed as incharge of verticals of Organisational Planning, Human Resources, Operations, Subsidiaries, Priority Sector, Financial Inclusion, Retail Banking, Recovery, General Administration etc.
- 3. Shri Salim Gangadharan, RBI Nominee Director(D.O.B. 13.10.1953)** is MA, CAIIB and has been working with the Reserve Bank of India (RBI) over 30 years and is currently Regional Director of RBI Thiruvananthapuram. During his career in Reserve Bank of India, he has worked in various Operational Departments, particularly in bank supervision and financial markets. He was also a Member Faculty in the Bankers' Training College of the Reserve Bank of India, for five years and handled several seminars and conferences on Risk Management, Payment Systems, and Treasury Management etc. He was also on secondment to the Central Bank of Oman for five years. He was associated with the IMF Team to assess the need for convergence in supervisory practices across the GCC countries, as part of the proposed Monetary Union. He was part of several internal Working groups in Reserve Bank of India / Government of India. He has also presented papers in several seminars, including at the Centre for Central Banking Studies, Bank of England.

He was appointed as RBI Nominee Director on the Board of Central Bank of India w.e.f. 30.07.2010.
- 4. Shri Romesh Sabharwal, Non-Official Part-Time Director (D.O.B. 19.08.1963)** holds MBA from the Sikkim Manipal University and a diploma in Engineering from Pusa Polytechnic, Delhi. He was appointed on March 03, 2006 as a Part-Time Non-Official Director on the Board of Central Bank of India upto March 02, 2009. **He was reappointed as a Part-Time Non-Official Director on our Board of the Bank from October 06, 2009.** He is Ex-Chairman, Delhi Tourism Transportation Development Corporation. Ltd. and Ex-Vice Chairman, Delhi Consumer's Protection Council. He is a social worker.
- 5. Major (Retd.)Ved Prakash, Non-Official Part-Time Director (D.O.B. 02.06.1938)** holds a master's degree in arts from the Osmania University and also holds Diploma in Business & Advance Intelligence course. He was appointed on October 06, 2005 as a Part-Time Non-Official Director on the Board of Central Bank of India upto October 05, 2008. **He was reappointed as a Part-Time Non-Official Director on our Board of the Bank from October 20, 2009.** He was formerly an officer in the rank of Major in the Indian Army.
- 6. Shri B. S. Rambabu, Workmen Employee Director (D.O.B. 03.08.1956)** holds Bachelor's Degree in Commerce and Law and is Junior Associate of the Indian Institute of Bankers. He is appointed as Workmen Employee Director on March 16, 2010. He is a workmen employee of our Bank working at Hyderabad. He is (1) General Secretary, Central Bank of India Employees' Association, Andhra Pradesh, (2) General Secretary, Andhra Pradesh Bank Employees' Federation (3) General Secretary, All India Central Bank of India Employees' Federation and (4) Jt.Secretary, All India Bank Employees' Association.



OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS

Names of Directors	Date of Appointment as Director	Area of Expertise	Member of Committees of Board of Central Bank of India		Directorship of other Companies
			Member	Chairman	
Shri S. Sridhar	02.03.2009 upto 31.05.2011	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC, IFRS, ITPA, VIG	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITP, IFRS, ITPA, VIG	i) Centbank Financial Services Ltd. ii) Indo Zambia Bank Ltd. iii) Agriculture Finance Corporation Ltd. iv) Indian Institute of Foreign Trade. v) Life Insurance Corporation of India vi) Cent Bank Home Finance Ltd. vii) Indian Institute of Banking & Finance
Shri M.V. Tanksale	29.06.2011	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC, IFRS, ITPA, VIG CAC PC PAC	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITP, IFRS, ITPA, VIG CAC PC, PAC	i) Centbank Financial Services Ltd. ii) Indo Zambia Bank Ltd. iii) Life Insurance Corporation of India iv) Cent Bank Home Finance Ltd.
Smt. V.R. Iyer	01.09.2010	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC, IFRS, ITPA, RI, CAC, PC, PAC	RI	Centbank Financial Services Ltd.
Shri R.K. Dubey	01.09.2010	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITP, SIGC, IFRS, ITPA, CAC, PC, PAC	Nil	i) Centbank Financial Services Ltd. ii) Cent Bank Home Finance Ltd.
Dr. Shashank Saksena	10.06.2008 Upto 14.11.2011	Economist	ACB, RMC, LVFC, RC Vigilance	RC	i) Industrial Investment Bank of India Ltd. ii) Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Limited
Shri Alok Tandon	w.e.f., 15.11.2011	Administration	ACB, RMC, L.V.F.C., RC, VIG., NC	NC	Nil
Shri Salim Gangadharan	30.07.2010	Banking	MCB, ACB, RC, VIG	Nil	Nil
Shri Brijlal Kshatriya	20.11.2008 upto 19.11.2011 and w.e.f. 10.01.2012	Human Resources Development	AC, RMC, CSC, SIGC,	SIGC	i) Eco-Tech Management Services Pvt. Ltd. ii) Strategic HR Services Pvt. Ltd. iii) Sanson International (Firm)
Prof N. Balakrishnan	20.11.2008 upto 19.11.2011 and w.e.f., 10.01.2012	Information Technology	RMC, ITP,	Nil	i) C-DOT Alcatel Research Centre Pvt. Ltd. ii) Data Security Council of India.

Names of Directors	Date of Appointment as Director	Area of Expertise	Member of Committees of Board of Central Bank of India		Directorship of other Companies
			Member	Chairman	
Shri Romesh Sabharwal	06.10.2009	Social Worker	SIGC, IFRS, ITPA, ACB, NC	ACB	Nil
Major (Retd.) Ved Prakash	20.10.2009	Social Worker	RMC, ITPA, NC	Nil	Nil
Shri B. S. Rambabu	16.03.2010	Banking	LVFC, ITPA	Nil	Nil
Shri Guman Singh	08.08.2011	Retired Railway official	MC, RMC, LVFC, CSC, ITP, ITPA, NC	Nil	Nil

- MC - Management Committee of the Board
ACB - Audit Committee of the Board
RMC - Risk Management Committee
LVFC - Large Value Fraud Committee
CSC - Customer Service Committee
ITP - Information Technology Project Committee
SIGC - Shareholders'/Investors' Grievances Committee
RC - Remuneration Committee
IFRS - International Financial Reporting Standards Committee
ITPA - Internal Training Policy Advisory Committee
RI - Rights Issue Committee
VIG - Vigilance Committee
CAC - Credit Approval Committee
HR - Human Resources Committee
PC - Premises Committee
PAC - Preferential Allotment Committee
NC - Nomination Committee

Remuneration of Directors:

The Non Official Independent Directors were paid sitting fees of ₹ 5,000/- upto 17.10.2011 and ₹ 10,000/- w.e.f., 18.10.2011 for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 2,500/- upto 17.10.2011 and ₹ 5,000/- w.e.f. 18.10.2011 for attending every meeting of various Committees of the Board, apart from reimbursement of usual travelling and halting expenses. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India/Reserve Bank of India.

During the financial year 2011-12, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Directors and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

Sr	Name	Rupees in lacs
1.	Shri S. Sridhar	9.00
2.	Shri M.V.Tanksale	12.10
2.	Smt.V.R.Iyer	13.08
3.	Shri R.K.Dubey	13.05

In addition to the above salary, allowances and perquisites, the Remuneration Committee of the Board approved the payment of performance-linked incentive amounting to ₹ 7,00,000/- to Shri S.Sridhar, Ex-Chairman & Managing Director,



₹ 2,30,000/- to Shri Ramnath Pradeep, Ex-Executive Director, ₹ 2,30,000/- to Shri Arun Kaul, Ex-Executive Director, ₹ 3,20,000/- to Smt. V. R. Iyer, Executive Director and ₹ 3,20,000/- to Shri R. K. Dubey, Executive Director, in respect of the financial year 2010-11.

During the year under review, the Bank has paid ₹ 3,95,000 (Rupees Three lacs Ninety Five Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 3,65,000 (Rupees Three lacs sixty five thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Conduct of Board Meetings

During the year, 13 Board Meetings were held on the following dates:

20.04.2011	29.06.2011	29.09.2011	21.12.2011	28.03.2012
06.05.2011	29.07.2011	01.11.2011	31.01.2012	—
30.05.2011	29.08.2011	26.11.2011	29.02.2012	—

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)	Whether attended last AGM on July 29, 2011
Shri S.Sridhar	03	03	01.04.2011 – 30.05.2011	Not a Director on the date of AGM
Shri M.V.Tanksale	10	10	29.06.2011 – 31.03.2012	Yes
Smt.V.R.Iyer	12	13	01.04.2011 - 31.03.2012	Yes
Shri R.K.Dubey	12	13	01.04.2011 – 31.03.2012	Yes
Dr Shashank Saksena	01	08	01.04.2011 -14.11.2011	No
Shri Alok Tandon	05	05	15.11.2011 – 31.03.2012	Not a Director on the date of AGM
Shri Salim Gangadharan	10	13	01.04.2011 – 31.03.2012	Yes
Shri Brijlal Kshatriya	07 03	08 03	01.04.2011 to 19.11.2011 10.01.2012 to 31.03.2012	Yes
Prof N. Balakrishnan	06 03	08 03	01.04.2011 to 19.11.2011 10.01.2012 to 31.03.2012	No
Shri Romesh Sabharwal	13	13	01.04.2011 to 31.03.2012	Yes
Major (Retd.) Ved Prakash	13	13	01.04.2011 to 31.03.2012	Yes
Shri B. S. Rambabu	12	13	01.04.2011 to 31.03.2012	No
Shri Guman Singh	08	08	08.08.2011 to 31.03.2012	Not a Director on the date of AGM

Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2012, it comprised 6 members consisting of the Chairman & Managing Director, 2 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 2 part time non-official Directors.

The Management Committee of the Board met 23 times during the year on the following dates:

21.04.2011	28.06.2011	16.09.2011	30.11.2011	28.02.2012
07.05.2011	18.07.2011	29.09.2011	17.12.2011	19.03.2012
20.05.2011	30.07.2011	13.10.2011	27.12.2011	27.03.2012
30.05.2011	18.08.2011	01.11.2011	16.01.2012	
18.06.2011	29.08.2011	18.11.2011	30.01.2012	

Attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Management Committee (From – To)
Shri S.Sridhar	04	04	01.04.2011 – 30.05.2011
Shri M.V.Tanksale	17	17	29.06.2011 – 31.03.2012
Smt.V.R.Iyer	23	23	01.04.2011 – 31.03.2012
Shri R.K.Dubey	22	23	01.04.2011 – 31.03.2012
Shri Salim Gangadharan	14	23	01.04.2011 – 31.03.2012
Shri Brijlal Kshatriya	03	04	01.04.2011 – 09.06.2011
Shri Romesh Sabharwal	06 05	06 05	01.04.2011 – 01.07.2011 02.01.2012 – 31.03.2012
Major(Retd) Ved Prakash	12	12	10.06.2011 – 09.12.2011
Shri B.S.Rambabu	08	12	02.07.2011 – 01.01.2012
Shri Guman Singh	06	07	10.12.2011 – 31.03.2012

Credit Approval Committee:

Pursuant to newly added clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors, Chief General Manager & General Manager in charge of credit, General Manager in charge of Finance and General manager in charge of Risk Management was constituted w.e.f. 31.01.2012.

The Credit Approval Committee met 4 times during the year on the following dates:

12.03.2012	19.03.2012	26.03.2012	30.03.2012
------------	------------	------------	------------

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- a. Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, un-reconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- b. Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI
- c. Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- d. Following-up, in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interacting with the External Auditors before finalisation of the quarterly/half yearly/annual financial accounts and reports;
- e. Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- f. Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- g. Qualifications in the Draft Audit Report;
- h. To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- i. Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- j. Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- k. Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB.



The present members of the Audit committee are as under:

1. Shri Romesh Sabharwal Chairman
2. Smt.V.R.Iyer Member
3. Shri R.K.Dubey Member
4. Shri Alok Tandon Member
5. Shri Salim Gangadharan Member
6. Shri Brijlal Kshatriya Member

During the year, the Audit Committee met 11 times on the following dates:

06.05.2011	29.07.2011	01.11.2011	14.02.2012
30.05.2011	18.08.2011	24.11.2011	10.03.2012
29.06.2011	29.09.2011	31.01.2012	

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From - To)
Smt.V.R.Iyer	11	11	01.04.2011 - 31.03.2012
Shri R.K.Dubey	11	11	01.04.2011 - 31.03.2012
Dr. Shashank Saxena	01	06	01.04.2011 - 14.11.2011
Shri Alok Tandon	02	04	15.11.2011 - 31.03.2012
Shri Salim Gangadharan	09	11	01.04.2011 - 31.03.2012
Shri Brijlal Kshatriya	03	03	19.01.2012 - 31.03.2012
Prof N. Balakrishnan	06	07	01.04.2011 - 19.11.2011
Shri Guman Singh	08	08	19.01.2012 - 31.03.2012
Shri Romesh Sabharwal (w.e.f. 11.07.2011)	08	08	11.07.2011 - 31.03.2012

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

Shareholders'/ Investors' Grievance Committee

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as provided in Clause 49 of the Listing Agreement, Shareholders'/ Investors' Grievances Committee has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non- receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri Brijlal Kshatriya, Shareholder Director on the Board of our Bank.

The Committee met 5 times during the year on the following dates:

20.05.2011	28.06.2011	18.08.2011	01.11.2011	30.01.2012
------------	------------	------------	------------	------------

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri S.Sridhar	01	01	01.04.2011 - 30.05.2011
Shri M. V. Tanksale	03	03	29.06.2011 - 31.03.2012
Smt.V.R.Iyer	05	05	01.04.2011 - 31.03.2012
Shri R.K.Dubey	05	05	01.04.2011 - 31.03.2012
Shri Brijlal Kshatriya	04	04	01.04.2011 - 19.11.2011
	01	01	10.01.2012 - 31.03.2012
Major (Retd.) Ved Prakash	01	01	19.01.2012 - 31.03.2012
Shri Romesh Sabharwal	04	04	01.04.2011 - 20.12.2011

The details of Investor Grievances for the year 2011-12 (01.04.2011 to 31.03.2012) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Non Receipt of Dividend Warrants	196
3	Non Receipt of Demat Credit/Refund Order	10
4	Not Receipt of Annual report	05
5	Non Receipt of Share Certificate	9
6	Non Receipt of Rejected Demat Request Form	03
7	Others	15
	Total Grievances received	238
8	Total Grievances attended/resolved	238
9	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.

Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank as per Equity Listing Agreement with Stock Exchanges.

Remuneration Committee

The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholtime Directors. The Committee consists of Dr. Shashank Saksena, Government of India Nominee Director (in the Chair) upto 14.11.2011, Shri Alok Tandon, Govt. of India Nominee Director (w.e.f 15.11.2011), Shri Salim Gangadharan Reserve Bank of India Nominee Director, Shri Brijlal Kshatriya and Major (Retd.) Ved Prakash.

The Remuneration Committee met on 29.06.2011 for considering the performance-linked incentive to wholtime directors for the Financial Year 2010-11.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has raised ₹ 2497.39 crores (including premium) from allotment of 242,464,866 equity shares of the face value of ₹ 10/- each at issue price of ₹ 103/- per equity share (including premium of ₹ 93/- per equity share) to the shareholders on rights basis. Bank has also raised ₹ 945.31 crore (including premium) from allotment of 64,009,090 equity shares to Government of India, and allotment of 25,500,000 equity shares to Life Insurance Corporation of India, of the face value of ₹ 10/- each at issue price of ₹ 105.61 per equity share (including premium of ₹ 95.61 per equity share) on preferential basis. Further, Bank has also raised ₹ 500 crores in the form of Lower Tier II Bonds. The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari(Marathi), etc. The results were also displayed on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

Code of Conduct

The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management. The text of the same is available on the website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in. All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.

The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's security.



Number of shares of Bank held by Directors as on March 31, 2012 is as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Total Shares held	
		Number	As a % of grand total
1	Shri B. S. Rambabu (jointly with Seetha Rambabu Burra)	549	0.000075
2	Shri Brijlal Kshatriya	320	0.000043
3	Prof. N. Balakrishnan	160	0.000022
4	Smt. V. R. Iyer	116	0.000016
	Total	1145	0.000156

Other Disclosures

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the year under review.

The Bank has complied with the stipulated requirement of Clause 49 of Listing Agreement to the extent that the requirements of the clause do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.

Non-Mandatory Requirements (Annexure I D of Listing Agreement)

The Bank has presently not adopted the non-mandatory requirement set out in Annexure-ID to the Clause 49 of the Listing Agreement.

General Shareholder Information

5th Annual General Meeting of the Bank:

Date: 27th June, 2012 at 4.00 PM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2011-12
2. Date of Book Closure: 23rd June, 2012 to 27th June, 2012 (Both days inclusive)
3. Dividend Payment Date: on or before 27th July, 2012
4. Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2012-13 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2012

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series IX	08.10.2004	200.00	INE483A09138
Lower Tier II-Series X	28.03.2006	578.20	INE483A09146
Lower Tier II-Series XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Total		5522.30	

All these bonds are listed either on National Stock Exchange of India Ltd. or Bombay Stock Exchange Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2012-13 to the Exchanges.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

NSE						
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty		
				High	Low	
April 2011	150.70	132.80	18268629	5944.45	5693.25	
May 2011	145.00	111.00	15361926	5775.25	5328.7	
June 2011	125.50	112.00	13633438	5657.9	5195.9	
July 2011	132.90	113.10	14893968	5740.4	5453.95	
August 2011	119.95	95.00	15675838	5551.9	4720	
September 2011	107.40	96.50	11425195	5169.25	4758.85	
October 2011	109.25	91.65	6746454	5399.7	4728.3	
November 2011	109.85	84.25	10147781	5326.45	4639.1	
December 2011	95.15	65.40	7379164	5099.25	4531.15	
January 2012	87.00	63.10	19382037	5217	4588.05	
February 2012	111.00	82.65	27997485	5629.95	5159	
March 2012	111.95	92.50	13854492	5499.4	5135.95	

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

BSE						
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	SENSEX		
				High	Low	
April 2011	150.60	132.60	62,36,798	19811.14	18976.19	
May 2011	138.00	111.15	38,08,785	19253.87	17786.13	
June 2011	125.35	111.90	29,83,064	18873.39	17314.38	
July 2011	132.65	113.00	35,43,799	19131.7	18131.86	
August 2011	118.30	95.15	41,60,248	18440.07	15765.53	
September 2011	107.35	96.50	36,65,312	17211.8	15801.01	
October 2011	109.20	95.50	17,62,413	17908.13	15745.43	
November 2011	109.90	84.20	27,01,501	17702.26	15478.69	
December 2011	94.10	65.55	18,48,478	17003.71	15135.86	
January 2012	87.65	63.25	50,80,243	17258.97	15358.02	
February 2012	111.00	82.00	64,20,483	18523.78	17061.55	
March 2012	111.80	92.10	28,42,935	18040.69	16920.61	



Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-13, Pannalal Silk Mills Compound
LBS Marg, Bhandup (West)
Mumbai – 400 078
Tel: 022-25946970
Fax: 022-25946969
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India
16th Floor, Chandermukhi
Nariman Point
Mumbai - 400 021
Contact No. 022- 6638 7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: compsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

8. Distribution of shareholdings as on 31.03.2012

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	176888	93.48	19746552	2.68
501-1000	7097	3.75	5421037	0.74
1001-2000	2819	1.49	4188856	0.57
2001-3000	801	0.42	2016287	0.27
3001-4000	468	0.25	1671128	0.23
4001-5000	236	0.12	1103196	0.15
5001-10000	482	0.25	3474837	0.47
10001 and above	436	0.23	698493523	94.89
Total	189227	100	736115416	100.00

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	73586024	10

Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	73586024	10

Shareholding pattern as on 31.03.2012

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2012						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government	518626336	64009090	1	1	582635426	79.1500
Clearing Member	998981	0	352	0	998981	0.1357
Other Bodies Corporate	10210488	90	1306	1	10210578	1.3871
Corporate Directors	1145	0	4	0	1145	0.0002
Financial Institutions	48086024	25500000	16	0	73586024	9.9965
FII's	18310435	0	65	1	18310435	2.4874
Hindu Undivided Family	94622	0	2	0	94622	0.0129
Mutual Fund	1356928	0	2	0	1356928	0.1843
Nationalized Banks	788570	0	9	0	788570	0.1071
Non Nationalized Banks	177608	0	4	0	177608	0.0241
Non Resident Indians	871443	0	1111	0	871443	0.1184
Non Resident (Non Repatriable)	218752	0	288	0	218752	0.0297
Public	42347848	18331	185895	139	42366179	5.7554
Trusts	44810	0	25	0	44810	0.0061
G I C & Its Subsidiaries	4453915	0	5	0	4453915	0.6051
Total	646587905	89527511	189085	142	736115416	100

Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
1	PRESIDENT OF INDIA	582635426	79.15
2	LIFE INSURANCE CORPORATION	25500000	3.46
	TOTAL	608135426	82.61

Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C))
	NIL	NIL	NIL	NIL

Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.



Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2012 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	140	89527511	12.16
NSDL	122225	109217812	14.84
CDSL*	66860	537370093	73.00
Total	189225	736115416	100

* Including 518626336 (70.46%) held IN DEMAT form by the Central Government.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in **“Unclaimed Suspense Account”** as on 31st March, 2012 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	296	35284
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	30	-
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	30	-
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	266	35047

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in the Listing Agreement with the Stock Exchange is attached.

Annexure I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank’s Code of Conduct for the financial year 2011-12.

Place: Mumbai
Date : May 24, 2012

[M V Tanksale]
Chairman and Managing Director

Certification under Clause 49 of the Listing Agreement

To,
The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Central Bank of India for the year 2011-12 and to the best of our knowledge and belief:
 - I. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading
 - II. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2011-12, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal control, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies
- d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - I. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - II. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statement and
 - III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or any employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

H K Vesuna
Chief General Manager

M V Tanksale
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai
Date : May 08, 2012



Auditors' Certificate on Corporate Governance

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2012 as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Central Bank of India with stock exchanges.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against Central Bank of India as per the records maintained by the Shareholders Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of Central Bank of India nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For M/s. SAGAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-0035105

(CA B. SRINIVASA RAO)

PARTNER
M. NO.202352

For M/s. K.S. AIYAR & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-100186W

(CA SANTANU GHOSH)

PARTNER
M. NO.050927

For M/s. GSA AND ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-000257N

(CA SUNIL AGGARWAL)

PARTNER
M. NO.083899

For M/s. GHIYA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-001088C

(CA G.P. GUPTA)

PARTNER
M. NO.075000

For M/s. D. RANGASWAMY & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-003073S

(CA B. RAMANI)

PARTNER
M. NO.019603

For M/s. SAMSAND & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-003708N

(CA MILAN SHRIMALI)

PARTNER
M. NO.088578

Place : Mumbai

Date : May 24, 2012

Auditors' Report to the President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of **Central Bank of India** as at 31st March, 2012, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 Branches, 37 Regional offices audited by us out of a total of 74 Regional offices, 2540 Branches, 20 non-business offices and 9 CMS branches audited by other branch auditors. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit and Loss Account are the returns of 1454 branches, 37 regional offices which have not been subjected to audit. The unaudited branches account for 3.29% of advances, 12.50% of deposits, 12.51% of interest income and 11.14% of interest expense. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These financial Statements are the responsibility of Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements.
3. Dividend has been declared by the Bank without writing off un-amortized amount of pension (₹ 719.95 Crore) and gratuity liability (₹ 166.20 Crore), subject to permission of Central Government.
4. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note no. 12 of the schedule 18 to the financial statements, regarding deferment of pension liability and gratuity liability of the Bank, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employees Benefits vide circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 on "Re-opening of Pension Option to the employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits- Prudential Regulatory Treatment." Accordingly, out of the unamortized amount of ₹ 1181.53 crore as on 1/04/2011, the Bank has amortized ₹ 239.98 crore for Pension and ₹ 55.40 crore for Gratuity being proportionate amount for the year ended March 31, 2012.
5. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
6. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and also subject to the limitations of disclosure required therein, we report that
 - a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found the same to be satisfactory.
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - c) The returns received from the Offices and Branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purpose of our audit.
7. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.
8. In our opinion, as shown by the Books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us
 - a. The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2012 in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - b. The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Policies and Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended on that date in conformity with accounting principles generally accepted in India and
 - c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

For M/s. SAGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-0035105

(CA B. ARUNA)
PARTNER
M. NO.216454

For M/s. K.S. AIYAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-100186W

(CA SATISH K. KELKAR)
PARTNER
M. NO.038934

For M/s. GSA AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-000257N

(CA SUNIL AGGARWAL)
PARTNER
M. NO.083899

For M/s. GHIYA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-001088C

(CA G.P. GUPTA)
PARTNER
M. NO.075000

For M/s. D. RANGASWAMY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-003073S

(CA ANUSHA SREENIVASAN)
PARTNER
M. NO.204567

For M/s. SAMSAND & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R.NO.-003708N

(CA MILAN SHRIMALI)
PARTNER
M. NO.088578

Place : Mumbai

Date : May 8, 2012



Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

Particulars	Schedule No.	As at 31-Mar-12 ₹	As at 31-Mar-11 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital (refer note 1)	1	2,35,31,154	2,02,11,415
Share Application Money		-	2,02,56,836
Reserves and Surplus	2	10,09,84,104	6,82,65,778
Deposits	3	1,96,17,33,268	1,79,35,60,153
Borrowings	4	12,91,95,961	12,88,79,794
Other Liabilities and Provisions	5	8,25,52,905	6,63,99,293
TOTAL		2,29,79,97,392	2,09,75,73,269
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	13,11,41,772	14,08,19,916
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1,01,24,236	1,20,08,097
Investments	8	59,24,32,651	54,50,44,883
Advances	9	1,47,51,28,503	1,29,72,54,066
Fixed Assets	10	2,47,39,090	2,42,53,862
Other Assets	11	6,44,31,140	7,81,92,445
TOTAL		2,29,79,97,392	2,09,75,73,269
Contingent Liabilities	12	59,39,13,114	43,35,11,073
Bills for Collection	-	5,67,71,907	3,57,60,905
Principal Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

M. V. Tanksale
Chairman & Managing Director

V. R. Iyer
Executive Director

R. K. Dubey
Executive Director

Alok Tandon
Director

Salim Gangadharan
Director

Romesh Sabharwal
Director

Major (Retd) Ved Prakash
Director

Guman Singh
Director

N. Balakrishnan
Director

Brijlal Kshatriya
Director

B. S. Rambabu
Director

For M/s Sagar Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

For M/s. GSA and Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

For M/s. D. Rangaswamy & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 003073S

(CA B. Aruna)
Partner
M.No. 216454

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M.No.083899

(CA Anusha Sreenivasan)
Partner
M.No. 204567

For M/s. K.S. Aiyar & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 100186W

For M/s. Ghiya & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 001088C

For M/s. Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003708N

(CA Satish K. Kelkar)
Partner
M.No.038934

(CA G.P.Gupta)
Partner
M.No.075000

(CA Milan Shrimali)
Partner
M.No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 08, 2012

Profit and Loss Account for the Year Ended March 31, 2012

Particulars	Schedule No.	(000's Omitted)	
		Year Ended 31-Mar12 ₹	Year Ended 31-Mar-11 ₹
I. INCOME			
Interest Earned	13	19,14,94,994	15,22,05,661
Other Income	14	1,39,53,016	1,26,50,414
TOTAL		20,54,48,010	16,48,56,075
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	13,98,08,592	9,89,52,287
Operating Expenses	16	3,74,89,952	3,99,89,883
Provisions and Contingencies		2,28,19,075	1,33,89,804
TOTAL		20,01,17,619	15,23,31,974
III. PROFIT/ LOSS			
Net Profit for the year		53,30,391	1,25,24,101
Profit brought forward		14,789	11,287
TOTAL		53,45,180	1,25,35,388
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		13,32,598	31,48,525
Investment Reserve		4,39,466	-
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-	10,00,000
Staff Welfare Fund		1,50,000	1,50,000
Revenue Reserve		2,05,630	52,77,293
Reserve for Interest on JPY Swap Coupon		-	11,155
Proposed Dividend - Preference Capital		12,85,921	11,48,706
Proposed Dividend - Equity Capital		14,72,231	13,74,051
Dividend Tax		4,44,545	4,10,869
Balance Carried Over to Balance Sheet		14,789	14,789
TOTAL		53,45,180	1,25,35,388
EPS (Basic & Diluted) (₹)		5.95	22.04
Principal Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

M. V. Tanksale Chairman & Managing Director	V. R. Iyer Executive Director	R. K. Dubey Executive Director
Alok Tandon Director	Salim Gangadharan Director	Romesh Sabharwal Director
Guman Singh Director	N. Balakrishnan Director	Brijlal Kshatriya Director
Major (Retd) Ved Prakash Director	B. S. Rambabu Director	
For M/s Sagar Associates Chartered Accountants F.R.No. 003510S (CA B. Aruna) Partner M.No. 216454	For M/s. GSA and Associates Chartered Accountants F.R.No. 000257N (CA Sunil Aggarwal) Partner M.No.083899	For M/s. D. Rangaswamy& Co Chartered Accountants F.R.No. 003073S (CA Anusha Sreenivasan) Partner M.No. 204567
For M/s. K.S. Aiyar & Co Chartered Accountants F.R.No. 100186W (CA Satish K. Kelkar) Partner M.No.038934	For M/s. Ghiya & Co Chartered Accountants F.R.No. 001088C (CA G.P.Gupta) Partner M.No.075000	For M/s.Samsand & Associates Chartered Accountants F.R.No. 003708N (CA Milan Shrimali) Partner M.No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 08, 2012



Schedules Forming Part of the Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at		As at	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		3,00,00,000		3,00,00,000
300,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :	73,61,154		40,41,415	
73,61,15,416 equity shares of ₹ 10/- each (includes 58,26,35,426 shares of ₹10/- each held by Central Govt)				
(Previous year 40,41,41,460 equity shares of ₹ 10 each)				
Perpetual non-cumulative Preference Share capital (161,70,00,000 Preference shares of ₹ 10/- each)	1,61,70,000		1,61,70,000	
		2,35,31,154		2,02,11,415
TOTAL		2,35,31,154		2,02,11,415
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1,52,49,882		1,21,01,357	
Additions during the year	13,32,598		31,48,525	
		1,65,82,480		1,52,49,882
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1,92,84,291		1,96,20,223	
Deductions during the year	3,14,722		3,35,932	
		1,89,69,569		1,92,84,291
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	36,31,035		36,31,035	
Additions during the year	4,39,466		-	
		40,70,501		36,31,035
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	73,60,000		73,60,000	
Additions/ Adjustments during the year	3,11,07,132		-	
		3,84,67,132		73,60,000
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,17,25,781		1,64,87,153	
Additions during the year	2,05,630		52,88,448	
Less: Deductions during the year	51,778		49,820	
		2,18,79,633		2,17,25,781
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act		10,00,000		10,00,000
V. Balance in Profit and Loss Account		14,789		14,789
TOTAL		10,09,84,104		6,82,65,778

Schedules Forming Part of the Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-12		As at 31-Mar-11	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	21,56,771		35,79,786	
ii) From Others	12,46,47,165		15,07,33,764	
		12,68,03,936		15,43,13,550
II. Savings Bank Deposits				
		52,59,46,590		47,64,49,389
III. Term Deposits				
i) From Banks	3,28,34,428		2,68,55,783	
ii) From Others	1,27,61,48,314		1,13,59,41,431	
		1,30,89,82,742		1,16,27,97,214
TOTAL				
		1,96,17,33,268		1,79,35,60,153
B. i) Deposits of Branches in India				
		1,96,17,33,268		1,79,35,60,153
ii) Deposits of Branches outside India				
		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	25,00,700		-	
ii) Other Banks	25,604		64,770	
iii) Other Institutions & Agencies	3,74,14,716		5,80,90,269	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	2,63,73,000		2,13,73,000	
v) Upper Tier II bonds	2,88,50,000		2,88,50,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	58,30,000		58,30,000	
		10,09,94,020		11,42,08,039
II. Borrowings outside India				
		2,82,01,941		1,46,71,755
TOTAL				
		12,91,95,961		12,88,79,794
Secured Borrowings included in I & II above				
		Nil		Nil
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable		88,78,315		34,40,230
II. Inter Office Adjustments (Net)		-		-
III. Interest Accrued		1,30,58,828		92,86,641
IV. Deferred Tax Liability		45,50,200		14,63,000
V. Others(including provisions)		5,60,65,562		5,22,09,422
TOTAL				
		8,25,52,905		6,63,99,293
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		1,66,76,309		92,57,589
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	11,34,65,463		13,05,62,327	
In Other Accounts	10,00,000		1000000	
		11,44,65,463		13,15,62,327
TOTAL				
		13,11,41,772		14,08,19,916



Schedules Forming Part of the Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at		As at	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	64,81,831		78,32,950	
b) In Other Deposit Accounts	37,229		-	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		-	
b) With Other Institutions	-		-	
		65,19,060		78,32,950
II. Outside India				
a) In Current Accounts	36,03,834		41,73,805	
b) In Other Deposit Accounts	1,342		1,342	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
		36,05,176		41,75,147
TOTAL		1,01,24,236		1,20,08,097
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	50,72,38,240		47,75,74,297	
ii) Other approved Securities	6,03,668		8,43,682	
iii) Shares	94,24,314		80,80,675	
iv) Debentures and Bonds	4,10,16,662		3,52,68,008	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	25,41,662		24,71,662	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)	3,16,01,511		2,07,99,965	
		59,24,26,057		54,50,38,289
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		6,594		6,594
TOTAL		59,24,32,651		54,50,44,883
* Investments in India				
Gross Value	59,57,65,455		54,84,64,246	
Less: Provision for Depreciation	33,39,398		34,25,957	
Net Value		59,24,26,057		54,50,38,289
** Investments outside India				
Gross Value	6,594		6,594	
Less: Provision for Depreciation	-		-	
Net Value		6,594		6,594

Schedules Forming Part of the Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at		As at	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	2,25,38,880		1,93,76,090	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	49,06,09,919		37,94,16,161	
iii) Term Loans	96,19,79,704		89,84,61,815	
TOTAL		1,47,51,28,503		1,29,72,54,066
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	1,03,33,47,079		95,40,87,520	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	7,88,38,452		9,49,38,235	
iii) Unsecured	36,29,42,972		24,82,28,311	
TOTAL		1,47,51,28,503		1,29,72,54,066
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	38,52,21,816		40,50,95,096	
ii) Public Sector	9,76,03,765		9,86,81,204	
iii) Banks	7,49,653		1,74,388	
iv) Others	99,15,53,269		79,33,03,378	
TOTAL		1,47,51,28,503		1,29,72,54,066
(II) Advances outside India		Nil		Nil
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises (At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	2,38,58,143		2,38,30,114	
Additions during the year	1,15,269		28,029	
Total	2,39,73,412		2,38,58,143	
Depreciation to date	40,43,752		37,01,847	
TOTAL		1,99,29,660		2,01,56,296
II. Other Fixed Assets (Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	1,17,34,975		95,09,577	
Additions / Adjustments during the year	21,55,582		23,27,349	
Total	1,38,90,557		1,18,36,926	
Deductions / Adjustments during the year	1,55,962		1,01,951	
Total	1,37,34,595		1,17,34,975	
Depreciation to date	89,25,165		76,37,409	
TOTAL		48,09,430		40,97,566
TOTAL (I & II)		2,47,39,090		2,42,53,862



Schedules Forming Part of the Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-12		As at 31-Mar-11	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	1,26,76,296		1,07,79,172	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	2,33,10,995		2,28,32,448	
III. Stationery and Stamps	1,31,680		1,23,474	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Inter Office Adjustments	29,46,039		1,53,11,881	
VI. Others	2,53,66,130	6,44,31,140	2,91,45,470	7,81,92,445
TOTAL		6,44,31,140		7,81,92,445
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		15,56,441		18,15,342
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc		1,42,45,860		60,16,360
II. Liability for partly paid Investments		-		578,649
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		41,64,74,984		28,80,54,433
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	7,06,31,212		6,36,70,949	
b) Outside India	55,18,890		30,78,445	
		7,61,50,102		6,67,49,394
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		8,50,62,529		6,17,96,895
VI. Other item for which the bank is contingently liable		4,23,198		85,00,000
TOTAL		59,39,13,114		43,35,11,073

Schedules Forming Part of the Profit & Loss Account for the Year Ended March 31, 2012

(000's omitted)

PARTICULARS	Year Ended 31-Mar-12 ₹	Year Ended 31-Mar-11 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	14,42,04,764	11,25,38,023
II. Income on Investments	4,34,73,461	3,76,70,956
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank funds	33,93,498	3,33,698
IV. Others	4,23,271	16,62,984
TOTAL	19,14,94,994	15,22,05,661
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	66,34,990	62,05,058
II. Profit on Sale of Investments (Net)	32,00,628	31,19,229
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(4,167)	(1,105)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	18,68,242	5,60,926
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	23,560	15,545
VII. Miscellaneous Income	22,29,763	27,50,761
TOTAL	1,39,53,016	1,26,50,414
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	12,99,61,070	9,06,26,409
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	14,90,560	14,44,291
III. Others	83,56,962	68,81,587
TOTAL	13,98,08,592	9,89,52,287
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	2,50,62,428	2,96,42,232
II. Rent, Taxes and Lighting	25,67,790	19,15,037
III. Printing and Stationery	2,64,764	2,15,661
IV. Advertisement and Publicity	3,52,177	9,69,396
V. Depreciation on Bank's property	14,35,363	11,86,898
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	9,359	12,955
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	2,05,152	2,25,414
VIII. Law Charges	1,15,701	1,49,382
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	3,94,471	3,53,313
X. Repairs and Maintenance	8,33,115	6,48,609
XI. Insurance	16,45,970	15,57,480
XII. Other Expenditure	46,03,662	31,13,506
TOTAL	3,74,89,952	3,99,89,883



Schedule 17 - Principal Accounting Policies

1. Accounting Conventions:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except as modified by the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

- 2.1 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- 2.2 Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- 2.3 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates notified by FEDAI.
- 2.4 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/ loss is recognised in Profit and Loss Account.

3. Investments:

3.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds.)

3.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

i) Held to Maturity

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

ii) Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

3.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.4 Valuation :

a) Held to Maturity :

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity.

b) Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

- | | |
|---|---|
| i) Central Government Securities | At market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI. |
| ii) State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds | On appropriate yield to maturity basis. |
| iii) Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper | At carrying cost. |
| iv) Equity Share | a) Quoted : At market price. |

	b) Unquoted : At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1.00 per company if latest Balance Sheet is not available.
v) Preference Share	a) Quoted : At market price.
	b) Unquoted : On appropriate yield to maturity.
vi) Debentures and Bonds	a) Quoted : At market price.
	b) Unquoted : On appropriate yield to maturity.
vii) Mutual Fund	a) Quoted : At market price.
	b) Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii) Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) **Held for Trading :**

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 **Determination of Cost :**

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

3.6 **Income Recognition :**

- i) The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- iv) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- v) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to revenue.
- vi) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

4. **Derivatives**

Derivatives used for hedging are accounted as under :

- i) Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- ii) Interest Rate Swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

5. **Advances:**

- 5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.



- 5.2 Recoveries against Non-performing Assets (NPA) are first appropriated towards interest. However, recovery in suit filed, decreed accounts and compromise cases, is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.
- 5.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest and amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.
Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

5.4 Financial Assets sold are recognized as under:

In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.

In case the sale is at a price higher than the NBV, the surplus provision is retained to meet shortfall/loss on account of sale of other non-performing financial assets.

6. Fixed Assets/Depreciation:

- 6.1 Fixed Assets (other than computers which are depreciated on Straight Line Method) are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates:

i) Premises	At varying rates based on estimated life
ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii) Vehicles	20%
iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v) Computers including Systems Software	33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

- 6.2 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.3 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.
- 6.4 Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- 6.5 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7. Staff Benefits:

- 7.1 Annual contribution to Gratuity and Pension Funds are determined on the basis of actuarial valuation. The contribution to Pension Fund is made under a defined benefit scheme.
- 7.2 The liability for earned leave is provided for on the basis of actuarial valuation.
- 7.3 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.
- 7.4 The Bank recognizes in its Books of Accounts the liability arising out of Employee Benefits as the sum of the present value of obligations as reduced by fair value of Plan Assets on the Balance Sheet.

8. Recognition of Income and Expenditure:

- 8.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on NPA is recognized on realization as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- 8.3 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India vide circular No. DBOD.No.BP. BC.89/21.4.018/2002-03 dated 29.03.2003, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- 8.4 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.
- 8.5 Commission (excluding on Government Business), exchange, locker rent and insurance claims are accounted for on realization/settlement.
- 8.6 Expenses for Share Issue are amortized over a period of 5 years on quarterly basis.

9. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

Schedule 18 - Notes Forming Part of the Accounts

1. Capital:

The Authorized Capital of the Bank is ₹3000 crore.

The paid-up Capital of the Bank is ₹2353.11 crore increased from ₹2021.14 crore by issue of equity shares by way of Rights issue to the tune of ₹242.46 crores to the existing share holders at a premium of ₹93/- per share, which was allotted to the share holders in April 2011. Further, the Bank raised equity by way of Preferential Issue of Equity Shares to Government of India and Life Insurance Corporation of India on March 31, 2012 to the tune of ₹89.51 crore at a premium of ₹95.61 per share.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items is in progress :

- Inter Branch/Office Balance
- Accounts for Govt. transactions (Central & State)
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Account
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Balances related to ATM
- Certain balances in nominal account

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax / Deferred Tax:

- 3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues, net of reversal of excess provision of earlier years ₹112.38 crore (Refer Note 8(b)).
- 3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹1424.58 crore (previous year ₹601.64 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank in respect of above disputed demands based on various judicial decisions/ counsel's opinion on such disputed issues.
- 3.3 Out of ₹1424.58 crore of tax paid under dispute, disputes relating to various Assessment Years, involving tax element of ₹4.82 crore have been decided by the Appellate authorities in favour of the Bank. The appeal effect for the same is pending.

4. Share Issue Expenses:

Unamortized amount of ₹1.31 crore (Previous Year ₹6.72 crore) towards share issue expenses are included in Other Assets.

5. Premises:

- 5.1 The premises of the Bank were revalued during financial year 2007-08 to reflect the market value as at March 31, 2008. The appreciation amounting to ₹1565.97 crore is included in Revaluation Reserve Account.
- 5.2 Premises owned by the Bank include properties costing ₹9.95 crore (Previous Year ₹12.21 crore) revalued at ₹122.31 crore (Previous Year ₹198.46 crore) for which registration formalities are still in progress.

6. Advances / Provisions:

- 6.1 Advances to units which have become sick including those under nursing / rehabilitation / restructuring programme and other advances classified as doubtful / loss assets have been considered secured / recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.
- 6.2 In the current year, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the Floating Provision amounting to ₹312.42 crore (previous year ₹312.42 crore) from Gross NPAs to arrive at Net NPAs.
- 6.3 Advances considered good and secured includes investment of ₹3000 crore (Previous Year ₹2000 crore) in IBPCs (Inter Bank Participation Certificate) governed by the Uniform Code Governing Inter Bank Participations issued by IBA (Non Priority Sector) and investment in IBPCs issued by RRBs aggregating ₹2080 crore (Previous Year ₹1440 crore) of Priority Sector Advance / Direct Agriculture.



7. Subordinated Debt:

During the year, Bank has raised ₹500 crore by issue of Unsecured Redeemable Bonds under Tier II Capital (Subordinate Debt) taking the balance to ₹2637.30 crore (Previous Year ₹2137.30 crore) and Upper Tier II Bonds stands at ₹2885.00 crore (Previous Year ₹2885.00 crore)

8. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :

a. CAPITAL ADEQUACY RATIO :

Sl.No	Items	31.03.2012	31.03.2011
1.	CRAR (%)		
	Basel-I	11.96	10.74
	Basel-II	12.40	11.64
2.	CRAR-Tier-I Capital (%)		
	Basel-I	7.50	5.81
	Basel-II	7.79	6.31
3.	CRAR-Tier-II Capital (%)		
	Basel-I	4.46	4.93
	Basel-II	4.61	5.33
4.	Percentage of Equity share holding of Govt. of India.	79.15%	80.20%
5.	Amount of Upper Tier-II instruments Raised during the year (₹ in crore)	500	1300
6.	Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised as Tier-I capital during the year (₹ in crore)	NIL	NIL
7.	Issue of Equity shares through QIP route (₹ in crore)	NIL	NIL
	Share Capital		
	Share Premium		

The above data has been compiled on the basis of guidelines of Reserve Bank of India and estimates in respect of certain Off Balance Sheet items, made by the management and relied upon by the Auditors. In respect of Basel II, the system deficiencies / data errors noticed / reported were addressed at Central Office. Based on the extensive exercise undertaken, Bank is of the view that, unrectified deficiencies, if any, will not have a significant impact on the overall reported Capital Adequacy.

b. Provisions and Contingencies:

The break up of 'Provisions and Contingencies' appearing in the Profit and Loss Account is as under:

(₹ in crore)

		2011-12	2010-11
a.	Provision for Standard Advances	53.59	106.14
b.	Provision for NPA	1374.99	631.79
c.	Provision / Depreciation on investments (including matured investments)	149.33	154.35
d.	Provision for Taxes/Deferred Tax (net of reversal of excess provision of earlier years ₹112.38 crore)	113.30	406.76
e.	Others	590.70	39.94
	TOTAL	2281.91	1338.98

c. (i) Investments

(₹ in crore)

Items			31.3.2012	31.3.2011
1)	Value of Investments			
	i)	Gross Value of Investments	59577.21	58287.08
		a) In India	59576.55	58286.42
		b) Outside India	0.66	0.66
	ii)	Provisions for Depreciation	333.94	342.60
		a) In India	333.94	342.60
		b) Outside India	0.00	0.00
	iii)	Net Value of Investments	59243.27	57944.48
		a) In India	59242.61	57943.82
		b) Outside India	0.66	0.66
2)	Movement of Provisions held towards depreciation on Investments.			
	i)	Opening Balance	342.60	1445.43
	ii)	Add: Provisions made during the year	0.00	-1102.83
	iii)	Less: Write off Prov./ Write Back Provision	8.66	0.00
	iv)	Closing Balance	333.94	342.60

(ii) Repo Transactions

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Out standing as on March 31, 2012
Securities sold under Repo	0.00	5500.00	616.12	5500.00
Securities purchased under Reverse Repo	0.00	8000.00	269.67	1700.00

(iii) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	363.91	220.88	0.00	0.00	2.88
ii)	FIs	546.39	342.06	0.00	0.00	78.96
iii)	Banks	452.93	235.43	0.00	0.00	0.00
iv)	Private Corporates	2805.09	2544.30	25.00	4.80	75.99
v)	Subsidiaries / Joint Ventures	254.17	254.17	0.00	254.17	254.17
vi)	Others	4176.84	3120.50	0.00	3184.30	3449.25
	RIDF / RHDF / SIDBI	1855.22	1855.22	0.00	1855.22	1855.22
	CP / CD / IBPC / SR	1180.97	888.10	0.00	286.69	1180.97
	Mutual Funds	27.75	0.00	0.00	27.75	27.75
	Venture Capital	93.21	93.21	0.00	93.21	93.21
	Shares (incl. Trustee Shares)	1019.69	283.97	0.00	921.43	292.10
	TOTAL	8599.33	6717.34	25.00	3443.27	3861.25
	Less: Provision held towards depreciation	117.86				
	Net	8481.47	6717.34	25.00	3443.27	3861.25

Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 are not mutually exclusive.



(iv) Non Performing Non-SLR Investments

(including matured investments)

(₹ in crore)

Particulars	31.3.2012	31.3.2011
Opening Balance	29.31	28.06
Additions during the year	0.37	3.18
Reductions during the year	13.91	1.93
Closing balance	15.77	29.31
Total provisions held	15.77	24.45

d. Derivatives

(i) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Items	31.3.2012	31.3.2011
i) The Notional Principal of Swap agreements	1046.10	850.00
ii) Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	Nil	Nil
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps		
-- Foreign Bank	933.60	737.50
-- Domestic Bank	112.50	112.50
v) The fair value of the swap book	(-) 47.45	(-) 53.60

(ii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2012 (instrument-wise)	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NA
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NA

Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

iii) Qualitative Disclosures

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.
- The investment portfolio of the Bank consists of assets with characteristics of fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank has also Tier II bonds hedged for coupon swaps. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

- Policy for Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, currency futures and Interest Rate Futures for hedging the interest rate risk in the investment portfolio and also for market making is in place.
- The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counter party exposure limits etc approved by the Board of Directors are in place. The risks are monitored and reviewed regularly. MIS reports are submitted periodically to Risk Management Committee.
- **Hedge Positions**
 - Accrual on account of interest expenses/income on the IRS are accounted and recognized as income/expense.
 - If the swap is terminated before maturity, the Mark to Market (MTM loss/gain and accrual till such date are accounted as expense/income under Interest paid/received on IRS.
- **Trading positions**
 - Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.
 - MTM profit/loss are accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.
 - Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains if any are ignored.
 - Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income/expense under the above head.

iv) Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	NIL	821.10
	b) For trading	NIL	225.00
ii)	Marked to Market Positions (1)		
	a) Asset (+)	-	-
	b) Liability (-)	-	47.45
iii)	Credit Exposure (2)	-	57.67
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) On hedging derivatives	-	0.23
	b) On trading derivatives	-	0.08
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) On hedging	-	0.28/ 0.20
	b) On trading	-	0.09/ 0.03



e. **Asset Quality**

(i) **Non Performing Assets**

(₹ in crore)

Items		31.3.2012	31.3.2011
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	3.09%	0.65%
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening balance	2394	2458
	b) Additions during the year	6849	1409
	c) Reduction during the year	1970	1473
	d) Closing balance	7273	2394
iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening balance	847	727
	b) Additions during the year	4879	183
	c) Reduction during the year	1169	63
	d) Closing balance	4557	847
iv)	Movement of Provisions for Net NPAs (excluding provisions on Standard Assets)		
	a) Opening balance	1085	1211
	b) Provisions made during the year	1379	1142
	c) Write off/ write back / Transfer	244	1268
	d) Closing balance	2220	1085

* excluding floating provision of ₹312.43 crore (previous year 312.43 crore)

(ii) **Particulars of Accounts Restructured:**

(₹ in Crore)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	9	315	3210
	Amt. Outstanding	1499.26	62.92	10062.24
	Sacrifice	300.63	2.97	63.00
Sub Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	0	13	592.00
	Amt. Outstanding	--	1.98	1030.10
	Sacrifice	--	0.10	0.27
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	1	2	38
	Amt. Outstanding	151.27	0.02	0.34
	Sacrifice	--	--	0.02
TOTAL	No. of Borrowers	10	330	3840
	Amt. Outstanding	1650.53	64.92	11092.68
	Sacrifice	300.63	3.07	63.29

The amount of 'Sacrifice' for accounts with balance of Less than ₹1.00 crore is taken at 5% of the outstanding amount.

- (b) During the year, 330 accounts under SME were subjected to Restructuring and the balance outstanding as on March 31, 2012 was ₹64.92 crore (Previous Year 219 accounts - Amount ₹27.45 crore).

(iii) Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in Crore)

Items		31.3.2012	31.3.2011
i)	No. of accounts	3	54215
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	62.03	131.49
iii)	Aggregate consideration	74.80	295.40
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	NIL	Nil
v)	Aggregate gain / loss over net book value	12.77	163.90

(iv) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased

(₹ in Crore)

Particulars			31.3.2012	31.3.2011
1	a	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b	Aggregate outstanding	Nil	Nil

b. Details of Non Performing Financial Assets sold

(₹ in Crore)

Items		31.3.2012	31.3.2011
1	No. of accounts	3	54215
2	Aggregate outstanding	70.90	525.59
3	Aggregate consideration received	74.80	295.40

(v) Provision on Standard Assets

(₹ in Crore)

Items		31.3.2012	31.3.2011
Provisions towards Standard Assets held		574.59	521.00

f. Business Ratios

Items		2011-12	2010-11
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	9.22	8.49
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds*	0.67	0.71
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds *	1.36	1.45
(iv)	Return on Assets **	0.26	0.70
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	861.56	835.17
(vi)	Profit per employee (₹ in lacs)	1.51	3.96

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve)

*** Based on fortnightly average of Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.



g. Asset Liability Management

Maturity pattern of Total Domestic Deposits, Domestic Borrowings, Domestic Advances & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of March 31, 2012

(₹ in crore)

	Day 1	2 to 7 Days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days To 3 months	Over 3 & Up to 6 months	Over 6 & Up to 12 months	Over 1 & Up to 3 years	Over 3 & Up to 5 years	Over 5 years	TOTAL
Total Domestic Deposit	401.39	3600.46	2871.74	3667.46	31648.18	24133.02	46021.45	37196.80	23121.20	22699.48	195361.18
Total Domestic Advances	1835.17	849.16	1697.20	2089.01	10953.67	6026.25	11340.69	73463.61	18399.57	21953.32	148607.66
Total Investment	12.48	2528.82	189.19	251.65	1216.77	1506.54	1092.12	10208.04	8995.10	33242.55	59243.26
Total Domestic Borrowing*	2.64	0.00	0.00	0.00	315.16	249.24	1093.27	1990.85	342.80	0.15	3994.11
Foreign Currency Assets	497.96	0.00	0.00	62.83	551.72	1539.38	8.50	17.75	2.90	0.00	2681.04
Foreign Currency Liabilities	179.83	10.89	9.61	15.01	109.26	97.78	235.07	136.83	17.87	0.00	812.15

Note : - * Excluding those considered under Tier II Capital.

The above data has been compiled on the basis of the guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management has been relied upon by the Auditors.

h. Lending to Sensitive Sector

(i) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Category		31.3.2012	31.3.2011
a)	Direct Exposure		
	(i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented: (individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	6281.61 (5237.36)	8128.23 (7361.57)
	(ii) Commercial Real Estate -	7940.94	8384.81
	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - Residential, Commercial Real Estate.	2.29 0.00	3.43 0.00
b)	Indirect Exposure		
	(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	4381.02	667.32
	(ii) Others	174.46	167.20
	TOTAL	18780.32	17350.99

(ii) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Items		31.3.2012	31.3.2011
i)	Direct Investment in equity shares, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	882.00	773.65
ii)	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	6.18	6.87
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	-	-
iv)	Advances for other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e, where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	1016.44	1286.98
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	133.38	119.00
vi)	Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii)	Bridge Loans to the companies against the expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling (both direct and indirect).	128.52	121.41
Total Exposure to Capital Market		2166.52	2307.91

(iii) Risk Category-wise Country Exposure :

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2012	Provision held as at March 31, 2012	Exposure (net) as at March 31, 2011	Provision held as at March 31, 2011
Insignificant	962.01	Nil	1541.24	Nil
Low	518.59	Nil	479.61	Nil
Moderate	130.84	Nil	250.12	Nil
High	6.96	Nil	6.93	Nil
Very High	55.57	Nil	38.36	Nil
Restricted	0.19	Nil	0.31	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	1674.16		2316.57	

As the Bank's Net funded exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.



(iv) **Details of Credit Exposure where the Bank has exceeded Prudential Exposure Norms during the year for which necessary Board approval has been obtained.**

(₹ in Crore)

Sr. No	Name of Borrower	Credit Exposure As on 31.3.2012		Outstanding as on 31.03.2012		Investment as on 31.03.12	Total Exposure as on 31.03.12	Permissible @ 15% of bank's capital funds
		FB	NFB	FB	NFB			
1.	IFCI Ltd.	1950.00	-	1925.12	-	216.79	2141.91	2036.62
2.	HDFC Ltd.	2012.22	-	2012.22	-	32.04	2044.26	2036.62

(v) **Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz., Rights, Licences, Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9.**

Advances amounting to ₹ 291.52 crore (previous year ₹231.22 crore) for which charge over intangible security such as Rights, Licences, Authorisation etc. has been considered as unsecured.

(vi) Balance outstanding under credit exposure to telecom companies as at the year-end amounts to ₹2038.15 crore and in the opinion of the management the same are considered good for recovery. There are no credit exposures towards acquisition of 2G Licences. In addition, investment in the form of Shares, Bonds, Debentures etc. of the bank in telecom companies aggregates ₹1355.51 crore as at the year-end.

(vii) **Amount of Provisions made for Income-Tax during the year :**

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Provision for Income Tax/Deferred Tax (Net of reversal of excess provision of ₹ 112.38 crore)	113.30	406.75

The Provisioning Coverage Ratio (PCR) of the Bank is 40.62%.

9. Disclosure of Penalties imposed by RBI

RBI has not imposed any penalty on the Bank under Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Disclosure regarding concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs:

10.1 Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

(a) Total Deposits of twenty largest depositors	21569.23
(b) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	10.96

10.2 Concentration of Advances

(a) Total Advances to twenty largest borrowers	31551.92
(b) Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	20.85

10.3 Concentration of Exposures

(a) Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	33804.89
(b) Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	16.11

10.4 Concentration of NPAs

(a) Total Exposure to top four NPA accounts	1457.78
---	---------

II: Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	5.59
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	8.86
3	Services	13.97
4	Personal Loans	8.30

III. Movement of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2012		31.03.2011	
Opening Balance of Gross NPA		2394		2458
Additions during the year		6849		1409
Sub Total (A)		9243		3867
Less:-				
(i) Upgradation	587		163	
(ii) Recovery	754		736	
(iii) Write-off	226		554	
(iv) Difference in URI	403	1970	20	1473
Gross NPA		7273		2394

IV. Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	Amount (in ₹ Crore)
Total Assets	NIL
Total NPAs	NIL
Total Revenue	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

11 Other Disclosures

11 a Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is as under :

(₹ in crore)

	2011-12		2010-11	
	No. of policies	Amount	No. of policies	Amount
Life	127540	13.53	74422	10.59
Non Life	164181	6.30	128527	5.14
Total		19.83		15.73

12. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per principal accounting policy No. 8. However, the said income is not considered to be material.



b) Accounting Standard - 15 (Revised)

In previous year, in accordance with circular No. DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 issued by Reserve Bank of India, the Bank had opted to amortize the additional liability on account of re-opening of Pension option for existing employees who had not opted for pension earlier, as well as the liability on enhancement in Gratuity limit, over a period of five years beginning with the financial year ended 31st March, 2011. Accordingly, out of the unamortized amount ₹1181.53 crore as on 1st April, 2011, the Bank has amortized ₹239.98 crore for Pension and ₹55.40 crore for Gratuity being proportionate amount during the year ended March 31, 2012. The balance amount to be amortized in future periods for Pension is ₹719.95 crore and for Gratuity is ₹166.20 crore. Had such an accounting treatment not been approved by the RBI, the profit of the bank would have been lower by ₹886.15 crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

Employee Benefits:

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2011	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2012				
Opening obligations	5997.12	1047.34	2856.49	751.89
Service cost	125.72	39.70	70.54	40.78
Interest cost	498.13	83.24	222.98	58.39
Actuarial [gain]/loss	441.59	(63.58)	335.48	44.95
Benefits paid	(525.00)	(215.48)	(279.44)	(125.67)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	-	-	1199.91	277.00
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	569.62	--
Liability Transferred in	-	-	1021.54	--
Obligations at March 31,2012	6537.56	891.22	5997.12	1047.34

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2011	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Plan assets at March 31, 2012, at fair value				
Opening Plans assets, at fair value	4228.00	832.89	2269.03	808.40
Expected return on plan assets	413.53	72.41	257.54	65.25
Actuarial gain/[loss]	29.25	(14.29)	(130.67)	14.91
Contributions	1203.61	180.00	1090.00	70.00
Benefits paid	(525.00)	(215.48)	(279.44)	(125.67)
Transfer from Other Trust	-	-	1021.54	--
Plan assets at March 31, 2012, at fair value	5349.39	855.53	4228.00	832.89

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2011	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Cost for the year ended March 31, 2012				
Service cost	125.72	39.70	70.54	40.78
Interest cost	498.13	83.24	222.98	58.39
Expected return on plan assets	(413.53)	(72.41)	(257.54)	(65.25)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	240.00	55.40	239.98	55.40
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	569.62	--
Actuarial [gain]/loss	412.34	(49.29)	466.15	30.04
Net cost	862.66	56.64	1311.73	119.36

Assumptions

Particulars	Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2011	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Interest rate	8%	8%	8%	8%
Salary escalation rate	4%	4%	4%	4%
Estimated rate of return on plan assets	8%	8%	8%	8%

b) Accounting Standard 17 - Segment Reporting

- i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has recognised Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.



SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2012

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.12 (Audited)	Year ended 31.03.11 (Audited)
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	496407	264456
	2. Retail Banking Operations	465064	538922
	3. Wholesale Banking Operations	1088778	828553
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated	4233	16630
	Total	2054482	1648561
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	265687	160895
	2. Retail Banking Operations	3463	32164
	3. Wholesale Banking Operations	8108	49450
	4. Other Banking Operations	0	0
	Total	277258	242509
c.	Unallocated Income/ (Expenses)	4233	16630
d.	Operating Profit	281491	259139
e.	Provisions & Contingencies	216857	93222
f.	Income Tax	11330	40676
g.	Net Profit	53304	125241
h.	Other Information		
i.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	2674274	2534145
	2. Retail Banking Operations	5764848	5239956
	3. Wholesale Banking Operations	14307743	12973308
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated Assets	233110	228323
	Total	22979975	20975732
j.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	7373961	3305900
	2. Retail Banking Operations	4101742	4766574
	3. Wholesale Banking Operations	10180090	11801287
	4. Other Banking Operations	0	0
	5. Unallocated Liabilities	1324182	1101971
	Total	22979975	20975732

ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.

iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.

- iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- iv) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- v) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.
- vii) Allocation of Costs:
 - a Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.
 - b Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated in proportion to the funds employed.

c) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 - Related Party

1 List of Related Parties:

(a) Key Managerial Personnel -

	Name	Designation
i)	Mr. S. Sridhar (till 31.05.2011)	Chairman & Managing Director
ii)	Mr. M.V. Tanksale (from 29.06.2011)	Chairman & Managing Director
iii)	Mrs. V. R. Iyer	Executive Director
iv)	Mr. R. K. Dubey	Executive Director

(b) Subsidiaries -

- i) Cent Bank Home Finance Ltd.
- ii) Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

(c) Associates -

(I) Regional Rural Banks -

- i) Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara
- ii) Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur
- iii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
- iv) Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola
- v) Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia
- vi) Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota
- vii) Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar

(II) Indo - Zambia Bank Ltd.

2. Transactions with Related Parties:

(₹ in lacs)

(a)	Items	Key Management Personnel	
		2011 -12	2010-11
	Remuneration paid	66.50	58.14



b) Statement of Related Parties Transaction

(₹ in crore)

Sl. No.	Related Parties	As on	Investment		Purchase of Loan Assets		Sale of Loan Assets		Line of credit to RRBs		Participation under IBPC			
			Cumulative	Max. during the year	Amt O/s	Int. Recd	Amt Sold	Int. Paid	Amt	Int. recd	Purchase of Direct Agri. Assets by Sponsor Bank		Sale of Non Priority Sector Portfolio by Sponsor Bank	
											Amt. O/s	Intt. Recd. by Sponsor Bank	Amt. O/s	Intt. Paid by Sponsor Bank
1	Satpura Narmada KGB	31.03.12	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	7.40	380.00	8.51
		31.03.11	27.64	27.64	0.00	6.63	0.00	6.63	200.23	5.67	150.00	0.00	150.00	0.00
2	Surguja KGB	31.03.12	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2.22	80.00	2.55
		31.03.11	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
3	Uttar Bihar GB	31.03.12	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	2.62	1160.00	41.92	1160.00	48.21
		31.03.11	159.09	159.09	0.00	13.44	0.00	0.00	326.11	2.74	850.00	0.00	850.00	0.00
4	Vidharbha KGB	31.03.12	6.22	6.22					50.29	2.07	130.00	4.93	130.00	5.67
		31.03.11	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.10	100.00	0.00	100.00	0.00
5	Ballia Etawah GB	31.03.12	11.72	11.72						0	110	5.42	110	6.24
		31.03.11	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
6	Hadoti KGB	31.03.12	2.45	2.45							185.00	7.89	185.00	9.07
		31.03.11	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
7	Uttarbanga KGB	31.03.12	20.58	20.57	0	0	0	0			35	1.23	35	1.42
		31.03.11	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
TOTAL		31.03.12	237.27	237.27	0	0	0	0	50.29	4.69	2080	71.01	2080	81.67
		31.03.11	230.27	230.27	0.00	20.07	0.00	0.00	576.34	8.51	1440.00	0.00	1440.00	0.00

(c) Accounting Standard 20 - Earnings per Share

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.3.2012	31.3.2011
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	383.59	1118.90
Weighted Average number of Equity Share (No.)	644194814	404141460
Basic Earnings per Share (₹)	5.95	22.04*
Diluted Earnings per Share (₹)	5.95	22.04*
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

* As per Accounting Standard 20 reinstated consequent to Right issue of equity shares in April 2011

(d) Accounting Standard 22 -Accounting for Taxes on Income

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

	31.3.2012	31.3.2011
Deferred Tax Asset:		
Provision for Leave Encashment	84.36	71.76
Provision for Pension and Gratuity	145.28	301.53
Others	23.71	--
Depreciation on Fixed Assets	6.24	--
Total (A):	259.59	373.29
Deferred Tax Liabilities:		
Depreciation on Fixed Assets	--	19.80
Interest accrued but not due on Investments	411.28	353.41
Depreciation on Investments	303.33	146.38
Total (B):	714.61	519.59
Net Deferred Tax Liability	455.02	146.30

(e) Accounting Standard - 28 -Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on Impairment of Assets is not applicable. In the opinion of the management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2012, requiring recognition in terms of the Standard.

(f) Accounting Standard - 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i) Movement of Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2011	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2012
Contingencies Provisions against claim not acknowledged as debt	3.83	0.07	--	3.90

ii) Additional Disclosures

Provisions and Contingencies

(₹ in Crore)

	31.3.2012	31.3.2011
Provisions/ Depreciation on Investment	149	154
Provision towards NPA	1375	632
Provision towards Standard Asset	54	106
Provision made for Taxes (net of reversal of excess provision of earlier year ₹112.38 crore)	113	407
Other Provision and Contingencies	591	40
TOTAL	2282	1339



iii) Floating Provisions

(₹ in Crore)

Particulars		31.3.2012	31.3.2011
a	Opening balance in the Floating Provisions account	312.43	312.43
b	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	--	--
c	Amount of draw down made during the Accounting Year.	--	--
d	Closing balance in the Floating Provisions account	312.43	312.43

iv) Movement of Provision for Liabilities:

(₹ in Crore)

	Other Legal Cases	
	31.3.2012	31.3.2011
Opening Balance	3.83	3.83
Additions during the year	0.07	-
Amount used during the period	-	-
Closing Balance	3.90	3.83
Timing of any resulting outflow	N.A.	N.A.

13 Details of Complaints

	Customer Complaints	No. of complaints	
		31.03.2012	31.03.2011
a)	Pending at the beginning of the year	514	596
b)	Received during the year	5793	12745
c)	Redressed during the year	6073	12827
d)	Pending at the end of the year	234	514

	Awards Passed by Banking Ombudsman	Numbers	
		31.03.2012	31.03.2011
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2	2
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	7	6
c)	No. of Awards implemented during the year	9	6
d)	No. of unimplemented awards at the end of the year	0	2

As compiled by the Management and relied upon by the auditors.

	Investors' complaints	No. of complaints	
		31.03.2012	31.03.2011
a)	Pending at the beginning of the year	0	0
b)	Received during the year	326	425
c)	Redressed during the year	326	425
d)	Pending at the end of the year	0	0

14 Details of Letters of Comfort issued and outstanding as on 31.3.2012

Total Number	Amount outstanding (₹ in Crores)
409	1669.24

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

- 15.** As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.
- 16.** Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification.

M. V. Tanksale Chairman & Managing Director	V. R. Iyer Executive Director	R. K. Dubey Executive Director	
Alok Tandon Director	Salim Gangadharan Director	Romesh Sabharwal Director	Major (Retd) Ved Prakash Director
Guman Singh Director	N. Balakrishnan Director	Brijlal Kshatriya Director	B. S. Rambabu Director
For M/s Sagar Associates Chartered Accountants F.R.No. 003510S (CA B. Aruna) Partner M.No. 216454	For M/s. GSA and Associates Chartered Accountants F.R.No. 000257N (CA Sunil Aggarwal) Partner M.No.083899	For M/s. D. Rangaswamy & Co Chartered Accountants F.R.No. 003073S (CA Anusha Sreenivasan) Partner M.No. 204567	
For M/s. K.S. Aiyar & Co Chartered Accountants F.R.No. 100186W (CA Satish K. Kelkar) Partner M.No.038934	For M/s. Ghiya & Co Chartered Accountants F.R.No. 001088C (CA G.P.Gupta) Partner M.No.075000	For M/s.Samsand & Associates Chartered Accountants F.R.No. 003708N (CA Milan Shrimali) Partner M.No.088578	

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 08, 2012



Cash Flow Statement for the Year Ended March 31, 2012

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2012	31-03-2011
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	646.37	1,627.18
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	143.54	118.69
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	153.72	150.98
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	1,374.98	631.79
	Provision for Standard Assets / Restructured	640.91	106.14
	Provision for Other items (Net)	(1.05)	43.31
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	(0.41)	(0.11)
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	522.54	470.99
	Interest on Income tax refund	43.00	-
	Dividend received from subsidiaries / others (treated separately)	(2.35)	(1.55)
	Sub total	3,521.25	3,147.41
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	16,817.31	17,248.54
	Increase / (Decrease) in Borrowings	(468.38)	4,531.35
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1,527.49	181.83
	(Increase) / Decrease in Advances	(19,803.33)	(24,341.56)
	(Increase) / Decrease in Investments	(4,892.50)	(3,941.62)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	1,329.33	(2,558.06)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(108.65)	(633.14)
	Net Cash from operating activities (A)	(5,598.74)	(9,512.66)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(2,077.49)	(6,365.25)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.19	1.27
	Purchase of Fixed Assets	(227.32)	(235.54)
	Income earned by way of Dividend etc. from subsidiaries and associates	2.35	1.55
	Change in Trade related investments (subsidiaries & Others)	-	-
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(221.78)	(232.71)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital / Application money	1,417.01	2,275.68
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	500.00	1,030.00
	Dividend Paid (Inculding Interim Dividend of Prev year)	(211.86)	(142.00)

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2012	31-03-2011
	Dividend Tax Paid	(34.37)	(23.96)
	Interest on JNY Swap coupon	(5.18)	(4.98)
	Interest on Subordinated Debt	(522.54)	(470.99)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	1,143.07	2,663.75
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(1,156.20)	(3,934.21)
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,081.99	17,011.93
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,200.81	2,205.09
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	15,282.80	19,217.01
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	13,114.18	14,081.99
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,012.42	1,200.81
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	14,126.60	15,282.80

M. V. Tanksale
Chairman & Managing Director

V. R. Iyer
Executive Director

R. K. Dubey
Executive Director

Alok Tandon
Director

Salim Gangadharan
Director

Romesh Sabharwal
Director

Major (Retd) Ved Prakash
Director

Guman Singh
Director

N. Balakrishnan
Director

Brijlal Kshatriya
Director

B. S. Rambabu
Director

For M/s Sagar Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

(CA B. Aruna)
Partner
M.No. 216454

For M/s. K.S. Aiyar & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 100186W

(CA Satish K. Kelkar)
Partner
M.No.038934

For M/s. GSA and Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M.No.083899

For M/s. Ghiya & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 001088C

(CA G.P.Gupta)
Partner
M.No.075000

For M/s. D. Rangaswamy & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 003073S

(CA Anusha Sreenivasan)
Partner
M.No. 204567

For M/s.Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003708N

(CA Milan Shrimali)
Partner
M.No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 08, 2012

Table DF-1
1. Scope of application

Qualitative Disclosures:

a. Parent Bank: Central Bank of India

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

b. In the consolidated accounts, bank's subsidiaries/associates are treated as under:

(b.i) Bank's Subsidiary: The details of Bank's subsidiary are as under:

SI. No.	Name of Subsidiary	Ownership
1	Cent Bank Home Finance Ltd.	59.50%
2	Cent Bank Financial Services Ltd	100%

The subsidiaries of parent bank are consolidated on line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of subsidiaries with the respective item of the parent and after eliminating material intra-group balances/transactions, unrealized profit/loss and making necessary adjustments wherever possible to conform to accounting policies, based on data received from these subsidiaries duly certified by their respective auditors. The financial statements of the subsidiaries have been drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. 31st March, 2012. The accounting standard followed for the consolidation of the financial statements of subsidiaries is AS- 21.

(b.ii) Associates: The Banks associates are as under:

SI. No.	Name of Regional Rural Banks	Ownership
I	Regional Rural Banks	
1	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara	35%
2	Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur	35%
3	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur	35%
4	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola	35%
5	Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia	35%
6	Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota	35%
7	Uttarbanga Kshetriya Gram Bank, Cooch Bihar	35%
II	Indo-Zambia Bank Ltd., Zambia.	20%

The accounting standard followed for accounting for investments in Associates in consolidated financial statements is as per AS-23 issued by ICAI. The method followed is equity.

The financial statement of INDO Zambia Bank Ltd., considered as an associate has been prepared in accordance with the International accounting Standard. All Regional Rural Bank and one associate are in the nature of financial entities.

For computation of CRAR of the Bank, investment in Subsidiaries and Regional Rural Banks are deducted from Tier I and Tier II capital equally.

CRAR is calculated for bank on standalone basis.

Quantitative Disclosures

c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: NIL

(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities is NIL.

Table DF-2
2. Capital structure

Qualitative Disclosures**a) Equity capital**

The bank has authorized capital of ₹3000.00 Crore as on 31st March, 2012, the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of ₹736.12 crore, constituting 736115416 Number of shares of ₹10 each.

Out of this, 79.15% shareholding constituting 582635426 numbers of shares is with the Government of India as of 31st March, 2012.

2.1 Debt capital instruments**2.2.1 Details of TIER I Capital**

TIER I CAPITAL	ISSUE DATE	PERIODS IN MONTH	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹ In Crores)	INTEREST RATE
IPDI	30.03.2009	Perpetual	Perpetual	583.00	G-Sec + 250bps to be repriced every year in March .
PNCPS	26.11.2006	Perpetual	Perpetual	800.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
PNCPS	30.03.2009	Perpetual	Perpetual	117.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
PNCPS	31.03.2010	Perpetual	Perpetual	450.00	Repo+100 bps to be repriced every year on relevant dates.
PNCPS	04.06.2010	Perpetual	Perpetual	250.00	Repo+100 bps to be repriced every year relevant dates.
			TOTAL	2200.00	

2.2.2 Details of Upper TIER II Bonds

SERIES	ISSUE DATE	DATE OF REDEMPTION	AMOUNT (₹In Crores)	INTEREST RATE
Upper Tier II (Sr-I)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% p.a. Step up of 50bps from 11th year (11.95% till maturity)
Upper Tier II (Sr-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% p.a Step up of 50bps from 11th year (9.90% till maturity)
Upper Tier II (Sr-III)	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% p.a. Step up of 50bps from 11th year (9.30% till maturity)
Upper Tier II (Sr-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% p.a. Step up of 50bps from 11th year (9.13% till maturity)
Upper Tier II (Sr-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% p.a. Step up of 50bps from 11th year (9.07% till maturity)
Upper Tier II (Sr-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20% p.a. Till redemption
		TOTAL	2885.00	

Table DF-3
Capital Adequacy

Qualitative disclosures

- (a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

The bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the capital to Risk Weight Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk.

The bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar1; the risks that are not at all taken into account by the pillar 1; and the factors external to the bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital in relation to the bank's risk profile. The bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario under pillar II on its CRAR.

The bank is reviewing the ICAAP on quarterly basis.

₹ in crores

Quantitative disclosures

(b) Capital requirements for credit risk at 9%: Portfolios subject to standardized approach –	
• Fund based	10705.32
• Non-fund based	578.89
• Securitisation exposures	NIL
(c) Capital requirements for market risk:	
• Standardised duration approach:	
- Interest rate risk –	439.73
- Foreign exchange risk (including gold) –	25.46
- Equity risk –	239.32
(d) Capital requirements for operational risk:	
• Basic indicator approach –	685.35
(e) Total capital ratio –	12.40%
Tier 1 capital ratio	7.79%



General qualitative disclosure requirement

A committee of board of Directors regularly oversee the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market etc. The bank also has separate committees for each risk comprising of top executives of bank headed by Chairman and Managing Director/ Executive directors such as Asset liability Management committee, Credit policy Committee, Operational Risk committee. These committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at central office level headed by General Manager measures control and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by various committees. The General Manager is assisted by Deputy General Manager and a team of Assistant General Managers, Chief Managers and Senior Managers.

At Zonal offices, the identified Risk Managers are acting as an extended Arms of the Risk Management Department of the Central Office.

The bank has in place the various policies such as Credit Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Stress testing policy, Disclosure policy, Operational risk policy, ALM policy and Market risk Policy.

Besides this, the Loan Policy prescribing broad parameters governing loan functions, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authority, exposure norms, prudential limits and measures of monitoring and controlling the credit portfolio documentation is also in place.

The Credit Monitoring Department headed by Chief General Manager monitors the quality of loan proposals, identify special mention accounts and take corrective measures, Monitor exposure norms and prudential norms for various sectors, monitor review and renew of credit limits etc.

The bank has introduced rating models for various segments of borrowers including retail lending schemes which measures the risk associated with counterparties and helps in credit and pricing decisions. In case of large borrowers credit risk assessment models evaluate financial risk, Industry risk, Management risk and business risk of the counter party and each of these risks are scored separately and then overall rating is accorded to counter party.

Table DF-4**Credit risk: General disclosures for all banks****Qualitative Disclosures****Credit risk**

Definitions of past due and impaired

A Non Performing Asset shall be a loan or an advance where-

- (i) Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90days in respect of a Term Loan;
- (ii) The account remains out of order for 90 days
- (iii) The bill remains overdue for a period of more than 90days in the case of bills Purchased and Discounted
- (iv) In case of advances granted for Agricultural purposes
 - a) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
 - b) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop seasons for long duration crops
- (v) The account remained overdue for more than 180days
- (vi) Submission for stock statement is overdue for more than 90days

Out of Order:

An account should be treated as "out of Order" if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating accounts less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credit are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Management of problem accounts,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in inter Bank Exposure,
- Country risk and other operational matters.



(₹ in crores)

Quantitative Disclosures:

(a) Total gross credit risk exposures:		
Fund based:		216213.78
Non-fund based:		60195.65
(b) Geographic distribution of exposures:		
• Overseas		361.41
• Domestic		276148.02
(c) Industry type distribution of exposures	Fund	Non Fund
Coal	29.65	0.0
Mining	14.70	0.0
Iron and Steel	5044.09	457.22
Other metal and metal products	1032.95	11.88
All Engineering	2997.63	2555.24
Electricity	384.75	7.39
Cotton Textiles	1199.39	160.43
Jute Textiles	171.87	0.30
Other Textiles	2853.77	41.99
Sugar	1213.16	138.03
Tea	189.09	0.22
Food Processing	1010.90	114.45
Vegetable Oil and Vanaspati	703.05	91.03
Tobacco and tobacco products	63.59	0.03
Paper and paper products	410.26	25.79
Rubber and rubber products	190.69	14.93
Chemical, Dyes and paints	2058.07	282.38
Cement	1308.65	154.09
Leather and leather products	103.84	2.59
Gems and Jewellery	1026.76	524.61
Construction	2115.80	911.52
Petroleum	1945.08	791.36
Automobiles including trucks	476.73	54.77
Computer software	540.95	0.00
Infrastructure	31185.80	533.94
Other Industries	6686.87	1790.66
Residual Advance to balance	85766.75	3868.38

(d) Residual contractual maturity breakdown of Assets:		
Day 1 :		2345.61
02 days to 07 days:		3377.98
08 days to 14 days:		1886.39
15 days to 28 days:		2403.5
29 days to 3 months:		12722.16
Above 3 months to 6 months:		9072.17
Above 6 months to 12 months:		12441.31
Above 12 months to 36 months:		83689.84
Above 36 months to 60 months:		27397.54
Over 60 month:		55195.87
(e) Amount of NPAs (Gross) –		7273.46
• Substandard		4736.75
• Doubtful		2498.03
• Loss		38.68
(f) Net NPAs		4556.77
(g) NPA Ratios		
• Gross NPAs to gross advances		4.83
• Net NPAs to net advances		3.09
(h) Movement of NPAs (Gross)		
• Opening balance		2394.53
• Additions		6849.29
• Reductions		1970.36
• NPA (Gross)		7273.46
(i) Movement of provisions for NPAs(Net)		
• Opening balance		1085.00
• Provisions made during the period		1379.00
• Write-off /Write-back of excess provisions		244.00
• Closing balance		2220.00
(j) Amount of Non-Performing Investments		15.77
(k) Amount of provisions held for non-performing investments		15.77
(l) Movement of provisions/depreciation on investments:		
• Opening balance		344.37
• Provisions made during the period		409.61
• Write-off /write back of excess provision		260.28
• Closing balance		493.70

Table DF-5

Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures

- The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.
- The Bank has entered into Memorandum of Understanding with four External Credit Rating Agencies identified by the RBI viz., CRISIL Ltd., CARE, ICRA Ltd., and Fitch Ratings (I) Ltd., to rate the exposures of its clients under Basel II norms.
- These agencies will rate all fund and non fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the bank's clients are adopted for assigning risk-weights.
- In case of bank's investment in particular issues of Corporate, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight to comparable exposures as per the mapping scale provided by RBI.

₹ in crores

Quantitative Disclosures:

(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	
• Below 100 % risk weight:	177076.54
• 100 % risk weight:	70311.04
• More than 100 % risk weight:	25862.18
• Amount Deducted-CRM	11565.84

Table DF-6

Credit risk mitigation: disclosures for standardized approaches 1

Qualitative Disclosures

- Policies and processes for collateral valuation and management;
Bank has well defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by bank are cash and near cash securities, land and building, and plant and machinery etc.
- A description of the main types of collateral taken by the bank;
Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.
RBI guidelines on New Capital Adequacy Framework recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

₹ in crores

Quantitative Disclosures

(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
• eligible financial collateral; after the application of haircuts-	
Fund based	9556.42
Non fund based	1907.09

Table DF-7
Securitisation: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures:	
NIL	
	₹ in crores
Quantitative Disclosures	
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitised by the bank	NIL
(e) For exposures securitised losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken type and-	NIL
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	NIL
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL
Quantitative Disclosures	
Trading Book:	
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	NIL
(l) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken type and-	NIL
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure risk measure for specific risk: and	NIL
- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	NIL
(n) Aggregate amount of :	
- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	NIL
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL

Table DF-8
Market risk in trading book

Qualitative disclosures

The bank has well defined Investment and Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market process, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The bank has put in place board approved Investment and Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are Asset Liability Management Policy and Policy on Foreign Exchange Operations.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with bank's expectations of return to market risk through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels financial risk. The goal of bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate a bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Banks has also put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge
Interest Rate Risk	₹ 439.72 crores
Equity Position Risk	₹ 239.31 crores
Foreign Exchange Risk	₹ 25.46 crores
TOTAL	₹ 704.50 crores

Table DF-9 Operational risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to Operational Risk loss events through Loss Data Management, Risk & control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI) & Scenario Analysis. Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEX' for external loss data base.

The Bank has already approached RBI for moving to The Standardised Approach and is making efforts to move directly to Advance Measurement Approach.

The bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2012 is ₹ 685.35 Crores.

Table DF-10 Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure:

Parameter of Change	₹ Crores
1. Impact on Earnings at 200 bps increase in interest rate across assets and liability	48.65
2. Market value of Equity: 200 bps change	2306.96

G. B. Songaonkar
General Manager – RMD

(M.V. Tanksale)
Chairman &
Managing Director

(V.R. Iyer)
Executive Director

(R. K. Dubey)
Executive Director

Date: 17.05.2012



Auditors' Report on Consolidated Financial Statements

To

THE BOARD OF DIRECTORS OF CENTRAL BANK OF INDIA

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Central Bank of India ("The Bank"), its subsidiaries and Associates as at March 31, 2012 (collectively referred to as "The Group"), the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow for the year ended on that date, annexed thereto, in which are incorporated:

- (i) Audited Accounts of the Central Bank of India (The Bank), audited by us,
- (ii) Audited Accounts of the 2 Subsidiaries, 7 Regional Rural Banks and 1 Other Associate audited by other auditors.

These consolidated financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by them on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries and associates. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. These consolidated financial statements have been prepared by the bank's management in accordance with the requirement of Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23- "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines of the Reserve Bank of India.

3. We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. We have not audited the financial statements of the

- (i) subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹ 351.68 crore as at March 31, 2012 and Total Revenue of ₹ 53.70 crore and net cash flows amounting to ₹ 9.84 crore for the year ended on that date.
- (ii) Associates (7 Regional Rural Banks and 1 Other Associate) reflecting net profit of ₹ 213.30 Crore (The bank's share ₹ 69.28 crore) for the year ended on that date.

5. Our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of subsidiaries and associates of the Bank which have been audited by other auditors and whose reports have been furnished to us, is based solely on the reports of such auditors.

6. Dividend has been declared by The Bank without writing off un-amortised amount of pension ₹ 719.95 Crore and gratuity liability ₹ 166.20 Crore, subject to permission of Central Government.

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No. 4.2.1 of Schedule 18 to the financial statements, regarding deferment of pension liability and gratuity liability of The Bank to the extent of ₹ 886.15 crore, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15 – "Employees Benefits", vide circular No. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09-02-2011 on "Re-opening of Pension Option to the employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits- Prudential Regulatory Treatment."

8. Based on our audit and consideration of reports of the respective auditors on separate financial statements of 2 subsidiaries, 7 Regional Rural Banks and 1 Other Associate and on the other financial information of the subsidiaries, Regional Rural Banks and Associates and to the best of our information and according to the explanations given to us, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements, read with the significant accounting policies and the notes on accounts, give the information in the manner required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- i. In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of The Group as at 31st March, 2012;
 - ii. In the case of the Consolidated Profit & Loss Account of the consolidated profit of the Group for the year ended on that date; and
 - iii. In the case of the Consolidated Cash Flow Statement of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

For M/s. SAGAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.NO.-003510S

(CA B. SRINIVASA RAO)

PARTNER

M. NO.202352

For M/s. K.S. AIYAR & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.NO.-100186W

(CA SANTANU GHOSH)

PARTNER

M. NO.050927

For M/s. GSA AND ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.NO.-000257N

(CA SUNIL AGGARWAL)

PARTNER

M. NO.083899

For M/s. GHIYA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.NO.-001088C

(CA G. P. GUPTA)

PARTNER

M. NO.075000

For M/s. D. RANGASWAMY & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.NO.-003073S

(CA B. RAMANI)

PARTNER

M. NO.019603

For M/s. SAMSAND & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R.NO.-003708N

(CA MILAN SHRIMALI)

PARTNER

M. NO.088578

Place : Mumbai

Date : May 24, 2012



Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

	Schedule No.	AS AT 31-Mar-2012 ₹	AS AT 31-Mar- 2011 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	2,35,31,154	2,02,11,415
Share Application Money		-	2,02,56,836
Reserves and Surplus	2	10,30,92,369	6,95,80,255
Minorities Interest	2A	2,44,766	2,35,744
Deposits	3	1,96,23,53,203	1,79,37,85,456
Borrowings	4	12,91,85,961	12,88,69,794
Other Liabilities and Provisions	5	8,33,55,336	6,67,93,645
TOTAL		2,30,17,62,789	2,09,97,33,145
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	13,11,42,476	14,08,21,053
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	1,01,24,236	1,20,08,744
Investments	8	59,38,76,959	54,58,02,127
Loans & Advances	9	1,47,71,80,831	1,29,84,05,738
Fixed Assets	10	2,47,47,203	2,42,62,591
Other Assets	11	6,46,33,076	7,83,74,884
Goodwill on Consolidation		58,008	58,008
TOTAL		2,30,17,62,789	2,09,97,33,145
Contingent Liabilities	12	59,41,26,254	43,37,24,213
Bills for Collection	-	5,67,71,907	3,57,60,905
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

M. V. Tanksale Chairman & Managing Director		V. R. Iyer Executive Director		R. K. Dubey Executive Director	
Alok Tandon Director	Salim Gangadharan Director	Romesh Sabharwal Director	Major (Retd) Ved Prakash Director		
Guman Singh Director	N. Balakrishnan Director	Brijlal Kshatriya Director	B. S. Rambabu Director		

For M/s Sagar Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 0035105

(CA B. Srinivasa Rao)
Partner
M. No.202352

For M/s. K.S. Aiyar & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 100186W

(Ca Santanu Ghosh)
Partner
M. No.050927

For M/s. GSA and Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M.No.083899

For M/s. Ghiya & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 001088C

(CA G.P.Gupta)
Partner
M.No.075000

For M/s. D. Rangaswamy & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-003073S

(CA B. Ramani)
Partner
M. No.019603

For M/s.Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003708N

(CA Milan Shrimali)
Partner
M.No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai
Date : May 24, 2012

Consolidated Profit and Loss Account for the Year Ended March 31, 2012

	Schedule No.	YEAR ENDED 31-Mar-12 ₹	(000's Omitted) YEAR ENDED 31-Mar-11 ₹
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	19,16,89,278	15,27,41,610
Other Income	14	1,40,93,724	1,23,94,906
TOTAL		20,57,83,002	16,51,36,516
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	13,98,60,499	9,89,75,660
Operating Expenses	16	3,75,57,007	4,00,49,219
Provisions and Contingencies		2,29,01,447	1,34,33,180
TOTAL		20,03,18,953	15,24,58,059
III. PROFIT/ LOSS			
Consolidated Net Profit for the year of the parents & subsidiaries before Minority Interest		54,64,049	1,26,78,457
Less: Minorities Interest		23,143	38,051
Consolidated Net Profit for the year after deducting Minorities' Interest		54,40,906	1,26,40,406
Add: Share of earnings in Associates		6,92,774	5,04,166
Less : Prior Period Adjustment In Associates- Refer Note No.7		-	15,30,884
Consolidated Profit for the year attributable to the Group		61,33,680	1,16,13,688
Add: Brought forward consolidated Profit attributable to the Group		15,34,061	24,65,972
Profit Available for Appropriation		76,67,741	1,40,79,660
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		13,32,598	31,68,525
Investment Reserve		4,39,466	-
Revenue Reserve		2,17,530	52,82,293
Staff Welfare Fund		1,50,000	1,50,000
Proposed Dividend -Preference Share Capital		12,85,921	11,48,706
Proposed Dividend -Equity Share Capital		14,72,231	13,74,051
Tax on Dividend		4,44,545	4,10,869
Reserve for interest on JPY swap coupon		-	11,155
Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		17,060	10,00,000
Balance Carried over to the Balance Sheet		23,08,390	15,34,061
TOTAL		76,67,741	1,40,79,660
Earnings Per Share (In ₹)		7.20	25.43
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

M. V. Tanksale Chairman & Managing Director	V. R. Iyer Executive Director	R. K. Dubey Executive Director
Alok Tandon Director	Salim Gangadharan Director	Romesh Sabharwal Director
Guman Singh Director	N. Balakrishnan Director	Brijlal Kshatriya Director
		Major (Retd) Ved Prakash Director
		B. S. Rambabu Director

For M/s Sagar Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003510S

(CA B. Srinivasa Rao)
Partner
M. No.202352

For M/s. K.S. Aiyar & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 100186W

(Ca Santanu Ghosh)
Partner
M. No.050927

For M/s. GSA and Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M.No.083899

For M/s. Ghiya & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 001088C

(CA G.P.Gupta)
Partner
M.No.075000

For M/s. D. Rangaswamy & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-003073S

(CA B. Ramani)
Partner
M. No.019603

For M/s.Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003708N

(CA Milan Shrimali)
Partner
M.No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai
Date : May 24, 2012



Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-12		AS AT 31-Mar-11	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		3,00,00,000		3,00,00,000
Issued Subscribed and Paid up Capital :	73,61,154		40,41,415	
736115416 (P. Y. 404141460) Equity Shares of ₹ 10 each (includes 582635426 (P. Y. 324141460 shares held by Central Govt).				
Perpetual non-cumulative Preference Share Capital	1,61,70,000	2,35,31,154	1,61,70,000	2,02,11,415
TOTAL		2,35,31,154		2,02,11,415
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	1,53,63,034		1,21,94,509	
Additions during the year	13,32,598		31,68,525	
		1,66,95,632		1,53,63,034
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1,92,84,291		1,96,20,223	
Deductions during the year	3,14,722		3,35,932	
		1,89,69,569		1,92,84,291
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	36,31,035		36,31,035	
Additions during the year	4,39,466		-	
		40,70,501		36,31,035
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	73,60,000		73,60,000	
Additions during the year	3,11,07,132		-	
		3,84,67,132		73,60,000
IV. Revenue and Other Reserves				
Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,14,07,834		1,61,47,295	
Additions during the year	2,17,530		52,93,448	
Less: Deductions during the year	51,778		49,820	
Add: Other Additions	-		16,911	
		2,15,73,586		2,14,07,834
V. Special Reserve U/S 36 (1)(viii)		10,17,060		10,00,000
VI. Balance in Profit and Loss Account		22,98,889		15,34,061
TOTAL		10,30,92,369		6,95,80,255
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	2,20,266	-	2,11,244	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		2,44,766		2,35,744



Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-12		AS AT 31-Mar-11	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	21,56,771		35,79,786	
ii) From Others	12,49,25,021		15,06,27,180	
		12,70,81,792		15,42,06,966
II. Savings Bank Deposits				
		52,59,46,590		47,64,49,389
III. Term Deposits				
i) From Banks	3,33,25,436		2,70,66,607	
ii) From Others	1,27,59,99,385		1,13,60,62,494	
		1,30,93,24,821		1,16,31,29,101
TOTAL		1,96,23,53,203		1,79,37,85,456
B. i) Deposits of Branches in India				
		1,96,23,53,203		1,79,37,85,456
ii) Deposits of Branches outside India				
		-		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	25,00,700		-	
ii) Other Banks	25,604		64,770	
iii) Other Institutions & Agencies	3,74,04,716		5,80,80,269	
iv) Unsecured Redeemable Bonds (Subordinated Debt)	2,63,73,000		2,13,73,000	
v) Upper Tier II Bonds	2,88,50,000		2,88,50,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	58,30,000		58,30,000	
		10,09,84,020		11,41,98,039
II. Borrowings outside India				
		2,82,01,941		1,46,71,755
TOTAL		12,91,85,961		12,88,69,794
Secured Borrowings included in I & II above		Nil	Nil	
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	88,78,315		34,40,230	
II. Inter Office Adjustments (Net)	-		-	
III. Interest Accrued	1,30,66,480		92,86,641	
IV. Deferred Tax Liabilities (Net)	4552,028		14,64,918	
V. Others (including provisions)	5,68,58,513	8,33,55,336	5,26,01,856	6,67,93,645
TOTAL		8,33,55,336		6,67,93,645
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		1,66,77,013		92,58,726
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	11,34,65,463		13,05,62,327	
In Other Accounts	10,00,000		10,00,000	
		11,44,65,463		13,15,62,327
TOTAL		13,11,42,476		14,08,21,053



Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-12		AS AT 31-Mar-11	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	64,81,831		78,33,219	
b) In Other Deposit Accounts	37,229		378	
		65,19,060		78,33,597
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	-		-	
b) With Other Institutions	-		-	
TOTAL..... I		65,19,060		78,33,597
II. Outside India				
a) In Current Accounts	36,03,834		41,73,805	
b) In Other Deposit Accounts	1,342		1,342	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
TOTAL..... II		36,05,176		41,75,147
TOTAL.... (I + II)		1,01,24,236		1,20,08,744
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	50,72,83,560		47,76,19,617	
ii) Other approved Securities	6,03,668		8,43,682	
iii) Shares	94,24,314		80,80,675	
iv) Debentures and Bonds	4,10,16,662		3,52,68,008	
v) Investment in Associates	35,62,053		28,71,564	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers Mutual Fund Units etc.)	3,16,01,514		2,07,99,968	
		59,34,91,771		54,54,83,514
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	-		-	
ii) Investment in Associates	3,85,188		3,18,613	
		3,85,188		3,18,613
TOTAL		59,38,76,959		54,58,02,127
* Investments in India :				
Gross Value of Investments	59,68,31,169		54,89,09,471	
LESS: Provision for Depreciation	33,39,398		34,25,957	
Net Investments		59,34,91,771		54,54,83,514
** Investments outside India :				
Gross Value of Investments	3,85,188		3,18,613	
LESS: Provision for Depreciation	-		-	
Net Investments		3,85,188		3,18,613

Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-12		AS AT 31-Mar-11	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	2,25,38,880		1,93,76,090	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	49,05,54,536		37,94,16,576	
iii) Term Loans	96,40,87,415	1,47,71,80,831	89,96,13,072	1,29,84,05,738
TOTAL		1,47,71,80,831		1,29,84,05,738
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	1,03,54,21,382		95,51,96,035	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	7,88,38,452		9,49,37,869	
iii) Unsecured	3,62,920,997	1,47,71,80,831	24,82,71,834	1,29,84,05,738
TOTAL		1,47,71,80,831		1,29,84,05,738
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	38,69,26,254		40,34,31,346	
ii) Public Sector	9,76,03,765		9,86,81,204	
iii) Banks	7,49,653		1,74,388	
iv) Others	99,19,01,159	1,47,71,80,831	79,61,18,800	1,29,84,05,738
TOTAL		1,47,71,80,831		1,29,84,05,738
(II) Advances outside India		-		-
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises (At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	2,38,58,143		2,38,30,114	
Additions during the year	1,15,269		28,029	
Total	2,39,73,412		2,38,58,143	
Depreciation to date	40,43,752		37,01,847	
TOTAL.... I		1,99,29,660		2,01,56,296
II. Other Fixed Assets (Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	1,17,55,970		95,25,925	
Additions/Adjustments during the year	21,57,248		23,32,821	
Total	1,39,13,218		1,18,58,746	
Deductions/Adjustments during the year	1,56,858		1,02,865	
Total	1,37,56,360		1,17,55,881	
Depreciation to date	89,38,817		76,49,586	
TOTAL.... II		48,17,543		41,06,295
TOTAL.... (I + II)		2,47,47,203		2,42,62,591



Schedules Forming Part of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012

(000's Omitted)

PARTICULARS	AS AT 31-Mar-12		AS AT 31-Mar-11	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	1,26,78,895		1,07,81,681	
II. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net of Provisions)	2,34,71,741		2,29,68,263	
III. Stationery and Stamps	1,31,680		1,23,474	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Inter office adjustments (Net).	29,46,039		1,53,11,880	
VI. Others	2,54,04,721		2,91,89,586	
		6,46,33,076		7,83,74,884
TOTAL		6,46,33,076		7,83,74,884
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		15,56,441		18,15,342
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions etc		1,42,45,860		60,16,360
II. Liability for partly paid Investments		-		5,78,649
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		41,64,74,984		28,80,54,433
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	7,06,31,212		6,36,70,949	
b) Outside India	55,18,890		30,78,445	
		7,61,50,102		6,67,49,394
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		8,50,62,529		6,17,96,895
VI. Other items for which the bank is contingently liable		6,36,338		87,13,140
TOTAL		59,41,26,254		43,37,24,213

Schedules Forming Part of the Consolidated Profit & Loss Account for the Year Ended March 31, 2012

(000's omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-12 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-11 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	14,43,94,011	11,26,78,469
II. Income on Investments	4,34,78,276	3,76,73,646
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	33,93,498	3,33,698
IV. Others	4,23,493	20,55,797
TOTAL	19,16,89,278	15,27,41,610
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	66,61,523	62,05,058
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	32,00,628	31,19,229
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	18,68,242	5,60,926
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	(4,092)	(1,084)
V. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
VI. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	23,560	15,545
VII. Miscellaneous Income	23,43,863	24,95,232
TOTAL	1,40,93,724	1,23,94,906
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	12,99,49,040	9,06,49,962
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	15,54,497	14,44,111
III. Others	83,56,962	68,81,587
TOTAL	13,98,60,499	9,89,75,660
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	2,50,90,425	2,96,57,952
II. Rent, Taxes and Lighting	25,69,786	19,11,338
III. Printing and Stationery	2,65,484	2,16,097
IV. Advertisement and Publicity	3,53,376	9,70,075
V. Depreciation on Bank's property	14,36,879	11,87,836
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	9,678	12,955
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	2,05,578	2,25,706
VIII. Law Charges	1,19,151	1,50,716
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	3,95,197	3,54,066
X. Repairs and Maintenance	8,33,692	6,53,662
XI. Insurance	16,46,939	15,58,265
XII. Other Expenditure	46,30,822	31,50,551
TOTAL	3,75,57,007	4,00,49,219



Schedule 17 – Significant Accounting Policies of Consolidated Accounts

1. Basis of preparation:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept, generally on the historical cost convention. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prevailing practices in Banking industry in India.

2. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. Consolidation Procedure:

3.1 Consolidated financial statements of the Group (**comprising 2 Subsidiaries and 8 Associates** [including 7 RRBs]) have been prepared on the basis of:

- a. Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)
- b. Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of the Parent and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealized profit/losses as per Accounting Standard -21 "Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI and after adjustments wherever necessary to conform to uniform accounting policies of the Parent, based on data received from these subsidiaries duly audited by their respective auditors.
- c. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted for using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in consolidated financial statements" issued by the ICAI and after adjustments wherever necessary to conform to uniform accounting policies of the Parent. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements / International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.

3.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

- a. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and
- b. The minority share of movements in equity since date of parent- subsidiary relationship came into existence.

4. Transactions involving Foreign Exchange:

- a. Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.
- b. Income and Expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the respective date of transactions.
- c. Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations in Foreign Currencies are translated at year end rates notified by FEDAI.
- d. Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates notified by FEDAI and the resultant profit/ loss is recognized in Profit and Loss Account.

5. Investments:

5.1 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Investments are classified into "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale" categories. However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified under the following heads :

- i) Government Securities
- ii) Other Approved Securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Investments in Subsidiaries and sponsored institutions and
- vi) Others (UTI Shares, Commercial Papers and units of Mutual Funds)

5.2 Basis of Classification :

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories:

a. Held to Maturity

These comprise of investments, the bank intends to hold on till maturity.

b. Held for Trading

Securities which are principally held for resale within 90 days from the date of purchase.

c. Available for Sale

Investments that cannot be classified in the above categories.

5.3 Transfer of Securities between categories :

The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments are accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer as per Reserve Bank of India guidelines. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

5.4 Valuation :

a. Held to Maturity :

Investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity.

b. Available for sale :

Investments under this category are marked to market, scrip-wise, at quarterly intervals as under:

i)	Central Government Securities	At market price as published by Stock Exchange / FIMMDA / PDAI.	
ii)	State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis.	
iii)	Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper / Investment in RRBs	At carrying cost.	
iv)	Equity Share	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	At book value per share, if latest (Not more than one year old.) Balance Sheet is available, or Re.1.00 per company if latest Balance Sheet is not available.
v)	Preference Share	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	On appropriate yield to maturity.
vi)	Debentures and Bonds	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	On appropriate yield to maturity.
vii)	Mutual Fund	a) Quoted	At market price.
		b) Unquoted	At repurchase price or Net Asset Value (where repurchase price is not available).
viii)	Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.	

The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.



c. Held for Trading :

Investments under this category are valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA. The net depreciation under each classification is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

d. In case of subsidiaries, the investments are considered at cost.

5.5 Determination of Cost :

Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

5.6 Income Recognition :

- a. The Profit or loss on sale/ redemption of investments is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, an equivalent amount is appropriated to the 'Capital Reserve'.
- b. In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.
- c. State Government guaranteed exposures are classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be, if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days, necessary provisions are made as per Prudential Norms.
- d. Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.
- e. Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities are charged to revenue.
- f. The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

6. Derivatives :

Derivatives used for hedging are accounted as under:

- a. Marked to market in cases where the underlying Assets/ Liabilities are marked to market. The resultant gain/ loss is recognised in the Profit & Loss Account.
- b. Interest Rate Swaps, which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis in cases where underlying Asset/ Liabilities are not marked to market.
- c. Gains or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/ liabilities.

7. Advances:

- a. Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.
- b. Recoveries against Non-performing Assets (NPA) are first appropriated towards interest. However, recovery in suit filed, decreed accounts and compromise cases, is first appropriated towards principal or as per the terms of decree/ settlement.
- c. Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest and amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.
Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.
- d. Financial Assets sold are recognized as under:

In case the sale is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is charged to the Profit and Loss Account.

In case the sale is at a price higher than the NBV, the surplus provision is retained to meet shortfall/loss on account of sale of other non-performing financial assets.

- e. In case of Cent Bank Home Finance Limited, Income Recognition and Provisions on Loans & Advances are made on the basis of prudential norms laid down by National Housing Bank [NHB].
- f. In case of Cent Bank Home Finance Limited, repayment of housing loans, home equity loans, top-up loans and loan against property are by way of Equated Monthly Installments (EMIs) comprising of principal and interest. In respect of Fixed Rate loans, interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the financial year; in case of floating rate loans, interest is calculated on 1st of every month on the outstanding amount as on the last date of the previous month. EMIs commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMIs, Pre-EMI interest is payable every month.

8. Fixed Assets/Depreciation:

- a. Fixed Assets (other than computers which are depreciated on Straight Line Method) are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates:

i)	Premises	At varying rates based on estimated life
ii)	Furniture, Lifts, Safe Vaults	10%
iii)	Vehicles	20%
iv)	Air conditioners, Coolers, Typewriters etc.	15%
v)	Computers including Systems Software	33.33%
(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition)		

- b. In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- c. Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year. No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.
- d. Cost of leasehold land is amortised over the period of lease. In the case of revaluation, the difference between the original cost and revalued amount is amortised over the remaining period of the lease and is adjusted to the 'Revaluation Reserve'.
- e. Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, depreciation is charged on the composite cost.
- f. In case of Subsidiaries depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

9. Staff Benefits:

- a. Annual contribution to Gratuity and Pension Funds are determined on the basis of actuarial valuation. The contribution to Pension Fund is made under a defined benefit scheme.
- b. The liability for earned leave is provided for on the basis of actuarial valuation.
- c. In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, a matching contribution is made.
- d. The Bank recognizes in its Books of Accounts, the liability arising out of Employee Benefits, as the sum of the present value of obligations, as reduced by fair value of Plan Assets on the Balance Sheet.
- e. In case of Cent Bank Home Finance Ltd. gratuity amount has been provided on actuarial basis and invested in Group Maturity Scheme of the Life Insurance Corporation of India.

10. Recognition of Income and Expenditure:

- a. Income/ Expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- b. Income on NPA is recognized on realization as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.



- c. In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.
- d. Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guidelines.
- e. Commission (excluding on Government Business), exchange, locker rent and insurance claims are accounted for on realization/ settlement.
- f. Expenses for Share Issue are amortized over a period of 5 years on quarterly basis.

11. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the applicable tax laws and the deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

12. Earning per share:

The Parent Bank computes basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 issued by I.C.A.I. on weighted average method.

Schedule 18 - Notes Forming Part of the Consolidated Accounts:

1. Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated financial statements.

The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (The Parent Bank), its two Subsidiaries and Associates consisting of 7 Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited (collectively referred to as "the Group") as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2012	Ownership interest as at March 31, 2011
Centbank Home Finance Limited (Subsidiary) [CBHF]	India	59.50%	59.50%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara (Associate)	India	35.00%	35.00%
Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola (Associate)	India	35.00%	35.00%
Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia (Associate)	India	35.00%	35.00%
Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of Parent i.e. March 31, 2012.

2. In the preparation of consolidated financial statements, in some of the cases, different accounting policies for like transactions have been followed in respect of subsidiaries, for which appropriate adjustments have not been made in the absence of necessary information. In the opinion of the Management the same is not material. Items in respect of which different accounting policies have been adopted by the Subsidiaries vis-a-vis the parent Bank are given as under:

Particulars	Parent Bank	Cent Bank Home Finance Ltd [Sub]	Cent Bank Financial Services Ltd (Sub)
Depreciation	Bank followed written down value method except for computers where straight line method is adopted.	Depreciation is applied based on straight line method. Depreciation charged ₹ 8.86 lacs	Depreciation is applied based on straight line method. – Depreciation charged ₹ 6.30 lacs.
Provision for leave encashment	On actuarial basis	Assessed by the Company - ₹ 3.03 lacs.	Applicable from next year

3. PARENT BANK

3.1 Capital:

3.1.1 The Authorized Capital of the Bank is ₹ 3000 crore.



The paid-up Capital of the Bank is ₹ 2353.11 crore increased from ₹ 2021.14 crore by issue of equity shares by way of Rights issue to the tune of ₹ 242.46 crores to the existing share holders at a premium of ₹ 93/- per share, which was allotted to the share holders in April 2011. Further, the Bank raised equity by way of Preferential Issue of Equity Shares to Government of India and Life Insurance Corporation of India on March 31, 2012 to the tune of ₹ 89.51 crore at a premium of ₹ 95.61 per share.

3.1.2 Subordinated Debt:

During the year, Bank has raised ₹ 500 crore by issue of Unsecured Redeemable Bonds under Tier II Capital (Subordinate Debt) taking the balance to ₹ 2637.30 crore (Previous Year ₹ 2137.30 crore) and Upper Tier II Bonds stands at ₹ 2885.00 crore (Previous Year ₹ 2885.00 crore)

3.2 Balancing of Books / Reconciliation:

The reconciliation of the following items is in progress :

- Inter Branch/Office Balance
- Accounts for Govt. transactions (Central & State)
- Inter Bank Accounts
- System Suspense Account
- Suspense Account
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Balances related to ATM
- Certain balances in nominal account

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3 Income Tax / Deferred Tax:

3.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues, net of reversal of excess provision of earlier years ₹ 112.38 crore.

3.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 1424.58 crore (previous year ₹ 601.64 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank in respect of above disputed demands based on various judicial decisions/ counsel's opinion on such disputed issues.

3.3.3 Out of ₹ 1424.58 crore of tax paid under dispute, disputes relating to various Assessment Years, involving tax element of ₹ 4.82 crore have been decided by the Appellate authorities in favour of the Bank. The appeal effect for the same is pending.

3.4 Share Issue Expenses:

Unamortized amount of ₹ 1.31 crore (Previous Year ₹ 6.72 crore) towards share issue expenses are included in Other Assets.

3.5 Premises:

3.5.1 The premises of the Bank were revalued during financial year 2007-08 to reflect the market value as at March 31, 2008. The appreciation amounting to ₹ 1565.97 crore is included in Revaluation Reserve Account.

3.5.2 Premises owned by the Bank include properties costing ₹ 9.95 crore (Previous Year ₹ 12.21 crore) revalued at ₹ 122.31 crore (Previous Year ₹ 198.46 crore) for which registration formalities are still in progress.

3.6 Advances / Provisions:

3.6.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

3.6.2 In the current year, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the Floating Provision amounting to ₹ 312.42 crore (previous year ₹ 312.42 crore) from Gross NPAs to arrive at Net NPAs.

3.6.3 Advances considered good and secured includes investment of ₹ 3000 crore (Previous Year ₹ 2000 crore) in IBPCs (Inter Bank Participation Certificate) governed by the Uniform Code Governing Inter Bank Participations issued by IBA (Non Priority Sector) and investment in IBPCs issued by RRBs aggregating ₹ 2080 crore (Previous Year ₹ 1440 crore) of Priority Sector Advance/ Direct Agriculture.

4. Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

4.1 Accounting Standard – 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per principal accounting policy No. 10. However, the said income is not considered to be material.

4.2 Accounting Standard – 15 (Revised) – Parent Bank

4.2.1 In previous year, in accordance with circular No. DBOD No. BP.BC.80/21.04.018/2010-11, dated 09-02-2011 issued by Reserve Bank of India, the Bank had opted to amortize the additional liability on account of re-opening of Pension option for existing employees who had not opted for pension earlier, as well as the liability on enhancement in Gratuity limit, over a period of five years beginning with the financial year ended 31st March, 2011. Accordingly, out of the unamortized amount ₹ 1181.53 crore as on 1st April, 2011, the Bank has amortized ₹ 239.98 crore for Pension and ₹ 55.40 crore for Gratuity being proportionate amount during the year ended March 31, 2012. The balance amount to be amortized in future periods for Pension is ₹ 719.95 crore and for Gratuity is ₹ 166.20 crore. Had such an accounting treatment not been approved by the RBI, the profit of the bank would have been lower by ₹ 886.15 crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

4.2.2 Employee Benefits – Parent Bank

Reconciliation of opening and closing balance of the present value of the defined benefit obligation for pension and gratuity benefits as per actuarial valuations is given below:

(₹ in crore)

Particulars	Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2011	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Defined benefit obligation liability at March 31, 2012				
Opening obligations	5997.12	1047.34	2856.49	751.89
Service cost	125.72	39.70	70.54	40.78
Interest cost	498.13	83.24	222.98	58.39
Actuarial [gain]/loss	441.59	(63.58)	335.48	44.95
Benefits paid	(525.00)	(215.48)	(279.44)	(125.67)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	-	-	1199.91	277.00
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	569.62	--
Liability Transferred in	-	-	1021.54	--
Obligations at March 31, 2012	6537.56	891.22	5997.12	1047.34

(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2011	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Plan assets at March 31, 2012, at fair value				
Opening Plans assets, at fair value	4228.00	832.89	2269.03	808.40
Expected return on plan assets	413.53	72.41	257.54	65.25
Actuarial gain/[loss]	29.25	(14.29)	(130.67)	14.91
Contributions	1203.61	180.00	1090.00	70.00
Benefits paid	(525.00)	(215.48)	(279.44)	(125.67)
Transfer from Other Trust	-	-	1021.54	--
Plan assets at March 31, 2012, at fair value	5349.39	855.53	4228.00	832.89



(₹ in Crore)

Particulars	Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2011	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Cost for the year ended March 31, 2012				
Service cost	125.72	39.70	70.54	40.78
Interest cost	498.13	83.24	222.98	58.39
Expected return on plan assets	(413.53)	(72.41)	(257.54)	(65.25)
Past Service Cost (Amortised/ Non Vested)	240.00	55.40	239.98	55.40
Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-	569.62	--
Actuarial [gain]/loss	412.34	(49.29)	466.15	30.04
Net cost	862.66	56.64	1311.73	119.36

Assumptions

Particulars	Year ended March 31, 2012		Year ended March 31, 2011	
	Pension	Gratuity	Pension	Gratuity
Interest rate	8%	8%	8%	8%
Salary escalation rate	4%	4%	4%	4%
Estimated rate of return on plan assets	8%	8%	8%	8%

4.2.3 The CBHF Ltd has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit & Loss Account. The Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on March 31, 2012.

4.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2012

(₹ in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.12 (Audited)	Year ended 31.03.11 (Audited)
a.	Segment Revenue		
	1. Treasury Operations	496407	264456
	2. Retail Banking Operations	469530	538433
	3. Wholesale Banking Operations	1092507	829577
	4. Other Banking Operations	2078	3383
	5. Unallocated	4004	20177
	Total	2064526	1656026
b.	Segment Results		
	1. Treasury Operations	265688	160895
	2. Retail Banking Operations	7574	20487
	3. Wholesale Banking Operations	11008	47412
	4. Other Banking Operations	2078	1498
	Total	286348	230292
c.	Unallocated Income/ (Expenses)	4004	20177
d.	Operating Profit	290352	250469
e.	Provisions & Contingencies	216957	93223
f.	Income Tax	12058	41109
g.	Net Profit	61337	116137

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.12 (Audited)	Year ended 31.03.11 (Audited)
h.	Other Information		
i.	Segment Assets		
	1. Treasury Operations	2674274	2534145
	2. Retail Banking Operations	5766990	5251988
	3. Wholesale Banking Operations	14341066	12974138
	4. Other Banking Operations	0	1774
	5. Unallocated Assets	235298	235304
	Total	23017628	20997349
j.	Segment Liabilities		
	1. Treasury Operations	7373961	3305900
	2. Retail Banking Operations	4109690	4647783
	3. Wholesale Banking Operations	10219774	11923613
	4. Other Banking Operations	0	1268
	5. Unallocated Liabilities	1314203	1118785
	Total	23017628	20997349

- i) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the Group has recognized Treasury Operations, Corporate/ Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.
- ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.
- iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures upto a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.
- iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms, Companies and statutory bodies, which are not included under Retail Banking.
- v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.
- vi) General Banking operations are the main resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the former for funds lent to it by taking into consideration the average funds used.
- vii) Allocation of Costs:
 - a Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.
 - b Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated in proportion to the funds employed.

4.4 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosure:

I. List of Related Parties - Parent Bank

(a) Key Managerial Personnel -

	Name	Designation
i)	Mr. S. Sridhar (till 31.05.2011)	Chairman & Managing Director
ii)	Mr. M. V. Tanksale (from 29.06.2011)	Chairman & Managing Director
iii)	Mrs. V. R. Iyer	Executive Director
iv)	Mr. R. K. Dubey	Executive Director

(b) Subsidiaries -

i)	Cent Bank Home Finance Ltd.
ii)	Cent Bank Financial Services Ltd.



(c) Associates –

(I)	Regional Rural Banks -
i)	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara
ii)	Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur
iii)	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur
iv)	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank, Akola
v)	Ballia Etawah Gramin Bank, Ballia
vi)	Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota
vii)	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar
(II)	Indo – Zambia Bank Ltd.

II. Transactions with Related Parties:

(₹ in lacs)

(a)	Items	Key Management Personnel	
		2011 -2012	2010-2011
	Remuneration paid	66.50	58.14

(b) Statement of Related Parties Transaction

(₹ in crore)

S. No.	Related Parties	As on	Investment		Purchase of Loan Assets		Sale of Loan Assets		Line of credit to RRBs		Participation under IBPC			
			Cumulative	Maximum during the year	Amt O/s	Interest Re-ceived	Amount Sold	Interest Paid	Amt	Interest re-ceived	Purchase of Direct Agri. Assets by Sponsor Bank		Sale of Non Priority Sector Portfolio by Sponsor Bank	
											Amt. O/s	Intt. Recd. by Sponsor Bank	Amt. O/s	Intt. Paid by Sponsor Bank
1	Satpura Narmada KGB	31.03.12	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	7.40	380.00	8.51
		31.03.11	27.64	27.64	0.00	6.63	0.00	6.63	200.23	5.67	150.00	0.00	150.00	0.00
2	Surguja KGB	31.03.12	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2.22	80.00	2.55
		31.03.11	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
3	Uttar Bihar GB	31.03.12	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	2.62	1160.00	41.92	1160.00	48.21
		31.03.11	159.09	159.09	0.00	13.44	0.00	0.00	326.11	2.74	850.00	0.00	850.00	0.00
4	Vidharbha KGB	31.03.12	6.22	6.22					50.29	2.07	130.00	4.93	130.00	5.67
		31.03.11	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.10	100.00	0.00	100.00	0.00
5	Ballia Etawah GB	31.03.12	11.72	11.72						0	110	5.42	110	6.24
		31.03.11	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
6	Hadoti KGB	31.03.12	2.45	2.45							185.00	7.89	185.00	9.07
		31.03.11	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
7	Uttarbanga KGB	31.03.12	20.58	20.57	0	0	0	0			35	1.23	35	1.42
		31.03.11	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
TOTAL		31.03.12	237.27	237.27	0	0	0	0	50.29	4.69	2080	71.01	2080	81.67
		31.03.11	230.27	230.27	0.00	20.07	0.00	0.00	576.34	8.51	1440.00	0.00	1440.00	0.00

- (c) During the financial year 2011-12, dividend of ₹ 57.10 lacs has been received by Parent Bank from Indo Zambia Bank Ltd. (Associate) relating to the financial year 2010-11.

4.5. Accounting Standard 20 – Earnings per Share of the Group

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

	31.3.2012	31.3.2011
Net Profit after Tax available for Equity Share Holder (₹ in Crore)	463.92	1175.64
Weighted Average number of Equity Share (No.)	644194814	404141460
Basic Earnings per Share (₹)	7.20	25.43*
Diluted Earnings per Share (₹)	7.20	25.43*
Nominal Value per Share (₹)	10	10

*Restated consequent to Right issue of equity shares in April 2011 as per Accounting Standard 20.

4.6 Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income (of the Group)

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities.

Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

	31.3.2012	31.3.2011
Deferred Tax Asset:		
Provision for Leave Encashment	84.41	71.80
Provision for Pension and Gratuity	145.29	301.54
Others	23.71	--
Depreciation on Fixed Assets	6.24	--
Total (A):	<u>259.65</u>	<u>373.34</u>
Deferred Tax Liabilities:		
Depreciation on Fixed Assets	0.24	20.04
Interest accrued but not due on Investments	411.28	353.41
Depreciation on Investments	303.33	146.38
Total (B):	<u>714.85</u>	<u>519.83</u>
Net Deferred Tax Liability	<u>455.20</u>	<u>146.49</u>

4.7 Accounting Standard – 28 – Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2012, requiring recognition in terms of the Standard.

4.8 Accounting Standard – 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets [Parent Bank]

i) Movement of Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2011	Provision made during the year	Provisions reversed/ adjusted	Closing Balance as on 31.3.2012
Contingencies Provisions against claim not acknowledged as debt	3.83	0.07	--	3.90



5. As per the information compiled by the Management, the Vendors, whose services are utilized and from whom purchases were made by the Bank, are not registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.
6. Previous year figures have been re-grouped/ re-classified wherever considered necessary to conform to current year's classification

M. V. Tanksale Chairman & Managing Director	V. R. Iyer Executive Director	R. K. Dubey Executive Director	
Alok Tandon Director	Salim Gangadharan Director	Romesh Sabharwal Director	Major (Retd) Ved Prakash Director
Guman Singh Director	N. Balakrishnan Director	Brijlal Kshatriya Director	B. S. Rambabu Director
For M/s Sagar Associates Chartered Accountants F.R.No. 0035105 (CA B. Srinivasa Rao) Partner M. No.202352	For M/s. GSA and Associates Chartered Accountants F.R.No. 000257N (CA Sunil Aggarwal) Partner M.No.083899	For M/s. D. Rangaswamy & Co. Chartered Accountants F.R.No.-0030735 (CA B. Ramani) Partner M. No.019603	
For M/s. K.S. Aiyar & Co Chartered Accountants F.R.No. 100186W (Ca Santanu Ghosh) Partner M. No.050927	For M/s. Ghiya & Co Chartered Accountants F.R.No. 001088C (CA G.P.Gupta) Partner M.No.075000	For M/s.Samsand & Associates Chartered Accountants F.R.No. 003708N (CA Milan Shrimali) Partner M.No.088578	

As per our report of even date

Place : Mumbai

Date : May 24, 2012

Consolidated Cash Flow Statement for the Year Ended March 31, 2012

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2012	31-03-2011
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Net Profit before taxes	666.99	1,640.63
I	Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	143.69	118.78
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	153.72	150.98
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	1,376.26	631.79
	Provision for Standard Assets	641.87	106.14
	Provision for Other items (Net)	1.05	43.31
	Interest on Income Tax (Net)	43.00	-
	Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	0.41	(0.11)
	Dividend income from Subsidiaries (Considered Separately)	(2.36)	(1.55)
	Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	522.54	470.99
	Sub total	3,547.18	3,160.95
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	16,856.77	17,248.70
	Increase / (Decrease) in Borrowings	(468.38)	4,531.34
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	1,564.86	215.94
	(Increase) / Decrease in Advances	(19,895.64)	(24,378.04)
	(Increase) / Decrease in Investments	(4,884.93)	(3,942.88)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	1,322.78	(2,560.50)
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(113.32)	(639.64)
	Net Cash from operating activities (A)	(5,617.85)	(9,525.08)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(2,070.68)	(6,364.13)
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	3.28	1.27
	Purchase of Fixed Assets	(227.33)	(235.54)
	Investment in RRB	(7.00)	-
	Dividend received from Subsidiaries	2.36	1.55
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(228.69)	(232.71)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Share Capital	1,417.01	250.00
	Share Application Money	-	2,025.68
	Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	500.00	1,030.00
	Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(211.86)	(143.10)
	Dividend Tax	(34.37)	(24.15)
	Interest on JNY Swap coupon	(5.18)	(4.98)
	Interest on Subordinated Debt	(522.54)	(470.99)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	1,143.06	2,662.47



Sn	Particulars	31- 03- 2012	31-03-2011
D	Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	(1,156.31)	(3,934.38)
E	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	14,082.11	17,012.08
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,200.87	2,205.28
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	15,282.98	19,217.36
F	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
	Cash and Bank Balance with RBI	13,114.25	14,082.11
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,012.42	1,200.87
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	14,126.67	15,282.98

	M. V. Tanksale Chairman & Managing Director	V. R. Iyer Executive Director	R. K. Dubey Executive Director
Alok Tandon Director	Salim Gangadharan Director	Romesh Sabharwal Director	Major (Retd) Ved Prakash Director
Guman Singh Director	N. Balakrishnan Director	Brijlal Kshatriya Director	B. S. Rambabu Director

For M/s Sagar Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 0035105

(CA B. Srinivasa Rao)
Partner
M. No.202352

For M/s. K.S. Aiyar & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 100186W

(Ca Santanu Ghosh)
Partner
M. No.050927

For M/s. GSA and Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 000257N

(CA Sunil Aggarwal)
Partner
M.No.083899

For M/s. Ghiya & Co
Chartered Accountants
F.R.No. 001088C

(CA G.P.Gupta)
Partner
M.No.075000

For M/s. D. Rangaswamy & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.-0030735

(CA B. Ramani)
Partner
M. No.019603

For M/s.Samsand & Associates
Chartered Accountants
F.R.No. 003708N

(CA Milan Shrimali)
Partner
M.No.088578

As per our report of even date

Place : Mumbai
Date : May 24, 2012

Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

5th Annual General Meeting

Folio No. or DP ID # / Client ID #	
No. of Shares held	

I/We _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Central Bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him/her, Shri./Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 5TH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Wednesday, 27th June, 2012, at 04.00 PM at Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Nr. Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2012

Signature of Proxy _____

Please
Affix fifteen
paise
Revenue
Stamp

Name _____

(in Block Letters)

Address _____

Signature of first named/Sole Shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless:
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason, unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
- No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on 22nd June, 2012, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
- An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholders who has executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
- All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.



Central Bank of India

Head Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP

5TH Annual General Meeting - 27th June, 2012

Date	27 th June, 2012
Place	Sir Sorabji Pochkhanwala Banker's Training College, Nr Cooper Hospital/Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle(West), Mumbai - 400 056

Name of the Member (In Block Letters)	
No. of Shares	
Folio No. or DP ID # / Client ID #	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	
Signature of the Member/Proxy/Representative Present	

Entry Pass

(To be retained throughout the meeting)

Folio No. or DP ID # /Client ID #	
Name of the Member	
No. of Shares	

Name and Signature of attending Member/
proxy/ Representative Present

Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



आंचलिक कार्यालय / ZONAL OFFICES

आगरा ब्लॉक नं. 37/2/4, संजय प्लेस, आगरा - 282 002.	AGRA Block No. 37/2/4, Sanjay Place, Agra - 282 002.	दूरभाष/Tel.: (0562) 2850154/3424, 2521342 फैक्स/Fax : 0562 - 2853698/1341 Email : zmagrazo@centralbank.co.in
अहमदाबाद सेन्दल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 4वीं मंजिल, पो. बॉ. नं. 205, लाल दरवाजा, अहमदाबाद - 380 001.	AHMEDABAD Central Bank of India Building, 4th Floor, Post Box No. 205, Lal Darwaja, Ahmedabad - 380 001.	दूरभाष/Tel.: (079) 25503586 फैक्स/Fax : 079 - 25505995 Email : zmahmezo@centralbank.co.in
भोपाल 9, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल - 462 011.	BHOPAL 9, Arera Hill, Jail Road, Bhopal - 462 011.	दूरभाष/Tel.: (0755) 2674020/22/40 फैक्स/Fax : 0755 - 2552019/2572508/2559698 Email : zmbhopzo@centralbank.co.in
चंडीगढ़ पोस्ट बॉक्स नं. 13, नं. 58-59, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17 बी, चंडीगढ़ - 160 017.	CHANDIGARH Post Box No. 13, No. 58-59, Bank Square, Sector 17B, Chandigarh - 160 017.	दूरभाष/Tel.: (0172) 2704787 फैक्स/Fax : 0172 - 2700647 Email : zmchanzo@centralbank.co.in
चेन्नई 48/49, मॉडिअथ रोड, एगमोर, चेन्नई - 600 008. (तमिलनाडु).	CHENNAI 48/49, Monteit Road, Egmore, Chennai - 600 008. (Tamilnadu).	दूरभाष/Tel.: (044) 23464210 - 214 फैक्स/Fax : 044 - 23464200 Email : zmchenzo@centralbank.co.in
गुवाहाटी 2वीं मंजिल जी.एस. रोड, सेन्दल बैंक बिल्डिंग, भंगगढ़, गुवाहाटी - 781 005.	GUWAHATI 2nd floor G.S. Road, Central Bank Building, Bhangagarh, Guwahati - 781 005.	दूरभाष/Tel.: (0361) 2457651/52 फैक्स/Fax : 0361 - 2452154 Email : zmguwazo@centralbank.co.in
हैदराबाद पोस्ट बॉक्स नं. 522, 710-712, महापत्रम रोड, बैंक स्ट्रीट, कोटी हैदराबाद - 500 195.	HYDERABAD Post Box No. 522, 710-712, Mahapathram Road, Bank Street, Koti Hyderabad - 500 195.	दूरभाष/Tel.: (040) 23468911 - 18 फैक्स/Fax : 040 - 23468902 Email : zmhydezo@centralbank.co.in
कोलकाता सेन्दल बैंक बिल्डिंग, 33, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001.	KOLKATA Central Bank Building, 33, Netaji Subhash Road, Kolkata - 700 001.	दूरभाष/Tel.: (033) 22301270/1275 फैक्स/Fax : 033 - 22309864 Email : zmkolkzo@centralbank.co.in
लखनऊ पोस्ट बॉक्स नं. 10, आकाशदीप, 23, विधानसभा मार्ग, लखनऊ - 226 001.	LUCKNOW Post Box No. 10, Akash Deep, 23, Vidhan Sabha Road, Lucknow - 226 001.	दूरभाष/Tel.: (0522) 2611301-04, 2626301 फैक्स/Fax : 0522 - 26132401/4075490 Email : zmluckzo@centralbank.co.in
मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय स्टैंडर्ड बिल्डिंग, पहली मंजिल, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 023.	MUMBAI METRO ZONAL OFFICE Standard Building, 1st Floor, D.N. Road, Fort, Mumbai - 400 023.	दूरभाष/Tel.: (022) - 40345858 फैक्स/Fax : 022 - 40345828, 40345819 Email : zmmumbzo@centralbank.co.in
मुजफ्फरपुर पावापुरी विहार बिल्डिंग, एन.एच.28, भगवानपुर चौक के नजदीक, मुजफ्फरपुर - 842 001.	MUZAFFARPUR Pawapuri Vihar Building, N.H.28, Near Bhagwanpur Chowk, Muzaffarpur - 842 001.	दूरभाष/Tel.: (0621) 2251855 फैक्स/Fax : 0621-2251784 E-mail : zmmuzazo@centralbank.co.in
नागपुर (महाराष्ट्र) ओरियन्टल बिल्डिंग, (2री मंजिल) एलआयसी स्क्वेयर, कामठी रोड, नागपुर - 440 001.	NAGPUR (MAHARASHTRA) Oriental Bldg., (2nd Floor), LIC Square, Kamptee Road, Nagpur-440 001.	दूरभाष/Tel.: (0712) 2520361/62/63 फैक्स/Fax : 0712-2520365 E-mail : zmnagpzo@centralbank.co.in
नई दिल्ली पो.बॉ.नं. 7007, लिंक हाऊस प्रेस एरिया, 3 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002.	NEW DELHI P.B.No.7007, Link House, Press Area, 3, Bahadurshah Jafar Road, New Delhi - 110 002.	दूरभाष/Tel.: (011) 23318964, 23319268/69 23324676, 2311803 फैक्स/Fax : 011-23311332, 23712677 E-mail : zmdelhz@centralbank.co.in
पटना दुसरी मंजिल, ब्लॉक बी, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड पटना - 800 001	PATNA 2nd Floor, Block B, Maurya Lok Complex, Dak Banglow Road, Patna - 800 001.	दूरभाष/Tel.: (0612) 2226607, 2222871 फैक्स/Fax : 0612-2221898 E-mail : zmpatnzo@centralbank.co.in
पुणे पो.बॉ.नं. 98,317 म.गां. मार्ग, पुणे - 411 001.	PUNE P.B. No.98, 317, M.G. Road, Pune-411 001.	दूरभाष/Tel.: (020) 26131611 to 17 फैक्स/Fax : 020-26131618 E-mail : zmpunezo@centralbank.co.in
रायपुर पहली मंजिल, ब्लॉक सी, बॉम्बे मार्केट, जी.ई. रोड, रायपुर - 492 001.	RAIPUR 1st Floor, Block 'C', Bombay Market, G.E. Road, Raipur - 492 001.	दूरभाष/Tel.: (0771) 2226756 / 2225171 फैक्स/Fax : 0771 - 4045239 E-mail : zmraipzo@centralbank.co.in

Notes



Notes

नया साइनेज - गतिशीलता का प्रतीक

हमारे बैंक के नये साइनेज में उसके वास्तविक स्वरूप के साथ-साथ वर्तमान प्रोफाइल झलकती है. साइनेज में नीला रंग, शांति एवं स्थिरता को दर्शाता है. लाल रंग की निचली पट्टी, उर्जस्वी विचार एवं सकारात्मक कार्यपद्धति का प्रतीक है. कुल मिलाकर, वे बड़ी कुशलतापूर्वक भारत के सर्वाधिक ऐतिहासिक बैंकों की श्रेणी में आने वाले हमारे बैंक की प्रगतिशील कार्यनीति एवं आधुनिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं. अपने विद्यमान 'लोगो' के साथ साइनेज के ये नये रंग इस तथ्य का यथार्थ चित्रण करते हैं कि हम अपने पुराने मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और साथ ही, एक सक्रिय तथा समकालीन संस्था की छवि भी प्रस्तुत करते हैं.



The new signage - a signature of Dynamism

The new signage of the bank projects its true character and present day profile. The Blue colour in the signage denotes peace and stability. The bottom strip in red stands for vibrant thought and positive action. Together, they aptly bring forth the forward-looking approach and new-age outlook of one of India's most historic banks. The new colours of the signage together with the existing logo is an apt depiction of carrying forward the old values yet presenting the image of a dynamic and contemporary organization.



केन्द्रीय कार्यालय, चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.
Central Office, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021.